खण्ड–491, अंक–4
बुधवार, 28 कार्तिक, शक संवत् 1936
(19 नवम्बर, 2014 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

—: 0 :—

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र, 2014)

(खण्ड 491 में 5 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2014

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	1–6
प्रश्नोत्तर	7–125
नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं	126–132
प्रदेश में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों हेतु रिजवी कमेटी की सिफारिशें लागू किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	132
जनपद इलाहाबाद में व्याप्त विभिन्न विद्युत समस्याओं का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	132–133
जनपद बांदा के कतिपय सम्पर्क मार्गों की मरम्मत एवं पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	133
जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा की कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	134
जनपद आंवला के विधान सभा क्षेत्र आंवला स्थित रम्पुरा–सिरौली मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	134
जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के ग्राम अम्बेहटा याकूबपुर में प्रस्तावित मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	135
कानपुर महानगर के कतिपय प्रमुख मार्गों की मरम्मत कराये जाने एवं जल निकासी की समस्या के निराकरण हेतु नालियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	135
प्रदेश के माध्यमिक शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	135–136
जनपद महराजगंज अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र फरेन्दा के विकास खण्ड बृजमनगंज को टाउन एरिया बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	136
जनपद बलिया के फेफना विधान सभा क्षेत्र में अन्त्येष्टि स्थल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना... ...	136–137
नोएडा विधान सभा क्षेत्र में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	137
वाराणसी में शहर दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सार्वजनिक कुओं की सफाई व आवश्यकतानुसार मरम्मत कराकर पीने योग्य पानी	137

विषय **पृष्ठ–संख्या**

उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना...

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र दक्षिण की कतिपय जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना...	138
जनपद मथुरा के थाना कोतवाली में दिनांक 13–08–2014 को दर्ज मुकदमा अपराध संख्या–676/14 पर समुचित कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना... ...	138–139
जनपद मेरठ में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत पेयजल हेतु लम्बित कार्यों को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	139
जनपद फतेहपुर अन्तर्गत स्थापित जरौली पम्प कैनाल की क्षतिग्रस्त पटरियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	139–140
वाराणसी महानगर के कैण्टोमेन्ट क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	140
जनपद फिरोजाबाद में राजा का ताल से दबरई के मध्य उपरिगामी सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	140–141
गाजियाबाद की ट्रांस हिण्डन क्षेत्र में सरकारी अस्पताल बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	141
गाजियाबाद के हिण्डन विहार वार्ड नं0–50 में आनन्द मशीनरी से सुल्तान चौक तक की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	141–142
डी0एल0एफ0 कालोनी, साहिबाबाद, गाजियाबाद की क्षतिग्रस्त सड़कों और नालियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	142
जनपद पीलीभीत में सहकारिता विभाग द्वारा विभिन्न पदों पर की गई नियुक्ति प्रक्रिया की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	142–143
जिला मुख्यालय सिद्धार्थनगर में डुमरियागंज से बांसी तक के 30 कि0मी0 मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	143
जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र कपिलवस्तु के कतिपय क्षेत्रों में आयरन एवं न्यू बोल्डर पिचिंग का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	143

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील लालगंज के कतिपय रजबहों, नहरों एवं अल्पिकाओं की सफाई न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना 144

जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मड़िहान की कतिपय जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना 145

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड सड़वाचन्द्रिका के राजस्व ग्राम सिंहनी एवं लढ़वत के मध्य सई नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	145–146
उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0 में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अनुभाग अधिकारी को पुनः अपने मूल विभाग में वापस भेजे जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	146
प्रदेश के माध्यमिक शिक्षक संघ की विभिन्न मांगों को दूर न किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	146–147
जनपद बलिया को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	147
जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र सहजनवां की कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना...	147–148
जनपद हरदोई से चलकर वाया कुरसठ से लखनऊ आने वाली बस को पुनः चलाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	148
जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र सदर एवं कप्तानगंज के ग्रामों को डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम योजना के अन्तर्गत चयन किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	148–149
जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर अन्तर्गत पवन क्लीनिक से मिघौली मार्ग पर पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	149
जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूप शहर के कतिपय जर्जर मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	149–150
प्रदेश के पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत संविदा कर्मियों को वेतन/मानदेय प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	150
कार्यवाहक अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान, चित्रकूट धाम मण्डल के भ्रष्ट कार्यों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	150–151
जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के अन्तर्गत ग्राम सभा गौरी बिन्दपुरवा एवं परमानन्दपुर वजहा में गडई नदी पर पुलिया बनाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना... ...	151
जनपद कुशीनगर स्थित पडरौना चीनी मिल को पुनः चालू कराये जाने	151–152

के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ... ...

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद बलिया में उभांव थानान्तर्गत सोनाडीह में रिपोर्टिंग पुलिस चौकी की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	152
जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली की नवनिर्मित नगर पंचायत में विकास कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	152–153
जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र हैदरगढ़ के कतिपय ग्रामों को राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना... ...	153
जनपद सीतापुर के ब्लाक एलिया में अर्धनिर्मित सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	153–154
जनपद अम्बेडकर नगर के ब्लाक जहांगीरगंज में विकास कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	154
जनपद उन्नाव की नगर पंचायत मोहान में असहाय महिला का उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	154–155
जनपद आगरा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी की नहरों की सफाई एवं टेल तक पानी पहुंचाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	155
जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र गंगोह के कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना...	155–156
जनपद फिरोजाबाद में व्याप्त जलभराव की समस्या का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना... ...	156
जनपद मथुरा स्थित प्राचीन मन्दिरों को स्थाई सुरक्षा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	156–157
जनपद शामली के कतिपय सम्पर्क मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	157
प्रदेश में निःशक्त व्यक्तियों को पूर्व में लागू समान अवसर, अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम, 1995 के प्राविधानों के अनुरूप लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	157–158
जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र लहरपुर के बिसवां मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	158
जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी–चौरा के मछुआरों की दशा सुधारने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	159

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा की ग्राम पंचायत जुगनूपुर के पट्टेधारकों को कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना 159–160

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा के सरैया मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना...	160
जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन में चकबन्दी प्रक्रिया आरम्भ किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	160
जनपद सीतापुर के विकास खण्ड हरगांव–ददवारा सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना...	160–161
जनपद मिर्जापुर में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा नियुक्तियों में की जा रही धांधली के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	161
उ0 प्र0 अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लि0 के कर्मियों की परेशानियों को दूर किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	161–162
जनपद देवरिया के रामचन्द्र इण्टर कालेज की समस्याओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	162–163
जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली में जल एवं वायु प्रदूषण दूर किये जाने हेतु प्रभावी कदम उठाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	163–164
भारत–नेपाल बार्डर स्थित महाराजगंज अन्तर्गत बी गैप एवं ए गैप में बांध बनाये जाने हेतु धन अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	164
जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र बिल्सी अन्तर्गत बदायूं बिल्सी मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	164–165
जनपद शाहजहांपुर में बिगड़ती कानून–व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	165
जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र रौनकपुरा में नगर निगम के पांच मंजिला मकान की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	165–166
महोबा जनपद में मण्डी परिषद् द्वारा संचालित योजना से सी0सी0 रोड एवं नालियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	166
डायमण्ड डेरी कालोनी, लखनऊ में अनुरक्षण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	166–167
जनपद अलीगढ़ में दान की हुई भूमि पर अस्पताल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	167
जनपद अलीगढ़ में कतिपय जर्जर मार्गों की मरम्मत कराये जाने के	167–168

सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ... ...
जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र बल्देव के ब्लाक राया एवं बल्देव की जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना 168–169

विषय	पृष्ठ–संख्या
गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर की कतिपय जर्जर मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना...	169
जनपद अलीगढ़ में कतिपय जर्जर मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	169–170
जनपद बागपत में पशुओं की बीमारी को रोकने हेतु प्रभावी कदम उठाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना... ...	171
सचिवालय के लोक निर्माण अनुभाग–8 द्वारा लिये गये अवैध निर्माण को दूर किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	171–172
जनपद हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर गंगा किनारे खादर क्षेत्र की भूमि का सिजरा व बन्दोबस्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	172
जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल के कतिपय सम्पर्क मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	172
जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ से स्वीकृत आई0टी0आई0 भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	173
जनपद सिद्धार्थनगर में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा स्पष्ट आदेशों के बाद भी कम्प्यूटराइज जाति प्रमाण–पत्र निर्गत न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना... ...	173
कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिशों के अनुसार सदन उठने के अन्तिम दिन पूर्व परम्परा की भांति नियम–301 की सभी सूचनाएं स्वीकार किये जाने विषयक प्रस्ताव	174–175
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	175–176
मा0 अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत 7 अल्पसूचित प्रश्नों में से मात्र 01 प्रश्न ही कार्य–सूची में शामिल करने तथा प्रश्न का उत्तर विभागों से समय से न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न...	176–177
प्रदेश सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्रों के विकास में भेदभाव करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	177–178
सोलहवीं विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2014 (दिनांक 19–06–2014 से 07–07–2014 तक) में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–301 के अधीन प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण	178
उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के 31 मार्च, 2011–2012 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखों पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को राज्य	178

वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा–37 की उपधारा (07) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित ...

विषय	पृष्ठ–संख्या
उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–01–2013 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)	178
लोक आयुक्त के विशेष प्रतिवेदन संख्या–06–2014 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)	178
उ0 प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का संकलित प्रमाणित आर्थिक चिट्ठा 2010–2011	178–179
पंचायती राज समिति (2014–15) का प्रथम प्रतिवेदन	179
पंचायती राज समिति (2014–15) का द्वितीय प्रतिवेदन	179
उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार द्वारा सदन के माध्यम से अनुच्छेद–368 के खण्ड (2) के परन्तुक के खण्ड (ख) के क्षेत्र के भीतर आने वाले भारत का संविधान के उन संशोधनों का जो संसद के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित संविधान (एक सौ इक्कीसवां संशोधन) विधेयक, 2014 द्वारा संशोधित किये जाने के लिये प्रस्तावित है, का अनुसमर्थन इस शर्त के अधीन कि राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति व अन्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति सम्बन्धी भारत सरकार से की गयी मांग के संकल्प पर चर्चा ...	179–192
सदन की दीर्घा में उपस्थित साउथ अफ्रीका के पूर्व मंत्री श्री यूसुफ पहाड़ का हार्दिक स्वागत	192–208
वित्तीय वर्ष 2014–2015 के अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा एवं अनुदान ...	208–229
अनुदान संख्या–02 आवास विभाग	229
अनुदान संख्या–03 उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) ...	229–230
अनुदान संख्या–06 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	230
अनुदान संख्या–07 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)... ...	230
अनुदान संख्या–08 उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री) ...	230
अनुदान संख्या–09 ऊर्जा विभाग	230–231
अनुदान संख्या–10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास) ...	231
अनुदान संख्या–11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)... ...	231
अनुदान संख्या–13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) ...	231
अनुदान संख्या–14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) ...	232
अनुदान संख्या–15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) ...	232
अनुदान संख्या–16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) ...	232
अनुदान संख्या–17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)... ...	232–233
अनुदान संख्या–18 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) ...	233

अनुदान संख्या–21 खाद्य तथा रसद विभाग 233
अनुदान संख्या–22 खेल विभाग 233

विषय	पृष्ठ–संख्या
अनुदान संख्या–23 गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	234
अनुदान संख्या–24 गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	234
अनुदान संख्या–25 गृह विभाग (कारागार)	234
अनुदान संख्या–26 गृह विभाग (पुलिस)	234–235
अनुदान संख्या–31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) ...	235
अनुदान संख्या–32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)... ...	235
अनुदान संख्या–33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) ...	235
अनुदान संख्या–35 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	235–236
अनुदान संख्या–37 नगर विकास विभाग	236
अनुदान संख्या–39 भाषा विभाग	236
अनुदान संख्या–40 नियोजन विभाग	236
अनुदान संख्या–41 निर्वाचन विभाग	236–237
अनुदान संख्या–42 न्याय विभाग	237
अनुदान संख्या–43 परिवहन विभाग	237
अनुदान संख्या–44 पर्यटन विभाग	237
अनुदान संख्या–45 पर्यावरण विभाग	238
अनुदान संख्या–46 प्रशासनिक सुधार विभाग...	238
अनुदान संख्या–47 प्राविधिक शिक्षा विभाग	238
अनुदान संख्या–48 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	238–239
अनुदान संख्या–49 महिला एवं बाल कल्याण विभाग	239
अनुदान संख्या–50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	239
अनुदान संख्या–51 राजस्व विभाग (दैवीय विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)...	239
अनुदान संख्या–52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) ...	240
अनुदान संख्या–54 लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	240
अनुदान संख्या–55 लोक निर्माण विभाग (भवन)	240
अनुदान संख्या–57 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सेतु) ...	240–241
अनुदान संख्या–58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें) ...	241
अनुदान संख्या–59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) ...	241
अनुदान संख्या–60 वन विभाग	241
अनुदान संख्या–61 वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) ...	242
अनुदान संख्या–62 वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन)... ...	242
अनुदान संख्या–63 वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) ...	242

विषय	पृष्ठ–संख्या
अनुदान संख्या–68 विधान सभा सचिवालय	242
अनुदान संख्या–69 व्यावसायिक शिक्षा विभाग...	243
अनुदान संख्या–70 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	243
अनुदान संख्या–71 शिक्षा विभाग (प्राविधिक शिक्षा)	243
अनुदान संख्या–72 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	243
अनुदान संख्या–73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	244
अनुदान संख्या–75 शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	244
अनुदान संख्या–78 सचिवालय प्रशासन विभाग	244
अनुदान संख्या–79 समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	244–245
अनुदान संख्या–81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) ...	245
अनुदान संख्या–83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये घटक योजना)	245
अनुदान संख्या–84 सामान्य प्रशासन विभाग...	245
अनुदान संख्या–86 सूचना विभाग	245–246
अनुदान संख्या–87 सैनिक कल्याण विभाग	246
अनुदान संख्या–88 संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	246
अनुदान संख्या–89 संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)	246
अनुदान संख्या–91 संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) ...	246–247
अनुदान संख्या–92 संस्कृति विभाग	247
अनुदान संख्या–94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	247
उत्तर प्रदेश विनियोग (2014–2015 का अनुपूरक)	247–248
खण्ड–2 से खण्ड–3 तक, अनुसूची खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक ...	248–253
नियम–56 की सूचना को नियम–51 में परिवर्तित करने का अनुरोध ...	253–276
कार्य–मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव ...	276–277
नियम–51 के अन्तर्गत सूचनायें	277–281
नत्थियां	282–283

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

बुधवार, दिनांक 19 नवम्बर, 2014

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य–346

1. अंसार अहमद, श्री इलाहाबाद
2. अखिलेश कुमार सिंह, श्री रायबरेली
3. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री देवरिया
4. अगयश राम सरन वर्मा, श्री पीलीभीत
5. अजय, श्री वाराणसी
6. अजय कुमार, डा0 इलाहाबाद
7. अजय कुमार 'लल्लू', श्री कुशीनगर
8. अजीमुल हक पहलवान अंसारी, हाजी अम्बेडकर नगर
9. अताउररहमान, श्री बरेली
10. अनिल कुमार, श्री मुजफ्फरनगर
11. अनिल कुमार दोहरे, श्री कन्नौज
12. अनिल वर्मा, श्री उन्नाव
13. अनीसुर्ररहमान, श्री मुरादाबाद
14. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री इलाहाबाद
15. अनूप कुमार गुप्ता, श्री सीतापुर
16. अनूप सण्डा, श्री सुल्तानपुर
17. अबरार अहमद, श्री सुल्तानपुर
18. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री बलरामपुर
19. अभय नरायन सिंह पटेल, श्री आजमगढ़
20. अभय सिंह, श्री फैजाबाद
21. अभिषेक मिश्र, श्री लखनऊ
22. अमर पाल शर्मा, श्री गाजियाबाद
23. अमित गौरव यादव, श्री एटा
24. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री बाराबंकी
25. अरविन्द सिंह यादव, श्री कन्नौज
26. अराधना मिश्र 'मोना', श्रीमती प्रतापगढ़
27. अरूण कुमार, डा0 बरेली
28. अरूण वर्मा, श्री सुल्तानपुर
29. अरूण कुमारी कोरी, श्रीमती कानपुर नगर
30. अलगू प्रसाद चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
31. अली यूसूफ अली, श्री रामपुर
32. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री गोण्डा
33. अवधेश प्रसाद, श्री फैजाबाद
34. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री लखीमपुर खीरी
35. अविनाश कुशवाहा, श्री सोनभद्र
36. अशफाक अली खां, श्री अमरोहा
37. आदिल शेख, श्री आजमगढ़
38. आनन्द सिंह, कुंवर गोण्डा
39. आबिद रजा खां, श्री बदायूं
40. आरिफ अनवर हाशमी, श्री बलरामपुर
41. आलमबदी, श्री आजमगढ़
42. आलोक कुमार शाक्य, श्री मैनपुरी
43. आशा किशोर, श्रीमती अमेठी
44. आशीष कुमार यादव, श्री एटा
45. आशीष यादव, श्री बदायूं
46. आशुतोष उपाध्याय, श्री देवरिया
47. आशुतोष टण्डन (गोपाल जी), श्री लखनऊ

48. इकबाल, श्री बिजनौर
49. इकबाल महमूद, श्री सम्भल
50. इन्दल कुमार, श्री लखनऊ
51. इन्द्रजीत कोरी, श्री कानपुर नगर
52. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
53. इन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
54. इन्द्राणी देवी, श्रीमती श्रावस्ती
55. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
56. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री लखीमपुर खीरी
57. उदयराज, श्री उन्नाव
58. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
59. उमाकान्ती, श्रीमती जालौन
60. उमाशंकर, श्री बलिया
61. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
62. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
63. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
64. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
65. कप्तान सिंह, श्री महोबा
66. कमाल अख्तर, श्री अमरोहा
67. कमाल युसुफ मलिक, श्री सिद्धार्थनगर
68. करतार सिंह भड़ाना, श्री मुजफ्फरनगर
69. काली चरन सुमन, श्री आगरा
70. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
71. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
72. 'कृष्ण गोपाल पटेल, श्री लखीमपुर खीरी
73. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
74. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
75. कैलाश, श्री गाजीपुर
76. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
77. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
78. गंगा सिंह कुशवाहा, श्री कुशीनगर
79. गजराज सिंह, श्री हापुड़
80. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
81. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
82. गायत्री प्रसाद, श्री अमेठी
83. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
84. गुटियारी लाल दुवेश, श्री आगरा
85. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
86. गेंदा लाल चौधरी, श्री हाथरस
87. गोमती यादव, श्री लखनऊ
88. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
89. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
90. चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
91. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
92. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
93. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
94. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
95. जगपाल, श्री सहारनपुर
96. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
97. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
98. जफर आलम, श्री अलीगढ़
99. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
100. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़
101. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
102. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
103. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
104. जाहीद बेग, श्री सन्तरविदास नगर (भदोही)
105. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
106. ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती वाराणसी
107. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
108. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
109. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
110. त्रिलोकीराम, श्री अलीगढ़
111. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन

112. दलजीत सिंह, श्री बांदा
113. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
114. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
115. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
116. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
117. देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री महराजगंज
118. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री हाथरस
119. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
120. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
121. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
122. धर्मराज, श्री बाराबंकी
123. धर्मेश सिंह तोमर, श्री हापुड़
124. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कासगंज
125. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
126. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
127. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
128. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
129. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्री प्रतापगढ़
130. नारद राय, श्री बलिया
131. नाहिद हसन, श्री शामली
132. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
133. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहांपुर
134. नूर सलीम राणा, श्री मुजफ्फरनगर
135. पंकज कुमार मलिक, श्री शामली
136. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
137. परवेज अहमद (टंकी), हाजी इलाहाबाद
138. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
139. पीटर फैन्थम, श्री नाम–निर्देशित
140. पीतमराम, श्री पीलीभीत
141. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
142. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
143. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
144. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
145. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
146. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
147. प्रभूदयाल वाल्मीकि, श्री मेरठ
148. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
149. प्रशान्त कुमार सिंह (राहुल सिंह), श्री इलाहाबाद
150. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
151. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
152. फेरन लाल, श्री ललितपुर
153. बंशीधर बौद्ध, श्री बहराइच
154. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
155. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महराजगंज
156. बदलू खां, श्री उन्नाव
157. बब्बन सिंह चौहान, श्री चन्दौली
158. बाबू खां, श्री हरदोई
159. बाबूलाल, श्री गोण्डा
160. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
161. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
162. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
163. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
164. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
165. बैजनाथ, श्री मऊ
166. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
167. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
168. भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़
169. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
170. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
171. भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
172. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
173. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
174. मदन सिंह उर्फ सन्तोष, श्री औरैया
175. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
176. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद

177. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
178. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
179. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
180. महबूब अली, श्री अमरोहा
181. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
182. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
183. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
184. महेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
185. माइकल चन्द्रा, श्री अमरोहा
186. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
187. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
188. मानपाल सिंह, श्री कासगंज
189. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
190. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
191. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
192. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानुपर नगर
193. मुसर्रत अली बिट्टन, श्री बदायूं
194. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावस्ती
195. मूलचन्द्र चौहान, ठा0 बिजनौर
196. मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
197. मो0 मुस्लिम, श्री अमेठी
198. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
199. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
200. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
201. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
202. मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
203. यासर शाह, श्री बहराइच
204. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
205. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
206. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
207. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री कानपुर नगर
208. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
209. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
210. रणजीत सुमन, श्री एटा
211. रमेश चन्द बिन्द, डा0 मिर्जापुर
212. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
213. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
214. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
215. रविन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
216. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
217. रवि शर्मा, श्री झांसी
218. राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0 के0 वर्मा, श्री प्रतापगढ़
219. राकेश बाबू, श्री फिरोजाबाद
220. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
221. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
222. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
223. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
224. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
225. राजिव, श्री सहारनपुर
226. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
227. राजेन्द्र, श्री गोरखपुर
228. राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सहारनपुर
229. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
230. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
231. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
232. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
233. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
234. राधे श्याम, श्री अमेठी
235. राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
236. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
237. राम करन आर्य, श्री बस्ती
238. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
239. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
240. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
241. रामपाल यादव, श्री सीतापुर

242.रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
243.राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
244.राम मगन, श्री बाराबंकी
245.राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
246.राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
247.रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
248.रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
249.रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
250.रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
251.राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
252.रामस्वरूप सिंह, श्री कानपुर देहात
253.रामहेत भारती, श्री सीतापुर
254.रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
255.रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
256.रुचिवीरा, श्रीमती बिजनौर
257.रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
258.रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
259.लक्ष्मीकान्त उर्फ
पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
260.लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
261.लक्ष्मी गौतम, श्रीमती सम्भल
262.ललितेश पति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
263.लालमुन्नी सिंह, श्रीमती सिद्धार्थनगर
264.लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
265.लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
266.वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
267.वहाब चौधरी, श्री गाजियाबाद
268.वाचस्पति, श्री कौशाम्बी
269.विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
270.विजय कुमार पासवान, श्री सिद्धार्थनगर
271.विजय मिश्र, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
272.विजय कुमार, डा0 गोरखपुर
273.विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
274.विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
275.विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
276.विजय सिंह पुत्र प्रेम सिंह, श्री फर्रुखाबाद
277.विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
278.विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
279.विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
280.विमला बाथम, श्रीमती गौतमबुद्धनगर
281.विशम्भर सिंह, श्री बांदा
282.वीरपाल राठी, श्री बागपत
283.वीर सिंह, श्री चित्रकूट
284.वीरेन्द्र सिंह, श्री बरेली
285.वीरेश यादव, श्री अलीगढ़
286.वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
287.शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
288.शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
289.शमशेर बहादुर उर्फ
शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
290.शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
291.शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
292.शाकिर अली, श्री देवरिया
293.शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
294.शाह आलम उर्फ
गुड्डु जमाली, श्री आजमगढ़
295.शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
296.शिव कुमार बेरिया, श्री कानपुर देहात
297.शिव चरन प्रजापति, श्री हमीरपुर
298.शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
299.शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
300.शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
301.शिवेन्द्र सिंह उर्फ
शिव बाबू, श्री महाराजगंज
302.शेर बहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
303.शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर

304. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
305. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
306. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़
307. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
308. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
309. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
310. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
311. सईद अहमद, श्री इलाहाबाद
312. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
313. सतवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्ध नगर
314. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
315. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
316. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
317. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
318. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
319. सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
320. सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), श्री बदायूं
321. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
322. सियाराम सागर, डा0 बरेली
323. सीमा, श्रीमती जौनपुर
324. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
325. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
326. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
327. सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद
328. सुधाकर, श्री मऊ
329. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
330. सुनील कुमार लाला, श्री लखीमपुर खीरी
331. सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
332. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
333. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
334. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
335. सुरेश राणा, श्री शामली
336. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
337. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
338. सुल्तान बेग, श्री बरेली
339. सूरज पाल सिंह, श्री आगरा
340. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती गाजीपुर
341. सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
342. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
343. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री लखीमपुर खीरी
344. हरिओउम् यादव, श्री फिरोजाबाद
345. हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत
346. हेमलता चौधरी, श्रीमती बागपत

नोट :– मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव), पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी), कारागार मंत्री (श्री बलराम यादव), राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री राजेन्द्र चौधरी) तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री (श्री राम सकल गुर्जर) भी सदन में उपस्थित थे।

नत्थी (क)

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश के गन्ना किसानों का सरकारी तथा प्राइवेट चीनी मिलों पर गन्ना बकाया मूल्य का ब्याज सहित भुगतान सुनिश्चित कराने की मांग

''1—श्री सुरेश राणा, श्री दलवीर सिंह, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री संजय प्रताप जयसवाल, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, श्री जय प्रकाश निषाद, श्री धर्मपाल सिंह तथा श्री पंकज कुमार मलिक—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के गन्ना किसानों का सरकारी तथा प्राइवेट चीनी मिलों पर कितना बकाया गन्ना मूल्य शेष है ? क्या सरकार उक्त बकाया गन्ना मूल्य का ब्याज सहित भुगतान कराना सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वाह्य सहायतित परियोजना, समग्र ग्राम विकास, खेल, युवा कल्याण राज्य मंत्री (श्री राम करन आर्य)—

दिनांक 14—11—2014 की स्थिति के अनुसार निगम एवं सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों पर गन्ना मूल्य के मद में कोई धनराशि बकाया नहीं है तथा निजी क्षेत्र की चीनी मिलों पर पेराई सत्र 2013—14 के सापेक्ष वर्तमान में रुपये 1750.43 करोड़ का गन्ना मूल्य भुगतान हेतु अवशेष है।

प्राविधानित नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

अवशेष गन्ना मूल्य का प्रभावी/दैनिक अनुश्रवण करते हुए यथाशीघ्र भुगतान की कार्यवाही हेतु सरकार कटिबद्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेश राणा—

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर मुझे अनुपूरक पूछने का अवसर दिया। मा0 अध्यक्ष जी, यह प्रश्न इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है चूंकि मैं जानता हूं कि आपका बहुत दौरा पश्चिम क्षेत्र में रहा है और गन्ना बेल्ट में आपने बहुत भ्रमण किया है। मा0 अध्यक्ष जी, यहां पर जब गन्ने पर सामान्य चर्चा होती है तो लगता है कि यह केवल गन्ना उत्पादकों की बात है। मा0 अध्यक्ष जी यह इतना महत्वपूर्ण विषय है कि लगभग 55 लाख किसान गन्ने से जुड़े हुए हैं और लगभग ढाई करोड़ लोगों का मामला है और अकेला गन्ना ऐसा विषय है जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश की देश में अलग से पहचान है। पूरे देश में जितना गन्ना पैदा होता है उसके क्षेत्रफल के हिसाब से कुल क्षेत्रफल का 45 प्रतिशत हिस्सा अकेले उत्तर प्रदेश में होता है और जहां तक मैं आर्थिक पक्ष की बात करूं तो लगभग 25 हजार करोड़ का तो सीधा गन्ना किसानों का भुगतान ही है और यदि सहउत्पाद और उत्पाद की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार का जितना कुल बजट है लगभग उसके बराबर ढाई लाख करोड़ का ऐसा एक टर्नओवर गन्ने के द्वारा उसके उत्पाद और सहउत्पाद से है जो उसका पूरी तरह से

टर्न ओवर चलता है। मान्यवर, जैसे शराब का मामला मैं अभी कहूं, मान्यवर, एक कुन्तल गन्ने से 05 किलो शीरा बनता है और 01 किलो शीरे से 80 रुपये खर्च करके लगभग 03 बोतल शराब बनती है और एक शराब की बोतल पर 204 रुपये तक टैक्स है। इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपने मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूं। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि 05 सितम्बर, 2014 मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा यह स्पष्ट निर्देश था कि 31 अक्टूबर तक ब्याज सहित भुगतान किया जाये और यहां तक निर्देश था कि चाहे मिल मालिकों की गिरफ्तारी करनी पड़े चाहे कुछ भी हो लेकिन किसान का भुगतान 31 अक्टूबर तक होना चाहिए। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना सरकार के द्वारा हो रही है। किसान तो तड़प ही रहा है, एक तरह से मा0 उच्च न्यायालय भी पीड़ा में होगा कि कहीं न कहीं मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों की अवमानना हो रही है तो आज तक 1750 करोड़ रुपये खुद सरकार ने मान लिया कि बचे हुए हैं और दूसरा बिन्दु मेरा यह है कि मा0 सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने यह स्पष्ट कहा था, बल्कि स्पष्ट लिखा था कि इन्सान की कीमत पहले है और व्यापार बाद में है और चीनी पर जो पहला हक है, वह किसान का है, तो यह सब उल्टा–पुल्टा प्रदेश के अन्दर हो रहा है। इसके उदाहरण के लिए मैं बेवर चीनी मिल की चर्चा करूंगा, जब चीनी कुर्क हुई तो 40 करोड़ रुपये की थी और गन्ना भुगतान 42 करोड़ रुपये का था, लेकिन पूरी चीनी बेचने के बाद भी मात्र 17 करोड़ रुपये किसानों को मिला, बाकी चीनी मिल मालिक हजम कर गया। मेरे सिर्फ दो छोटे से सवाल हैं, एक तो यह है कि क्या सरकार मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करते हुए शीघ्रातिशीघ्र ब्याज सहित किसानों के गन्ने का भुगतान के लिए कोई तिथि तय करेगी और दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि किसानों की हालत को देखते हुए, किसानों की निरन्तर आत्महत्या को देखते हुए क्या सरकार गन्ना किसानों के लिए कोई बोनस तय करेगी।

श्री राम करन आर्य–

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य ने जो सवाल किया है, हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिया है, उन निर्देशों को देखते हुए सरकार ने एफ0आई0आर0 दर्ज किया है, वसूली पत्र जारी किये हैं। ताकि ये बकाया चीनी मिलें तत्काल बकाया भुगतान देने की कार्यवाही करें। मान्यवर, सरकार इसके लिए कटिबद्ध है, क्योंकि यह किसानों की सरकार है, इसलिए एक–एक पाई किसानों को सरकार भुगतान करायेगी। मान्यवर, यह तो बोलने वाले लोग हैं, असली तो यहां बैठने वाले हम लोग हैं, इसलिए जो इनकी चिन्ता है, यह चिन्तित न हों, सरकार कटिबद्ध है सभी शेष बकाया भुगतान को करने के लिए।

श्री सुरेश राणा–

मान्यवर, मेरा उत्तर नहीं आया है, मैंने कहा था कि कब तक और क्या सरकार बोनस देने पर विचार करेगी ? मैं आपकी कृपा चाहता हूं, आप दोनों का उत्तर दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष–

मा0 राणा साहब मा0 मंत्री जी ने कहा कि हम भुगतान दिलाने के लिए कटिबद्ध हैं, गन्ना भुगतान दिलाने के लिए तो जवाब दिया, अब बोनस के बारे में मा0 मंत्री जी इन्हें उत्तर दे दें।

श्री सुरेश राणा–

मान्यवर, मैंने कहा था कि कब तक और दूसरा कि क्या गन्ना किसानों की हालत को देखते हुए सरकार गन्ना किसानों को बोनस देगी। मेरे इन दोनों प्रश्नों का कोई उत्तर मा0 मंत्री जी ने नहीं दिया है, इस पर मैं आपकी कृपा चाहता हूं।

श्री राम करन आर्य–

मान्यवर, जो इनका भुगतान से सम्बन्धित प्रश्न था, उसके परिप्रेक्ष्य में जवाब मैंने दिया, गन्ना किसानों का भुगतान कराने के लिए समाजवादी सरकार कटिबद्ध है, इन लोगों की तरह झूठे वादे नहीं करती है, हमने आपको बताया कि भुगतान दिलाने के लिए हमने एफ0आई0आर0 किया है, वसूली प्रमाण–पत्र जारी किया है। अभी आप देख लीजिए 92.09 प्रतिशत गन्ना भुगतान कर दिया गया है 2013–2014 का, इतना भुगतान कर दिया गया है और अवशेष भुगतान की कार्यवाही चल रही है। इसी तरीके से पिछले बकाये के भुगतान की भी कार्यवाही चल रही है, जिनमें कई मामले ऐसे हैं जिनमें मा0 हाई कोर्ट में मुकदमें पेण्डिंग हैं, कई वी0आई0एफ0आर0 में हैं, तो उसको छोड़ कर के बाकी का भुगतान कराने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि मिलों के कुप्रबन्धन की सजा कब तक किसानों को दी जायेगी नम्बर एक, नम्बर दो मान्यवर, जितना यह पैसा बकाया है इसमें से बजाज ग्रुप की ग्यारह चीनी मिलें हैं और मवाना ग्रुप की सात चीनी मिले हैं। 413 करोड़ रुपया अकेला बजाज ग्रुप पर और मवाना ग्रुप पर है। आखिरकार कौन सी ऐसी मजबूरी है कि जो इनके खिलाफ अब तक कार्यवाही नहीं की गई। मान्यवर, अगर सरकार की मंशा भुगतान दिलाने की होती तो उच्च न्यायालय का आदेश है, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता जो मा0 सुरेश राणा जी ने कहीं। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि आखिरकार ये सजा किसानों को कब तक दी जायेगी, दूसरी बात कितनी मिलों पर ये पैसा बकाया है और तीसरी बात क्या इस पर ब्याज दिलवायेंगे और कब तक दिलवायेंगे ? मान्यवर, मैं ये तीन छोटी–छोटी बातें, छोटे–छोटे सवाल आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं। मान्यवर, 413 करोड़ रुपया बजाज पर और 407 करोड़ रुपया मवाना ग्रुप पर अकेले बकाया है और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। आर0सी0 तो हम अखबारों में डेली देखते हैं और काट दी आर0सी0 लेकिन आर0सी0 से होगा क्या ? उनके ऊपर जब तक दबाव नहीं पड़ता, तब तक यह पेमेण्ट नहीं होने वाला। अभी यह नया सेशन शुरू हो गया है, आखिरकार वह कौन सी तारीख होगी जब गन्ना किसानों का पेमेण्ट होगा ?

श्री राम करन आर्य–

इतना प्रेशर हमारी सरकार ने डाला है उसी का परिणाम है कि हमने निगम और सहकारी चीनी मिलों का शत प्रतिशत भुगतान कर दिया है। मान्यवर, केवल निजी चीनी मिलों का बाकी है और उसमें भी 23 ने पूरा भुगतान कर दिया है। मान्यवर, 92.09 प्रतिशत 18 तारीख तक मिलों द्वारा जो भुगतान हुआ है। मान्यवर, भुगतान दबाव डाल ही करा रहे हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्यों द्वारा बोलने के मध्य)

श्री राम करन आर्य–

मान्यवर, शेष मिलों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, यह गलतबयानी है और किसानों का शोषण किया जा रहा है और जिन लोगों का पैसा बकाया है उनका ब्याज सहित भुगतान न कराये जाने पर हम सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(तत्पश्चात् भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सदन का बहिर्गमन कर गये)

श्री दलवीर सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश की यह पहली ऐसी सरकार है जिसने गन्ना मूल्य नहीं बढ़ाया है और मैंने मा0 मंत्री जी से जानना चाहा था कि कितना भुगतान बकाया है ? मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मा0 मंत्री जी ने आर0सी0 तो काट दी और अखबारों में भी निकली लेकिन आज तक किसी के भी खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई, जितने भी प्राइवेट मिल मालिक हैं उसमें से किसी एक को भी गिरफ्तार नहीं किया गया, 182 की कार्यवाही नहीं की गयी, उनके खिलाफ कुर्की का पर्चा नहीं चिपकाया गया और न ही किसी को जेल भेजा गया है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि कितने ऐसे मिल मालिक हैं जिनके खिलाफ आर0सी0 काटकर, एफ0आई0आर0 लिखाकर, गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्यवाही की गयी है ? कितना बकाया शेष है और उसका भुगतान सरकार कब तक करायेगी ?

श्री अध्यक्ष–

यह तो बता दिया कि कितना शेष है। खन्ना साहब बता गये कि बजाज पर कितना है, मवाना पर कितना है ?

श्री दलवीर सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार गन्ना भुगतान के बारे में कतई गंभीर नहीं है। किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है, किसी को भी जेल नहीं भेजा गया है। इस कारण मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करते हैं।

(तत्पश्चात् राष्ट्रीय लोक दल के सदस्यों ने सदन का बहिर्गमन किया)

श्री पंकज कुमार मलिक–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 31 तारीख से मुजफ्फरनगर की तितावी शुगर मिल पर किसान अपने गन्ना बकाये के भुगतान के लिये धरना–प्रदर्शन कर रहे हैं, क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। मैं पूछना चाहता

हूं कि उनके भुगतान के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई और मिल मालिक के खिलाफ सरकार के द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? मैं यह पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मा0 मंत्री जी, आपके पास सूचना हो तो बता दें।

श्री राम करन आर्य–

मान्यवर, इसकी सूचना तो नहीं है, मैं सूचना मंगा लूंगा और मा0 सदस्य को पूरी बात बता दूंगा लेकिन मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं मा0 सदस्यों से कि अगर हमने सख्त कार्यवाही न की होती तो 90 परसेण्ट बकाये का भुगतान कैसे हो जाता। 90.01 परसेण्ट उन्होंने भुगतान कर दिया और केवल 9.9 बाकी रह गया है। यह हमारी सख्त कार्यवाही का ही तो परिणाम है।

श्री पंकज कुमार मलिक–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी को जानकारी नहीं है, मैं जानकारी देता हूं नियम–56 में हम लोगों ने लगाया था, उसके बाद सरकार ने कार्यवाही की, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं संसदीय कार्य मंत्री आजम खां जी को और मुख्य मंत्री जी को लेकिन अब तक भुगतान नहीं हुआ उनके जिम्मेदार लोगों को पकड़ कर मुजफ्फरनगर कोतवाली में बैठा रखा है। इसमें बहुत सख्ती हुई है, लेकिन इसको और गंभीरता से लेकर इतनी सख्ती कर दी जाये कि किसानों का भुगतान हो जाये। किसानों का भुगतान अब तक नहीं हुआ है।

श्री राम करन आर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कहा कि एफ0आई0आर0 हो रही है, सख्त कार्यवाही हो रही है। आप स्वयं कह रहे हैं कि वो कोतवाली में बैठाये गये हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। माननीय अध्यक्ष जी, इसको दिखवा करके जो भी हो उस पर पॉजिटिव कार्यवाही की जायेगी।

श्री जय प्रकाश निषाद–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं, जैसा कि आपको भी मालूम होगा, आप हम लोगों के संरक्षक हैं और पूर्वांचल से आप भी आते हैं, जैसे कि मेरे विधान सभा में सरैया शुगर मिल है। सरैया शुगर मिल का बहुत भारी बकाया है और पूरे पूर्वांचल का गन्ना सरैया शुगर मिल में पिराई किया जाता था। वहां के किसानों ने कई बार सरैया मिल के डिस्टिलरी गेट पर धरना–प्रदर्शन किया और गोरखपुर का जिला प्रशासन वहां जा करके आश्वासन दिया कहा कि जल्द से जल्द इसका निस्तारण करायेंगे और हमने भी पिछले सत्र में इस पर सवाल लगाया था और उसमें मेरे सवाल के जवाब में आया था कि इसका भुगतान 2 महीने के भीतर कर दिया जायेगा, लेकिन अभी तक वह भुगतान नहीं हुआ। मा0 मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार जो किसानों की हितैषी कही जाती है और पूरा प्रदेश में सरकार इस बात की चर्चा करती है, माननीय मंत्री जी भी इस बात को कहते हैं, लेकिन इस बात को मैं मा0 मंत्री

जी से जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी, क्या इन किसानों का भुगतान जो समय–सीमा आपने निर्धारित की थी, उसके भीतर क्यों नहीं कराया गया, उसको कब तक आप करा देंगे। यह बताने की कृपा करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

सरैया मिल के भुगतान करने की कोई समय–सीमा बतायेंगे।

श्री राम करन आर्य–

मान्यवर, सरैया मिल की पूरी बात आपने कही, मैं उसको दिखवा लूंगा, क्या स्थिति उसकी है और भुगतान की जहां तक सवाल है, मैं फिर बार–बार जोर दे रहा हूं कि अगर यह सरकार सख्ती न करती तो 92 परसेन्ट कल तक अर्थात् 18 तारीख तक भुगतान मिलें न करतीं। आखिर सख्ती का ही तो यह परिणाम है।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

माननीय अध्यक्ष जी, सबसे ज्यादा चीनी मिलें हमारे जनपद लखीमपुर खीरी में हैं। लखीमपुर खीरी में जितनी चीनी मिलें हैं, उतनी और कहीं नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष–

अब कितना चर्चा करेंगे इस पर 20 मिनट हो गये हैं।

श्री राम करन आर्य–

मा0 सदस्य महोदय, प्रश्न का जवाब लीजिए। मान्यवर, पिछले साल का जो बकाया है, उस पर भी कार्यवाही चल रही है।

(श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप मेरी बात भी सुनें, गन्ने पर काम रोको प्रस्ताव के माध्यम से काफी चर्चा हो गयी है। इसमें भी पूरी बातें आ गई हैं। अब आप लोग अपने एक–एक मिल का कहां उठाएंगे, आगे प्रश्न लेने दें। ये अगला सवाल महत्वपूर्ण है।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

ये पॉलिसी मैटर की बात है माननीय अध्यक्ष जी। इस वजह से मैं गन्ना किसानों की बात केवल आधे मिनट में कह कर खत्म करना चाहता हूं, आपका संरक्षण चाहिए हमें माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे ज्यादा गन्ना जनपद लखीमपुर खीरी में उत्तर प्रदेश में होता है। 12–13 चीनी मिलें लखीमपुर खीरी में हैं माननीय अध्यक्ष जी। भुगतान न होने की वजह से 3–4 किसानों ने आत्महत्या लखीमपुर खीरी में की है। जैसा कि शोध में आया है कि गन्ना की खेती करने में 260 रुपये प्रति क्विंटल किसानों की लागत आती है, 280 रुपये प्रति क्विंटल, तीन सालों से गन्ने का मूल्य यही है। इस वर्ष जो नीति घोषित की गयी है उसमें 240 रुपये नकद दिये जायेंगे, वह 240 रुपये कब दिये जायेंगे।...

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न बकाया मिलों के भुगतान का है, गन्ने के दाम का नहीं।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

मान्यवर, ऐसी हालत में किसानों के सामने और कोई चारा नहीं बचा है। मिल मालिकों को केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न राहत दी गयी हैं। नवम्बर तक 6 रु0 9 रु0 प्रति कुंटल तक की छूट दी जा रही है। क्या सरकार भी किसानों को बोनस आदि देने का काम करेगी।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठ जायें। अब कुछ नहीं लिखा जायेगा।

श्री शमशेर सिंह उर्फ शेरू भईया–

मान्यवर, किसानों को राज्य सरकार गन्ना भुगतान पर कोई सब्सिडी या अन्य सहायता देगी ताकि उनको लागत मूल्य और फसल का लाभ मिल सके।

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्री प्रदीप चौधरी–

मान्यवर, हमारे यहां सहारनपुर में बैननौता शुगर मिल में एक फोर्थ क्लॉस इम्पलाई मदन सिंह को बाबू का चार्ज दिया गया है उसे दो क्रय केन्द्रों धुधवा और उमर किशनपुर का चार्ज दिया गया है। उसने किसानों का गन्ना तौल कर किसानों को तौल रसीद, गन्ना खरीदने की मुसन्ना दे दी लेकिन चीनी मिलों में उसका रिकार्ड नहीं भेजा। गन्ना किसान जब अपने गन्ने का भुगतान लेने के लिये पहुंचे तो वहां चीनी मिल में उनका रिकार्ड न होने की वजह से उनका भुगतान नहीं हो पा रहा है।

श्री अध्यक्ष–

यह बाबू की बात कहां से आ गयी, आप बैठ जायें।

श्री प्रदीप चौधरी–

ख्ा ग ग,

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जायें, कुछ नहीं लिखा जायेगा और न ही कार्यवाही का अंग बनेगा।

(व्यवधान)

श्री प्रदीप चौधरी–

ख्ा ग ग,

श्री अध्यक्ष–

माननीय अनुग्रह नारायण सिंह जी आप देखें कि प्रदीप जी आपकी पार्टी के सदस्य हैं या लोकदल के इन्हें आप बिठाइये नहीं तो इनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिये सरकार ने निवेशकों को प्रोत्साहन एवं सुविधाएं प्रदान करने के बारे में औद्योगिकीकरण की योजना की जानकारी

नोट :–ख्ा ग ग, यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

''02–डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 अरूण कुमार, डा0 धर्मपाल सिंह तथा श्री सलिल विश्नोई–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिये सरकार ने निवेशकों को प्रोत्साहन एवं सुविधाएं प्रदान करने के बारे में औद्योगिकीकरण की कोई कार्य योजना तैयार की है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

जी हां।

प्रश्नगत सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार की अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति–2012 प्रभावी है।

उक्त नीति–2012 के अन्तर्गत उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु निम्न योजनाओं का प्राविधान है :–

- औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना
- पूंजीगत ब्याज उपादान योजना
- अवस्थापना ब्याज उपादन योजना
- औद्योगिक गुणवत्ता विकास उपादान योजना
- ई0पी0एफ0 प्रतिपूर्ति योजना

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मेरा प्रश्न था कि निवेश को आकर्षित करने के लिए औद्योगीकरण की कोई कार्य योजना तैयार की है। इसमें उत्तर आया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति–2012 प्रभावी है। उसके बाद क्षेत्र बताये गये हैं कि इन–इन क्षेत्रों में उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु योजनाओं का प्रावधान किया गया है। मान्यवर, जब यह प्रश्न 2014 में पूछा जा रहा है तो 2012 की नीति का जिक्र आ रहा है कि वह प्रभावी है। इससे विदित है कि औद्योगीकरण की योजना तैयार नहीं की गयी है। मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस नीति–2012 के अंतर्गत प्रदेश सरकार ने प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिए किन–किन क्षेत्रों में और क्या–क्या काम किये हैं, लेकिन उसमें उनका उत्तर न आकर एक सैद्धान्तिक उत्तर दे दिया गया है। यदि प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार ने कोई पहल की है तो उसके सकारात्मक परिणाम क्या आये हैं वह बताये जाने चाहिए। मान्यवर, इस सदन के माध्यम से ही सरकार की योजनाओं की जानकारी प्रदेश की जनता को होती है। उद्योगों में निवेश को लेकर आपने दो समिट आयोजित की हैं एक नई दिल्ली में और एक आगरा में की। आपके उत्तर से यह स्पष्ट नहीं है कि उससे क्या–क्या सकारात्मक परिणाम सामने आये हैं। सरकार को अपने उत्तर में बताना चाहिए था कि उन समिट के माध्यम से इन–इन

क्षेत्रों में निवेश के लिये एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं और उसके बाद यह–यह प्रगति हुई है। मेरे प्रश्न का उत्तर सदन में आ जाये सरकार की तरफ से इस पर मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, बाजपेयी जी ने तो खुद ही जवाब दे दिया कि यह नीतिगत उत्तर है और नीतिगत उत्तर देना ही सरकार की जिम्मेदारी है, यह नीतिगत उत्तर है आपने बताया।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, सरकार ने यह कहा, माननीय अध्यक्ष जी मैं आपका संरक्षण चाहता हूं कि सरकार ने यह कहा कि औद्योगिक निवेश नीति–2012 लागू है, जब 2014 नवम्बर में यह प्रश्न सदन में आया है तो अच्छा होता कि सरकार यह बताती कि औद्योगिक निवेश नीति–2012 के अन्तर्गत सरकार के द्वारा यह–यह प्रयास किये गये और उनके यह परिणाम आये इस प्रश्न की भावना यह थी और मैं आपका संरक्षण प्राप्त करते हुए सरकार से यह जानना चाहता हूं इस सदन के माध्यम से। प्रदेश की जनता के सामने यह विषय जाय कि सरकार के जो औद्योगिक निवेश के प्रयास थे कितने उद्योगपतियों ने स्वीकार किया, कितने ने निवेश करने की सहमति दी, किस क्षेत्र में निवेश करेंगे और वह जो पाइपलाइन में प्राप्त हुए थे वह पाइपलाइन में चल रहे हैं या अभी वह शुरू होने की प्रतीक्षा में हैं यह मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं और आपका संरक्षण प्राप्त करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय बाजपेयी जी, आपका सवाल है कि प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिये सरकार ने निवेशकों को प्रोत्साहन एवं सुविधाएं प्रदान करने के बारे में औद्योगिकीकरण की कोई कार्य योजना तैयार की है उसका उत्तर है कि इनकी जो कार्य योजना है, जो 2012 में इन्होंने योजना बनाई थी वही आज तक लागू है और उसमें इन्होंने बता दिया कि यह हमारा उद्देश्य है तो अब इसमें बचा क्या ? आप जो पूछ रहे हैं वह इस प्रश्न से कहां संबंधित है कि किसने निवेश किया किसने नहीं किया।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, इस प्रश्न में अन्तर्निहित अनुपूरक प्रश्न, इस 2012 की नीति में नवम्बर 2014 तक क्या स्थिति सरकार कर पाई है यह जानकारी करना मेरा फर्ज भी है अधिकार भी है, इस सदन का भी अधिकार है और मान्यवर, सदन के माध्यम से जनता को जानने का अधिकार है। आप कृपापूर्ण संरक्षण दीजिए और प्रश्न का उत्तर दिलाने का कष्ट कीजिए।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, असल में परेशानी यह है कि उधर एक बड़ी होड़ यह है कि असल नेता कौन है और इस होड़ में।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, यह प्रश्न से संबंधित विषय नहीं है नम्बर एक और नेता मेरे हैं सुरेश खन्ना सदन में और इस पर कोई संदेह नहीं है और अगर किसी को सन्देह है तो अध्यक्ष, विधान सभा के कार्यालय से पता कर लें कि भाजपा विधान मण्डल दल का नेता कौन है, नेता सुरेश खन्ना हैं। प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं फिर इस सदन में घोषणा कर रहा हूं कि नेता सुरेश खन्ना हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, बाजपेयी जी दिल पर ले गये, देखिये दिल पर ले गये आप, बाजपेयी जी ने यह बात तय कर दी कि उन्हें यह सफाई देना पड़ी कि खन्ना साहब हैं नेता तो 2012 की नीति में जो और संशोधन किये गये या उसमें जो इजाफा किया गया उसमें औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना, पूंजीगत ब्याज उपादान योजना, अवस्थापना ब्याज उपादान योजना, औद्योगिक गुणवत्ता विकास उपादान योजना, ईपीएफ प्रतिपूर्ति योजना और यह भी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं अब तक वह 40 प्रस्ताव हैं।

डा0 लक्ष्मी कान्त वाजपेयी–

मान्यवर, मैंने आपका संरक्षण प्राप्त किया था कृपाकर कभी–कभी सरकार को निर्देश देने पर आप भी विचार करें। जो प्रस्ताव प्राप्त हुए दिल्ली की समिट में और आगरा की समिट में वह कितने–कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए, कितनी पूंजी के प्राप्त हुए और किस क्षेत्र में निवेश के प्राप्त हुए और उनकी अद्यतन स्थिति क्या है अगर इसमें प्रगति संतोषजनक और अनुकूल है तो सरकार को यह जानकारी देने में परहेज क्यों है इस सदन के माध्यम से यह जनता में जायेगा सरकार के विकास का काम अगर सरकार केवल यह कहना चाहती है कि 40 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं तो मैं यह समझता हूं कि सरकार की उन प्रस्तावों पर कोई सकारात्मक प्रगति नहीं है।

श्री धर्मपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सन् 2012–13 में और सन् 2013–14 में उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने उद्योग लगे हैं जिसमें 500 से 1000 मजदूर काम करते हैं और 1000 से ऊपर मजदूर काम करते हैं ?

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न से कहां संबंधित है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यह तो श्रम विभाग से जानकारी लेकर आपको दी जा सकती है।

डा0 धर्मपाल सिंह–

जो प्रदेश में पहले से औद्योगिक क्षेत्र हैं चाहे वह आगरा में हो, चाहे वह कानपुर में हो, चाहे वह गाजियाबाद में हो, उनकी बुनियादी सेवाओं में स्थिति बहुत खराब है। मैं आगरा के बारे में बताना चाहता हूं, हमारे क्षेत्र में माननीय अध्यक्ष जी दो औद्योगिक क्षेत्र हैं वहां सड़कों में एक–एक दो–दो फीट के गड्ढे हो गए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जब

विदेशों से कोई व्यापारी आता है तो वह औद्योगिक क्षेत्रों में जा भी नहीं पाता। उन औद्योगिक घरानों को अपने आफिस दूसरी जगह खोलने पड़ गए। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र हैं आगरा जिनमें सड़कों की हालत बहुत खराब है, क्या सरकार उन्हें ठीक कराएगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं पी0डब्ल्यू0डी0 मिनिस्टिर साहब से भी इसमें गुजारिश करूंगा, क्योंकि उन्हीं का यह प्रश्न बनता है। बेहतर यह होता कि हमारे विद्वान सदस्य जो प्रश्न है, उस पर जानकारी ले लेते।

श्री अध्यक्ष–

महाना जी, अभी आपका दो नम्बर का प्रश्न आता है। इसमें आपका नाम नहीं है।

डा0 अरूण कुमार–

मान्यवर, मैं पूछना चाहूंगा कि 95 हजार करोड़ आगरा और दिल्ली समिट में औद्योगिक निवेश समझौते हुए, उसमें से कितना रुपया हमारे यूपी में अभी तक लगना शुरू हो गया और इसमें गाजियाबाद और नोएडा के अलावा वेस्ट उत्तर प्रदेश में कितने रुपये का इनवेस्टमेण्ट हुआ और कितनी इण्डस्ट्रीज का काम शुरू हुआ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, इसकी सूचना तो उपलब्ध करा दी जाएगी, लेकिन आज की सूचना यह है कि 17 हजार मिलियन डालर प्रधानमंत्री जी ने फिजी को दे दिया है और अपने यहां खाने को रोटी नहीं है।

(अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोले जाने का प्रयास करने पर व्यवधान)

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

आपका यह मौन सरकार का दुस्साहस बढ़ा रहा है, आपके मंत्रियों का दुस्साहस बढ़ा रहा है मान्यवर। आपको यदि लगता हो कि यह सदन की कार्यवाही से संबंधित अंश नहीं है तो आप अगर टोकेंगे नहीं तो यह साहस बढ़ता ही चला जाएगा। ये रोज भारत की संसद और भारत सरकार के बारे में टिप्पणी करते हैं, औद्योगिक निवेश और उसके परिणाम के बारे में सकारात्मक जानकारी देने की क्षमता सरकार के पास नहीं है। मैं सरकार के इस कदम की निंदा करता हूं।

नत्थी (ख)

ख्उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न,

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में न्यूनतम गन्ना मूल्य बढ़ाने पर सरकार का विचार

'01–श्री दलवीर सिंह, श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में न्यूनतम गन्ना मूल्य बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामकरन आर्य–

राज्य सरकार द्वारा पेराई सत्र 2014–15 के लिये गन्ने का ''राज्य परामर्शित मूल्य'' (एस0ए0पी0) निम्नवत् निर्धारित किया गया है :–

1–अगेती प्रजाति––	रु0 290.00 प्रति कु0
2–सामान्य प्रजाति––	रु0 280.00 प्रति कु0
3–अनुपयुक्त प्रजाति––	रु0 275.00 प्रति कु0

श्री दलवीर सिंह–

मान्यवर, मेरा प्रश्न दूसरा है और मंत्री जी उत्तर कुछ दे रहे हैं। मैंने यह पूछा है क्या वर्तमान सरकार गन्ना का मूल्य बढ़ाने पर कोई कार्य योजना या विचार कर रही है। इन्होंने उस पर कोई उत्तर नहीं दिया। मैंने प्रश्न किया था कि सरकार प्रदेश में न्यूनतम गन्ना मूल्य बढ़ाने पर विचार कर रही है।

श्री अध्यक्ष–

जब उन्होंने लिस्ट दे दिया, इसके मायने नहीं बढ़ाना है।

श्री दलवीर सिंह–

मान्यवर, सरकार कहे तो सही कि हम रेट बढ़ाने पर विचार नहीं कर रहे हैं। रेट लिस्ट में यह है कि 290.00 रु0 प्रति कु0, अगेती प्रजाति के लिए 280.00 प्रति कु0 सामान्य के लिये इसमें भी भुगतान करने की प्रक्रिया वह अपना रहे हैं उसे भी माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि किसानों के कैश इन हैन्ड क्या आयेगा, क्या 290 पूरे का पूरा यह भुगतान करेंगे या पार्ट पेमेंट करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

वह तो बता चुके हैं, आप इस पर तीन दिन से चर्चा कर रहे हैं और सारे उत्तर पहले ही मिल गये हैं, वही बात आप फिर पूछ रहे हैं। इसका क्या मतलब है।

श्री दलवीर सिंह–

हमारी छोटी सी पार्टी है और गन्ना की पार्टी है।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा टोकाटाकी किये जाने पर)

श्री दलवीर सिंह–

यह गन्ने का विषय राष्ट्रीय लोकदल का ही है, बाकी तो यह लोग बेकार की बातें कर रहे हैं। इनसे तो इस विभाग का कोई मतलब ही नहीं है। आपका तो इस बार खामखां का तुक्का लग गया है। तो मैं आपके माध्यम से यह जानना चाह रहा था।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा पुनः टोकाटाकी किये जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया आपस में बात न करें।

श्री दलवीर सिंह–

आपके माध्यम से मेरा केवल यह सवाल है कि माननीय मंत्री जी या तो यह कह दें कि यह गन्ना की रेट लिस्ट है और अब हमारा इसके दाम बढ़ाने का कोई विचार नहीं है, बात खत्म हो गयी और किस तरह पार्ट पेमेंट करेंगे, यह बता दें।

श्री राम करन आर्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का तो उत्तर आ गया कि इस साल सरकार द्वारा जो समर्थित मूल्य तय किया गया है 290 अगैती का है, सामान्य का 280 है और अनुपयुक्त प्रजाति का 275 है। मान्यवर, जो पेमेंट की प्रक्रिया है, इस साल जो हम लोगों ने किया है कि किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान दो किश्तों में किया जायेगा। पहली किश्त मिल को गन्ना आपूर्ति के 14 दिन के अंदर 40 रुपये कम की दर से किया जायेगा अर्थात् क्रमशः रु0 250, 240 और 235 प्रति क्विंटल की दर से दिया जायेगा। अवशेष किश्त पेराई समाप्ति की तिथि से 3 माह के अंदर दिया जायेगा और अगर मिल मालिक तीन महीने के अंदर पैसा नहीं देते हैं तो मिल मालिक को ब्याज भी देना होगा। साथ ही अगर 250, 240, 235 प्रति क्विंटल मिल को गन्ना देने के 14 दिन के अंदर अगर भुगतान नहीं करते हैं तो उस पर भी मिल मालिक को ब्याज देना पड़ेगा। मान्यवर, यही माननीय सदस्य की जिज्ञासा थी, जिसका मैंने उत्तर दे दिया है।

श्री अध्यक्ष–

उनकी जिज्ञासा है कि आप दाम बढ़ाने पर विचार करेंगे, प्रश्न यह है।

श्री राम करन आर्य–

मान्यवर, मैनें आपसे पहले ही निवेदन किया कि हमारा समर्थित मूल्य आ गया है तो विचार का सवाल कहां उठता है।

श्री अध्यक्ष–

आपका उत्तर आ गया कि जब सरकार ने समर्थित मूल्य घोषित कर दिया तो फिर दाम बढ़ाने का विचार करने का क्या औचित्य है।

श्री दलवीर सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि रेट लिस्ट में जो 290 का पेमेंट अंकित है, उसे तो पूरे का पूरा करा दें। अभी तो पिछला वाला भी भुगतान नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष–

कह तो रहे हैं कि करायेंगे।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे तारांकित प्रश्न के अंतर्गत अनुपूरक प्रश्न करने की अनुमति दी, मैं इसके लिये आपका आभारी हूं। मान्यवर, यह किसानों से जुड़ा हुआ सवाल है और गन्ने का जो मूल्य बढ़ाने की बात प्रश्न में की गयी लेकिन इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया। जैसा कि विदित है कि लगभग 6–7 साल से गन्ने की फसल पर किसान को जो लागत आ रही है, वह बढ़ती चली जा रही है और अभी ऐसा जानकारी में आया है कि गन्ने की बुवाई से लेकर कटाई तक लागत 260 रुपये प्रति

क्विंटल से ज्यादा आ रही है और 280 रुपये का भुगतान किया जा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से जानना चाह रहा हूं कि क्या गन्ने की फसल को जो चीनी मिलें ले रही हैं, उनको इसमें नुकसान हो रहा है। चूंकि यह किसानों से जुड़ा मामला है और मंहगाई बढ़ती जा रही है तो क्या सरकार अगर समर्थित मूल्य बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है तो क्या अतिरिक्त कोई बोनस देने पर विचार करेगी ?

श्री राम करन आर्य–

मा0 अध्यक्ष महोदय, मा0 सदस्य ने जो जिज्ञासा जाहिर की है यह मान्यवर, बे–सिर–पैर की है। मान्यवर, यह गन्ना शोध संस्थान का है।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

मान्यवर, यह कौन सा आरोप है।

श्री राम करन आर्य–

आप हमारी बात को सुन लीजिए मैं आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

मा0 मंत्री जी थोड़ा सा भाषा का भी अच्छी तरह से उपयोग होना चाहिए।

श्री राम करन आर्य–

मान्यवर, अगर मा0 सदस्य को कष्ट हुआ हो तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं।

ख्मा0 सदस्य श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य के खड़े होने पर,

श्री अध्यक्ष–

मा0 नीरज जी, मा0 मंत्री जी ने अपने शब्द वापस ले लिये हैं अब आप सवाल का जवाब ले लीजिए।

श्री राम करन आर्य–

मान्यवर, मैंनें इसलिए बे–सिर–पैर कहा क्योंकि आप आंकड़े उठाकर देखिये। अभी जो शोध संस्थान का मेरे पास आंकड़ा है 253.87 लागत यह प्रति क्विंटल आया है।

श्री अध्यक्ष–

क्या आया है।

श्री राम करन आर्य–

हम 290, 280 और 275 दे रहे हैं। मान्यवर, जो आया है शोध संस्थान से उसके अनुरूप हम दे रहे हैं और पिछली बार इससे कम आया रुपया 251/– था तो भी हम इतना ही दे रहे थे। मान्यवर, आप जानते हैं, आप विद्वान हैं आप जानते हैं कि जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी लोग हैं ये कच्चा शुगर बाहर से, विदेश से मंगा रहे हैं जितना चीनी का परता आता है उतना हमारे देश, प्रदेश की जो चीनी मिलें हैं उनमें परता नहीं पड़ रहा है। अगर वह बन्द हो जाता तो शायद हमारे प्रदेश की जो चीनी मिलें हैं ये ज्यादा दे सकती थीं, क्योंकि जो कच्चा शुगर बाहर से आ रहा है वह

हिन्दुस्तान की चीनी मिलों को बैठा देगा। मान्यवर, हमारा कहने का मतलब है, जो सबसे बड़ी बात है कि हम किसानों को समय से गन्ने का भुगतान कर पायें, महत्वपूर्ण यह है।

ख्मा0 सदस्य श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य के खड़े होने पर,

श्री अध्यक्ष–

अब जवाब आ गया, वह नहीं दे पायेंगे, अब मा0 नीरज जी आप बैठ जायें।

प्रदेश में विद्युत की भारी कमी को देखते हुये विगत तीन वर्षों से प्रदेश में विद्युत उत्पादन बढ़ाने हेतु चल रही परियोजनाओं को पूर्ण कराने की मांग

'02–श्री सतीश महाना, श्री मनीष असीजा, डा0 अरूण कुमार, श्री लोकेन्द्र सिंह, श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री संजय प्रताप जयसवाल, श्री जय प्रकाश निषाद, श्री सलिल विश्नोई–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्युत की भारी कमी को देखते हुये विगत तीन वर्षों से प्रदेश में विद्युत उत्पादन बढ़ाने हेतु कौन–कौन सी परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है ? क्या सरकार बतायेगी कि उनमें से कितनी परियोजनायें पूर्ण हो गयी हैं तथा अधूरी परियोजनाओं को कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? क्या सरकार इसका सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री यासर शाह)–

प्रदेश में विद्युत की भारी कमी को देखते हुए विगत 03 वर्षों से प्रदेश में विद्युत उत्पादन बढ़ाने हेतु राज्य क्षेत्र/संयुक्त क्षेत्र में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि0 के अन्तर्गत निम्न परियोजनाओं पर कार्य चल रहा था/है :–

1–2ग500 मेगावाट अनपरा–डी तापीय विद्युत परियोजना (राज्य क्षेत्र से)

2–2ग660 मेगावाट मेजा (स्टेज–1) तापीय विद्युत परियोजना (एन0टी0पी0सी0 के साथ संयुक्त क्षेत्र से)

3–2ग0.75 मेगावाट खारा लघु जल विद्युत परियोजना

केस–1 की वीडिंग के अन्तर्गत 6000 मेगावाट विद्युत क्रय की कार्यवाही गतिशील है।

विगत 03 वर्षों से प्रदेश में विद्युत उत्पादन बढ़ाने हेतु राज्य क्षेत्र/संयुक्त क्षेत्र में प्रारम्भ की गई उपरोक्त उल्लिखित परियोजनायें अभी तक पूर्ण नहीं हुई हैं।

उपरोक्त निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं का कार्य निम्नानुसार पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है :–

1–2ग500 मेगावाट अनपरा–डी तापीय विद्युत परियोजना

प्रथम इकाई–कमिशनिंग की सम्भावित तिथि–31–03–2015

द्वितीय इकाई–कमिशनिंग की सम्भावित तिथि–31–05–2015

2–2ग660 मेगावाट मेजा (स्टेज–1) तापीय विद्युत परियोजना

(उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0 एवं एन0टी0पी0सी0 के मध्य संयुक्त उपक्रम)

प्रथम इकाई–कमिशनिंग की सम्भावित तिथि–अगस्त, 2016

द्वितीय इकाई–कमिशनिंग की सम्भावित तिथि–फरवरी, 2017

3–2ग0.75 मेगावाट खारा लघु जल विद्युत परियोजना

प्रथम इकाई–कमिशनिंग की सम्भावित तिथि–अगस्त, 2016

द्वितीय इकाई–कमिशनिंग की सम्भावित तिथि–फरवरी, 2017

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सतीश महाना–

मा0 अध्यक्ष महोदय, आज वर्तमान में मान्यवर, अगर प्रदेश की प्रगति के बारे में सोचेंगे तो बिना विद्युत आपूर्ति के न तो उद्योग हैं, न किसान हैं, न छात्र हैं और कोई भी नहीं है। सारी की सारी व्यवस्था ठप हो जाती है जिस समय विद्युत उत्पादन नहीं होता है।

(कई मा0 सदस्यों के मा0 मुख्य मंत्री जी के पास खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

मा0 महाना जी, आप अपना सवाल करें, आप यहां देख करके डिस्टर्ब हो जाते हैं क्या। मा0 सदस्य आप कृपया अपने स्थान पर चलें।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, सिर्फ प्रश्न उत्तर करके घर चले जाना हो तो यहां आने का कोई फायदा नहीं है। यह प्रश्नोत्तर मंच नहीं है बल्कि यह समस्या के समाधान का मंच है और समाधान तब होता है जब सिस्टम चालू होता है। अब मान्यवर, अगर आपकी बात नहीं मानेंगे तो हम क्या करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

अब तो पूछिये, मा0 सदस्य चले गये।

श्री सतीश महाना–

माननीय अध्यक्ष जी, किसान को जिस समय सबसे ज्यादा बिजली की आवश्यकता थी तो उस समय उसे 01 घण्टे, 02 घण्टे से ज्यादा विद्युत की आपूर्ति नहीं हो रही थी। (सत्तापक्ष की तरफ से आवाज आती रही।)

श्री जाहिद बेग–

सदन को गुमराह क्यों कर रहे हैं, सही बात बताइये।

श्री सतीश महाना–

उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन के द्वारा जो रोज सूची जारी की जाती है कि कितने घण्टे कब–कब विद्युत आपूर्ति हुई, मैं उसको पढ़ रहा हूं। सितम्बर, 2014 में 09 सितम्बर को ग्रामीण क्षेत्रों में 3 घण्टे 17 मिनट विद्युत आपूर्ति हुई, यह यहां का आंकड़ा

है जो इन्होंने दिया है, नीचे तक कितना पहुंच रहा है, यह इससे भी ज्यादा विषम परिस्थितियां हैं। जो लिखा–पढ़ी में हैं मैं वह बात कह रहा हूं। अगर पॉवर कारपोरशन इस तरह की बात करेगा तो झूठ और सच का और कहीं निर्णय नहीं हो सकता। आज उद्योगों की स्थिति क्या है मान्यवर, उत्तर प्रदेश में मालूम है पिछले 3 वर्ष में, 2012 में इसी सदन में आदरणीय लोक निर्माण मंत्री जी जब विद्युत का जवाब दे रहे थे तो उस समय 31 परियोजनायें बतायी थीं, यह ऑन–रिकार्ड है कि ये–ये परियोजनायें हैं। उस पर चर्चा हुई थी आपको भी ध्यान होगा। 2012 में इन्होंने कहा था कि कुछ 2014 और कुछ 2015 में पूरी हो जायेंगी। समय बीतने के साथ–साथ उसकी तारीख आगे बढ़ जाती है, पूरी एक भी नहीं हुई है, 31 परियोजनायें थी यह बताना चाहिए था कि 7, 8, 9 या 10 परियोजना पूरी कर दी गयी हैं बाकी बकाया हैं लेकिन एक भी पूरी नहीं हुई है। आज भी जो दो साल के पहले की स्थिति थी वही जवाब आज भी है उस समय भी विद्युत की डिमाण्ड 9500 मेगावाट बताते थे उस समय भी उत्पादन 9000 मेगावाट बताते थे और आज भी उतनी ही बता रहे हैं किसी भी प्रकार की उत्पादन की बढ़ोत्तरी नहीं बता रहे हैं। जो उत्तर मिला है उसकी मैं बात कर रहा हूं। मान्यवर, अगर यही परिस्थितियां हैं इनकी जरूरत ही इतनी है कि किसान को दो घण्टे से ज्यादा बिजली न दें, इनकी जरूरत ही न हो और शहरी क्षेत्र को 10 घण्टे से ज्यादा बिजली देने की जरूरत न हो, सोच ही न हो, अगर सोच ही नहीं होगी, जरूरत ही नहीं होगी तो फिर बिजली की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न से संबंधित अनुपूरक पूछिए।

श्री जाहिद बेग–

अध्यक्ष जी, यह सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप शांत रहें, आपकी भाषा बहुत व्यवधान पैदा कर रही है। महाना जी, आप सीधा सवाल पूछिये।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, सदन व्यवस्थित करा दें। मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग शान्त रहें।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, यह जो सूची मिली है इसमें यह बताया गया है कि इतना–इतना उत्पादन हो रहा है। विस्तार में जाऊंगा तो बहुत समय लगेगा।

श्री अध्यक्ष–

वह नत्थी है, आप प्रश्न पूछिये।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, नत्थी है, उस नत्थी में राज्य क्षेत्र के अंतर्गत मा0 मुख्य मंत्री जी के द्वारा घाटमपुर तापीय विद्युत परियोजना का शिलान्यास 6 जून, 2012 में किया गया था। उस समय केन्द्र में आपके समर्थन की सरकार थी और कानपुर के एक मा0 मंत्री जी थे, दोनों ने मिल करके शिलान्यास कर दिया। आज उत्तर में कहा गया है कि केन्द्र सरकार से उसकी स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से मा0 ऊर्जा मंत्री जी से जानकारी करना चाहता हूं कि जिस परियोजना की 2012 से लेकर 2014 तक स्वीकृति ही प्राप्त नहीं हुई थी उसका शिलान्यास करने की क्या आवश्यकता थी ? अगर उसका शिलान्यास कर दिया गया था और तत्कालीन केन्द्र सरकार ने उस पर पैसा नहीं दिया था तो मा0 मुख्य मंत्री जी की जिम्मेवारी थी कि उसको पूर्ण कराकर उसमें उत्पादन शुरू करा दें। इस प्रकार केवल सूची दे देने से विद्युत उत्पादन बढ़ जायेगा तो यह गलतफहमी है।

श्री अध्यक्ष–

आप सीधे प्रश्न करिये, घुमा कर क्यों करते हैं ?

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, सीधा आने में कहीं न कहीं घूम करके आना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष–

इधर–उधर क्यों घूमाते हैं, समय बर्बाद हो रहा है।

श्री अध्यक्ष–

मा0 सदस्य, उत्तर से संबंधित जो अनुपूरक बनते हैं, उसको पूछिये। यह तो आपकी जानकारी के लिए लिस्ट दे दी गई है कि ये–ये है। आप अनुपूरक पूछिये।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, उत्तर से अनुपूरक यह है कि क्या आज जो सूची माननीय मंत्री जी द्वारा दी गई 2015–2016 से 2017 के बीच में क्या यह पूरी हो जायेगी ? मान्यवर, दो प्रश्न है। मान्यवर, एक अभी पूछ लूं और एक बाद में पूछ लूं, या फिर दोनों एक साथ पूछ लूं ?

श्री अध्यक्ष–

आप दोनों साथ कर लीजिए, नहीं तो आप बहुत समय ले लेंगे।

श्री सतीश महाना–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या ये जो आपने सूचियां दी हैं, जो 2013 के जवाब से भिन्न है, क्या जो 2013 में आपने जवाब दिया था और आज जो जवाब दे रहे हैं, उसमें इस समय के अंतर्गत कोई परियोजना पूरी न होने का क्या कारण है और दूसरा प्रश्न यह है कि आप जितनी विद्युत आपूर्ति की घोषणा करते हैं, हम तो मांग करते हैं कि 24 घण्टे होनी चाहिए, जितने घण्टे की आप घोषणा करते हैं कि 15 घण्टे, 16 घण्टे गांवों में और 24 घण्टे शहरों में तो क्या इस आधार पर आप विद्युत आपूर्ति पूरी करेंगे।

श्री यासर शाह–

माननीय अध्यक्ष जी, महाना जी का प्रश्न और इनकी चिंता बहुत लाजिमी है, क्योंकि कटियाबाज एक जो पकड़ा गया था और पिक्चर भी आई थी और माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसको टैक्स फ्री भी किया था, शायद वह इन्हीं के क्षेत्र का था वो।

(विपक्ष की तरफ से एक साथ कई मा0 सदस्यों द्वारा बोलने का प्रयास करने पर)

श्री यासर शाह–

आपकी चिंता लाजिमी है, बहुत जायज है, कटियाबाज सब आप ही के क्षेत्र के पकड़े जा रहे हैं, पता नहीं क्यों ? मान्यवर, घाटमपुर की जो पूरी डिटेल है, वह मा0 सदस्य को भिजवा दी गई है और दूसरा यह है कि यह प्रदेश सरकार इस बात के लिए कटिबद्ध है हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी इस बात के लिए कटिबद्ध हैं कि 2016 में हम लोग शहरी क्षेत्रों में 22 से 24 घण्टे और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 से 20 घण्टे विद्युत की आपूर्ति करेंगे।

(सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं)

श्री यासर शाह–

मैं पूर्ण रूप से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2016 में मात्र एक–डेढ़ साल ही रह गया है और आप बिल्कुल चिंता न करें और 2016 में ही यह प्रदेश सरकार भले कहीं से बिजली लेकर आये चाहे हमारी अपनी हो चाहे खरीदनी पड़े अपना वायदा हर हालत में पूरा करेगी।

(श्री सतीश महाना के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष जी–

महाना जी और लोगों को पूछ लेने दीजिए। श्री मनीष असीजा जी।

श्री मनीष असीजा–

माानीय अध्यक्ष जी, आपको धन्यवाद देता हूं, आपके माध्यम से मुझे अनुपूरक पूछने का अवसर मिला। सदन में विद्युत के संबंध में जो भी चर्चा हुई है, उस चर्चा में मैं अपने को फिलहाल सम्बद्ध करता हूं मांग और उत्पादन में बहुत बड़ा अंतर है और मांग और उत्पादन के अंतर पर पहले दिन से सदन में चिंता और चर्चा चल रही है। शुरू के सत्र में सारा समय इसमें जाता था कि पिछली सरकार की अदूरदर्शितापूर्ण नीतियां मांग के सापेक्ष प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा सकीं और अब हम करेंगे। करने के जो भी प्रयास हुए उसको यदि धरातलीय दृष्टि से देखें तो अभी वह सफल नहीं हो पाये हैं। मैं इसमें कुछ सीधे–सीधे स्पेसिफिक बातें बताता हूं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य, बताइये नहीं, सवाल पूछिये।

श्री मनीष असीजा–

माननीय अध्यक्ष जी, सवाल ही पूछ रहा हूं। मैं बहुत ठीक से बोल रहा हूं और मुझे आपका संरक्षण चाहिए। पांच सालों से जे0पी0 ग्रुप के पास करछना इलाहाबाद में बिजली घर बनाने का काम था, इसी साल वह मई जून में चले गये। एक ग्रुप जो पिछली सरकार के द्वारा बिजली घर बनाने के लिए आया था, जमीन ले ली, उसने उस

पर काम नहीं किया और उसकी क्षमता थी 660ग2त्र1320 मेगावाट का यह बिजली घर था। इसके लिए कौन दोषी था ? माननीय मुख्य मंत्री जी और यह क्विट कर गई। मान्यवर, इसकी 100 करोड़ सिक्योरिटी सरकार के पास है। मई–जून से नवम्बर आ गया है और अगर इसी प्रकार से बिजली घर बनाने के नाम पर सरकार से फायदा लेने के नाम पर जमीन ले जायेंगे और पांच साल बाद चले जायेंगे और सरकार अगर उनकी सिक्योरिटी को, जो मुझे समझ में आ रहा है, जो अभी तक जब्त नहीं हुई है, तो एक दृष्टि से लगता है कि यह ढील है, तो संदेश यह जाना चाहिए कि उनकी सौ करोड़ की सिक्योरिटी जब्त करके चाहे निजी क्षेत्र हो, चाहे कोई क्षेत्र हो, प्रदेश की विद्युत आपूर्ति की मांग के सापेक्ष काम लेने वाला आदमी लापरवाही करेगा तो सरकार का रुख कठोर होगा। तो क्या सरकार उनकी 100 करोड़ की सिक्योरिटी जब्त करेगी अथवा नहीं ? दूसरा मेरा इसमें सुझाव है हरदुआगंज तापीय विस्तार योजना आपकी 660 मेगावाट की है उसके टेंडर भी हो गए हैं उसका कोल लिंकेज था चेंदीपाड़ा एक और चेंदीपाड़ा दो वह अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कोल ब्लाक रद्द हुए हैं और आपके द्वारा टेंडर भी निकाले जा चुके हैं मैं आपको सुझाव देता हूं उदाहरण सहित यह प्रयोग मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों जगह हो चुका है आपकी ओबरा की तीन यूनिट 2009 से बन्द हैं रिनोवेशन में, मार्डनाइजेशन में और ओबरा का जो कोल लिंकेज है वह आप अनुरोध करके हरदुआगंज के लिए ले सकते हैं जिससे आपकी 660 मेगावाट के प्रोडक्शन में राहत मिलेगी क्या यह कार्यवाही करेंगे मेरी दो बातें हुईं क्या 100 करोड़ जब्त करेंगे व हरदुआगंज की इकाई को चलाने के लिए ओबरा की जो यूनिट बंद है उसके कोल लिंकेज का प्रयोग इसके इस्तेमाल में करेंगे।

श्री यासर शाह–

माननीय सदस्य जी ने जो सुझाव दिए हैं उसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद। मैं माननीय सदस्य को इस बात का आश्वासन देता हूं कि इनके सुझाव पर हम आलरेडी विचार कर रहे हैं। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि यह केन्द्र सरकार से कोयला दिलवा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी।

(भारतीय जनता पार्टी के अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री यासर शाह–

आप बोलें तो मैं बैठ जाऊं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

माननीय सदस्य ने दो सवाल पूछे क्या 100 करोड़ की सिक्योरिटी को जब्त करेंगे दूसरा क्या उस कोल लिंकेज को हरदुआगंज ट्रांसफर करेंगे। सरकार यह कहे कि हम उसे ट्रांसफर नहीं करेंगे। कोयले की आवश्यकता की पूर्ति के लिए भारत सरकार हमारा सहयोग करे तो हम काम करेंगे यह कहते तो बात समझ में आती लेकिन पहले प्रश्नकर्ता के मूल प्रश्न का तो उत्तर दें कि लिंकेज ट्रांसफर करेंगे कि नहीं करेंगे और 100 करोड़ की जमानत जब्त करेंगे कि नहीं।

श्री अध्यक्ष–

उन्होंने तो कहा कि आपके सुझाव पर विचार करेंगे।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, फर्म को क्विट किए हुए 9 महीने हो गए हैं उसके बाद सरकार उसकी सिक्योरिटी को जब्त करने पर विचार करेगी मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है यह तो सही उत्तर नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष–

बाजपेयी जी विचार करने का मतलब क्या होता है। उन्होंने कहा कि आपके सुझाव पर विचार करूंगा इसका मतलब कुछ करना होता है।

श्री सुरेश राणा–

अध्यक्ष जी सुबह से विचार ही तो हो रहा है।

श्री यासर शाह–

जो सुझाव माननीय सदस्य ने दिए हैं उस पर पहले से ही विचार कर रहे हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ प्रश्न करने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप मंत्री जी का उत्तर तो सुन लें उसके बाद प्रश्न करें।

श्री यासर शाह–

माननीय अध्यक्ष जी माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है उस सुझाव पर सरकार पहले से ही विचार कर रही है। अब हम उनकी तरह ट्विटर पर तो विद्युत व्यवस्था सही नहीं कर पाएंगे। यह लोग अगर ट्विटर पर विद्युत सही करने का प्रयास करेंगे तो वह सही नहीं होगा। आपकी केन्द्र में सरकार है आपके केन्द्र के ऊर्जा मंत्री जी यहां आते–आते रह गए उनसे मुलाकात होगी। अगर आप लोगों की कभी मुलाकात हो जाए तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है इस प्रदेश की जनता की भलाई के लिए कि कोयला दिला दें बाकी काम हम खुद कर लेंगे।

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)–

अध्यक्ष महोदय इनके कुछ सुझाव तो अच्छे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रदेश के पास कोई कोयला नहीं है। हमारा जवाब पहले दिन से यह था जब आपके मंत्री ट्विटर पर जवाब दे रहे थे।

(भारतीय जनता पार्टी के कुछ सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग सुन लें बीच में टोकाटाकी अच्छी नहीं है।

श्री अखिलेश यादव–

यह कपड़े पहनने से भगवाकरण से कुछ असर होने वाला नहीं है। सवाल कोयले का है यहां पर बहुत सीनियर विधायक जी बैठे हुए हैं आदरणीय श्यामदेव राय चौधरी जी आप धरने पर थे भूख हड़ताल पर थे हमारे कहने पर निवेदन करने पर अपील पर आपने धरना तोड़ दिया उस समय आपके बहुत सीनियर सदस्य हमारे पास आए थे उस समय मैंने निवेदन किया था कि दो चीजें हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने

इतना बड़ा समर्थन दिया है किसी दल के इतने सदस्य आज तक किसी लोक सभा में नहीं जीते होंगे हमारी केवल इतनी मांग है कि आप कोयले का कोटा बढ़ाएंगे और बिजली का कोटा बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे। क्योंकि अभी समय आप पर है और जो दॉव पेंच बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के और कोयले के, तो ऐसा नहीं है कि खबर हम लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। लेकिन कोयले का कोटा आप बढ़ायेंगे कि नहीं बढ़ायेंगे नम्बर एक। और उत्तर प्रदेश की जनता ने यह समर्थन दिया था, जनता हमसे इसीलिये तो नाराज है कि हम जितना बिजली देना चाहते थे, नहीं दे पाये। क्या आप बिजली का कोटा बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे जो इतना जन समर्थन मिल गया। तो आप न कोयला दे रहे हो और न कोटे की बिजली बढ़ा रहे हैं। यह इंतजाम कब करेंगे ? उसका भी जवाब दीजिये।

(मेजें थपथपाई गईं)

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कोई विषय खड़ा किया है, उस पर हमारा पक्ष भी सुन लीजिये। केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री ने माननीय मुख्य मंत्री जी से बात करने के लिये चार बार फोन किया चारों बार नॉट रीचेबिल आया।

(शोर)

श्री अखिलेश यादव–

मुख्य मंत्री और केन्द्रीय मंत्री के बीच में क्या बात हो रही है, क्या फोन टैप कर रहे हैं आप ? आपकी यह बात सरासर गलत है और आपके मंत्री की भी आपसे बातचीत नहीं हो रही है।

(सत्ता पक्ष और भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर)

श्री अध्यक्ष–

अरे बाजपेई जी, बैठिये। माननीय खन्ना जी, बैठिये। देखिये मैं खड़ा हूं तो आप बैठिये ना। बैठ जाइये। देखिये, आप इस प्रश्न पर बहुत सारे उत्तर आ गये और माननीय मंत्री जी ने भी जो आपके असीजा जी ने सुझाव दिया, पर कहा कि मैं इस पर पहले से विचार कर रहा हूं। यह समस्या कोयले की थी, इस पर भी बात हो गई। मैं इस प्रश्न को मैं.... (शोर) सुनिये, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कोयले का अभाव है। जिस तरह से आप रिक्वेस्ट करते हैं वैसे उन्होंने कहा कि आप अपने केन्द्र सरकार से कुछ कोयला बढ़वा लीजिये।

श्री अखिलेश यादव–

जो कोटा कोयले का है, हमें उतना ही दे दें और जो बात यह कर रहे हैं कि ट्विटर पर संदेश आया था कि हमारी मुख्य मंत्री से बात नहीं हो पा रही है। यह ट्विटर क्या नई चीज हुई ? आप इस्तेमाल करते हो कि नहीं ट्विटर। आप बताओ ट्विटर है क्या चीज ? अगर कोई बातचीत करनी है इस प्रदेश से, तो हम तैयार हैं उस बातचीत के लिये। जिस समय ट्विटर पर बात हुई अध्यक्ष महोदय, एक–एक दिन की जानकारी हमने दी है केन्द्र सरकार को, किस दिन कोटा कोयले का कम है और किस दिन कोटा

बिजली का कम है। आप पूरे प्रदेश का, जिस दिन से आपकी सरकार बनी है, एक–एक दिन के आंकड़े निकाल लें कि आपकी सरकार ने कितना कोटा बिजली का कम दिया है, कितना कोटा कोयले का कम दिया है। मैं ऑन रिकार्ड सदन के अंदर कह रहा हूं।

(मेजें थपथपाई गईं)

प्रदेश के किसानों, घरेलू व व्यवसायिक उपभोक्ताओं पर बढ़ायी गयी विद्युत दरों को वापस लेने का सरकार का विचार

'03–डा0 धर्मपाल सिंह तथा श्री सूरज पाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा माह अक्टूबर, 2014 में प्रदेश के किसानों, घरेलू व व्यवसायिक उपभोक्ताओं पर बढ़ायी गयी विद्युत दरों को तत्काल वापस लेने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यासर शाह–

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु विद्युत नियमों का निर्धारण उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम–2003 की धारा–62, 64 में दिये गये प्राविधानानुसार लाइसेन्सी के ए0आर0आर0 तथा टैरिफ प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त किया जाता है। आयोग द्वारा उपरोक्त दर निर्धारण में लाइसेन्सी का हस्तक्षेप नहीं होता है।

(श्री अध्यक्ष द्वारा प्रश्न संख्या–3 पुकारे जाने पर और भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर शोर)

श्री अध्यक्ष–

हो गया, अब और नहीं। बैठिये, बात आ गई है। बाजपेई जी, बैठिये। अब कुछ लिखा नहीं जायेगा। बहुत सवाल हो गया और बहुत जवाब आ गया है। अब कुछ नहीं। एक तो आवाज साफ नहीं आती दूसरे हल्ला करते हैं। बैठिये।

डा0 धर्म पाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, 2007 से लेकर 2012 तक जब बी0एस0पी0 की सरकार थी, तब भी नियामक आयोग था। उस समय सरकार ने पांच साल में एक भी बार न तो किसानों की विद्युत दरें बढ़ाई थीं न ग्रामीण उपभोक्ताओं की बढ़ाई थीं। माननीय अध्यक्ष जी, वर्तमान सरकार ने वर्ष 2011 तक ग्रामीण क्षेत्र में 01 किलोवाट पर केवल 125 रुपये लगता था और बीज पर इलेक्ट्रिक डयूटी लगती थी, 150 रुपये पर किलोवाट, पूरे प्रदेश के गांव वालों को, चाहे वह 01 किलोवाट का कनेक्शन हो, चाहे दो किलोवाट का कनेक्शन हो, केवल 150 रुपये पर किलोवाट देने पड़ते थे। वर्तमान सरकार ने इसे जून, 2013 में बढ़ाकर 180 रुपये पर किलोवाट कर दिया। मान्यवर, 10–10–2014 में बढ़ाकर 338 रुपये प्रति किलोवाट कर दिया। यानी अब किसी ग्रामीण का दो किलोवाट का कनेक्शन होगा, उसे 676 रुपये देने पड़ेंगे और माननीय अध्यक्ष जी, किसानों के साथ

क्या किया? जो हमारा क्षेत्र है, आगरा, हाथरस, मथुरा, फिरोजाबाद, बुन्देलखण्ड यहां के किसानों पर, माननीय अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश के किसानों पर लगाते हैं, 75 रुपये प्रति हार्स पावर और हमारे किसानों पर लगता था 130 रुपये प्रति हार्स पावर। वर्तमान सरकार ने इसे बढ़कार पहले तो 140 रुपये हार्स पावर कर दिया और 10–10–14 को 220 रुपये हार्स पावर कर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश में अगर प्रति हार्स पावर का एक मानक भी मान लें तो पूरे प्रदेश को तो पूरे प्रदेश में 750 रुपये देता है किसान और केवल हमारा क्षेत्र और बुन्देलखण्ड के किसान 2400 रुपये देतें हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र की जो बढ़ी हुई नलकूपों की दरें हैं उन्हें घटाकर प्रदेश के बराबर स्तर तय करेंगे। दूसरा जो ग्रामीण क्षेत्र में 150 रुपये की जगह 676 कर दिया है इसे घटाकर 150 रुपये करने का काम सरकार करेगी।

श्री यासर शाह–

अगर कोई सवाल घुमा कर किया जाये तो भी जवाब वही है सरकार का। बड़े दुख की बात है कि माननीय सदस्य ने कहा कि इनकी सरकार जब थी तो भी नियामक हुआ करता था क्वासी कान्सटीट्यूशनल बाडी है, स्टेटुटरी बाडी है, यह तो बसपा सरकार में ही होता था, हमारे यहां नहीं हो पाया कि हम लोग किसी भी कान्सटीट्यूशनल बाडी का सम्मान न करें। अभी–अभी इन्होंने कहा कि यह तब भी था लेकिन हम तो अपनी मर्जी की करते थे। तो अपनी मर्जी की इन्होंने तब भी करी इसीलिए वहां पहुंच गये और हम लोग यहां आ गये। कान्सटीट्यूशनल बाडी, स्टेटुटरी बाडीस बनाये इसीलिए जाती है कि सरकार का बेहतर मार्गदर्शन कर सके। अगर बेहतर मार्गदर्शन को फालो नहीं करना है तो आपकी अपनी सरकार है। माननीय अध्यक्ष जी, यहां प्रश्न आया इसलिए मैंने बोला, जो सवाल आपने किया है। बहुत सारी चीजें मैं कह सकता हूं दो–तीन चीजे सरकार के पक्ष में आपको बता दूं जो सिंचाई, निजी नलकूप हैं उनकी दरों में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गयी। जो ग्रामीण उपभोक्ता हैं उनकी दरों में कोई बढ़ोत्तरी नहीं करी गयी बल्कि शहरी गरीब उपभोक्ता जिनके ऊपर 01 किलोवाट का भार है, उनपर 50 यूनिट तक का उनके सरचार्ज को 2 रु0 20 पैसे घटाकर 02 रुपये किया गया कम किया गया। उसके बाद भी आप यह चाहते हैं। किस घाटे से हमारा पावर कारपोरेशन गुजर रहा है लेकिन जो आपका सवाल था उसका जवाब सरकार दे रही है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिजली पानी सड़क ये ऐसी बुनियादी सुविधायें हैं, जो सरकार को देना चाहिए और पूरी तरह देना चाहिए और जनता का यह अधिकार है कि उसके लिए मांग कर। मांग भी सख्ती से मांग करें। हमारा यह वायदा है नेता सदन का कि हम बिजली देंगे 2016 तक उत्तर प्रदेश को। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं, जिनके लिए केन्द्र पर मनुस्सर रहना होता है, पेट्रोल, डीजल, कोयला केन्द्र ही देगा। जो एलोकेशन की आज की पोजीशन है। अनपारा को 70,000 मीट्रिक टन देना चाहिए

था 22,000 में दिया गया। परीक्षा को 180000 में देना चाहिए था 110000 दिया गया। पनकी को 4000 देना चाहिए था 3420 दिया गया। गिनती भी बहुत अच्छी है। ओबरा को 15000 देना चाहिए था 7410 दिया गया। अगर आप मान्यवर इससे जोड़ेंगे तो तकरीबन 40 प्रतिशत कोयला कम दिया गया। यह वह कोयला है जो एलाटेड है, जो केन्द्र सरकार को देना था, जो केन्द्र सरकार का कमिटमेंट है। एलाटमेंट में अगर 40 प्रतिशत कोयला काट लिया जायेगा तो विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्या होगी, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो यह राज्य सरकार क्योंकि मुनस्सर है, केन्द्र सरकार पर इस शौगात के लिए तो बार–बार इसीलिए यह बात कही जा रही है ताकि यह बात सभी को मालूम रहे कि बिजली आपूर्ति न होने की बुनियादी वजह क्या है। अब अगर नए प्लांट लगे तो उसके लिए भी कोयले की जरूरत है तो अगर बिजली चाहिए तो उसके लिए केन्द्र सरकार का सहयोग भी चाहिए और उस सहयोग के लिए आपका सहयोग चाहिए। अब हमारे मित्र महाना जी हटते–हटते आखिरी बेंच तक चले गए, दरवाजा करीब है। इसमें कोई शक नहीं कि खन्ना जी की खूबियां स्थापित हो गयीं, हां अलबत्ता आज बाजपेयी जी पीछे से आगे आ गए हैं तो इसमें आपके सहयोग की जरूरत है। सदन में यह बात बार–बार इसलिए लायी जा रही है कि आपके माध्यम से केन्द्र सरकार तक यह बात पहुंचनी चाहिए। आप इसमें सिफारिश कीजिए। आप कोयला दिलवायेंगे, आपकी देश भर में वाह–वाह होगी, बड़ा प्रदेश है, सबसे ज्यादा मेम्बर आपके यहां से पार्लियामेंट के हैं, आपकी सरकार बनाने में सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का योगदान है। उन्होंने तो उजाले की उम्मीद में वोट दिया था और आप देश का पैसा दूसरे देशों को दे रहे हैं, न यहां बिजली है, न पानी है।

(श्री लक्ष्मीकान्त बाजपेयी के कुछ कहने का प्रयास करने पर)

श्री मोहम्मद आजम खां–

देखिए, फिर बाजपेयी जी को बुरा लगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, जो पैसा दिया गया है, उसमें मेरा पैसा भी है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, अब समाप्त करें, बहुत समय हो गया है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

बाजपेयी जी, आप इतने दानी हैं और इतने उदार हैं, आप अब्दुल्ला का बहुत ख्याल रख रहे हैं।

डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी–

हम भाजपा के सदस्य दिलवाने का काम करेंगे। यह हम बार–बार कह रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

कब ? मान्यवर, कब ? पांच महीने से ज्यादा हो गए, कोई इसके लिए समय–सीमा है ? केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश की जनता को वोट लेने के बाद अंधेरे में रख रही है। पांच महीने हो गए, देश का प्रधानमंत्री देश की जनता की तरफ न देखे,

दुनिया की तरफ देखे, विदेशों का दौरा हो और देश भूखा हो, अंधेरे में हो, कहां का इंसाफ है, कहां का न्याय है ? बादशाह को यह नहीं दिख रहा है कि दिल्ली जल रहा है। नहीं दिख रहा है कि दिल्ली जल रहा है और बादशाह अपना देश छोड़कर, विदेशों में है। यहां अंधेरा है, इस देश में अंधेरा है।

(भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्य खड़े होकर बोलने का प्रयास करने लगे)

श्री अध्यक्ष–

अब आप लोग बैठिए। नत्थी (ग), तारांकित प्रश्न सं0–1, श्री मुकेश श्रीवास्तव जी हैं?

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

माननीय अध्यक्ष जी, डा0 धर्मपाल सिंह जी का उत्तर आया नहीं और बीच में सपा–भाजपा की नूराकुश्ती होने लगी। मान्यवर, आप वहां पर बैठे इसलिए हैं, आप हम सबके संरक्षक है, अभिभावक हैं, माननीय अध्यक्ष हैं और हम अपेक्षा करते हैं कि सरकार घुमाने के बजाय उसका ठीक उत्तर देगी। डा0 धर्मपाल सिंह के प्रश्न का उत्तर अभी पूरा हुआ नहीं, आप आगे बढ़ गए तो मान्यवर, इतनी चिन्ता होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल, विद्युत पर काफी देर से बहस चल रही है और इसके पहले भी इस पर कई प्रश्न लगे थे और विद्युत पर इसके पहले भी बहस हो गयी है। इनका एक ही सवाल अनुत्तरित रह गया है जिसको यह चाहते हैं कि उसका उत्तर मिले, वह प्रश्न यह है कि क्या बुन्देलखण्ड और इनको और प्रदेशों के बराबर करेंगे, यह सवाल है। उन्होंने पढ़कर बता दिया कि इस तरह का बढ़ावा नहीं है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, यही तो बात है, माननीय मंत्री जी ने बड़ी बारीकी से सदन को गुमराह करके पूरे प्रदेश को गुमराह करना चाहते हैं, जिस तरह से मा0 धर्मपाल सिंह जी अपनी बात सदन में रखना चाहते थे, मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं, डा0 धर्मपाल सिंह के प्रश्न का उत्तर अभी अनुत्तरित है, उसका उत्तर आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपका पूरा प्रश्न सुना है। उन्होंने आपको बता दिया।

(बहुजन समाज पार्टी के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, आज प्रदेश में बिजली की मंहगाई की वजह से किसान का काम रूक रहा है और समाजवादी पार्टी की सरकार पूरे उत्तर प्रदेश को गुमराह करने की कोशिश कर रही है इसलिए बहुजन समाज पार्टी सरकार के इस गलत रवैए के खिलाफ सदन से बहिगर्मन करती है।

(नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य) दल सहित नारेबाजी करते हुए सदन से बहिर्गमन कर गये।)

नत्थी (ग)

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में बाढ़ प्रभावित परिवारों को बसाने के लिये भूमि व आवास का प्रबन्ध जिलेवार दिये जाने की व्यवस्था

'01–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन–किन जनपदों में वर्ष 2014 की बाढ़ के कारण कितने लोग बेघर हो गये हैं तथा कितने गांव कटान के कारण नदियों में विलीन हो गये हैं ? क्या सरकार प्रभावित परिवारों को बसाने के लिये भूमि व आवास का प्रबन्ध करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)–

वर्ष 2014 की बाढ़ से बेघर हुए परिवारों तथा नदियों की कटान से प्रभावित गांवों का जनपदवार विवरण निम्नवत् है :–

जनपद का नाम	बाढ़ से बेघर हुए परिवारों की संख्या	नदियों के कटान से विलीन (आंशिक) गांवों की संख्या
1	2	3
कुशीनगर	120	04
गोण्डा	91	05
खीरी	669	21
देवरिया	75	01
बलिया	125	01
पीलीभीत	39	01
सीतापुर	543	03
बहराइच	563	22
श्रावस्ती	118	11

तीव्र बाढ़ में बह जाने वाले ग्रामों के विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वासित किये जाने हेतु भूमि का क्रय कर निःशुल्क आवंटन किये जाने की व्यवस्था शासनादेश संख्या–2010/1–10–12–33 (37)/12 टी0सी0–1, दिनांक 31–07–2012 द्वारा की गई है जिसके अनुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार

प्रभावित परिवारों को क्षतिग्रस्त मकानों के सापेक्ष गृह अनुदान वितरित किया गया है। जनपदवार विवरण/स्थिति निम्नवत् है :–

जनपद का नाम	विवरण/स्थिति
कुशीनगर	बेघर हुए 120 परिवार में से 103 परिवार अपनी निजी भूमि में आवासित होकर जीवन–यापन कर रहे हैं। शेष 17 परिवारों को भी आवास हेतु भूमि उपलब्ध करा दी गई है। बाढ़ से प्रभावित कोई भी परिवार आवासित होने हेतु शेष नहीं है।
गोण्डा	बाढ़ से 91 परिवारों के मकान नदी कटान से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिसमें 04 पक्के मकान व 87 झोपड़ी हैं। सभी प्रभावित परिवार अपनी भूमि में अन्यत्र आवास बना लिये हैं। प्रभावित परिवारों को अनुमन्य अहेतुक सहायता प्रदान की गई है। इस समय कोई बेघर नहीं है।
खीरी	बाढ़ से 669 परिवार बेघर हुए हैं जिसमें से 227 परिवार ग्राम समाज की भूमि में बस गये हैं। 21 परिवार अपनी निजी भूमि पर बस गये हैं। शेष 421 परिवार को बसाये जाने हेतु ग्राम सभा अथवा सरकारी भूमि उपलब्ध न होने के कारण भूमि क्रय किये जाने की कार्यवाही जिलाधिकारी द्वारा की जा रही है।
देवरिया	बाढ़ से नदी के कटान से तहसील–बरहज के गांव परसिया कूरह तप्पा–कपरवार के कुल 75 मकान नदी में विलीन हो गये हैं। प्रभावित परिवारों को बसाने हेतु भूमि की व्यवस्था के लिये रु0 93,72,520/– की धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। इसके अतिरिक्त अनुमन्य राहत सहायता प्रदान की गई है।
बलिया	बाढ़ के कारण नदी के कटान से गांव इब्राहिमाबाद नौबरार के 125 घर (78 पक्का मकान, 23 कच्चा मकान, 24 झोपड़ी) नदी में विलीन हुए हैं। 78 परिवारों को 0.011 हे0 प्रति परिवार के नाम से आवास हेतु भूमि का आवंटन किया गया है। शेष परिवार अपनी–अपनी भूमि पर बस गये हैं।
पीलीभीत	बाढ़ के कारण 39 परिवार बेघर हुए हैं जिन्हें आवास

जनपद का नाम	विवरण/स्थिति
	स्थल उपलब्ध कराकर पुनर्वासित कर दिया गया है।
सीतापुर	बाढ़ के कारण 543 परिवार बेघर हुए हैं जिन्हें बसाने के लिये आवास हेतु ग्राम समाज की निःशुल्क भूमि उपलब्ध करा दी गई है। इसके अतिरिक्त अनुमन्य राहत सहायता प्रदान की गई है।
बहराइच	बाढ़ के कारण कुल 563 मकान नदी में कट गये हैं इनमें से 90 परिवारों के पास जमीन उपलब्ध होने के कारण वे अपनी सुविधानुसार बस गये हैं। 172 परिवारों को बसाने हेतु भूमि आवंटन की कार्यवाही की जा रही है। शेष 301 प्रभावित परिवारों को बसाये जाने हेतु भूमि क्रय करने की कार्यवाही जिलाधिकारी द्वारा की जा रही है। गृह अनुदान उपलब्ध करा दिया गया है।
श्रावस्ती	बाढ़ के कारण कुल 118 परिवार बेघर हुए हैं। आवास आवंटन की कार्यवाही गतिशील है। प्रभावित परिवारों को बसाये जाने हेतु भूमि क्रय करने की कार्यवाही जिलाधिकारी द्वारा की जा रही है। गृह अनुदान उपलब्ध करा दिया गया है।

उपरोक्तानुसार

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के घाटे का कारण वित्तीय संस्थाओं का कर्जा, कर्ज के बोझ के कारण वितरण में प्रभाव तथा घाटे को पूरा करने का सरकार का उपाय

'02–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन कितने घाटे में है तथा इस पर सरकार या अन्य वित्तीय संस्थाओं का कितना कर्जा है ? क्या कर्ज के बोझ के कारण से विद्युत उत्पादन तथा वितरण बुरी तरह से प्रभावित है ? यदि हां, तो इस घाटे को पूरा करने के लिये सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यासर शाह–

दिनांक 31 मार्च, 2013 के अंकेक्षित लेखों के अनुसार वितरण कम्पनियों का संचित घाटा रुपये 43378 करोड़ है। दिनांक 30–09–2014 तक बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं का रुपये 52297.48 करोड़ का कर्ज है।

जी नहीं।

वितरण कम्पनियों के घाटे को पूरा करने के लिये वित्तीय पुनर्गठन योजना बनाई गई है। यह योजना भारत सरकार एवं बैंकों द्वारा स्वीकृत करके लागू की जा चुकी है।

वित्तीय पुनर्गठन योजना के अन्तर्गत बकाया ऋणों में से रुपये 15810 करोड़ के ऋण राज्य सरकार द्वारा 3 वर्षों में ग्रहण किये जायेंगे तथा सरकार के अपने ऋणों को अंशपूंजी में परिवर्तित कर दिया जायेगा। बैंकों ने ऋणों की अदायगी की अवधि बढ़ा दी है तथा वर्ष 2012–13 से वर्ष 2014–15 की अवधि में वितरण कम्पनियों के घाटे की आंशिक प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जा रही है। ए0टी0 एण्ड सी0 हानियों को कम करने के लिये प्रभावी कार्यवाही प्रारम्भ की गई है तथा आपूर्ति लागत एवं टैरिफ के अन्तर को समाप्त करने का भी प्राविधान वित्तीय पुनर्गठन योजना में किया गया है। राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण आपूर्ति के लिये देय अनुदान में भी वृद्धि की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

(डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

बाजपेयी जी, अब प्रश्न पर आगे बढ़ गये हैं। आगे बढ़ गए अब नहीं। मा0 सुरेश कुमार खन्ना जी का सवाल है। बाजपेयी जी इस पर बहुत सवाल हो गया अब आप बैठिये। आप बहुत सीनियर और विद्वान सदस्य हैं अब आप बैठ जाइये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, दो सवाल आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार को पावर कारपोरेशन का कितना रुपया बकाये का देना है और दूसरा सवाल यह है कि मान्यवर बड़े बकायदारों पर कितना रुपया बकाया है और लाइन लॉस को कम करने के लिए इन्होंने क्या कार्रवाई की है।

श्री यासर शाह–

माननीय अध्यक्ष जी, तीन प्रश्न हैं। माननीय सदस्य महोदय के आखिरी सवाल का जवाब पहले देना चाहूंगा। मान्यवर, लाइन लॉस खत्म करने के लिए वित्तीय पुनर्गठन योजना लागू कर दी गई है जो कि केन्द्र सरकार से अप्रूव होकर आयी है। 05 साल के अंदर लाइन लॉस घटाकर इसकी सीमा के अन्दर ले आयेंगे इसके लिए हम आज सदन को यह आश्वस्त करना चाहते हैं और जो विद्युत वितरण कंपनियों के 31 मार्च 2013 तक के संचित घाटे का ब्योरा है। वह 43378.6 करोड़ रुपया है और दिनांक 30–09–2014 को बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं का रुपये 52297.48 करोड़ कर्ज का है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

उत्तर प्रदेश सरकार को पावर कार्पोरेशन का कितना पैसा देना है और बड़े बकायदारों पर कितना पैसा बकाया है मान्यवर, इसका उत्तर ही नहीं आया है। मान्यवर, इस प्रश्न को प्रश्न एवं संदर्भ समिति को संदर्भित कर दें।

श्री अध्यक्ष–

मा0 मंत्री जी, यह सूचना है ? खन्ना जी बैठ जायें वह पढ़कर सुना रहे हैं।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर की स्थिति उत्पन्न हो गयी)

श्री अध्यक्ष–

खन्ना जी बैठे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

सरकार बकायेदार है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, सरकार बकायेदार है।

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, यह लोग मा0 खन्ना जी के प्रश्न को उठने नहीं देना चाहते इसलिए उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार को पावर कार्पोरेशन का 06 हजार करोड़ रुपया देना है। एक तरफ तो यह विद्युत मूल्य बढ़ा रहे हैं। जनता को सजा दे रहे हैं। बड़े बकायेदारों का 26 हजार करोड़ रुपया बकाया है। यह उनसे वसूली नहीं कर रहे हैं और जनता के ऊपर फिर से बोझ डाल रहे हैं और वह भी उन लोगों के ऊपर जो रेगुलर बिजली का बिल देते हैं। इसलिए मान्यवर, इसका समाधान होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों का समय समाप्त।

प्रदेश में विद्युत की मांग और वितरण में अन्तर की जानकारी एवं मांग के आधार पर विद्युत आपूर्ति की योजना की जानकारी

'03–श्री सतीश महाना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्युत की मांग और वितरण में कितना अन्तर है तथा कुल कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है एवं मांग के अनुरूप आपूर्ति के लिये सरकार द्वारा क्या योजना बनायी गयी है ? क्या सरकार उसका विस्तृत विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु विद्युत दरों का निर्धारण उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा–62, 64 में दिये गये प्राविधानानुसार लाइसेन्सी के ए0आर0आर0 तथा टैरिफ प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त किया जाता है। आयोग द्वारा उपरोक्त दर निर्धारण में लाइसेन्सी का हस्तक्षेप नहीं होता है।

'04–श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

ख्पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त,

उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग ने विद्युत संहिता, 2005 में संशोधन करके मलिन बस्तियों, झोपड़ पट्टियों और पटरी दुकानदारों को विद्युत कनेक्शन देने हेतु विद्युत दरों की कमी करना

'05–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 विद्युत नियामक आयोग ने विद्युत संहिता, 2005 में संशोधन करके मलिन बस्तियों, झोपड़ पट्टियों और पटरी दुकानदारों को भी विद्युत कनेक्शन देने का निर्देश दिया है ? यदि हां, तो इसका पूर्ण विवरण (संशोधन) क्या है तथा इसके लिये कौन–कौन से लोग अर्ह होंगे ? क्या इन गरीब लोगों की विद्युत दरों में भी कोई कमी की जायेगी ? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :–तारां0प्र0सं0–2 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

श्री अखिलेश यादव–

झुग्गी/हटमेंट्स/पटरी दुकानदारों हेतु केवल दो किलोवाट तक अस्थाई विद्युत संयोजन प्रीपेड मीटर के माध्यम से देने हेतु उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा माह अगस्त, 2014 में विद्युत वितरण संहिता 205 के प्रस्तर–4.4 (ए) में आवश्यक संशोधन किया गया है। इसके लिये आधार कार्ड/पैन कार्ड/राशन कार्ड/मतदाता पहचान–पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/राष्ट्रीयकृत बैंक के खातेदार, धारक ही अर्ह होंगे।

विद्युत दरों को स्वीकृत करने हेतु अधिकृत संस्था उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग ने प्रीपेड मीटर द्वारा संयोजित उपभोक्ताओं हेतु रेट चार्ज का 1.25 प्रतिशत छूट दिये जाने का प्राविधान किया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में गम्भीर रूप से घायलों को उक्त अस्पतालों में सी0टी0 स्कैन एवं एम0आर0आई0 की सुविधा प्रदान करने विषयक

'06–श्री मनीष असीजा–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों से बहुत बड़ी संख्या में गम्भीर रूप से घायलों को उक्त अस्पतालों में सी0टी0 स्कैन एवं एम0आर0आई0 की सुविधा न होने के कारण बड़े अस्पतालों में रेफर किया जाता है जिसके कारण अधिकांश घायल बड़े चिकित्सालयों तक पहुंचते–पहुंचते दम तोड़ देते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश के प्रत्येक जिला अस्पतालों में सी0टी0 स्कैन एवं एम0आर0आई0 मशीन की स्थापना करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन)–

जी नहीं।

प्रदेश के 18 मण्डलीय जिला अस्पतालों में सी0टी0 स्कैन मशीन स्थापित एवं क्रियाशील हैं तथा वित्तीय वर्ष 2013–14 में प्रदेश के 02 जिला अस्पतालों में सी0टी0 स्कैन मशीन लगाने हेतु वित्तीय स्वीकृत निर्गत की जा चुकी है।

उपकरणों की स्थापना प्रदेश सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सरकारी व निजी अस्पतालों से निकलने वाले कचरे के निस्तरण का प्रकरण

'07–डा0 धर्मपाल सिंह–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सरकारी व निजी अस्पतालों द्वारा वायो मेडिकल वेस्ट का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि उसके कारण अस्पतालों के आस–पास के इलाकों में संक्रमण रोगों की फैलने की आशंका बढ़ जाती है तथा पर्यावरण को भी नुकसान होता है ? यदि हां, तो क्या सरकार वायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट एण्ड हैडलिंग रूल्स 1998 के मुताबिक वायु, पानी को संक्रमित होने से बचाने के लिये इस अस्पताली कचरे को वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण के लिये कोई कार्य योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सरकारी व निजी अस्पतालों से निकलने वाले कचरे के निस्तारण का कार्य अस्पतालों द्वारा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कामन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी के माध्यम से बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स, 1998 के अनुसार कराया जा रहा है।

प्रदेश के नगरों, महानगरों एवं गांवों के करीब से गुजरने वाली नदियों के प्रदूषण से फैलने वाली बीमारियों को रोकने हेतु ठोस कदम उठाया जाना

'08–श्री लोकेन्द्र सिंह–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के नगरों, महानगरों एवं गांवों के करीब से गुजरने वाली प्रदूषण नदियों से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिये सरकार कोई ठोस कदम उठाकर प्रभावित हुये लोगों के स्वास्थ्य के लिये कोई कारगर नीति बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी हां। जनसंख्या और नित्य नये तकनीकों के प्रयोग से उपजे दबाव के कारण प्रदेश के नगरों, महानगरों एवं गांव से गुजरने वाली नदियों की इकोलॉजी प्रभावित होने के कारण नदियों का जल प्रदूषित होने की सम्भावना हो सकती है। नदियों के प्रदूषण के रोकथाम हेतु पर्यावरण विभाग एवं राज्य प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड द्वारा मानकों का निर्धारण किया जाता है तथा सम्बन्धित कार्यवाहियों का प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण पर्यावरण विभाग एवं राज्य प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड द्वारा किया जाता है। प्रदूषण से हो रही बीमारियों के इलाज के लिये प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र,

संयुक्त/जिला चिकित्सालय, मेडिकल कालेज एवं संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट स्थापित हैं, जिनमें प्रदूषण जनित बीमारियों के इलाज की उचित व्यवस्था है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में झोलाछाप डाक्टरों द्वारा खुलेआम इलाज/आपरेशन से मरीजों की जान व धन का शोषण रोकने की कार्यवाही की मांग

'09–डा0 अरुण कुमार–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में झोलाछाप डाक्टरों द्वारा खुलेआम इलाज/आपरेशन किया जा रहा है जिससे मरीजों की जान खतरे में पड़ने के साथ ही आर्थिक शोषण भी हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु मुख्य चिकित्साधिकारियों के बजाय किसी अन्य सक्षम एजेन्सी से कार्यवाही की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी नहीं। शासनादेश दिनांक 08–06–2012 में दिये गये निर्देशों के अनुसार जनपद स्तर पर जिला अधिकारी व पुलिस अधीक्षक के सहयोग से मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक टीम गठित करने के निर्देश हैं। उक्त टीम द्वारा नियमित अभियान चलाकर झोलाछाप/अनाधिकृत चिकित्सकों के विरुद्ध छापामार कार्यवाही करने के निर्देश हैं। साथ ही आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी आदि विधाओं के चिकित्सकों द्वारा भी एलोपैथी दवाओं का प्रयोग/आपरेशन आदि किये जाने, पकड़े जाने पर उनके विरुद्ध भी कठोर कार्यवाही किये जाने के निर्देश हैं। उक्त शासनादेश के अनुपालन में अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बहने वाली गोमती नदी का जलस्तर बढ़ाने का उपाय

'10–डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बहने वाली गोमती नदी से लखनऊ शहर की लगभग आधी आबादी को पेयजल की आपूर्ति होती है ? क्या यह सही है कि मई, 2014 से ही गोमती नदी का जल स्तर तेजी से घटना शुरू हो गया था और इस समय जल स्तर इतना अधिक गिर गया है कि उसका पानी पीने के लायक नहीं रह गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने गोमती नदी का जल स्तर बढ़ाने का कोई उपाय किया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)–

जी हां।

जी हां।

जी हां।

शारदा नहर की लखनऊ शाखा से महदोइया स्केप/बेहटा नाले के माध्यम से गोमती नदी में 100 क्यूसेक पानी देने की व्यवस्था की गई।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मानव अंग प्रत्यारोपण हेतु पंजीकृत चिकित्सा संस्थाओं की सूची की जानकारी तथा प्रदेश के नागरिकों को अंगदान हेतु प्रोत्साहित करने लिये सरकार का कदम

'11–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कहां–कहां गुर्दे तथा यकृत (लीवर) के प्रत्यारोपण की सुविधायें हैं तथा सरकारी संस्थाओं में इन पर लगभग कितना खर्च आता है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि प्रदेश के नागरिकों को अंगदान हेतु प्रोत्साहित करने के लिये सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत प्रदेश में पंजीकृत चिकित्सा संस्थाओं का विवरण निम्नलिखित है :–

गुर्दा प्रत्यारोपण हेतु–12

लीवर प्रत्यारोपण हेतु–02 (सूची संलग्न)[४]

एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में प्रत्यारोपण में अनुमानित खर्च–

गुर्दा प्रत्यारोपण हेतु रु0 2.50 से 3.50 लाख लगभग

लीवर प्रत्यारोपण हेतु रु0 10 से 15 लाख लगभग

गांधी मेमो0 एण्ड हास्पि0, के0जी0एम0यू0 लाखनऊ में–

गुर्दा प्रत्यारोपण हेतु रु0 1.00 से 1.50 लाख लगभग

वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा असाध्य रोग नियमावली, 2013 के अन्तर्गत असाध्य रोगों (कैंसर, हृदय रोग, लीवर, किडनी) की निःशुल्क उपचार सुविधा प्रदान की जाती है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत प्रदेश स्तर एवं जनपद स्तर पर मानव अंग प्रत्यारोपण हेतु प्राप्तकर्ता एवं दानकर्ता के सम्बन्ध में समस्त कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप अस्पताल स्तरीय समिति का गठन एवं इन अस्पतालों में प्रत्यारोपण की नैतिकता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है।

४ (देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ–282–283 पर)

वर्तमान में प्रदेश में मरणोपरान्त गुर्दे, यकृति (लीवर) तथा हृदय के प्रत्यारोपण हेतु कोई नीति निर्धारित नहीं है। नेत्र दान हेतु नीति निर्धारित है। नेत्र दान का प्रोत्साहन किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की भांति प्राइवेट नर्सिंग होम में भी विभिन्न प्रकार के इलाजों की जांच की शुल्क निर्धारित करने विषयक

'12–श्री दीपक पटेल–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की भांति प्राइवेट नर्सिंग होम में भी विभिन्न प्रकार के इलाज एवं जांच की शुल्क दर निर्धारित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी नहीं।

नैदानिक अधिष्ठानों के संचालन के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा पारित एवं अधिनियमित ''द क्लीनिकल स्टैब्लिशमेंट (रजिस्ट्रेशन एण्ड रेगुलेशन) एक्ट, 2010 (अधिनियम संख्या–23 सन् 2010)'' को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 08 फरवरी, 2011 को अंगीकार किया जा चुका है तथा उक्त ऐक्ट के प्राविधानों के तहत नियमावली के प्रख्यापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उक्त ऐक्ट में प्राइवेट नर्सिंग होम में विभिन्न प्रकार के इलाज एवं जांच की शुल्क दरें निर्धारित करने का कोई प्राविधान सम्मिलित नहीं है। अतः इस संबंध में निजी चिकित्सालयों में कराये जाने वाले इलाज एवं जांच की दरें निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में गरीबों को सस्ता इलाज देने के लिये जेनेरिक मेडिसिन बिक्री केन्द्र जनपद स्तर पर स्थापित करने की सरकार की योजना

'13–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गरीबों को सस्ता इलाज मुहैया कराने के लिये जेनेरिक मेडिसिन बिक्री केन्द्र जनपद स्तर पर स्थापित करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो इस कार्यक्रम को कब से लागू किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश सरकार चिकित्सालयों में आने वाले सभी मरीजों को उपचार हेतु निःशुल्क दवा उपलब्ध कराती है। अतः जनपद स्तर पर जेनेरिक मेडिसिन बिक्री केन्द्र खोले जाने की कोई योजना नहीं है।

जनपद गोरखपुर व देवरिया से लगी नदियों का पानी बाढ़ के समय अधिकांश पुराने व जर्जर बांधों को बचाने हेतु मजबूत बनाने तथा भूमि को बाढ़ में डूबने से रोकने की सरकार की योजना

'14–श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर व देवरिया में 50 प्रतिशत से अधिक भूमि बाढ़ में प्रतिवर्ष डूब जाती है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि गण्डक, गोर्रा, राप्ती व घाघरा नदियों के अधिकांशतः बंधे पुराने व जर्जर हो चुके हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से निपटने हेतु कोई कार्य योजना बनायी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होने वाली भूमि का क्षेत्रफल नदियों में जल की उपलब्धता तथा वर्षा की मात्रा पर निर्भर करता है।

प्रश्नगत नदियों के किनारे निर्मित अधिकांश बंधे पुराने हैं जिनका रख–रखाव वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कराया जाता है।

धन की उपलब्धता के अनुसार वर्तमान बांधों की मरम्मत एवं रख–रखाव तथा नये बाढ़ सुरक्षा कार्यों का निष्पादन एक सतत् प्रक्रिया है, जिसके अनुसार कार्य कराये जाते हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वन की संख्या कम होने के कारण वनों का संरक्षण एवं संवर्धन की सरकार की योजना

'15–श्री दलवीर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वनों की संख्या दिन–प्रतिदिन कम हो रही है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा वनों को बचाने हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

यद्यपि प्रदेश में वनावरण में कमी नहीं हुई है फिर भी वन विभाग, वन संरक्षण एवं सम्वर्धन के लिये सतत् प्रयत्नशील है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नगरों के सुव्यवस्थित विकास हेतु बनाये गये विकास प्राधिकरणों की भांति तहसील या ब्लाक स्तर पर ग्रामीण विकास प्राधिकरण बनाने की योजना की जानकारी

'16–श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नगरों के सुव्यवस्थित विकास हेतु बनाये गये विकास प्राधिकरणों की भांति तहसील या ब्लाक स्तर पर ग्रामीण विकास प्राधिकरण बनाकर गांवों का सुव्यवस्थित विकास कराया जाना सरकार सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो इसकी योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

उ0प्र0 नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 में ग्रामीण क्षेत्रों में विकास प्राधिकरण गठित किये जाने की कोई विधिक व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार का कोई प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में सिटीजन चार्टर लागू किये जाने की सरकार की योजना

'17–श्री अगयश राम सरन वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सिटीजन चार्टर लागू किये जाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य की जनता को निश्चित समय–सीमा के भीतर सेवायें प्रदान करने हेतु लोक सेवा प्रबन्धन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी अधिनियम, 2011 प्रख्यापित किया गया है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी नियमावली, 2011 दिनांक 23 दिसम्बर, 2011 भी बनाई गई है, जो पूरे प्रदेश में लागू है इसलिये पृथक से सिटीजन चार्टर एक्ट बनाये जाने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है।

'18–श्री धर्मपाल सिंह

ख्पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त,

अतारांकित प्रश्न

स्व0 डा0 विवेक स्वरूप श्रीवास्तव, चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिहोरिया, पिपराईच, गोरखपुर की मृतक आश्रित श्रीमती शक्ति स्वरूप श्रीवास्तव को सेवायोजित करने विषयक

01–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व0 डा0 विवेक स्वरूप श्रीवास्तव, चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिहोरिया, पिपराईच, गोरखपुर की सेवाकाल में ही दिनांक 03–07–2014 को देहान्त हो जाने के उपरान्त मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर ने उनकी पत्नी श्रीमती शक्ति स्वरूप श्रीवास्तव की कनिष्ठ सहायक (लिपिक) पद पर मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति हेतु महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, गोरखपुर को पत्रांक–मृ0आ0/ नियुक्ति/2014/11873, दिनांक 13–8–2014 को प्रेषित किया है ? यदि हां, तो क्या श्रीमती शक्ति स्वरूप श्रीवास्तव को नियुक्ति प्रदान कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक उन्हें नियुक्ति प्रदान कर दी जायेगी ?

श्री अहमद हसन–

जी हां।

जी नहीं।

शासनादेश संख्या–4409/सेक–4–पांच–2011–जी(52)/2005, दिनांक 26–12–2011 के अनुसार वर्तमान में कनिष्ठ लिपिक के पद पर सेवायोजन पर रोक है। उक्त शासनादेश में निहित प्राविधानों के अनुसार ऐसे मृतक आश्रित जो कनिष्ठ लिपिक हेतु आवेदन करते हों तथा इण्टरमीडिएट विज्ञान वर्ग के हों उन्हें परिवार कल्याण विभाग के कनिष्ठ लिपिक के पद के समकक्ष बी0एच0डब्लू (पुरुष/महिला) पद पर सेवायोजित किये जाने का प्राविधान है। मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अनुसार श्रीमती शक्ति स्वरूप श्रीवास्तव बी0एच0डब्लू0 (महिला) पद हेतु शैक्षिक अर्हता नहीं रखती हैं। अतएव उन्हें बी0एच0डब्लू0 (महिला) पद पर सेवायोजित नहीं किया जा सकता।

सदर महिला अस्पताल बस्ती में परिसर के अन्दर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में

02–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के सदर महिला अस्पताल में मरीजों को पीने के लिये शुद्ध जल का उचित प्रबन्ध न होने के कारण अस्पताल परिसर से बाहर जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार सदर महिला अस्पताल बस्ती में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी नहीं।

जिला चिकित्सालय बस्ती में मरीजों के पेयजल सुविधा हेतु आर0ओ0 प्लान्ट एवं 03 इण्डियन मार्का हैण्डपम्प स्थापित हैं। बोरिंग एवं ओ0एच0टी0 स्थापित एवं क्रियाशील है, जिससे शुद्ध जल की आपूर्ति सुचारु रूप से चल रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के ग्रामीण क्षेत्रों में अति घनी आबादी वाले गांवों/कस्बों में बरसात के दिनों में मच्छरों के प्रकोप से फैलने वाली बीमारियों के रोकथाम की योजना की जानकारी

03–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों के अति घनी आबादी वाले गांवों/कस्बों में बरसात के दिनों में मच्छरों के प्रकोप के बढ़ने से मच्छर जनित बीमारियां होने लगती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी रोकथाम के लिये कोई योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी नहीं। जनपदों में प्रतिवर्ष कार्य योजना बनाकर मच्छरजनित रोगों के बचाव, उपचार, नियंत्रण आदि की प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के तहसील रूधौली व भानपुर के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों को तहसील से निकटता को देखते हुए स्थानान्तरित करने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र, कृत कार्यवाही की जानकारी

04–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के तहसील रूधौली व भानपुर के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों को तहसील से निकटता को देखते हुए स्थानान्तरित करने विषयक मा0 मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 02–09–2013, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी नहीं। पत्र दिनांक 20–09–2013 प्राप्त हुआ है।

शासन के पत्र दिनांक 06–11–2013 द्वारा राजस्व परिषद् से आख्या मांगी गई। जिसके क्रम में राजस्व परिषद् द्वारा जिलाधिकारी, बस्ती से आख्या मांगी गई। जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 28–8–2014 को राजस्व परिषद् को आख्या प्रेषित की गई। जिस पर राजस्व परिषद् द्वारा आयुक्त, बस्ती मण्डल, बस्ती से उनके पत्र दिनांक 29–09–2014, 20–10–2014 तथा अनुस्मारक–पत्र दिनांक 10–11–2014 द्वारा औचित्यपूर्ण प्रस्ताव संस्तुति सहित उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। मण्डलायुक्त, बस्ती की आख्या प्राप्त होने पर राजस्व परिषद् स्तर से अपेक्षित कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ में हो रहे घोटाले की जांच उच्च स्तरीय कराने विषयक पत्र तथा उस पर की गई कार्यवाही की जानकारी

05–श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय के कम्प्यूटर संख्या–सी0एम0 / वि0को0 / एम0 / पी0जी0–10434997 / 2014, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ में रोजाना हो रहे नये तरीके के घोटालों की जांच उच्च स्तरीय कमेटी से कराये जाने से सम्बन्धित है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

समविषयक मुख्य मंत्री कार्यालय के कम्प्यूटर संख्या–सीएम / वि0को0 / एम0 / पी0जी0 10434987 / 2014 प्राप्त हुआ है।

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ द्वारा लुधियाना की फर्म मे0 न्यूकान स्विचगियर प्रा0लि0, लुधियाना से 80 नग 05 एमवीए पावर परिवर्तक की आपूर्ति हेतु अनुबन्ध किया गया था। उक्त क्रय से सम्बन्धित पूर्व में प्राप्त शिकायत के आधार पर पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ द्वारा मुख्य अभियन्ता स्तरीय जांच समिति से प्रकरण की जांच कराई गई। प्रकरण से सम्बन्धित सभी बिन्दुओं की गहनता से जांच करने के उपरान्त जांच अधिकारी द्वारा यह पाया गया कि मे0 न्यूकान स्विचगियर प्रा0लि0 लुधियाना द्वारा निविदा के साथ टाईप टेस्ट रिपोर्ट जमा की गई थी। फर्म द्वारा निविदा विशिष्टीकरण के अनुरूप सभी टाईप टेस्ट कराये गये हैं जिनकी मूलप्रति का निरीक्षण जांच अधिकारी द्वारा फर्म से मांगकर किया गया। यह भी पाया गया कि आपूर्ति से पूर्व सभी परिवर्तकों की दो चरणों में गहनता से जांच करने के पश्चात् ही निर्धारित मानकों को पूर्ण कराकर ही परिवर्तकों की आपूर्ति की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला मेरठ अस्पताल में कैंसर हृदयरोग एवं किडनी जैसी भयंकर बीमारियों के इलाज हेतु वर्ष 2014–15 के बजट में सम्मिलित करने हेतु मुख्य मंत्री के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

06–श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय के कम्प्यूटर संख्या–सी0एम0 / वि0को0 / एम0 / पी0जी0–10433127 / 2014, जो मेरठ जिला अस्पताल में कैंसर, हृदय रोग एवं किडनी जैसी बीमारियों के उपचार हेतु उच्चीकृत करने एवं वर्ष 2014–15 के बजट में सम्मिलित करने से सम्बन्धित है, उन्हें

प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी हां।

जिला चिकित्सालय, मेरठ में बेहतर चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराये जाने की मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत पी0एल0शर्मा, जिला चिकित्सालय, मेरठ के शासनादेश संख्या–45/1877/पांच–6–14–72 (जी)/14, दिनांक 22–09–14 द्वारा रु0 91.99 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति एवं रु0 46.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति आई0सी0यू0 भवन के निर्माण के लिये निर्गत कर दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ के दिल्ली रोड पर एक उच्च स्तरीय ट्रामा सेन्टर स्थापित करने हेतु प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

07–श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय के कम्प्यूटर संख्या–सी0एम0/वि0को0/ एम0/पी0जी0–10433136/2014, जो मेरठ जनपद के दिल्ली रोड स्थित भूडबराल के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा भूडबराल से ककड़खेड़ा के मध्य एन0एच0 58 (बाईपास) पर एक उच्च स्तरीय ट्रामा सेन्टर बनवाने से सम्बन्धित पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी हां।

मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा दिनांक 10–11–12 को जनपद मेरठ भ्रमण के दौरान ट्रामा सेन्टर निर्माण कराये जाने की घोषणा की पूर्ति हेतु चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा मेडिकल कालेज मेरठ में ट्रामा सेन्टर लेवल–2 की स्थापना भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रीय सहायता से की जा रही है तथा इस हेतु चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा भारत सरकार से प्राप्त धनराशि रु0 80.00 लाख की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

मेरठ महानगर के गंगा नहर वेद व्यासपुरी, भोला रोड, रोहटा रोड एवं कंकरखेड़ा के आउटर क्षेत्र के पास नागरिकों को विद्युत कनेक्शन दिये जाने सम्बन्धी पत्र पर हुई कार्यवाही की जानकारी

08–श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय के कम्प्यूटर संख्या–सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0– 10434978/2014, जो मेरठ महानगर में गंगानगर वेदव्यास पुरी भोला रोड रोहटा रोड एवं कंकरखेड़ा के आउटर क्षेत्र के पास के

नागरिकों को विद्युत कनेक्शन दिये जाने से सम्बन्धित पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

मेरठ क्षेत्र के अन्तर्गत विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, मेरठ के कार्य क्षेत्र में गंगानगर, रोहटा रोड एवं कंकरखेड़ा के आउटर क्षेत्र आते हैं। गंगानगर क्षेत्र में नये संयोजन निर्गत किये जा रहे हैं तथा रोहटा रोड एवं कंकरखेड़ा के आउटर क्षेत्रों में एच0वी0डी0एस0 के अन्तर्गत 10 के0वी0ए0 का परिवर्तक लगाकर संयोजन निर्गत किये जा रहे हैं एवं विद्युत वितरण मण्डल, मेरठ के अन्तर्गत वेदव्यासपुरी, भोला रोड बिजलीघर आते हैं, जिनमें निगम नियमानुसार उपभोक्ताओं को विद्युत कनेक्शन दिये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ में मार्ग निर्माण कार्य कराये जाने से सम्बन्धित पत्र उस पर की गई कार्यवाही की जानकारी

09–श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय के कम्प्यूटर संख्या–सी0एम0/वि0को0/एम0/ पी0जी0–10434876/2014, जो जनपद मेरठ में मार्ग निर्माण कार्य कराये जाने से सम्बन्धित है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

मेरठ दक्षिण विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम काशी की कश्यप बस्ती तथा ग्राम सलेमपुर का विद्युतीकरण कराया जाना

10–श्री रविन्द्र भड़ाना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ में मेरठ दक्षिण विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम काशी की कश्यप बस्ती तथा ग्राम सलेमपुर का सरकार विद्युतीकरण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त ग्राम/बस्ती किसी भी योजना में चयनित नहीं है। विद्युतीकरण की किसी योजना में चयनित न होने के उपरान्त स्वीकृति एवं धन की उपलब्धता पर विद्युतीकरण कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

मेरठ जिले के भिकुण्डा (हस्तिनापुर) गंगा नदी पर पुल का निर्माण कार्य सेतु निगम से पुनः कराये जाने की मांग

11–श्री रविन्द्र भड़ाना–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ जिले के भिकुण्डा (हस्तिनापुर) गंगा नदी पर पुल का निर्माण कार्य सेतु निगम द्वारा पूर्ववर्ती सरकार में शुरू किया था जिसे वर्तमान सरकार द्वारा रोक दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुल का निर्माण पुनः शुरू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)–

जी नहीं।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जिला अस्पताल में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरा जाना

12–श्री मनीष असीजा–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद के जिला अस्पताल में चिकित्सकों के कितने स्थान रिक्त चल रहे हैं ? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

चिकित्सकों के छः पद रिक्त चल रहे हैं।

जी हां।

चिकित्सक उपलब्ध होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

फिरोजाबाद में विद्युत विभाग में ए0आर0पी0डी0आर0पी0 योजना के माध्यम से कार्य शुरू कराने की मांग

13–श्री मनीष असीजा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर फिरोजाबाद में विद्युत विभाग में ए0आर0पी0डी0आर0पी0 योजना लागू की गयी है ? यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत कब तक कार्य शुरू करा दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

उपरोक्त योजना के अन्तर्गत मेसर्स जे0एस0पी0 कन्सट्रक्शन अनुबन्ध हो गया है, सामग्री आपूर्ति कर, कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है। कार्य मार्च, 2016 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा में लोक निर्माण विभाग (सी0डी0–1) के अन्तर्गत राया से बल्देव मार्ग तथा मथुरा से सादाबाद मार्ग की मरम्मत में हुई अनियमितताओं की जांच टी0ए0सी0 कमेटी से कराने तथा दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

14–श्री पूरन प्रकाश–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में लोक निर्माण विभाग (सी0डी0–1) के अन्तर्गत राया से बल्देव मार्ग तथा मथुरा से सादाबाद मार्ग की मरम्मत में अनियमितताओं की जांच टी0ए0सी0 कमेटी द्वारा करायी गयी थी ? यदि हां, तो जांच में दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

निर्माण खण्ड–1 लो0नि0वि0, मथुरा के अन्तर्गत अन्य मार्गों के साथ–साथ राया से बल्देव मार्ग तथा मथुरा से सादाबाद मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण तथा मरम्मत कार्यों की टी0ए0सी0 जांच करायी गई थी।

राया से बल्देव मार्ग तथा मथुरा से सादाबाद मार्ग की टी0ए0सी0 जांच में 03 अधिशासी अभियन्ता, 03 सहायक अभियन्ता एवं 09 अवर अभियन्ता प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये। इनमें से 01 अधिशासी अभियन्ता सेवानिवृत्त हो गये हैं, जिनके विरुद्ध सी0एस0आर0 के अनुच्छेद 351–ए के अन्तर्गत शासन के आदेश दिनांक 02–9–2014 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही की गई है। अन्य 02 अधिशासी अभियन्ताओं एवं 03 सहायक अभियन्ताओं के विरुद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–1999 के नियम–7 के अन्तर्गत शासन के आदेश दिनांक 02–09–2014 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए उन्हें निलम्बित किया गया है। 09 अवर अभियन्ताओं के विरुद्ध उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु शासन के पत्र दिनांक 02–09–2014 द्वारा उनके नियुक्ति प्राधिकारी प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ को निर्देशित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा में ब्लाक बल्देव के नगला बदला से कन्जौली घाट सड़क (वाया नगला बैर, नौहा) लगभग 3 कि0मी0 सड़क का निर्माण का प्रकरण

15–श्री पूरन प्रकाश–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में ब्लाक बल्देव के नगला बदना से कन्जौली घाट सड़क (वाया नगला बैर, नौहा) लगभग 3 कि0मी0 सड़क का नवनिर्माण/मरम्मत न होने से क्षेत्रवासियों का आवागमन बाधित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित क्रमशः नगला बदला, नगला–बैर, नोहा मार्ग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

नगला बैर से मंडौरा कन्जौली घाट मार्ग तक लम्बाई 2.50 कि0मी0 (कच्चा भाग) का नवनिर्माण लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा में नेशनल हाई–वे स्थित बाबा जय गुरूदेव आश्रम के पास विद्युत उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

16–श्री पूरन प्रकाश–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में नेशनल हाई–वे स्थित बाबा जय गुरूदेव आश्रम के पास विद्युत उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि का प्रश्नकर्ता का पत्रांक–104/रालोद/ विमद/2014, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र जय गुरुदेव (मथुरा) की क्षमता 2ग10 एम0वी0ए0 है तथा इसे 132 के0वी0 विद्युत उपसंस्थान औरंगाबाद से डांग कण्डक्टर पर बनी 33 के0वी0 पोषित किया जा रहा। यह विद्युत उपसंस्थान पूर्णतः भारित है। तकनीकी रूप से इस उप संस्थान की क्षमतावृद्धि की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

वर्तमान में सलेमपुर, सांख रोड, मथुरा पर 2ग5 एम0वी0ए0 क्षमता का नया विद्युत उप संस्थान आर–ए0पी0डी0आर0पी0 पार्ट–बी योजना के अन्तर्गत निर्माण किया जाना है, जिसके लिये भूमि उपलब्ध हो चुकी है, यह कार्य लगभग एक वर्ष में पूर्ण हो जायेगा। उक्त नये विद्युत उपसंस्थान का निर्माण होने के उपरान्त 33/11 के0वी0 विद्युत उप संस्थान जय गुरुदेव का लगभग 4 एम0वी0ए0 भार नये विद्युत उप संस्थान पर स्थानान्तरित हो जायेगा तथा जय गुरुदेव विद्युत उप संस्थान (मथुरा) से भविष्य में और अधिक विद्युत भार अवमुक्त किये जाने की सम्भावना हो जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा में लोक निर्माण विभाग के सी0डी0–1 शाखा द्वारा लक्ष्मीनगर से गौशाला (गोकुल बैराज) तक लगभग 9 कि0मी0 नवनिर्माण सड़क का कार्य पूरा कराया जाना

17–श्री पूरन प्रकाश–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में लोक निर्माण विभाग के सी0डी0–1 शाखा द्वारा लक्ष्मीनगर से गौशाला (गोकुल बैराज) तक लगभग 9 कि0मी0 लम्बी सड़क का अभी पिछले माह पुनर्निर्माण कराया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इसके नवनिर्माण में लक्ष्मीनगर की तरफ लगभग 2 किमी0 बिना नवनिर्माण के सड़क को छोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवशेष 2 कि0मी0 सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग की कुल लम्बाई 8.80 कि0मी0 के सापेक्ष मात्र 7.12 किमी0 सड़क का पुनर्निर्माण कराया गया है।

जी हां।

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा में राया सादाबाद मार्ग से अनौड़ा, बिजहारी, व्यौही सड़क मार्ग के निर्माण का प्रकरण

18–श्री पूरन प्रकाश–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में लोक निर्माण विभाग की सी0डी0–1 शाखा के अन्तर्गत (ब्लाक राया) राया सादाबाद मार्ग से अनौड़ा, बिजहारी, ब्यौही सड़क मार्ग जिसकी लम्बाई लगभग 4 कि0मी0 तथा नगला पीता से पडरारी तक सड़क मार्ग जिसकी लम्बाई 2 कि0मी0 है, रख–रखाव के अभाव में पूर्ण रूपेण जर्जर होने के कारण आवागमन अवरुद्ध हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क मार्गों की मरम्मत/पुनःनिर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

राया सादाबाद मार्ग से अनौड़ा, बिजहारी, ब्यौही सड़क मार्ग कहीं–कहीं अधिक क्षतिग्रस्त हो गये हैं। नगला पीता से पडरारी तक के कच्चे मार्ग पर लोक निर्माण विभाग का स्वामित्व नहीं है।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद अलीगढ़ के ग्राम दौरऊ ब्लाक चण्डौस में स्थापित उप स्वास्थ्य केन्द्र का भवन का पुनर्निर्माण कराया जाना

19–श्री दलवीर सिंह–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के ग्राम दौरऊ ब्लाक चण्डौस में स्थापित उप स्वास्थ्य केन्द्र का भवन जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भवन का पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी हां।

नियमानुसार उक्त भवन को निष्प्रयोज्य घोषित करने की कार्यवाही कराकर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करते हुए पुनर्निर्माण की कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में टी0बी0, कैंसर, ह्रदय रोग आदि जैसे गम्भीर रोगों से ग्रसित गरीब लोगों के मुफ्त इलाज का वित्तीय वर्ष 2012–13 तथा 2013–14 में रोगियों को हुए लाभ की जानकारी

20–श्री दलवीर सिंह–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में टी0बी0, कैंसर, ह्रदय रोग आदि जैसे गम्भीर रोगों से ग्रसित गरीब लोगों के मुफ्त इलाज एवं सहायता की व्यवस्था प्रदेश सरकार द्वारा की गयी है ? यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 2012–13 व 2013–14 में कितने रोगियों को इसका लाभ प्राप्त हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी हां।

वर्ष 2012 में 2,71,000 तथा वर्ष 2013 में 2,57,000 क्षय रोगियों को लाभान्वित किया गया है।

उत्तर प्रदेश में असाध्य रोगों के निःशुल्क उपचार हेतु नियमावली, 2013 के अन्तर्गत चार श्रेणी की बीमारियों (कैंसर, ह्रदय रोग, यकृत रोग एवं गुर्दा रोग) के अस्पताल में भर्ती रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 2012–13 व 2013–14 में अब तक इस योजना के अन्तर्गत 6168 रोगियों को इसका लाभ उपलब्ध कराया गया है।

उक्त के अतिरिक्त राज्य आरोग्य निधि के अन्तर्गत रु0 1.50 लाख की धनराशि स्वीकृत करने का प्राधिकार सम्बन्धित जिलाधिकारी को एवं रु0 1.50 से अधिक की धनराशि के सम्बन्ध में अपेक्षित संस्तुति प्राप्त होने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय आरोग्य निधि अथवा राज्य आरोग्य निधि से लाभ अनुमन्य किये जाने की व्यवस्था है।

इसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में कुल 26 एवं वित्तीय वर्ष 2013–14 में कुल 38 पात्र रोगियों के उपचार हेतु लाभ अनुमन्य करने के लिये राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार संस्तुति प्रेषित की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद के क्षेत्र मोदीनगर में ग्राम गदाना से चपभोला राजवाहे की पटरी मार्ग मोदीनगर कलछीना मार्ग आदि क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराया जाना

21–श्री सुदेश शर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मोदी नगर जनपद गाजियाबाद में ग्राम गदाना से चपभोला राजवाहे की पटरी मार्ग मोदीनगर कलछीना मार्ग तक एवं एन0एच0 58 पर मोदी नगर सेन्दा रोड नगर के पुल तक के मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त होने के कारण आवागमन में भारी असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, जिसके कारण आवागमन में असुविधा हो रही है।

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद के क्षेत्र मोदीनगर के ब्लाक भोजपुर स्थित राजवाहा चपभोला के तिवड़ा रोड आदि ग्रामों की सड़कों का निर्माण कराया जाना

22–श्री सुदेश शर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मोदी नगर जनपद गाजियाबाद के ब्लाक भोजपुर स्थित राजवाहा चपभोला के तिवड़ा रोड पुल से ग्राम तिबड़ा होते हुए ग्राम जहांगीरपुर तक रोड अत्यन्त क्षतिग्रस्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गाजियाबाद के क्षेत्र मोदीनगर के ब्लाक भोजपुर में तिवड़ा रोड पर रजवाहे के पुल से ग्राम खंजरपुर तक के मार्ग का चौड़ीकरण तथा ठीक कराया जाना

23–श्री सुदेश शर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मोदी नगर जनपद गाजियाबाद के ब्लाक भोजपुर में तिवड़ा रोड पर रजवाहे के पुल से ग्राम खंजरपुर तक का मार्ग क्षतिग्रस्त होने से क्षेत्रवासियों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ? यातायात के अपेक्षाकृत चौड़ाई भी कम है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का चौड़ीकरण कराकर मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां, मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

जी नहीं।

चौड़ीकरण हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप न होने के कारण मार्ग का चौड़ीकरण अनुमन्य नहीं है। मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद गाजियाबाद के क्षेत्र मोदीनगर के अन्तर्गत कादराबाद नाले से 54 कि0मी0 के मध्य स्वीकृत पुलों का धन आवंटन कर पुलों का निर्माण कराया जाना

24–श्री सुदेश शर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मोदी नगर जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत कादराबाद नाले के कि0मी0 00.00 से कि0मी0 54.400 के मध्य स्वीकृत पुलों का धन आवंटित नहीं होने के कारण निर्माण नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त परियोजना हेतु धन आवंटित कर पुलों का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

जी हां।

जनपद मेरठ में कादराबाद नाले के कि0मी0 0.000 से कि0मी0 54.400 के मध्य पुलों के निर्माण की परियोजना कुल लागत रु0 10.27 करोड़ की स्वीकृत है। परियेाजना वित्त पोषण हेतु नाबार्ड को प्रेषित किये जाने की प्रक्रिया में है। परियोजना पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार धनावंटन कर कार्य कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया की तहसील देवरिया अन्तर्गत ग्राम गुद्दीजोर में भूमि आराजी संख्या–431 व 432, जो रास्ते की जमीन पर से अवैध कब्जा हटाया जाना तथा दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी

25–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया की तहसील देवरिया अन्तर्गत ग्राम गुद्दीजोर में भूमि आराजी संख्या–431 व 432, जो रास्ते की जमीन है पर कतिपय लोगों द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध कब्जे को हटाते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जनपद देवरिया, तहसील–देवरिया के अन्तर्गत ग्राम गुद्दीजोर में आ0सं0–431 रकबा 0.105 हे0 व आ0सं0–432क रकबा 0.190 हे0 रास्ते की भूमि है। आ0सं0 431 मौके पर पक्की सड़क है तथा आ0सं0–432 के रकबा 0.190 हे0 में से रकबा 0.012 हे0 पर श्री सत्यदेव पाण्डेय पुत्र श्री जुड़ावन पाण्डेय द्वारा पक्की ईंट की दीवार तथा पेड़ पौधे लगाकर अपने पक्के आवास के सामने सहन के रूप में कब्जा किया गया है।

अवैध कब्जे के विरुद्ध ज0वि0अधि0 की धारा–122बी के अन्तर्गत तहसीलदार (न्यायिक), देवरिया के न्यायालय में नियमानुसार वाद संख्या–157/14 ग्राम सभा बनाम सत्यदेव योजित किया गया है, जिसमें कार्यवाही प्रचलित है।

न्यायालय द्वारा आदेश पारित होने पर तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद अलीगढ़ में जिला कार्यक्रम प्रबन्ध व जिला लेखा प्रबन्धक द्वारा एन0आर0एच0एम0 के तहत चल रही योजनाओं में बड़े पैमाने पर वर्ष 2010 से अब तक भारी अनियमितताओं की जांच कराकर कार्यवाही की मांग

26–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में जिला कार्यक्रम प्रबन्ध व जिला लेखा प्रबन्धक द्वारा एन0आर0एच0एम0 के तहत चल रही योजनाओं में बड़े पैमाने पर वर्ष 2010 से अब तक भारी अनियमिततायें कर चुके हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जनपद अलीगढ़ में जिला कार्यक्रम प्रबन्धक व जिला लेखा प्रबन्धक द्वारा एन0आर0एच0एम0 के तहत चल रही योजनाओं में वर्ष 2010 से अब तक किसी भी प्रकार की अनियमिततायें किये जाने की कोई शिकायत कार्यालय अभिलेखों के अनुसार प्राप्त नहीं हुई है और न ही कोई जांच आदि लम्बित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन के ब्लाक बड़रांव के अन्तर्गत ग्राम सभा कटिहारी पिच मार्ग से ग्राम सभा टकटेऊवां तक क्षतिग्रस्त सड़क को ठीक कराया जाना

27–श्री उमेश पाण्डेय–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन के ब्लाक बड़रांव के अन्तर्गत ग्राम सभा कटिहारी पिच मार्ग से ग्राम सभा टकटेऊवां तक (ल0 लगभग 3.0 किलो मीटर) सड़क अत्यधिक क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त क्षतिग्रस्त सड़क पर लेपन कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

ग्राम सभा कटिहारी पिच मार्ग से ग्राम सभा टकटेऊवां तक मार्ग की वास्तविक लम्बाई 1.80 किलोमीटर है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मऊ के क्षेत्र मधुबन के ब्लाक बड़रांव के अन्तर्गत ग्राम सभा कटिहारी पिच मार्ग से ग्राम सभा ओखीपुर तक क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराया जाना

28–श्री उमेश पाण्डेय–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन के ब्लाक बडरांव के अन्तर्गत ग्राम सभा कटिहारी पिच मार्ग से ग्राम सभा आंखीपुर तक (ल0 लगभग 4.0 किलो मीटर) सड़क अत्यधिक क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त क्षतिग्रस्त सड़क पर लेपन कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

ग्राम सभा कटिहारी पिच मार्ग से ग्राम सभा ओंखीपुर तक मार्ग की वास्तविक लम्बाई 2.150 कि0मी0 है, जो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद हाथरस के तहसील सदर हाथरस के अन्तर्गत ग्राम नगला अलगर्जी से ग्राम कुण्डा तक क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराया जाना

29–श्री रामवीर उपाध्याय–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के तहसील सदर हाथरस के अन्तर्गत ग्राम नगला अलगर्जी से ग्राम कुण्डा तक सम्पक्र मार्ग क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पक्र मार्ग की मरम्मत/डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

सम्पर्क मार्ग की मरम्मत/डामरीकरण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद हाथरस के विकास खण्ड हसायन के अन्तर्गत ग्राम पोरा से ग्राम नगला मसंद तक के सम्पर्क मार्ग की मरम्मत

30–श्री रामवीर उपाध्याय–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के विकास खण्ड हसायन के अन्तर्गत ग्राम पोरा से ग्राम नगला मसंद तक के सम्पर्क मार्ग क्षतिग्रस्त है, जिससे नागरिकों को असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

सम्पर्क मार्ग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद हाथरस की तहसील सिकन्दराराऊ के ग्राम बमनहार से रेलवे स्टेशन सिकन्दराराऊ तक क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग की मरम्मत किया जाना

31–श्री रामवीर उपाध्याय–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस की तहसील सिकन्दराराऊ के ग्राम बमनहार से रेलवे स्टेशन सिकन्दराराऊ तक के सम्पक्र मार्ग क्षतिग्रस्त है जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त सम्पक्र मार्ग का निर्माण अथवा डामरीकरण करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

सम्पर्क मार्ग का निर्माण/डामरीकरण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद हाथरस के विकास खण्ड हसायन के अन्तर्गत ग्राम करारमई से ग्राम बपण्डई तक क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग को ठीक कराया जाना

32–श्री रामवीर उपाध्याय–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के विकास खण्ड हसायन के अन्तर्गत ग्राम करारमई से ग्राम बपण्डई तक के सम्पर्क मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त है जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त कच्चे सम्पक्र मार्ग का डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

जी नहीं।

उपर्युक्तानुसार।

ग्राम करारमई से ग्राम बपण्डई के मध्य कच्चा मार्ग है परन्तु करारमई एवं बपण्डई पूर्व से लेपित मार्गों से जुड़े हैं। इन्हें आपस में जोड़ा जाना वर्तमान में शासन की प्राथमिकता में नहीं है।

जनपद शाहजहांपुर की विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड तिलहर में निगोही तिलहर सड़क से बढ़ेपुर होते हुए जोगीपुर तक क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराना

33–श्री रोशन लाल वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर की विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड तिलहर में निगोही तिलहर सड़क से बढ़ेपुर होते हुए जोगीपुर तक सड़क क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

मार्ग की मरम्मत वित्तीय संशाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर की विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड तिलहर में बिहारीपुर सुनौरा मार्ग से हुसैनापुर तक क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराना

34–श्री रोशन लाल वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर की विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड तिलहर में बिहारीपुर सुनौरा मार्ग से हुसैनापुर तक सड़क क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी नहीं। कच्चा मार्ग है।

ग्राम हुसैनापुर की आबादी 500 से कम होने के कारण वर्तमान में उक्त मार्ग निर्माण शासन की प्राथमिकता में नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर की विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड तिलहर में नेशनल हाई–वे से फिरोजपुर तक क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण किया जाना

35–श्री रोशन लाल वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर की विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड तिलहर में नेशनल हाई–वे से फिरोजपुर तक सड़क क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

मार्ग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जिला शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड में स्थित प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सीय उपकरण मरीजों के इलाज हेतु उपलब्ध कराने का प्रकरण

36–श्री रोशन लाल वर्मा–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड में स्थित प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्रों में किसी भी तरह के चिकित्सीय उपकरण उपलब्ध नहीं है जिससे मरीजों को इलाज कराने में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में प्रा0 स्वास्थ्य व केन्द्रों में चिकित्सीय उपकरण उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

प्राथ0 स्वा0 केन्द्रों में आवश्यकतानुसार उपकरण उपलब्ध है एवं प्रश्नगत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र क्रियाशील है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड 53 रामपुरम् के म0 नं0–99 ए निकट अलीबाबा फर्नीचर के पास खम्भों पर विद्युत तार खिंचवा करके विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना

37–श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड 53 रामपुरम के म0 नं0–99 ए निकट अलीबाबा फर्नीचर के पास खम्भों पर विद्युत तार न होने से जनता को परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त खम्भों पर तार खिंचवाकर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

कानपुर नगर के छावनी क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड–53 रामपुरम्, सोसाइटी के द्वारा विकसित की गई है एवं सोसाइटी/विकासकर्ता के द्वारा स्वयं खम्भे लगाये गये हैं। उपरोक्त खम्भों पर तार लगाने का कार्य सोसाइटी/विकासकर्ता के द्वारा ही किया जाना है। सोसाइटी द्वारा तार आदि लगाये जाने के उपरान्त विद्युत आपूर्ति/ऊर्जीकृत कर दी जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में 1973 के पहले के इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की भूमियों को फ्री–होल्ड कराने की शासन की कोई नीति के अनुसार लखनऊ, कानपुर तथा इलाहाबाद की भूमि फ्री होल्ड करने की दरों की जानकारी

38–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 1973 के पहले के इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की भूमियों को फ्री–होल्ड करने की शासन की कोई नीति है ? यदि हां, तो वह नीति क्या है और प्रदेश के लखनऊ, कानपुर तथा इलाहाबाद में वर्ष 2009–10, 2010–11 तथा वर्ष 2013–14 में कितने लोगों की कितनी भूमि फ्री–होल्ड की गई है तथा उनकी दरें क्या थीं ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

प्रदेश के महानगरों, नगरों में प्राधिकरण के पूर्व इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा विकसित आवासीय योजनाओं में दी गई भूमि के फ्री–होल्ड, प्रबन्धन व निस्तारण किये जाने आदि का प्राविधान शासनादेश संख्या–1639/9–आ–1–95–80मिस/86, दिनांक 10 मई, 1995 तथा शासनादेश संख्या–3585/9–आ–1–95–80मिस/86, दिनांक 21 सितम्बर, 1995 द्वारा किया गया है। उक्त शासनादेशों में जिन आवंटियों को पूर्व में लीज पर भूखण्ड आवंटित किये जा चुके हैं, उनसे भूमि के रजिस्ट्रेशन मूल्य का 02 प्रतिशत शुल्क लेकर तथा नये आवंटियों से भूमि के मूल्य की 12 प्रतिशत शुल्क लेकर फ्री–होल्ड किये जाने की व्यवस्था है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2009–10 में 21 आवंटियों की 93,506 वर्गफुट, वर्ष 2010–11 में 10 आवंटियों की 37,836.73 वर्गफुट तथा 2013–14 में 01 आवंटी की 3720 वर्गफुट भूमि फ्री–होल्ड की गई। प्राधिकरण द्वारा भूखण्ड का फ्री–होल्ड प्रीमियम मूल्य 12 प्रतिशत शुल्क तथा जिन प्रकरणों में 10 प्रतिशत एकमुश्त लीज रेंट जमा था, उनसे 02 प्रतिशत शुल्क की दर से फ्री–होल्ड किया गया।

कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2009–10 में 03 भूखण्डों की वर्ष 2010–11 में 02 भूखण्डों की एवं वर्ष 2013–14 में 03 भूखण्डों अर्थात् कुल 08 भूखण्डों, जिनका क्षेत्रफल 7350 वर्ग गज है, को फ्री–होल्ड किया गया। प्राधिकरण द्वारा जिन आवंटियों द्वारा सम्पूर्ण लीज रेंट जमा कर दिया है, से भूमि के रजिस्ट्रेशन मूल्य का 02 प्रतिशत शुल्क लेकर एवं जिन भूखण्डों में सम्पूर्ण लीज रेंट जमा नहीं है, में भूखण्ड की कीमत का 12 प्रतिशत फ्री–होल्ड शुल्क जमा कराकर फ्री–होल्ड किया गया है।

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2009–10 व 2010–11 में कोई फ्री–होल्ड नहीं किया गया है, जबकि वर्ष 2013–14 में कुल 4120.00 वर्गमीटर की भूमि वर्तमान सक्रिल रेट की 02 प्रतिशत धनराशि जमा कराकर फ्री–होल्ड की कार्यवाही की गई।

श्री नरेन्द्र सिंह यादव, राज्य मंत्री, होमगार्ड्स, प्रान्तीय रक्षक दल एवं व्यवसायिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री को सम्बोधित पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

39–श्री पंकज गुप्ता–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री नरेन्द्र सिंह यादव, राज्य मंत्री, होमगार्ड्स, प्रान्तीय रक्षक दल एवं व्यवसायिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश का पत्र

सं0–वी0आई0पी0/ 817/रा0मं0/हो0गा0/प्रारवर0द0/व्या0शि0/13, दिनांक 10 मई, 2013 जो स्वास्थ्य मंत्री को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में वर्णित बिन्दु क्या हैं ? क्या उक्त पत्र पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री द्वारा दिये गये आदेश के अनुरूप महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया गया है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्या इसके लिये दोषी कर्मचारियों/ अधिकारियों के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करेगी ?

श्री अहमद हसन–

जी हां।

श्री नरेन्द्र सिंह यादव, मा0 राज्य मंत्री, होमगार्ड्स प्रान्तीय रक्षक दल, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 10 मई, 2013 के साथ श्रीमती मंजू शर्मा पत्नी श्री नन्दलाल शर्मा, बी0सी0जी0 टेक्नीशियन का प्रत्यावेदन उपलब्ध कराया गया था, जिसमें श्री शर्मा के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की निष्पक्ष जांच करवाने एवं जांच पूर्ण होने तक अन्यत्र स्थानान्तरित न किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त प्रकरण पर नियमानुसार समुचित आदेश देने का अनुरोध मा0 राज्य मंत्री ने किया है।

सूचना एकत्र की जा रही है।

सूचना एकत्र की जा रही है।

सूचना एकत्र की जा रही है।

मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र संख्या–24675/ओ0एस0डी0 (जे0)/सी0एम0/2013, दिनांक 08 जुलाई, 2013 जो प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य को सम्बोधित पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

40–श्री पंकज गुप्ता–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र संख्या–24675/ओ0एस0डी0 (जे0)/सी0एम0/2013, दिनांक 08 जुलाई, 2013 जो प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी हां।

महानिदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या–4डी(2)/4609/2000/6136, दिनांक 13–11–2014 द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह लैब टेक्नीशियन के विरुद्ध जांचोपरान्त अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र संख्या–24055/ओ0एस0डी0 (जे0)/सी0एम0/2013, दिनांक 03 जुलाई, 2013 जो प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य को सम्बोधित पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

41–श्री पंकज गुप्ता–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र संख्या–24055/ओ0एस0डी0 (जे0)/सी0एम0/2013, दिनांक 03 जुलाई, 2013 जो प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी हां।

महानिदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या–4डी(2)/4609/2000/6136, दिनांक 13–11–2014 द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह लैब टेक्नीशियन के विरुद्ध जांचोपरान्त अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के गन्ना अनुसंधान केन्द्र को अपग्रेड करने की योजना की जानकारी

42–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के गन्ना अनुसंधान केन्द्र को अपग्रेड करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो इसे कब तक अपग्रेड कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

प्रश्न की प्रकृति को देखते हुए सूचना संकलित की जा रही है।

प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों की नष्ट होने वाली फसलों पर मुआवजा दिये जाने की राशि में बढ़ोत्तरी किया जाना

43–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों की नष्ट होने वाली फसलों पर कितना मुआवजा दिये जाने का प्राविधान है ? क्या सरकार फसलों की लागत राशि में भारी वृद्धि को देखते हुए मुआवजा की धनराशि में वृद्धि करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

भारत सरकार गृह मंत्रालय के पत्र संख्या–32–3/2013, एन0डी0एम0–1, दिनांक 21–06–2013 द्वारा संशोधित मदों/दरों का प्रावधान निम्नवत् है :–

कृषि निवेश अनुदान (जहां पर फसल का नुकसान 50 प्रतिशत या इससे अधिक हुआ हो)।

(क) कृषि फसलों, बागवानी फसलों, वार्षिक वृक्षारोपण फसलों के लिये।	रु0 4,500/– प्रति हेक्टेयर वर्षा असिंचित क्षेत्र में। रु0 9,000/– प्रति हेक्टेयर सुनिश्चित सिंचित क्षेत्र में।
	(क) बिना बोये हुए क्षेत्र में अथवा परती भूमि में कृषि निवेश अनुदान अनुमन्य नहीं होगा। (ख) लघु किसानों को न्यूनतम भू–भाग पर भी सहायता के रूप में दी जाने वाली धनराशि न्यूनतम रु0 750/– होगी।
(ख) बारहमासी फसलें	रु0 12,000/– प्रति हेक्टेयर सभी प्रकार की बारहमासी फसलों के लिये।
	(क) बिना बोये हुए क्षेत्र में अथवा परती/बंजर भूमि में कृषि निवेश अनुदान अनुमन्य नहीं होगा। (ख) लघु किसानों को न्यूनतम भू–भाग पर भी सहायता के रूप में दी जाने वाली धनराशि रु0 1,500/– से कम नहीं होगी।
(ग) रेशम उत्पादन	3,200/– प्रति हेक्टेयर : इरी, मलबरी और टसर के लिये रु0 4,000/– प्रति हेक्टेयर मूंगा के लिये।

देवी आपदा से होने वाली क्षति के सापेक्ष मानकों/दरों का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में वित्तीय वर्षों 2012–13 तथा 2013–14 में पौध रोपण पर व्यय धनराशि की जानकारी तथा जीवित/मृत पौधों की स्थिति की जानकारी

44–डा0 अरुण कुमार–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वित्तीय वर्षों 2012–13 तथा 2013–14 में पौध रोपण पर कितना धन खर्च किया गया ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त अवधि में रोपे गये कितने पौधे मृत हो गये तथा कितने जीवित हैं ?

श्री अखिलेश यादव–

प्रदेश में वित्तीय वर्षों 2012–13 तथा 2013–14 में पौध रोपण पर निम्न प्रकार धनराशि व्यय की गई :–

वित्तीय वर्ष	धनराशि
2012–13	रु0 78.87 करोड़
2013–14	रु0 115.08 करोड़

प्रदेश में वित्तीय वर्षों 2012–13 तथा 2013–14 में कुल रोपे गये पौधों, मृत पौधों तथा जीवित पौधों का विवरण निम्नवत् है :–

वित्तीय वर्ष	रोपित पौधों की संख्या	मृत पौधों की संख्या	जीवित पौधों की संख्या
2012–13	38167329	4887852	33279477
2013–14	44374404	2647220	41727184

जनपद बुलन्दशहर की तहसील खुर्जा में राजस्व सम्बन्धी लम्बित वादों के कारण न्याय विलम्ब से मिलने के कारण शीघ्र निस्तारण की मांग

45–श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर की तहसील खुर्जा में राजस्व सम्बन्धी मुकदमें लम्बित होने के कारण वादियों को न्याय मिलने में विलम्ब हो रहा है ? यदि हां, तो क्या उक्त मुकदमों के शीघ्र निस्तारण हेतु राज्य सरकार कोई योजना बनाने का विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

राजस्व वादों के त्वरित निस्तारण हेतु कड़ाई से अनुपालन कराने के निर्देश समय–समय पर निर्गत किये गये हैं, तथापि कतिपय मामलों में न्यायिक प्रक्रिया के कारण जनसामान्य की अपेक्षानुसार त्वरित गति से निस्तारण नहीं हो पाता है।

राजस्व सम्बन्धी मुकदमें के शीघ्र निस्तारण हेतु राजस्व न्यायालयों के कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली की योजना प्रदेश के सभी मण्डल/जनपद/तहसील स्तरीय न्यायालयों में लागू की गई है। इस प्रबन्धन प्रणाली से राजस्व न्यायालयों में लम्बित सभी वादों, अपीलों तथा निगरानियों के समयबद्ध निस्तारण की दिशा में पारदर्शिता तथा प्रभावी नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण सम्भव हो सकेगा जिससे निस्तारण में अपेक्षित गति आयेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

बुलन्दशहर की तहसील खुर्जा में पट्टेधारक भूमि पट्टा आवंटन होने के 10 वर्ष पश्चात् असंक्रमणीय से संक्रमणीय भूमिधर बनाये जाने की मांग

46–श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर की तहसील खुर्जा में ऐसे पट्टे धारक हैं जिनको भूमि पट्टा आवंटन होने के दस वर्ष पश्चात् भी असंक्रमणीय से संक्रमणीय भूमिधर नहीं किया गया ? यदि हां, तो उन्हें कब तक संक्रमणीय भूमिधर बना दिया जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा–131 ख के अन्तर्गत कृषि पट्टे धारकों को नियमानुसार असंक्रमणीय से संक्रमणीय भूमिधर किये जा रहे हैं, किन्तु शोर भूमि में किये गये कृषि आवंटन के पट्टाधारकों के सम्बन्ध में राजस्व परिषद् से पत्र सं0–145(5) दिनांक 24–03–2014 द्वारा दिशा–निर्देश मांगे गये हैं। राजस्व परिषद् से दिशा–निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त कृषि पट्टे धारकों को असंक्रमणीय से संक्रमणीय भूमिधर किये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना/निर्माण खोलने हेतु धन का आवंटन

47–डा0 अरुण कुमार–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर वित्तीय वर्ष 2014–15 में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है ? क्या सरकार ने इन प्रा0 स्वा0 केन्द्रों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को खोलने हेतु धन आवंटित कर दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर प्रदेश में प्राथमिक स्वस्थ्य केन्द्रों व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना/निर्माण के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 11–02–14 द्वारा नई नीति निर्धारित की गई है। नवीन निर्धारित नीति के अनुसार प्रदेश में 1674 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व 719 नये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना/निर्माण की नीति है।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2014–2015 में प्रथम चरण में स्वीकृत 41 नग नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु रु0 2000.00 लाख व 53 नग नये सामु0स्वा0 केन्द्रों के लिये रु0 4813.18 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

निजी नलकूपों को ऊर्जीकृत करने की नीति तथा शाहजहांपुर समेत प्रदेश में प्राप्त प्रार्थना–पत्र का ऊर्जीकरण किये जाने की मांग

48–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निजी नलकूपों को ऊर्जीकृत करने की नीति क्या है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि शाहजहांपुर सहित प्रदेश में कुल कितने प्रार्थना–पत्र ऊर्जीकरण हेतु रसीद कटवाकर लम्बित है एवं इनको कब तक ऊर्जीकृत कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

प्रदेश के प्रत्येक जनपद में वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में निजी नलकूपों के जितने बी0 एण्ड एल0 फार्म लम्बित होते हैं उनकी संख्या के अनुसार तथा बजट में प्राविधानों के अनुरूप उनके ऊर्जाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। ऐसे प्रत्येक निजी नलकूप के ऊर्जीकरण के लिये रु0 68,000/– का अनुदान प्रदेश सरकार द्वारा करा दिया जाता है। संयोजन हेतु टी0सी0 धनराशि जमा होने के उपरान्त प्राथमिकतानुसार संयोजन निर्गत किया जाता है।

जनपद शाहजहांपुर में वर्ष 2014–15 में किसानों द्वारा 1367 प्रार्थना–पत्र सम्मिलित करते हुए प्रदेश में अक्टूबर, 2014 तक कुल 25646 बी0 एण्ड एल0 फार्म लम्बित हैं। उपर्युक्त लम्बित बी0 एण्ड एल0 फार्म में से लम्बित 13957 बी0 एण्ड एल0 फार्म का ऊर्जीकरण मार्च, 2015 तक लक्षित है। शेष का धनराशि प्राप्त होने पर ऊर्जीकरण सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

महाराणा प्रताप के वंशज गाडिया लोहारों की पूरे प्रदेश में जिलेवार गिनती कराकर आवासीय योजना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

49–श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महाराणा प्रताप के वंशज गाडिया लोहारों की पूरे प्रदेश में जिलेवार गिनती कराकर आवासीय योजना में भवन दिलाने विषयक मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज कम्प्यूटर संख्या–सी0एम0/वि0को0/एम0–पी0जी0–10438899/2014, दिनांक 05–03–2014, प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

उक्त पत्र पर आख्या प्राप्त की गई। उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् तथा विभिन्न विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित/निर्मित आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों/भू–खण्डों के आवंटन में आरक्षण प्रदान किये जाने विषयक निर्गत शासनादेशों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ावर्ग, मा0 विधायक/मा0 सांसद, सरकारी सेवक, स्थानीय निकायों के कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक एवं समाज के विकलांग व्यक्तियों को आरक्षण दिये जाने की व्यवस्था की गई है। उक्त वर्गीकरण के अन्तर्गत ही जातियों को सुविधा दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

स्वास्थ्य विभाग में दवा खरीद में घोटाले की जांच विषयक पत्र पर की गई कार्यवाही की जानकारी

50–श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग में दवा खरीद में घोटाले की जांच विषयक मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज कम्प्यूटर संख्या–सी0एम0/वि0को0/एम0– पी0जी0–10440239/2014, दिनांक 07–03–2014, प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी हां।

उच्च स्तरीय जांच कराई जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ में टीकाराम चमेली देवी अस्पताल की बिल्डिंग की साफ–सफाई करके पुनः चालू किये जाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

51–श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टीकाराम चमेली देवी अस्पताल की बिल्डिंग की साफ–सफाई कराकर एवं स्टाफ नियुक्त कर पुनः चालू कराने विषयक मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज कम्प्यूटर संख्या–सी0एम0/वि0को0/एम0–पी0जी0–10440094/2014, दिनांक 07–03–2014, प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी हां।

शासन द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्रकरण में तत्काल यथोचित नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

उल्लेखनीय है कि जनपद मेरठ में टीकाराम चमेली देवी अस्पताल की बिल्डिंग की साफ सफाई कराकर संविदा पर स्टाफ नियुक्त कर उसमें अरबन हेल्थ पोस्ट संचालित की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में स्थानान्तरण नीति के आधार पर जिलों में वर्षों से तैनात लेखपालों का स्थानान्तरण किया जाना

52–श्री मनीष असीजा–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध वर्षों से एक ही जिले में तैनात लेखपालों का स्थानान्तरण मण्डलीय स्तर पर करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी नहीं।

लेखपाल का संवर्ग जिला स्तरीय संवर्ग है। उ0प्र0 लेखपाल सेवा नियमावली, 2006 के नियम–24 (1) के अन्तर्गत जिला का कलेक्टर अपने विवेक से, जिला के भीतर किसी लेखपाल का स्थानान्तरण एक परगना से दूसरे परगना को कर सकता है और किसी परगना का प्रभारी सहायक कलेक्टर परगना के भीतर किसी लेखपाल का स्थानान्तरण एक हल्का से दूसरे हल्का को कर सकता है। वर्तमान नियमावली में लेखपालों को जनपद से बाहर स्थानान्तरण करने का प्राविधान नहीं है।

आगरा में प्रतिदिन आने वाले हजारों विदेशी पर्यटक ताजमहल व अन्य ऐतिहासिक स्मारकों के भ्रमण करके उसी दिन दिल्ली वापस जाने से पर्यटन उद्योग का प्रभावित होना

53–डा0 धर्मपाल सिंह–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में प्रतिदिन आने वाले हजारों विदेशी पर्यटक ताजमहल व अन्य ऐतिहासिक स्मारकों के भ्रमण के उपरान्त उसी दिन वापस दिल्ली लौट जाते हैं जिसके कारण आगरा का पर्यटन उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार आगरा के पर्यटन उद्योग को बढ़ाने के लिये विदेशी पर्यटकों के आगरा में रात्रि प्रवास हेतु कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यटन मंत्री (श्री ओम प्रकाश)–

आगरा में आने वाले विदेशी पर्यटक जिनके यात्रा कार्यक्रम में आगरा प्रवास नहीं होता है, वे उसी दिन विभिन्न गंतव्यों को प्रस्थान कर जाते हैं तथा जिन विदेशी पर्यटकों के यात्रा कार्यक्रम में आगरा प्रवास सम्मिलित होता है वे आगरा स्थित विभिन्न आवासीय इकाइयों में रात्रि प्रवास करते हैं। आवासीय इकाइयों में रात्रि प्रवास करने वाले विदेशी पर्यटकों की सूचना स्थानीय अभिसूचना इकाई में दर्ज होती है। स्थानीय अभिसूचना इकाई से प्राप्त विगत तीन वर्षों में होटलों में प्रवास करने वाले विदेशी पर्यटकों की सूचना निम्नवत् है :–

वर्ष	विदेशी पर्यटकों की संख्या
2011	401786
2012	450281
2013	403902

आगरा में पर्यटन को बढ़ावा देने तथा पर्यटकों को बेहतर सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु पर्यटन विभाग निरन्तर प्रयासरत है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के तहसील किरावली के ग्राम पंचायत डावली के गाटा संख्या–351 तथा गाटा संख्या–749 जो पशुचर के क्रम में दर्ज होने के बाद पी0एन0सी0 इन्फ्राटेक कम्पनी लि0 को किराये पर देने की शिकायत

54–डा0 धर्मपाल सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के तहसील किरावली के ग्राम पंचायत डावली के गाटा संख्या–351 तथा गाटा संख्या–749 जो कि 5–3 ग–कृषि योग्य बंजर स्थल पशुचर भूमि तथा अन्य चराई की भूमियां (पशुचर) के रूप में दर्ज हैं, के कितने क्षेत्रफल को पी0एन0सी0 इन्फ्राटेक कम्पनी लि0 को किराये पर दिया गया है ? क्या यह भी सरकार के संज्ञान में है कि उक्त कम्पनी द्वारा किराये पर ली गयी भूमि के साथ सम्पूर्ण गाटा संख्या की भूमि का उपयोग गिट्टी, कंक्रीट आदि का भण्डारण कर तथा पक्की सड़क बनाकर खुर्द–बुर्द किया जा चुका है तथा सरकार को राजस्व की क्षति पहुंचायी जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जनपद आगरा की तहसील किरावली के ग्राम डावली स्थित गाटा संख्या 351/2 रकबा 0.219 हे0 अकृषिक खाली पड़ी ऊसर भूमि को भूमि प्रबन्धक समिति, डावली द्वारा पारित प्रस्ताव दिनांक 26–3–2012 के क्रम में गांव सभा व जनहित में पी0एन0सी0 इन्फ्राटेक कम्पनी लि0 को तीन वर्ष के लिये अस्थाई रूप से डम्पर यार्ड आदि हेतु दी गई है।

गाटा संख्या–749 जो भू–अभिलेखों में श्रेणी–5–ग कृषि योग्य बंजर स्थाई पशुचर तथा अन्य चराई की भूमियां के रूप में दर्ज है, को उक्त कम्पनी तथा अन्य किसी को किराये पर नहीं दिया गया है और यह भूमि मौके पर खाली है तथा इस पर गांव सभा/राज्य सरकार का कब्जा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के क्षेत्र रूधौली के ग्राम कोहरा के पास से 40 क्यूसेक क्षमता की सरजू नहर से गई शाखायें मुख्य नहर से कई स्थानों पर कटी

55–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र रूधौली जनपद बस्ती के ग्राम कोहरा के पास से 40 क्यूसेक क्षमता की सरजू नहर से निकाली गई शाखायें अभी भी अपूर्ण हैं तथा मुख्य नहर भी कई स्थानों पर कटी हुई है ? यदि हां, तो

क्या सरकार त्वरित कार्यवाही कर अधूरी पड़ी शाखाओं को पूर्ण तथा क्षतिग्रस्त नहर को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के क्षेत्र रूधौली के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भानपुर में विशेषज्ञ डाक्टरों की कमी तथा आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था कराया जाना

56–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र रूधौली जनपद बस्ती के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भानपुर में विशेषज्ञ डाक्टरों की कमी तथा आधुनिक संयंत्रों का अभाव बना हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भानपुर में विशेषज्ञ डाक्टरों की तैनाती तथा आधुनिक उपकरण की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

यद्यपि प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी है, तथापि विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता एवं आवश्यकता के आधार पर तैनाती की जाती है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भानपुर में 02 एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक क्रमशः डा0 रंजीत कुमार एवं डा0 अमरेश अग्रहरि तैनात हैं। उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर आधुनिक मशीनें–रेडियन्ट वार्मर, सेक्शन मशीन एवं साउण्डलेस जनरेटर 25 के0वी0ए0 आदि उपलब्ध है।

विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता होने पर आवश्यकता के अनुसार तैनाती की जायेगी। उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर आधुनिक मशीनें–रेडियन्ट वार्मर, सक्शन मशीन एवं साउण्डलेस जनरेटर 25 के0वी0ए0 आदि उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के क्षेत्र रूधौली के अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्मित ए0एन0एम0 केन्द्रों की मरम्मत किया जाना

57–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली के अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्मित ए0एन0एम0 केन्द्रों की स्थिति मरम्मत के अभाव में अत्यन्त जर्जर होने के कारण केन्द्रों पर नियुक्त ए0एन0एम0 वहां पर निवास नहीं करती है जिससे सरकार की मंशा प्रभावित हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त केन्द्रों की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी नहीं।

विधान सभा क्षेत्र रुधौली के अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्मित कोई भी ए0एन0एम0 सेन्टर अत्यन्त जर्जर नहीं है, सभी उपकेन्द्रों पर ए0एन0एम0 निवास करती हैं एवं भवनों के सामान्य रख–रखाव हेतु विभाग से अनटाईड फण्ड एवं ए0एम0जी0 प्रतिवर्ष दिया जाता है जिससे ए0एन0एम0 अपने उपकेन्द्रों की सामान्य मरम्मत कराती रहती हैं एवं भवन क्रियाशील रहता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद की तहसील रूदौली में स्थित मां देवकाली मन्दिर पूरे हुसैन खां रूदौली व मां कामाख्या देवी मन्दिर आदि के जीर्णोद्धार हेतु प्रेषित पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

58–श्री रामचन्द्र यादव–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद की तहसील रूदौली में स्थित मां देवकाली मन्दिर पूरे हुसैन खां रूदौली व मां कामाख्या देवी मन्दिर सुनवा रूदौली के जीर्णोद्धार हेतु श्री अरविन्द कुमार यादव, पूर्व सदस्य, विधान परिषद् का पत्र मंत्री जी एवं मा0 मुख्य मंत्री के पत्र सं0–पी0जी0–02410732/सी0एम0–2/2014, दिनांक 21–01–2014 जिसमें आगणन मंगाकर स्वीकृत करने सम्बन्धी आदेश प्रमुख सचिव, पर्यटन को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री ओम प्रकाश–

जी हां।

जनपद फैजाबाद में तहसील–रूदौली स्थित मा0 देवकाली मन्दिर पूरे हुसैन खां, रूदौली हेतु जिला योजना हेतु 2013–14 रु0 10.00 लाख की धनराशि अनुमोदित थी एवं मां0 कामाख्या देवी मन्दिर सुनवा रुदौली के जीर्णोद्धार हेतु रु0 20.00 लाख की धनराशि जिला योजना में अनुमोदित थी, परन्तु जिला योजना के पर्यटन विभाग में पर्याप्त बजट उपलब्ध न होने के कारण धनराशि अवमुक्त नहीं की जा सकी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद की रूदौली क्षेत्रांतर्गत डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजना के अन्तर्गत चयनित सभी ग्राम पंचायतों में विद्युतीकरण का कार्य पूरा कराने विषयक

59–श्री रामचन्द्र यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद की विधान सभा क्षेत्र रूदौली अन्तर्गत वर्ष 2012–13 व 2013–14 में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजना के अन्तर्गत चयनित सभी ग्राम पंचायतों की बस्तियों को विद्युतीकरण एवं संतृप्त

किये जाने हेतु धन आवंटित किया गया है ? यदि हां, तो चयनित ग्राम पंचायतों में विद्युतीकरण का कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री अखिलेश यादव–

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजना के अन्तर्गत चयनित सभी ग्राम पंचायतों की 500 से अधिक आबादी वाले बसावटों का विद्युतीकरण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (11वीं एवं 12वीं योजना) के अन्तर्गत कराया जा रहा है, जिसके लिये धनराशि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।

चयनित ग्राम पंचायतों में विद्युतीकरण का कार्य माह जून, 2015 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

जनपद मेरठ नगर महापालिका में नगर निगम वार्ड नं0–16, वार्ड नं0–39, वार्ड नं0–4 तथा वार्ड नं0–17 फेस प्रथम एवं द्वितीय नगर निगम को सरधना तहसील से हटाकर मेरठ सदर, तहसील में शामिल करने हेतु पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

60–श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय के कम्प्यूटर संख्या–सी0एम0/वि0को0/एम0– पी0जी0–10435066/014 पर दर्ज जो जनपद मेरठ नगर महापालिका में नगर निगम वार्ड नं0–16 का जटौली मो0 तथा वार्ड नं0–39 डोरली वार्ड नं0–4 सोफीपुर एवं वार्ड नं0–17 पल्लवपुरम् फेस प्रथम एवं द्वितीय नगर निगम को सरधना तह0 से हटाकर मेरठ सदर तह0 में शामिल करने हेतु आदेश राजस्व विभाग को देने से सम्बन्धित है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

राजस्व परिषद् से आख्या मांगी गई। प्राप्त आख्या के आधार पर परिसीमन का औचित्य नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

मेरठ विकास प्राधिकरण में लगाये गये टी0पी0 सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट के प्रकरण में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

61–श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय के कम्प्यूटर संख्या–सी0एम0/वि0को0/एम0–पी0जी0–10435051/2014 पर दर्ज जो मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा जनता की कमाई से लगाये गये टी0पी0 सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट के

प्रकरण में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने से सम्बन्धित है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

शासन के पत्र संख्या–सी0एम0 / वि0को0–5 / 8–1–14–19जांच / 2014, दिनांक 26–05–2014 द्वारा आयुक्त मेरठ मण्डल, मेरठ को प्रकरण में जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 के साथ–साथ प्रदेश की सभी विद्युत वितरण कम्पनियों की वार्षिक लेखा–जोखा महालेखापरीक्षक उ0प्र0 से कराये जाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

62–श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय के कम्प्यूटर संख्या–सी0एम0 / वि0को0 / एम0– पी0जी0–10435089 / 2014 जो जनपद मेरठ पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 के साथ–साथ प्रदेश की सभी विद्युत वितरण कम्पनियों की वार्षिक लेखा–जोखा की जांच महालेखा परीक्षक, उ0प्र0 से कराने विषयक है, सम्बन्धित अधिकारियों को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के सभी विद्युत वितरण निगमों का कैग से आडिट कराने का प्राविधान पूर्व से ही है व वित्तीय वर्ष 2012–13 तक आडिट पूर्ण भी किया जा चुका है। इस पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक (कैग) की अन्तिम टिप्पणी भी प्राप्त हो चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ निर्वाचन क्षेत्र रुड़की के अन्तर्गत विकास प्राधिकरण की कालोनी, पल्लवपुरम् में पी0एच0सी0 / सी0एच0सी0 खुलवाने से सम्बन्धित पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

63–श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय के कम्प्यूटर संख्या–सी0एम0 / वि0को0 / एम0– पी0जी0–10434970 / 2014 जो जनपद मेरठ निर्वाचन क्षेत्र रुड़की के अन्तर्गत विकास प्राधिकरण की कालोनी, पल्लवपुरम् में पी0एच0सी0 / सी0एच0सी0 खुलवाने से सम्बन्धित है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी हां।

जनपद मेरठ के नगरीय क्षेत्र में पल्लवपुरम् आवासीय कालोनी के मध्य स्थित मलिन बस्ती पल्हैडा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 की पी0आई0पी0 में अरबन पी0एच0सी0 स्थापित किये जाने की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है तथा किराये के भवन में उक्त अरबन पी0एच0सी0 के संचालन हेतु समुचित कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद के क्षेत्र मोदीनगर के अन्तर्गत भोजपुर से फरीदनगर होते हुए पिलखुआ तक बनी सड़क में प्रयोग की गई घटिया सामग्री की जांच हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र पर ठेकेदारों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

64–श्री सुदेश शर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक एम0–338/रालोद/वि0म0द0/2014, दिनांक 07–08–2014 जो विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत भोजपुर से फरीदनगर होते हुए पिलखुआ तक बनी सड़क में बेहद घटिया सामग्री का प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में शिकायत–पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर उक्त सड़क के निर्माण की जांच कराते हुए जिम्मेदार अधिकारियों व सम्बन्धित ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

शिकायती बिन्दुओं की जांच मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, प्रमुख अभियन्ता कार्यालय से करायी गयी। जांच आख्या दिनांक 06–10–14 में मार्ग निर्माण के कार्य की गुणवत्ता सन्तोषजनक पायी गयी है। अतः अभियन्ताओं/ठेकेदारों के विरुद्ध कार्यवाही का औचित्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता कार्यालय (तृतीय) बुलन्दशहर में कार्यालय सहायक द्वारा किसानों से नलकूप विद्युत कनेक्शन के नाम पर अवैध वसूली के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

65–श्री सुदेश शर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का शिकायती–पत्र दिनांक 06–01–2014, जो अधिशासी अभियन्ता कार्यालय (तृतीय) बुलन्दशहर में कार्यालय सहायक द्वारा किसानों से नलकूप विद्युत कनेक्शन नाम पर अवैध वसूली आदि के

सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

तदैव।

जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत ग्राम डिडौली के सामने ग्राम सोदापुर से ग्राम डिडौली पुल तक हुए निर्माण कार्य सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

66–श्री सुदेश शर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक एम0–328/रालोद/वि0म0द0/2014, दिनांक 30–07–2014 जो विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत ग्राम डिडौली के सामने ग्राम सोदापुर से ग्राम डिडौली पुल तक निर्माण के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

संदर्भित पत्र क्षतिग्रस्त मार्ग के पुनर्निर्माण से सम्बन्धित है जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गाजियाबाद के क्षेत्र मोदीनगर के ब्लाक भोजपुर के अन्तर्गत ग्राम खंजरपुर मोड़ से ग्राम गदाना मन्दिर तक सड़क निर्माण में प्रयुक्त घटिया सामग्री की जांच हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

67–श्री सुदेश शर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक एम0–343/रालोद/वि0म0द0/2014, दिनांक 07–08–2014 जो विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद के के0 ब्लाक भोजपुर के अन्तर्गत ग्राम खंजरपुर मोड़ से ग्राम गदाना मन्दिर तक सड़क निर्माण में अन्यन्त घटिया सामग्री का प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर उक्त सड़क के निर्माण की जांच कराते हुये जिम्मेदार अधिकारियों व संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

मार्ग की कुल लम्बाई मात्र 0.47 कि0मी0 है जिस पर विशेष मरम्मत के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 में मरम्मत का कार्य कराया गया था। मार्ग का निरीक्षण अधीक्षक अभियन्ता,

बुलन्दशहर वृत्त, लोक निर्माण विभाग, बुलन्दशहर द्वारा दिनांक 07–10–2014 को किया गया है। मार्ग की वर्तमान दशा सन्तोषजनक है। अतः जांच की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गाजियाबाद के क्षेत्र मोदीनगर के अन्तर्गत हापुड़ से मोदीनगर तक बनी सड़क जिसमें भोजपुर थाने से मोदीनगर तक निर्माण में प्रयुक्त घटिया सामग्री की जांच के सम्बन्ध में पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

68–श्री सुदेश शर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक एम0 333/रालोद/वि0मं0द0/2014, दिनांक 07–08–2014 जो विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर जनपद–गाजियाबाद के अन्तर्गत हापुड़ से मोदीनगर तक बनी सड़क जिसमें भोजपुर थाने से मोदीनगर तक के निर्माण में अत्यन्त घटिया सामग्री का प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर उक्त सड़क के निर्माण की जांच कराते हुये जिम्मेदार अधिकारियों व संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिह यादव–

जी हां।

शिकायती बिन्दुओं की जांच मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, प्रमुख अभियन्ता कार्यालय से करायी गयी। जांच आख्या दिनांक 06–10–14 में मार्ग निर्माण के कार्य की गुणवत्ता सन्तोषजनक पायी गयी है। अतः अभियन्ताओं/ठेकेदारों के विरुद्ध कार्यवाही का औचित्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मथुरा में मथुरा से सादाबाद मार्ग एवं बल्देव से राया मार्ग की मुख्य सड़कें खराब होने से हो रही दुर्घटना रोकने के लिये सड़कों का मरम्मत कराया जाना

69–श्री पूरन प्रकाश–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में मथुरा से सादाबाद मार्ग एवं बल्देव से राया मार्ग की मुख्य सड़कें पूर्ण रूप से टूट जाने के कारण आवागमन बाधित हो रहा है एवं आये दिन दुर्घटनायें हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन दोनों सड़कों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

मार्गों के मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मथुरा में पिछले वर्ष कंजौली घाट पर बने यमुना पुल के दोनों ओर की सड़क धसने की जांच कराकर मरम्मत कराने विषयक

70–श्री पूरन प्रकाश–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में पिछले वर्ष कंजौली घाट पर बने यमुना पुल की दोनों तरफ की सड़कें धसने से पुल की सतह ऊंची हो गयी है तथा सड़कें नीची हो गयी हैं एवं इनकी पिचिंग एवं दीवारें भी बैठ गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर इसकी मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

प्रकरण में मुख्य अभियन्ता (राष्ट्रीय मार्ग), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ एवं मुख्य अभियन्ता, आगरा क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, आगरा की संयुक्त टीम से जांच करायी गयी है। जांच आख्या दिनांक 12–11–2014 को प्राप्त हुई है, जो परीक्षणाधीन है। मार्ग के बैठे हुए भाग पर पत्थर डालकर मरम्मत करा दी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 हरिशंकर उपाध्याय, संयुक्त निदेशक, फार्मेसी स्वास्थ्य विभाग, लखनऊ की पेंशन निर्धारण सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

71–श्री दलवीर सिंह–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–39/रालोद/विमद/2014, दिनांक 11–02–2014 जो डा0 हरि शंकर उपाध्याय, संयुक्त निदेशक फार्मेसी, स्वास्थ्य विभाग, लखनऊ की पेंशन निर्धारण संबंधी है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि इनका पेंशन निर्धारण कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी हां।

जी हां। डा0 हरि शंकर उपाध्याय, संयुक्त निदेशक, फार्मेसी, स्वास्थ्य विभाग लखनऊ का पेंशन निर्धारण निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ0 प्र0 इन्दिरा भवन, लखनऊ के पत्र संख्या–1/पे0नि0/एम0आई0–001/024/055435/सी0आर0 11405/2461 दिनांक 20–4–2011 द्वारा करते हुए मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अलीगढ़ को भेजा जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ में अलीनगर–इन्दारा–मझवारा–मधुबन मार्ग की मरम्मत हेतु आवंटित धनराशि से अथवा वित्तीय संसाधन से अवशेष कार्य को पूरा कराया जाना

72–श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ में अलीनगर–इन्दारा–मझवारा–मधुबन (शहीद मार्ग) मार्ग जो पूर्णरूपेण जर्जर गड्ढायुक्त है, के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु शासनादेश दिनांक 2–1–2013 द्वारा रु0 4406.06 की धनराशि निर्गत की गयी थी जिससे मात्र 2.50 कि0मी0 डी0बी0एम0 एवं 3.50 कि0मी0डब्लू.एम0एम0 तक ही कार्य पूर्ण किया गया है ? यदि हां, तो शेष कार्य हेतु कब तक वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जनपद मऊ में अलीनगर–इन्दारा–मझवारा–मधुबन (शहीद मार्ग) मार्ग के चैनेज 0.00 से 12.00 कि0मी0 (प्रथम चरण) तथा चैनेज कि0मी0 12.00 से 23.400 (द्वितीय चरण) के उच्चीकरण व सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु शासनादेश दिनांक 02–01–13 द्वारा कुल रु0 4406.06 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई थी, जिसके सापेक्ष अब तक रु0 1682.00 लाख का धनावंटन निर्गत किया जा चुका है। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष लम्बाई 5.90 किमी0 में डब्लू0एम0एम0 तथा 3.20 किमी0 लम्बाई में डी0बी0एम0 स्तर का कार्य पूर्ण है। शेष कार्य प्रगति में है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की जानकीपुरम् कालोनी के सेक्टर–एच की विभिन्न सेवाओं के हस्तान्तरण में उत्पन्न विरोधाभास के निराकरण का प्रकरण

73–श्री जय प्रकाश निषाद–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2013 के 5वें बुधवार के अता0प्र0सं0–197 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की जानकीपुरम कालोनी के सेक्टर–एच की विभिन्न सेवाओं के हस्तान्तरण में उत्पन्न विरोधाभास का निराकरण कर लिया गया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि विरोधाभास उत्पन्न होने का कारण क्या है जिससे उक्त हस्तान्तरण अब तक नहीं हो पाया है एवं इसका निराकरण कब तक कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की आख्या के अनुसार प्राधिकरण की जानकीपुरम् कालोनी सेक्टर–एच की विभिन्न सेवाओं में से मार्ग प्रकाश व्यवस्था दिनांक 01–06–2001 को नगर निगम, लखनऊ को तथा जलापूर्ति व्यवस्था एवं सीवरेज निस्तारण सम्बन्धी सेवाओं को दिनांक 28–4–2008 को जल संस्थान, लखनऊ को

हस्तान्तरित कर दिया गया है। अवशेष सेवाओं यथा सड़कों, पार्कों का रख–रखाव किये जाने के सम्बन्ध में उत्पन्न विरोधाभास का निराकरण करने हेतु प्राधिकरण एवं नगर निगम द्वारा परस्पर सहमति के आधार पर संयुक्त रूप से कार्यवाही करने हेतु प्राधिकरण द्वारा नगर निगम, लखनऊ को दिनांक 28–5–2014 को पत्र एवं तत्क्रम में दिनांक 06–09–2014 को अनुस्मृत कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। अग्रिम कार्यवाही नगर निगम द्वारा की जानी है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश के पूर्वी जनपदों गोरखपुर, महराजगंज देवरिया एवं कुशीनगर में इन्सेफेलाइटिस (मस्तिष्क ज्वर) की रोकथाम हेतु ठोस योजना बनाने की मांग

74–श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पूर्वी जनपदों गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया एवं कुशीनगर में इन्सेफेलाइटिस (मस्तिष्क ज्वर) से विगत कई वर्षों से लगातार बड़े पैमाने पर बच्चों की मौते हो रही है एवं यह रोग एक भयानक त्रासदी का रूप लेता जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इसकी रोकथाम के लिये कोई ठोस कार्य योजना बनायी जा रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी नहीं।

यद्यपि यह भयानक त्रासदी के रूप में नहीं है तथापि सरकार द्वारा मस्तिष्क ज्वर रोग के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु प्रत्येक वर्ष कार्य योजना बनाई जाती है। वर्ष 2014 में भी इस रोग के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु कार्य योजना बनाकर ठोस कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।

ए0ई0एस0/जे0ई0 रोग नियंत्रण कार्य योजना 2014 के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं :–

फीवर ट्रेकिंग–आरम्भिक अवस्था में रोगियों की पहचान।

रोगियों हेतु निःशुल्क परिवहन–रोगियों को नजदीकी उपचार केन्द्र पर पहुंचाने हेतु निःशुल्क एम्बुलेन्स (108 एवं 102) की व्यवस्था।

ज्वर का निदान एवं त्वरित उपचार–(ब्लाक स्तरीय इन्सेफेलाइटिस ट्रीटमेन्ट सेन्टर) की उपलब्धता।

विशिष्ट उपचार हेतु जिला चिकित्सालय स्तर पर 10 शैय्यायुक्त पीडियाट्रिक आई0सी0यू0 की उपलब्धता।

इन्सेफेलाइटिस की पुष्टि हेतु प्रयोगशाला परीक्षण की निःशुल्क व्यवस्था।

जिला स्तरीय चिकित्सालय/सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आवश्यक उपकरण/औषधियों की निःशुल्क उपलब्धता।

स्वास्थ्य शिक्षा/प्रचार–प्रसार ;ठमींअपवत बिंदहम इल ब्वउउनदपबंजपवदध्म्ब्द्ध. रोग से बचाव निकटतम चिकित्सालय में रोगी के उपचार हेतु सम्पर्क वातावरणीय एवं व्यक्तिगत स्वच्छता व शुद्ध पेयजल के उपयोग हेतु जन जागरण।

पुनर्वासन क्रिया–कलाप ;त्मींइपसपजंजपवदद्ध.जे0ई0/ए0ई0एस0 रोग उपरान्त उत्पन्न हुई शारीरिक/मानसिक विकलांगता हेतु मेडिकल एवं वोकेशनल पुनर्वासन।

जापानीज इन्सेफेलाइटिस (जे0ई0) की रोकथाम हेतु वेक्टर सर्वेक्षण–निरन्तर एवं निश्चित अन्तराल पर वाहक मच्छर नियंत्रण द्वारा रोग प्रसार पर नियंत्रण–

(अ) **मच्छर के लार्वा पर नियंत्रण** तथा मच्छर जनक परिस्थितियों पर नियंत्रण–लार्वानाशक रसायन/लार्वाभक्षी मछली का उपयोग तथा अन्य स्थानीय उपाय।

(ब) **वयस्क मच्छरों के नियंत्रण**–कीटनाशक छिड़काव एवं फॉगिंग।

(स) सूकर मच्छर के सम्पर्क को रोकने हेतु निरोधात्मक उपाय।

जे0ई0 टीकाकरण–नियमित टीकाकरण के अन्तर्गत जे0ई0 टीकाकरण एवं भारत सरकार के दिशा–निर्देशानुसार विशेष जे0ई0 टीकाकरण अभियान।

अन्तर्विभागीय समन्वय–चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, परिवार कल्याण विभाग, ग्राम विकास विभाग, जल निगम, पंचायती राज विभाग, पशुधन विभाग, मत्स्य विभाग, बाल एवं महिला कल्याण विभाग (आई0सी0डी0एस0), शिक्षा विभाग, नगर विकास विभाग, समाज कल्याण/विकलांग कल्याण विभाग द्वारा समन्वित योगदान।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बस्ती के विकास खण्ड बस्ती सदर के अन्तर्गत ग्राम जखनी से ग्राम मझरिया रंजीत तक जर्जर, गड्ढायुक्त सड़क के निर्माण का प्रकरण

75–श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बस्ती के विकास खण्ड–बस्ती सदर के अन्तर्गत ग्राम जखनी से ग्राम मझरिया रंजीत तक लगभग 2.00 कि0मी0 तक पक्की सड़क अत्यन्त जर्जर व गड्ढायुक्त है, जिससे क्षेत्रीय जनता को आवागमन में अत्याधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में नहीं है। मार्ग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बस्ती के विकास खण्ड–बस्ती सदर के अन्तर्गत मा0 कांशीराम आवास से पाण्डेयडीह ए0आर0टी0ओ0 से कैली अस्पताल तक जर्जर, गड्ढायुक्त सड़क के निर्माण का मामला

76–श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बस्ती के विकास खण्ड–बस्ती सदर के अन्तर्गत मा0 कांशीराम आवास से पाण्डेय डीह ए0आर0टी0ओ0 कार्यालय होते हुये कैली अस्पताल तक लगभग 3.00 कि0मी0 तक पक्की सड़क अत्यन्त जर्जर व गड्ढायुक्त होने के कारण क्षेत्रीय जनता को आवागमन में अत्याधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

प्रश्नगत मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

मार्ग के निर्माण का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के विकास खण्ड बस्ती सदर के अन्तर्गत अस्पताल चौराहा से कैली अस्पताल तक जर्जर, गड्ढायुक्त सड़क के निर्माण का प्रकरण

77–श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बस्ती के विकास खण्ड–बस्ती सदर के अन्तर्गत अस्पताल चौराहा से कैली अस्पताल तक लगभग 4.00 कि0मी0 तक पक्की सड़क अत्यन्त जर्जर व गड्ढायुक्त होने के कारण क्षेत्रीय जनता को आवागमन में अत्याधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के विकास खण्ड बस्ती सदर के अन्तर्गत कोतवाली से चननी, पारसी, मा0 कांशीराम आवास होते हुए डारीडीहा तक अत्यन्त जर्जर सड़क का निर्माण का प्रकरण

78–श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बस्ती के विकास खण्ड–बस्ती सदर के अन्तर्गत कोतवाली से चननी, परासी, मा0 कांशीराम आवास होते हुये डारीडीहा तक लगभग 6.00 कि0मी0 तक पक्की सड़क अत्यन्त जर्जर व गड्ढायुक्त होने के कारण क्षेत्रीय जनता को आवागमन में अत्याधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

मार्ग के निर्माण का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के विकास खण्ड साऊघाट के अन्तर्गत विगहिया से उदयपुरवा होते हुए कुसम्हा भट्टे तक का निर्माण

79–श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बस्ती के विकास खण्ड–साऊघाट के अन्तर्गत विगहिया से उदयपुरवा होते हुये कुसम्हा भट्टे तक लगभग 2.00 कि0मी0 तक पक्की सड़क अत्यन्त जर्जर व गड्ढायुक्त होने के कारण क्षेत्रीय जनता को आवागमन में अत्याधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां, मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर से शीशगढ़ तक ओ0डी0आर0 मार्ग का निर्माण

80–श्री संजय कपूर–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर से शीशगढ़ तक ओ0डी0आर0 मार्ग जो बरेली जनपद को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है, क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस मार्ग की व्यस्तता को देखते हुये

इसे ओ0डी0आर0 से एम0डी0आर0 में परिवर्तित कर इसका पुनर्निर्माण कार्य किये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

मार्ग ओ0डी0आर0 से एम0डी0आर0 में परिवर्तित किये जाने हेतु निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करता है। मार्ग की लम्बाई 18.100 कि0मी0 है जिसके सुदृढ़ीकरण का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड अनरियां के ग्राम नागल के पास पहारनू कटरा मार्ग पर टूटे पुल की मरम्मत कराया जाना

81–श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड अनरियां के ग्राम नागल के पास पहारनू कटरा मार्ग पर टूटे पुल की सरकार मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बुलन्दशहर की नगर पालिका खुर्जा के अन्तर्गत यातायात व्यवस्था ठीक न होने के कारण पुराने जी0टी0 रोड से खुर्जा जेवर रोड के लिये बाई पास का निर्माण

82–श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर की नगर पालिका खुर्जा के अन्तर्गत यातायात व्यवस्था ठीक न होने के कारण घण्टों जाम की स्थिति बनी रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इससे निजात दिलाने के लिये खुर्जा सिकन्दराबाद पुराने जी0टी0 रोड से खुर्जा जेवर रोड के लिये बाई पास का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां। कभी–कभी जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

खुर्जा–सिकन्द्राबाद (अ0जि0मा0) एवं खुर्जा–जेवर मार्ग (प्र0जि0मा0) पर खुर्जा शहर के वर्तमान यातायात के अनुसार बाई पास का निर्माण मानकों को पूरा नहीं करता है। अतः वर्तमान में बाई पास का निर्माण विचाराधीन नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

शाहजहांपुर जिला अस्पताल तथा जिला महिला अस्पताल में रिक्त डाक्टर तथा पैरा मेडिकल स्टाफ को भरा जाना

83–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर जिला अस्पताल तथा जिला महिला अस्पताल में रिक्त डाक्टर तथा पैरा मेडिकल स्टाफ को कब तक भरा जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जिला चिकित्सालय/जिला महिला चिकित्सालय, शाहजहांपुर में नव नियुक्त चिकित्साधिकारियों में से 05 चिकित्साधिकारी तैनात किये गये हैं तथा एक चिकित्साधिकारी स्थानान्तरण के पश्चात् जिला महिला चिकित्सालय में तैनात किया गया है। पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। चयन प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के उपरान्त रिक्त पदों पर तैनाती की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम शहवाजनगर तथा कुसगवां के अन्तर्गत आने वाले सभी राजस्व ग्रामों/मजरों में विद्युतीकरण कराया जाना

84–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के ग्राम पंचायत शहवाजनगर तथा कुसगवां के अन्तर्गत आने वाले सभी राजस्व ग्रामों/मजरों में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि नहीं, तो उक्त का विद्युतीकरण कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम पंचायत शहवाजनगर तथा कुसगवां के अन्तर्गत आने वाले सभी राजस्व ग्राम विद्युतीकृत हैं तथा उनके मजरे विद्युतीकरण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना द्वितीय चरण में चयनित हैं।

विद्युतीकरण हेतु निविदा निगम मुख्यालय द्वारा आमंत्रित की जा चुकी है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, भारत सरकार से धन की उपलब्धता पर विद्युतीकरण कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक ददरौल की न्याय पंचायत घुसगवां के अन्तर्गत वंचित सभी ग्रामों/मजरों में विद्युतीकरण कराया जाना

85–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर जनपद के ब्लाक ददरौल की न्याय पंचायत घुसगवां के अन्तर्गत विद्युतीकरण से वंचित सभी ग्रामों/राजस्व ग्रामों/मजरों का विद्युतीकरण कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

शाहजहांपुर जनपद के ब्लाक ददरौल की न्याय पंचायत घुसगवां के अन्तर्गत आने वाले सभी राजस्व ग्राम विद्युतीकृत हैं तथा उनके मजरों का विद्युतीकरण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना द्वितीय चरण में चयनित है। विद्युतीकरण हेतु निविदा निगम मुख्यालय द्वारा आमंत्रित की जा चुकी है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, भारत सरकार से धन की उपलब्धता पर विद्युतीकरण कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में यमुना नदी के किनारे स्थित अत्यन्त प्राचीन एवं धार्मिक महत्व वाले जैन मन्दिर, हनुमान मन्दिर एवं सूफी साहब की दरगाह को विकसित कर पर्यटक स्थल बनाये जाने विषयक

86–श्री मनीष असीजा–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद में यमुना नदी के किनारे स्थित अत्यन्त प्राचीन एवं धार्मिक महत्व वाले जैन मन्दिर हनुमान मन्दिर एवं सूफी साहब की दरगाह के आसपास के क्षेत्र को विकसित कर एवं यमुना के किनारे पक्के घाटों का निर्माण पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश–

जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत चन्द्रवार क्षेत्र में स्थित जैन मन्दिर के पर्यटन विकास हेतु रु0 5.00 लाख की धनराशि अनुमोदित है।

अन्य स्थलों हनुमान मन्दिर, सूफी साहब की दरगाह एवं यमुना के किनारे पक्के घाटों के निर्माण की कोई योजना/प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार पर्याप्त बजट की उपलब्धता होने की दशा में जिला योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत अनुमोदित योजना चन्द्रवार क्षेत्र में स्थित जैन मन्दिर का पर्यटन विकास हेतु विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला अस्पताल फिरोजाबाद में गम्भीर रूप से बीमार एवं घायल रोगियों के उपचार हेतु आई0सी0सी0यू0 वार्ड तथा न्यूरो सर्जन/फिजीशियन की तैनाती का प्रकरण

87–श्री मनीष असीजा–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अस्पताल फिरोजाबाद में गम्भीर रूप से बीमार एवं घायल रोगियों के उपचार हेतु आई0सी0सी0यू0 वार्ड एवं न्यूरो सर्जन/फिजीशियन की व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अस्पताल में आई0सी0सी0यू0 वार्ड की स्थापना एवं न्यूरो सर्जन/फिजीशियन की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी हां।

आई0सी0यू0 वार्ड की स्थापना एवं न्यूरो सर्जन/फिजीशियन की तैनाती वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ में बिजली चोरी रोकने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र, कृत कार्यवाही की जानकारी

88–श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय में कम्प्यूटर संख्या–सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0–10443318/2014 पर दर्ज प्रश्नकर्ता का पत्र प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग को दिनांक 12–03–2014 को भेजा गया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ के अन्तर्गत बिजली चोरी रोकने हेतु जनहित में बनायी गयी कार्य योजना निम्नवत् है :–

1–विद्युत चोरी बाहुल्य क्षेत्रों व संकरी गलियों में लगभग सम्पूर्ण क्षेत्रों में ए0बी0सी0 तार लगा दिया गया है।

2–चेकिंग कर कम खपत भार दर्शाने वाले तथा टैम्पर्ड मीटरों को बदल कर चोरी करने वाले उपभोक्ताओं के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी है।

3–10 किलोवाट से अधिक भार वाले विद्युत संयोजनों की डबल मीटरिंग कर दी गयी है।

4–बकायादारों के विद्युत संयोजन काट कर चोरी से संयोजन चलाने वाले उपभोक्ताओं के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी है।

5–विद्युत चोरी रोकने हेतु नये संयोजन लगातार निर्गत किये जा रहे हैं।

6–समय–समय पर चेकिंग कर उपभोक्ताओं के स्वीकृत भार को उपभोग भार के अनुसार बढ़ाया गया है।

उक्त प्रयासों से विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, मेरठ की लाइन हानियों में गत वर्ष के सापेक्ष 3.69 प्रतिशत की कमी आयी है तथा राजस्व में 5.51 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

उपरोक्त के अतिरिक्त आर0ए0पी0डी0आर0पी0 पार्ट–बी योजना जो कि केन्द्रीय सरकार की है, उसके सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत शहरी क्षेत्र में अतिरिक्त परिवर्तक, ए0बी0सी0 केबिल, कैपेसिटर बैंक, जर्जर तार बदलने आदि कार्यों के सम्पन्न हो जाने के पश्चात् लाइन लॉसेज में काफी सुधार हो जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

कार्यालय कम्प्यूटर संख्या–सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0–10442118/2014, दिनांक 3–7–14 पर प्रश्नकर्ता का पत्र प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं विकास परिषद् पर हुई कार्यवाही की जानकारी

89–श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय में कम्प्यूटर संख्या–सी0एम0/ वि0को0/एम0/पी0जी0 10442118/2014 दिनांक 3–7–2014 पर प्रश्नकर्ता का पत्र प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं विकास परिषद विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद में निगोही रोड पर ग्राम याकूतपुर मवी से ग्राम मकरमतपुर सिखैड़ा होते हुए ग्राम सारा तक के मार्ग का निर्माण

90–श्री सुदेश शर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर जनपद गाजियाबाद में निवाड़ी रोड पर ग्राम याकूतपुर मवी से ग्राम मकरमतपुर सिखैड़ा होते हुये ग्राम सारा तक मार्ग क्षतिग्रस्त हैं, जिससे क्षेत्रीय लोगों को आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण करायेगी, यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां, याकूतपुर मवी से मकरमतपुर सिखैड़ा तक मार्ग जिसकी लम्बाई 1.40 कि0मी0 है, लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में है जो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। मकरमतपुर सिखैड़ा से सारा तक खड़न्जा स्तर का मार्ग है जो जिला पंचायत द्वारा निर्मित है।

मरम्मत का कार्य कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद के ब्लाक भोजपुर स्थित ग्राम नाहली में नाले के पुल से हापुड़ रोड की ओर मुख्य मार्ग का निर्माण कराया जाना

91–श्री सुदेश शर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर जनपद गाजियाबाद के ब्लाक भोजपुर स्थित ग्राम नाहली में नाले के पुल से हापुड़ रोड की ओर मुख्य मार्ग जो कि कई गांवों का मुख्य सम्पर्क मार्ग है अत्यन्त जीर्ण–क्षीर्ण है जिसके कारण आस–पास के ग्रामीणों में काफी रोष है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का पुनः निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

ग्राम नाहली में नाले के पुल से हापुड़ रोड की ओर का मार्ग खड़न्जा स्तर का ग्राम नाहली का आन्तरिक मार्ग है। जिसका निर्माण ग्राम पंचायत द्वारा कराया गया था। यह लो0नि0वि0 के स्वामित्व में नहीं है। मार्ग का पुनः निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद के ब्लाक भोजपुर में ग्राम शाहजहांपुर से ग्राम मण्डौला होते हुए मोहिउद्दीनपुर खरखौदा मार्ग का निर्माण

92–श्री सुदेश शर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर जनपद गाजियाबाद के ब्लाक भोजपुर में ग्राम शाहजहांपुर से ग्राम भण्डौला होते हुये मोहिउद्दीनपुर खरखौदा मार्ग क्षतिग्रस्त है जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद के मोहल्ला विश्वकर्मा बस्ती में बिजली की लाइनें काफी नीचे लटकने की शिकायत, ए0बी0सी0 बंच लगाये जाने की मांग

93–श्री सुदेश शर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर जनपद गाजियाबाद के मोहल्ला विश्वकर्मा बस्ती में बिजली की लाइनें काफी नीचे लटक गयी है जिससे आये दिन वहां दुर्घटनायें होती रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मोहल्लें में पर्याप्त मात्रा में खम्भे लगवाकर ए0बी0सी0 बंच लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

मोहल्ला विश्वकर्मा बस्ती, मोदीनगर में पुरानी नीचे लटकी विद्युत लाइनों को ठीक करा दिया गया है।

जनपद गाजियाबाद ब्लाक भोजपुर स्थित समग्र ग्राम नाहली से अमीपुर तक एवं ग्राम जहांगीरपुर से अमराका तक वाया पट्टी मार्ग का निर्माण

94–श्री सुदेश शर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर जनपद गाजियाबाद ब्लाक भोजपुर स्थित समग्र ग्राम नाहली से अमीपुर तक एवं ग्राम जहांगीरपुर से अमराका तक वाया पट्टी मार्ग अत्यन्त जीर्ण–शीर्ण होने से ग्रामवासियों को आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

नाहली से अमीपुर मार्ग के खड़न्जा स्तर तक के भाग का नवनिर्माण एवं अवशेष पूर्व निर्मित क्षतिग्रस्त भाग के पुनः निर्माण का कार्य वित्तीय वर्ष 2014–15 के जिला योजना में प्रस्तावित किया गया है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

ग्राम जहांगीरपुर से अमराका तक वाया पट्टी मार्ग की मरम्मत का कार्य प्रगति पर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय नर्सेज प्रशिक्षण संस्थान आई0एन0सी0 मान्यता प्राप्त/मानक के अनुसार कार्य करने विषयक

95–श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ऐसे राजकीय नर्सेज प्रशिक्षण संस्थान, जो आई0एन0सी0 मानक के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं और मान्यता प्राप्त भी नहीं है ? क्या सरकार द्वारा उनमें प्रशिक्षण देने पर रोक लगायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

प्रदेश के राजकीय नर्सेज प्रशिक्षण संस्थान आई0एन0सी0 मानक के अनुसार कार्य कर रहे हैं एवं मान्यता प्राप्त हैं। नवीनीकरण शुल्क अपरिहार्य कारणों से जमा नहीं किया गया है जिसके लिये सभी जी0एन0एम0 प्रशिक्षण संस्थान के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे इस सम्बन्ध में तत्काल समुचित कार्यवाही करें।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

क्योंकि प्रदेश के राजकीय नर्सेज प्रशिक्षण संस्थान आई0एन0सी0 से मान्यता प्राप्त हैं।

जनपद बस्ती में क्षेत्र बस्ती सदर के विकास खण्ड सउघाट के अन्तर्गत एन0एच0–28 दसौता से बटेला चौराहे तक की रोड का निर्माण

96–श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बस्ती में 310 विधान सभा क्षेत्र बस्ती सदर के विकास खण्ड सउघाट के अन्तर्गत एन0एच0 28 दसौता से बटेला चौराहे तक लगभग 2 कि0मी0 पक्की सड़क अत्यन्त जर्जर व गड्ढा युक्त होने के कारण क्षेत्रीय जनता को आवागमन में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण करायेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त।

मार्ग के मरम्मत/सुधार का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय मार्ग संख्या–233 में मरम्मत कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र पर की गई कार्यवाही की जानकारी

97–श्री जय प्रताप सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय मार्ग सं0 233 में मरम्मत कार्य कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 30–01–2014 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

राष्ट्रीय मार्ग सं0–233 पर विगत 2–3 वर्षों में मरम्मत हेतु कोई अनुबन्ध गठित नहीं किया गया है और न ही जांच में किसी प्रकार की अनियमितता पायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में लकड़ी का काम करने वाले बढ़ई/विश्वकर्मा समाज के लोगों को 24 इंच की आरा मशीन बिना लाइसेन्स चलाने की अनुमति प्रदान करने विषयक

98–श्री अनीसुर्ररहमान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लकड़ी का काम करने वाले बढ़ई/विश्वकर्मा समाज के लोगों को अपना पुश्तैनी लकड़ी का काम करने के लिये क्या सरकार 24 इंच की आरा मशीन बिना लाइसेंस चलाने की अनुमति देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

लागू नहीं।

उत्तर प्रदेश आरामिल की स्थापना एवं विनियमन (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1998 के नियम–2 द्वारा आरामिल जो 3 हार्सपावर यांत्रिक साधन से कम इंजन की क्षमता से संचालित हो, को इस नियमावली से छूट प्रदान की गयी थी। परन्तु मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 29–4–2002 के द्वारा इस संशोधन को निरस्त कर दिया गया। साथ ही किसी भी यांत्रिक साधन को चलाने वाली आरामशीन के लिये लाइसेन्स अनिवार्य कर दिया गया। अतः 24 इंच की आरामशीन किसी यांत्रिक साधन से चलायी जाती है तो लाइसेन्स आवश्यक है।

जनपद मुरादाबाद की नगर पंचायत उमरीकला में 200 के0बी0ए0 के परिवर्तक स्थापित करने हेतु एम0डी0 यू0पी0 पावर कारपोरेशन, लखनऊ एम0डी0 यू0पी0 पावर कारपोरेशन पश्चिमांचल, मेरठ को दिया जाना हुई कार्यवाही की जानकारी

99–श्री अनीसुर्ररहमान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज पत्र पी0जी0 नं0 10301713, दिनांक 3–7–13 जो कि जनपद मुरादाबाद की नगर पंचायत उमरीकला में 200 के0वी0ए0 के परिवर्तक स्थापित करने हेतु एम0डी0 यू0पी0 पावर कार्पोरेशन, लखनऊ एवं एम0डी0 यू0पी0 पावर कार्पोरेशन पश्चिमांचल, मेरठ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जनपद मुरादाबाद की नगर पंचायत उमरीकला में स्थापित 160 के0वी0ए0 परिवर्तक की अतिभारिता समाप्त करने के लिये इसकी क्षमता वृद्धि 250 के0वी0ए0 परिवर्तक से करने हेतु प्राक्कलन बनाया गया था परन्तु उपरोक्त परिवर्तकों पर अत्यधिक विद्युत राजस्व बकाया होने के कारण प्राक्कलन स्वीकृत नहीं हो पाया है क्योंकि प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 विक्टोरिया पार्क, मेरठ के पत्र संख्या–2022/पविविनिलि/मेरठ दिनांक 14–8–2013 के द्वारा परिवर्तकों के क्षमतावृद्धि के पैकेज, वित्तीय लिंकेज 50 प्रतिशत से अधिक बकायेदार होने की स्थिति में अग्रसारित न करने के आदेश हैं।

इन सभी बकायेदार उपभोक्ताओं द्वारा वर्ष 2013–14 की एकमुश्त समाधान योजना में भी बकाये का भुगतान नहीं किया गया है। उक्त ग्रामों में विद्युत बकाया वसूल करने हेतु पांच बार कैम्प लगाये गये परन्तु उपभोक्ताओं द्वारा अपने बकाया विद्युत बिलों का भुगतान नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ के ग्राम मुख्तारपुर नवादा एवं ग्राम गढ़ी में ट्रांसफार्मर स्थापित करने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र, कृत कार्यवाही की जानकारी

100–श्री अनीसुर्ररहमान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ के ग्राम मुख्तारपुर नवादा एवं ग्राम गढ़ी में 100–100 के0वी0ए0 के ट्रांसफार्मर स्थापित करने के लिये प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 4–6–13 एवं 29–11–13 जो मुख्य मंत्री कार्यालय के कम्प्यूटर सं0 पी0जी0–10280809, दि0 4–6–13 व पी0जी0–10385799, दिनांक 29–11–13 पर दर्ज है, यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ के ग्राम मुख्तारपुर नवादा एवं गढ़ी में विद्युत ट्रांसफार्मर लगाने हेतु प्राक्कलन, वित्तीय स्वीकृति हेतु बनाया गया था, परन्तु उक्त ग्रामों के विद्युत उपभोक्ताओं पर 90 प्रतिशत से अधिक राजस्व बकाया होने के कारण प्राक्कलन स्वीकृत नहीं हो सका है।

उक्त ग्रामों में विद्युत बकाया वसूल करने हेतु कई बार कैम्प लगाये गये परन्तु उपभोक्ताओं द्वारा अपने बकाया विद्युत बिलों का भुगतान नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के क्षेत्र सीतापुर के विभिन्न ग्रामों में विद्युतीकरण कराये जाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

101–श्री राधेश्याम जायसवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर, विधान सभा क्षेत्र सीतापुर के विभिन्न ग्रामों में विद्युतीकरण कराये जाने विषयक मुख्य मंत्री कार्यालय के कम्प्यूटर पी0जी0 संख्या–10251132/2013, 10255760/2013, 10267155/2013, 10302178/2013 व 10416236/2014 में दर्ज प्रश्नकर्ता के पत्र प्रमुख सचिव, ऊर्जा व प्रमुख सचिव नियोजन को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जनपद सीतापुर विधान सभा क्षेत्र सीतापुर के विभिन्न ग्रामों में विद्युतीकरण कराये जाने विषयक मुख्य मंत्री कार्यालय के कम्प्यूटर पी0जी0 संख्या मात्र 10251132/2013 एवं 10255760/2013 के पत्र प्राप्त हुये हैं।

प्रश्नगत गांवों (कुल 74) को त्वरित आर्थिक विकास योजना वर्ष 2013–14 के अन्तर्गत विद्युतीकरण कराने हेतु प्राक्कलन अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड प्र0, सीतापुर के पत्रांक–2474 दिनांक 13–08–2013 द्वारा प्रेषित किये गये पुनः पत्र सं0–3946 दिनांक 20–12–2013 द्वारा परियोजना निदेशक, सीतापुर को प्राक्कलन की वांछित धनराशि रु0 34142910/– की आवश्यकता के सम्बन्ध में उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है किन्तु यह धनराशि अवमुक्त न होने के कारण विद्युतीकरण का कार्य अभी तक कराया जाना सम्भव न हो सका।

प्रश्नगत ग्रामों में से 60 ग्रामों का चयन राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के फेज–2 में विद्युतीकरण हेतु सम्मिलित कर लिया गया है तथा विद्युतीकरण का कार्य माह अक्टूबर, 2015 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

शेष 14 ग्रामों का विद्युतीकरण भविष्य में किसी योजना में चयनित/स्वीकृति के उपरान्त धन की उपलब्धता पर ही विद्युतीकरण कराना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगर स्थित विकास प्राधिकरण की जानकीपुरम् विस्तार कालोनी में सीवर पम्पिंग स्टेशन स्थापित किया जाना

102–श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर स्थित लखनऊ विकास प्राधिकरण की जानकीपुरम् विस्तार कालोनी में सीवर पम्पिंग स्टेशन स्थापित न होने से उक्त कालोनी में सीवर के उफनाने की समस्या है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कालोनी में सीवर पम्पिंग स्टेशन स्थापित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्नगत योजना जल संस्थान को दिनांक 28–4–2008 से हस्तान्तरित है, परन्तु जल संस्थान द्वारा इण्टरमीडिएट पम्पिंग स्टेशन की स्थापना नहीं करायी गयी है। अध्यासियों की संख्या के दृष्टिगत इण्टरमीडिएट सीवर पम्पिंग स्टेशन की स्थापना सम्बन्धी कार्य प्राधिकरण द्वारा कराये जाने का निर्णय लिया गया है जिसे शीघ्र ही पूर्ण करा दिया जायेगा। वर्तमान में जल संस्थान द्वारा आवश्यकतानुसार सीवर पम्पिंग भी करायी जा रही है जिससे सीवर उफनाने जैसी कोई समस्या नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद लखीमपुर खीरी के क्षेत्र धौरहरा के अन्तर्गत वृक्षारोपण के लिये धनराशि में वृद्धि करने की मांग

103–श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में कितने पौधे वन विभाग द्वारा लगाये गये है, उसमें कितनी धनराशि खर्च हुई तथा वन विभाग द्वारा लगाये पेड़ों में कितने पौधे जीवित बचे है ? क्या सरकार वित्तीय वर्ष में वृक्षारोपण के लिये धनराशि में वृद्धि करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में वन विभाग द्वारा विभिन्न वन ब्लाकों में 1,12,415 पौधों का रोपण किया गया, जिस पर रु0 32,79,582.00 की धनराशि व्यय हुई। माह जून, 2014 की गणना के अनुसार 1,08,525 पौधे (96.5 प्रतिशत) जीवित हैं।

जी हां।

वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक में वृक्षारोपण मद में धनराशि वृद्धि के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के क्षेत्र धौरहरा में खराब विद्युत ट्रान्सफार्मर का चालू कराया जाना

104–श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा में खराब विद्युत ट्रान्सफार्मर को क्या सरकार चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

विधान सभा क्षेत्र धौरहरा में खराब ट्रांसफार्मरों को शहरी क्षेत्रों में 24 घण्टे के अन्दर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 72 घण्टों के अन्दर प्रतिस्थापन करा दिया जाता है। इस क्षेत्र में विगत दो माह में 24 परिवर्तक जले थे जो बदले जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगर स्थित लखनऊ विकास प्राधिकरण की जानकीपुरम् विस्तार कालोनी की सभी सड़कें नगर निगम को हस्तान्तरित करके ठीक कराया जाना

105–श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम को हस्तान्तरित न होने के कारण लखनऊ नगर स्थित लखनऊ विकास प्राधिकरण की जानकीपुरम विस्तार कालोनी में सभी सड़कें टूटी फूटी तथा जर्जर है तथा सभी पार्कों की स्थिति भी दयनीय है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कालोनी को हस्तान्तरित कराकर समस्याओं का निस्तारण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा उपलब्ध करायी आख्या के अनुसार प्राधिकरण की जानकीपुरम् विस्तार योजना को परस्पर सहमति के आधार पर दिनांक 28–04–2008 को नगर निगम, लखनऊ को हस्तान्तरित की गयी थी, किन्तु नगर निगम द्वारा प्रश्नगत योजना नगर निगम सीमा में न होना सूचित करते हुए प्राधिकरण को वापस कर दिया गया। ऐसी स्थिति में प्राधिकरण द्वारा दिनांक 21–12–2013 को नगर निगम,

लखनऊ को अपनी सीमा का विस्तार कराते हुए उपर्युक्तानुसार। हस्तान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में अनुरोध किया जा चुका है।

उक्त के बावजूद भी प्राधिकरण के प्रयास से वर्तमान में अधिकांश पार्क एवं सड़कें अनुरक्षित हैं तथा कुछ पार्क एवं सड़कें आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं, जिनके अनुरक्षण/निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जिला अम्बेडकरनगर के थाना सम्मनपुर के अन्तर्गत ग्राम सिकन्दरपुर हालवारिद जैनापुर में स्थित गाटा संख्या–1014 में हुई कूट रचना के सम्बन्ध में नेता विरोधी दल का पत्र, कृत कार्यवही की जानकारी

106–श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, अम्बेडकर नगर को सम्बोधित, मा0 नेता विरोधी दल, विधान सभा, उ0प्र0 का पत्र 2021/ने0वि0द0/2013, दिनांक 18–12–2013 जो कि जिला–अम्बेडकर नगर के थाना–सम्मनपुर के अन्तर्गत ग्राम सिकन्दरपुर हालवारिद जैनापुर में स्थित गाटा सं0 1014 को कूटरचित करके राम लौट पुत्र धनयी, मुम्ताज खां पुत्र बिफयी, प्रवेजरजा पुत्र मो0 अब्बास आदि लोगों द्वारा अपने नाम करा लिये जाने विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर द्वारा प्रकरण में उप जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर से जांच करायी गयी राजस्व ग्राम सिकन्दरपुर की गाटा संख्या–1014 पर खतौनी में कोई कूट रचना नहीं पायी गयी। पक्षों के मध्य चकबन्दी अधिकारी, अकबरपुर, अम्बेडकरनगर के न्यायालय में वाद विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला मऊ के क्षेत्र मधुबन के ब्लाक घोसी के अन्तर्गत ग्राम सभा इटौरा नहर से जीवापार होते हुए हरनहा नहर तक क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराया जाना

107–श्री उमेश पाण्डेय–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन के ब्लाक घोसी के अन्तर्गत ग्राम सभा इटौरा नहर से जीवापार होते हुये हरनहा नहर तक (लगभग 3.5 कि0मी0) की सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त

सड़कों का जनहित में लेपन कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां। ग्राम सभा इटौरा नहर से जीवापार होते हुए हरनहा नहर तक मार्ग की वास्तविक ल0 लगभग 1.20 कि0मी0 है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मुरादाबाद में विद्युत उपखण्ड अधिकारी, कांठ की जनपद मुख्यालय के स्थान पर तहसील मुख्यालय कांठ में बैठने हेतु निर्देशित करने विषयक

108–श्री अनीसुर्ररहमान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विद्युत विभाग में तहसील स्तर पर एस0डी0ओ0 का पद सृजित है ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि तहसील कांठ के विद्युत विभाग के एस0डी0ओ0 तहसील मुख्यालय कांठ के स्थान पर जनपद मुख्यालय मुरादाबाद में बैठते है जिससे स्थानीय नागरिकों को परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त के निराकरण हेतु जनपद मुरादाबाद में विद्युत उपखण्ड अधिकारी कांठ को जनपद मुख्यालय के स्थान पर तहसील मुख्यालय कांठ में बैठने हेतु निर्देशित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड–द्वितीय, मुरादाबाद के अन्तर्गत तहसील कांठ एवं तहसील मुरादाबाद का भौगोलिक क्षेत्र आता है। इनके कार्य क्षेत्र में तहसील का कांठ के 03 नं0 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र क्रमशः अगवानपुर, भीकनपुर एवं कांठ जिसके अंतिम छोर की मुरादाबाद नगर से दूरी लगभग 40 कि0मी0 एवं तहसील मुरादाबाद सदर के भौगोलिक क्षेत्र के 04 नं0 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र क्रमशः दलपतपुर, भीतखेड़ा, सरकडा खास एवं भगतपुर जिसके अंतिम छोर की मुरादाबाद नगर से दूरी लगभग 45 कि0मी0 है, स्थित है। उपभोक्ताओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उक्त दोनों भौगोलिक क्षेत्रों के लगभग मध्य में विद्युत वितरण उपखण्ड द्वितीय का मुख्यालय मुरादाबाद नगर में बनाया गया है।

जनपद मुरादाबाद में पूर्व स्वीकृत कावड़ पथ के निर्माण हेतु धन स्वीकृति के सम्बन्ध में पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

109–श्री अनीसुर्ररहमान–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 02–6–2014 जो विधान सभा क्षेत्र 25–कांठ जनपद मुरादाबाद में पूर्व स्वीकृत कावड़ पथ के निर्माण हेतु धन स्वीकृत करने के सम्बन्ध में था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदढ़ीकरण कार्य हेतु शासनादेश दिनांक 22–12–11 द्वारा लम्बाई 23.250 कि0मी0 हेतु रु0 2228.64 लाख के सापेक्ष अब तक रु0 614.25 लाख की धनराशि निर्गत की गई है। मार्ग पर 20.80 कि0मी0 लम्बाई में चौड़ीकरण कार्य सम्पादित किया गया है। शेष धनावंटन वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

विसरात घाट हनुमत धाम, शाहजहांपुर को रेती रोड से जोड़ने के लिए एक पुल निर्माण हेतु प्रश्नकर्त्ता का पत्र, कृत कार्यवाही की जानकारी

110–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक 725, दिनांक 10–12–2013 को विसरात घाट हनुमत धाम, शाहजहांपुर को रेती रोड से जोड़ने के लिये एक पुल निर्माण कराने हेतु रु0 959.79 लाख के आगणन सहित भेजा था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

आगणन की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जिला चिकित्सालय में टी0एम0टी0 मशीन सी0आर0 एक्सरे, इको कार्डियोग्राफी–पैथॉलाजी आदि की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का पत्र, हुई कार्यवाही की जानकारी

111–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख सचिव, चिकित्सालय स्वास्थ्य को शाहजहांपुर जिला अस्पताल में टी0एम0टी0 मशीन, सी0आर0 एक्सरे, इको कार्डियोग्राफी–पैथोलाजी, आटोमेटिक अनालाइजर, आई0सी0यू0 तथा फिजियोथेरेपी लैब स्थापित करने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र 729 दिनांक 29–11–2013 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी नहीं।

इसी सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का पत्र संख्या–724 दिनांक 29–11–2013 विभाग को प्राप्त हुआ है।

जिला चिकित्सालय, शाहजहांपुर में पैथालॉजी विभाग में सेमी आटोमेटिक एवं अनलाइजर, आई0सी0यू0 वार्ड तथा फिजियोथेरेपी सेन्टर क्रियाशील है। शासनादेश संख्या–41/ 932/पांच–6–14–2(उपकरण)13, दिनांक 10–09–2014 द्वारा जिला चिकित्सालय, शाहजहांपुर हेतु 01 नग कलर डाप्लर अल्ट्रासाउण्ड मशीन एवं 01 नग सी0आर्म मशीन की स्थापना के लिये वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर दी गयी है।

अवशेष विशिष्ट उपकरणों जैसे–टी0एम0टी0 एवं इकोकार्डियोग्राफी आदि मशीनों को स्थापित किया जाना विशिष्ट चिकित्सा विशेषज्ञों, तकनीकी स्टाफ व वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

प्रश्न नहीं उठता।

शाहजहांपुर की 8 सड़कों की मरम्मत/गड्ढ़ा भरने के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग को सम्बोधित प्रश्नकर्त्ता का पत्र, कृत कार्यवाही की जानकारी

112–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख सचिव लो0नि0वि0 को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्रांक 706, दिनांक 13–11–2013 जो शाहजहांपुर की 8 सड़कों की मरम्मत/गड्ढा भरने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिपाल सिंह यादव–

जी हां।

मरम्मत/गड्ढ़ा भरना तथा सेतु/पहुंच मार्ग का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मई, जून, 2014 में बिजली के ट्रान्सफार्मर जलने, तारों के टूटने की समस्या के निदान हेतु ट्रान्सफार्मर तथा तारों की उच्चस्तरीय जांच कराकर कार्यवाही करने तथा गुणवत्ता सुधार का कार्य करने विषयक

113–डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मई, जून, 2014 में अनेकों बिजली के ट्रान्सफार्मर जल गये है और बिजली के भार को संभाल न पाने के कारण अनेक स्थानों पर बिजली के तार टूटकर/जलकर गिर जा रहे हैं, जिससे राजधानी लखनऊ में आये दिन बिजली की समस्या उत्पन्न हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार ट्रांसफार्मरों/बिजली के तारों की गुणवत्ता की उच्चस्तरीय जांच कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

माह मई, 2014 में अतिभारिता के कारण राजधानी, लखनऊ में ट्रांसफार्मर एवं बिजली के तारों के जल कर टूटने की घटनायें हुई हैं। अतः विद्युत वितरण व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु जर्जर तारों को बदलने एवं ट्रांसफार्मर के क्षमतावृद्धि का कार्य बिजनेस प्लान 2014–15 के अन्तर्गत किया जा रहा है।

ट्रांसफार्मर एवं बिजली के तारों की गुणवत्ता आई0एस0 कोड के आधार पर सुनिश्चित की जाती है। आपूर्ति के पूर्व तकनीकी दल द्वारा विशिष्टीकरण के मानकों के अनुसार परीक्षण करके सामग्री प्राप्त की जाती है।

विगत वर्ष 2013 की तुलना में वर्ष 2014 में ट्रांसफार्मर के जलने एवं क्षतिग्रस्त होने के प्रतिशत में भी कमी आयी है।

लखनऊ इलाहाबाद राजमार्ग पर चौड़ीकरण का कार्य चलने के दौरान इलाहाबाद से लेकर रायबरेली तक सड़क के गड्ढों को भरने का कार्य

114–डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ, इलाहाबाद राजमार्ग पर चौड़ीकरण का कार्य चलने के दौरान इलाहाबाद से लेकर रायबरेली तक सड़क के गड्ढों को भरने का कार्य अभी चालू नहीं हुआ है, जिससे लोगों को आवागमन में अत्यन्त असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार आगामी बरसात से पहले उक्त मार्ग को गड्ढामुक्त करा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

लखनऊ इलाहाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–24 बी पर इलाहाबाद से रायबरेली के बीच सड़क के गड्ढों को भरने एवं मरम्मत का कार्य वर्तमान वर्षा ऋतु के दौरान माह अगस्त एवं सितम्बर, 2014 में कराया गया है। समस्त बड़े गड्ढों की मरम्मत बिटूमिन्स मिक्स से भरकर की गयी है। मार्ग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में भीषण जाम से निजात हेतु आउटर रिंग रोड का निर्माण

115–श्री मनीष असीजा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक नगर फिरोजाबाद में भीषण जाम की समस्या से निजात के लिये आउटर रिंग रोड का निर्माण करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी नहीं।

जनपद फिरोजाबाद में शहर फिरोजाबाद को जाम से निजात पाने के लिये पूर्व से एक बाईपास बना हुआ है जो रा0मा0–2 के कि0मी0 232 पर स्थित ग्राम उसायनी से निकलकर रा0मा0–2 के कि0मी0 244, ग्राम आसफाबाद पर आकर मिलता है। निकट भविष्य में आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेस–वे (ग्रीन फील्ड) बनना प्रस्तावित है, जिसके बन जाने से यातायात सुगम हो जायेगा।

जिला अस्पताल फिरोजाबाद में पीने के पानी की भीषण संकट को देखते हुए नलकूपों की व्यवस्था किया जाना

116–श्री मनीष असीजा–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अस्पताल फिरोजाबाद में पीने के पानी का भीषण संकट है ? यदि हां, तो क्या सरकार नलकूपों की स्थापना कर पीने के पानी की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी नहीं।

शासनादेश संख्या–88/2270/पांच–6–14–65(वि0स0)/13, दिनांक 03–11–14 द्वारा नयी डीप बोरिंग/ट्यूबवेल की स्थापना हेतु रु0 34.07 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रु0 17.04 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी मेडिकल आफिसरों की इमरजेंसी ड्यूटी शासनादेशानुसार लगाये जाने के आदेशानुसार पं0 दीन दयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय में इमरजेंसी मेडिकल आफीसरों की ड्यूटी लगाया जाना

117–श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में इमरजेन्सी मेडिकल आफीसरों को कितने दिन इमरजेन्सी ड्यूटी शासनादेशानुसार करना अनिवार्य है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वाराणसी में पं0 दीन दयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय में इमरजेन्सी मेडिकल आफीसरों द्वारा शासनादेश के अनुसार ड्यूटी नहीं की जाती है ?

श्री अहमद हसन–

नियंत्रक अधिकारी द्वारा चिकित्सकों की उपलब्धता के अनुसार रोटेशन में इमरजेन्सी ड्यूटी लगायी जाती है। इस सम्बन्ध में कोई शासनादेश नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद इलाहाबाद में वर्ष 2011–2012 एवं 2012–13 में वन विभाग द्वारा तहसील करछना में किये गये वृक्षारोपण के पौधों में से जीवित पौधों की जानकारी, नष्ट हुए पौधों की जांच कराने विषयक

118–श्री दीपक पटेल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में वन विभाग द्वारा तहसील करछना में वृक्षारोपण का कार्य किया गया था ? यदि हां, तो रोपित पेड़ों में से कितने नष्ट हुये है तथा कितने जीवित है ? क्या सरकार इसमें की गयी अनियमितता की जांच करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, इलाहाबाद द्वारा करछना तहसील में वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में रोपित एवं जीवित पौधों का विवरण निम्न प्रकार है :–

वर्ष	रोपित पौधों की संख्या	जीवित पौधों की संख्या	नष्ट हुये पौधों की संख्या	सफलता प्रतिशत
2011–12	1,230	1,200	30	97.56
2012–13	48,175	46,240	1,935	95.98
योग –	49,405	47,440	1,966	96.02

वृक्षारोपण की सफलता प्रतिशत शासनादेश संख्या–554/चौदह–5–2013–15(10)/93, दिनांक 10–7–2003 के अनुसार निर्धारित मानक के अनुरूप है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के बी0 फार्मा डिग्री धारी बेरोजगार युवकों को फार्मासिस्टों के पद पर नियुक्त किये जाने का प्रकरण

119–श्री दीपक पटेल–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बी0 फार्मा डिग्री धारी बेरोजगार युवकों को फार्मासिस्टों के पद पर नियुक्ति किये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

फार्मासिस्ट सेवा नियमावली, 1980 के अनुसार फार्मेसी में डिप्लोमा की अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों को फार्मासिस्ट के पद पर नियुक्ति प्रदान किये जाने का प्राविधान है। बी0 फार्मा डिग्री धारकों को प्रख्यापित नियमावली, 1980 के अनुसार नियुक्ति प्रदान किये जाने का कोई प्राविधान नहीं है।

जनपद इलाहाबाद की तहसील करछना के विकास खण्ड चाका के गांव इरादतगंज में स्थित रेलवे क्रासिंग में आर0ओ0बी0 का निर्माण हो जाने के बाद उसके पास पूर्व में बनी सड़क की मरम्मत

120–श्री दीपक पटेल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंग कि जनपद इलाहाबाद की तहसील करछना के विकास खण्ड चाका के गांव इरादतगंज में स्थित रेलवे क्रासिंग में आर0ओ0बी0 का निर्माण हो जाने के बाद उसके (बगल) साइड में पूर्व की बनी सड़क जो इरादतगंज समेत कई गांवों को जोड़ती हैं, क्षतिग्रस्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद में जाम की समस्या के निजात हेतु भौतिक सत्यापन कराकर ट्रैफिक समस्या से निजात हेतु फ्लाई ओवर का निर्माण कराने विषयक

121–श्री दीपक पटेल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में प्रदेश की सर्वाधिक आबादी होने के कारण जनपद मुख्यालय के विभिन्न मार्गों पर सदैव जाम की स्थिति बनी रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों का भौतिक सत्यापन कराकर ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात हेतु फ्लाई ओवर का निर्माण करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां। (आंशिक रूप से)

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद महराजगंज के ग्राम जरलहिया में बनाये गये स्वास्थ्य भवन के अन्तर्गत ही चिकित्सालय का संचालन किया जाना

122–श्री देव नरायन उर्फ जी0एम0 सिंह–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र पनियरा जनपद महराजगंज के ग्राम जरलहिया में लगभग 10 वर्षों से करोड़ों रुपया लगाकर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाया गया है जिसे 5 वर्ष पूर्व स्वास्थ्य विभाग को हस्तान्तरण भी हो गया है परन्तु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का संचालन उक्त भवन में न होकर वही किराये पर लिये कमरे का किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर उक्त स्वास्थ्य केन्द्र को निर्मित भवन में स्थानान्तरित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

दिनांक 10–09–2014 को चिकित्सालय का हस्तान्तरण विभाग द्वारा कर लिया गया तथा चिकित्सालय राजकीय भवन में संचालित है।

वर्तमान में चिकित्सालय राजकीय भवन में संचालित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के क्षेत्र बैरिया व क्षेत्र बेल्थरा रोड (सीयर) में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर दवायें उपलब्ध कराया जाना

123–श्री जय प्रकाश अंचल–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र वैटिया व विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा रोड (सीयर) में सरकारी अस्पतालों में दवाओं के अभाव में मरीजों को काफी असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अस्पतालों में प्रचुर मात्रा में दवायें उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

विधान सभा क्षेत्र बैरिया के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सोनबरसा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोटवा एवं मुरली छपरा स्थित है। इसके अतिरिक्त बेल्थरा रोड में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सीयर, नगरा एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नगरा स्थित है, जहां पर दवायें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद के क्षेत्र मोदीनगर के अन्तर्गत ग्राम ईसापुर से त्यौड़ी को जाने वाली क्षतिग्रस्त मार्ग का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र, कृत कार्यवाही की जानकारी

124–श्री सुदेश शर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक एम0 330/रालोद/वि0मं0द0/2014 दिनांक 30–7–2014 जो विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर जनपद–गाजियाबाद के अन्तर्गत ग्राम ईसापुर से त्यौड़ी को जाने वाली क्षतिग्रस्त मार्ग का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

इस मार्ग के उच्चीकरण का कार्य पी0एम0जी0एस0वाई–2 योजना के अन्तर्गत स्वीकृत है। निविदा प्रक्रिया प्रगति में है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत ग्राम पतला से ग्राम खिदौड़ा जाने वाले मार्ग के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र, कृत कार्यवाही की जानकारी

125–श्री सुदेश शर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक 57/19 दिनांक 9–9–2012 जो विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर जनपद–गाजियाबाद के अन्तर्गत ग्राम पतला से ग्राम खिदौड़ा जाने वाले मार्ग के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में है, अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 गाजियाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग अन्य जिला श्रेणी का मार्ग है, जो कि चौड़ीकरण के मानकों को पूर्ण नहीं करता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में बिजली की गम्भीर समस्या से निजात दिलाने के सरकार के प्रयास

126–श्री रविदास मेहरोत्रा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बिजली की गम्भीर समस्या से जनता को भारी परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो प्रदेश में बिजली संकट दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि प्रदेश में बिजली का संकट कब तक समाप्त हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

उत्पादन व मांग के अन्तर के कारण ग्रिड की सुरक्षा हेतु कभी–कभी आकस्मिक कटौती किया जाना अपरिहार्य हो जाता है, जिससे जनता को असुविधा हो जाती है। स्थिति सामान्य होने पर विद्युत आपूर्ति पूर्व की भांति सामान्य कर दी जाती है।

विद्युत मांग एवं आपूर्ति में सामन्जस्य बनाये रखने के लिये प्रदेश में उपलब्धता बढ़ाने हेतु निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। आवश्यकतानुसार द्विपक्षीय अनुबन्ध/इनर्जी एक्सचेंज से ऊर्जा क्रय कर आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्रयास किये जाते हैं। स्थायी समाधान हेतु नई परियोजनायें स्थापित करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

प्रदेश में 2016–17 तक शहरी क्षेत्रों को 22–24 घण्टे एवं ग्रामीण क्षेत्रों को 16 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने की योजना है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड मोहम्मदी के अन्तर्गत हरजनाघाट से मुड़िया चूरामणि गांव की पुलिया तक क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण

127–श्री अवस्थी बाला प्रसाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला–लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के विकास खण्ड–मोहम्मदी के अन्तर्गत हरजनाघाट से मुड़िया चूरामणि गांव की पुलिया तक 600 मी0 क्षतिग्रस्त मार्ग होने के कारण नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का जनहित में नवनिर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

ग्राम हरजनाघाट (हरनाघाट) से मुड़िया चूरामणि गांव की पुलिया तक मार्ग कच्चा (मिट्टी स्तर का) है। ग्राम हरजनाघाट (हरनाघाट) पूर्व से ही लेपित मार्ग द्वारा संतृप्त है एवं मुड़िया चूरामणि सम्पर्क मार्ग प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत

निर्माणाधीन है। दोनों ग्रामों को आपस में जोड़ने का कार्य सरकार की प्राथमिकता में सम्मिलित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मेरठ (कैण्ट) में लखवाया से मलियाना मार्ग का निर्माण कराने विषयक मुख्य मंत्री को पत्र, हुई कार्यवाही की जानकारी

128–श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ (कैण्ट) में लखवाया से मलियाना मार्ग का निर्माण कराने विषयक मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज कम्प्यूटर संख्या–सी0एम0 / वि0को0 / एम0 / पी0जी0 10440262 / 2014 दिनांक 7–3–14 प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

प्रश्नगत कार्य की स्वीकृत लागत रु0 348.39 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में क्रमशः रु0 1.00 लाख तथा रु0 175.00 लाख का धनावंटन निर्गत किया जा चुका है। वर्तमान में कार्य प्रगति में है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

मेरठ शहर के चौराहों पर स्थापित महापुरुषों की प्रतिमाओं का सौन्दर्यीकरण करने विषयक पत्र, हुई कार्यवाही की जानकारी

129–श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ शहर के चौराहों पर स्थापित महापुरुषों की प्रतिमाओं का सौन्दर्यीकरण कराने विषयक मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज कम्प्यूटर संख्या–सी0एम0 / वि0को0 / एम0 / पी0जी0 10440297 / 2014 दिनांक 7–3–2014 प्रमुख सचिव / सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

मेरठ विकास प्राधिकरण से प्राप्त सूचना के अनुसार मेरठ शहर के चौराहों पर स्थापित महापुरुषों की प्रतिमाओं का सौन्दर्यीकरण कराने के सम्बन्ध में विभिन्न समाचार–पत्रों के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित किये गये। न्यूनतम प्रस्ताव मेसर्स ए0आर0एन0 व्यास एक्टीरियस का प्राप्त हुआ।

उपरोक्त कार्य के अन्तर्गत 21 चौराहों / स्थानों पर स्थापित महापुरुषों की प्रतिमाओं के सौन्दर्यीकरण का कार्य प्रस्तावित किया गया है। जिसमें से वर्तमान में 4 स्थानों पर कार्य पूर्ण किया जा चुका है। अवशेष कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

तीन वर्षों तक ग्रामीण क्षेत्रों में सेवायें प्रदान करने वाले पी0एम0एस0 डाक्टरों को पी0जी0 प्रवेश में रिजर्वेशन देने का विचार

130–श्री मनीष असीजा–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 3 वर्षों तक ग्रामीण क्षेत्रों में सेवायें प्रदान करने वाले पी0एम0एस0 डाक्टरों को क्या सरकार पी0जी0 प्रवेश में रिजर्वेशन देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी हां।

यू0पी0पी0जी0एम0ई0 के अन्तर्गत प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के अन्तर्गत एम0डी0/एम0एस0 की 30 प्रतिशत सीटें (कुल 51) पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निरन्तर 3 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले चिकित्साधिकारियों हेतु शासनादेश संख्या–564/चि0–3–14–जी0–06/2013, दिनांक 28–2–2014 के अनुसार आरक्षित की गई है।

प्रश्न नही उठता।

प्रदेश में विद्युत करेन्ट से मरने वाले किसानों को पशुओं आदि के मरने पर दी जाने वाली सहायता राशि का बढ़ाया जाना

131–श्री मनीष असीजा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्युत करेन्ट से मरने वाले किसानों के पशुओं गाय, भैंस, घोड़ा, ऊंट, बैल आदि के मुआवजे की धनराशि वास्तविक कीमत के सापेक्ष अत्याधिक कम है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त वास्तविक क्षतिपूर्ति की धनराशि बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

विद्युत करेन्ट से मरने वाले पशुओं हेतु कारपोरेशन के आदेश संख्या–2400–औसं/08, दिनांक 19–06–2008 द्वारा रु0 5000/– निर्धारित है।

इस धनराशि को बढ़ाने की मांग के सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश शासन की राज्य आपदा मोचन निधि (एस0डी0आर0एफ0) एवं राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एन0डी0एफ0आर0) से सहायता हेतु संशोधित मानक दरों के आलोक में अनुग्रह धनराशि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नही उठता।

जनपद लखनऊ स्थित दुबग्गा मछली मण्डी से त्रिलोकी सिंह इण्टर कालेज बरावन कला तक सड़क चौड़ीकरण कार्य किया जाना

132–श्री रामचन्द्र यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई रोड जनपद लखनऊ स्थित दुबग्गा मछली मण्डी से त्रिलोकी सिंह इण्टर कालेज बरावन कला तक सड़क चौड़ीकरण विषयक श्री कौशल किशोर पूर्व श्रम राज्य मंत्री के पत्र पर

आपके पत्र संख्या 4410 दिनांक 27–08–2012 द्वारा अग्रसारित प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सत्य है कि प्रश्नगत मार्ग का चौड़ीकरण 1 कि0मी0 किया जा चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त चौड़ीकरण के अनुरूप ही शेष सड़क का चौड़ीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

आगणन गठित किया गया है।

जी नहीं, अपितु 600 मी0 लम्बाई में चौड़ीकरण का कार्य लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बस्ती के रूधौली तहसील में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महादेव सिंह मार्ग इण्टर कालेज से जुड़ी क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण

133–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के रूधौली तहसील में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महादेव सिंह मार्ग जो इण्टर कालेज समेत कई शैक्षणिक संस्थाओं को जोड़ने वाला मार्ग क्षतिग्रस्त हो चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती की तहसील भानपुर ग्राम पंचायत रुस्तमपुर में विद्युत अभाव में विद्युत सब–स्टेशन स्थापित किया जाना

134–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती की तहसील भानपुर ग्राम पंचायत रूस्तमपुर में विद्युत के अभाव में कृषि सिंचन क्षमता के साथ घरेलू कार्य प्रभावित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम पंचायत रूस्तमपुर में आवश्यक क्षमता का विद्युत सब–स्टेशन स्थापित करने पर विचार करेगी जिससे क्षेत्र के लोगों को सुचारू रूप से विद्युत का लाभ मिल सके ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

भानपुर में एक विद्युत उपकेन्द्र संचालित है तथा दूसरा तहसील विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कार्य प्रगति पर है। अतः इस विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण के उपरान्त अन्य किसी उपकेन्द्र की तकनीकी रूप से आवश्यकता नहीं रह जायेगी।

जनपद शाहजहांपुर की पुवायां चीनी मिल के 476 वी0आर0एस0 प्राप्त कर्मचारियों के बकाया का भुगतान

135–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर की पुवायां चीनी मिल के 476 वी0आर0एस0 प्राप्त कर्मचारियों का 17 करोड़ 53 लाख रुपया बकाया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इनका बकाया भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जनपद शाहजहांपुर की पुवायां चीनी मिल के 459 कर्मकारों को वी0आर0एस0 का भुगतान नियमानुसार किया जा चुका है। चीनी मिल में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार कर्मकारों का वी0आर0एस0 से पूर्व की अवधि के वेतन, बोनस, बैठकीय भत्ता, भविष्य निधि एवं ओवर टाईम आदि मद में कुल रु0 17.91 करोड़ बकाया है।

इस मिल को वित्तीय वर्ष 2013–14 तक रु0 25176.31 लाख की संचित हानि हो चुकी है और मिल की वित्तीय स्थिति अत्यन्त जर्जर है। धनराशि की व्यवस्था होते ही भुगतान कर दिया जायेगा।

जनपद शाहजहांपुर में किसान दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत ग्राम विझाड़ा हुसेनपुर के मृतक हरविन्दर सिंह तथा ग्राम जमुही के मृतक सतीश चन्द्र की बीमा राशि देने विषयक

136–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसान दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत किसी भी किसान की मृत्यु होने के उपरान्त कितने समय में उसके परिवार को दुर्घटना बीमा की 5 लाख रुपये की धनराशि दी जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद शाहजहांपुर के ग्राम विझाड़ा हुसेनपुर के मृतक हरजिन्दर सिंह तथा ग्राम जमुही के मृतक सतीश चन्द्र को मरने के एक वर्ष बीत जाने के उपरान्त भी बीमा राशि नहीं मिल पायी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मृतक किसानों के आश्रितों को बीमा राशि दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

शासनादेश संख्या–997/1–9–2014–रा–9, दिनांक 10 जुलाई, 2014 की व्यवस्था के अनुसार कृषक/बीमा धारक अथवा आश्रित द्वारा अधिकतम चार माह की अवधि में बीमा दावा सभी निर्धारित प्रपत्र पूर्ण कराकर प्रस्तुत किया जायेगा। बीमा प्रपत्र प्राप्त होने पर सम्बन्धित उप जिलाधिकारी द्वारा बीमा कम्पनी को अधिकतम 3 सप्ताह में बीमा प्रपत्रों को तैयार कर व अन्य औपचारिकतायें पूर्ण कराकर प्रेषित किया जायेगा। जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित खातेदार कृषक अथवा मृत्यु की स्थिति में उसके विधिक वारिस को बजट की उपलब्धता के आधार पर धनराशि का भुगतान किया जाता है।

जी हां, ग्राम जमुही के स्व0 सतीश चन्द्र तथा ग्राम विझाड़ा हुसेनपुर के स्व0 हरजिन्दर सिंह के दावे जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा क्रमशः दिनांक 31–05–2014 तथा 12–08–2014 को स्वीकृत किये जा चुके हैं।

बजट उपलब्ध होने पर क्रमानुसार उनके हिताधिकारियों को निर्धारित धनराशि का भुगतान कर दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

137–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

ख्दूसरे शुक्रवार के अता0प्र0सं0–24 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

प्रदेश में कुछ जनपदों को आपात विद्युत कटौती से मुक्त रखने के कारण की जानकारी

138–श्री मनीष असीजा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुछ जनपदों को आपात विद्युत कटौती से मुक्त रखा गया है ? यदि हां, तो उसका आधार क्या है ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

अपरिहार्य कारणों से एवं कानून–व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए कभी–कभी कुछ जनपद विद्युत कटौती से मुक्त किये जाते हैं।

प्रदेश में किसानों की सिंचाई सुविधा हेतु जनपद स्तर पर नये नलकूपों की स्थापना कराने हेतु जिला बिजनौर में जनप्रतिनिधियों सहित समिति का गठन करके नलकूपों की स्थापना का प्रकरण

139–श्री लोकेन्द्र सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे प्रदेश में किसानों की सिंचाई सुविधा हेतु जनपद स्तर पर नये नलकूपों की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में जनपद स्तर पर जनप्रतिनिधियों सहित किसी समिति का गठन प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है ? यदि हां, तो जनपद बिजनौर में इस समिति की कब–कब बैठकें हुई एवं उसके निर्णयानुसार कुल कितने नये नलकूपों की स्थापना अब तक की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण को सम्बोधित चौकीदार के पद पर तैनाती विषयक–पत्र की गई कार्यवाही की जानकारी

140–श्रीमती सीमा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रवि शंकर सिंह पप्पू माननीय सदस्य, विधान परिषद् का दिनांक 26–10–2010 का पत्र संलग्नक सहित जो कि चौकीदार के पद पर तैनाती विषयक था, उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उसके मुख्य–मुख्य बिन्दु क्या थे और उस पर आज तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

लखनऊ विकास प्राधिकरण से प्राप्त सूचनानुसार उक्त संदर्भित पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद अलीगढ़ में सोमना से खैर दौरऊ से चण्डौस पिसवा, खेरत जवां से कासिमपुर मार्ग की मरम्मत/पुनर्निर्माण विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

141–श्री दलवीर सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में सोमना से खैर दौरऊ से चण्डौस पिसावा, खेरत जवां से कासिमपुर मार्ग की मरम्मत/पुनर्निर्माण विषयक प्रश्नकर्ता के पत्रांक 150/रालोद/विमद/2014, दिनांक 31–7–2014 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त मार्गों की मरम्मत करा दी गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

मार्ग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

सहकारी चीनी मिल साथा, अलीगढ़ की क्षमता वृद्धि का प्रकरण

142–श्री दलवीर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी चीनी मिल साथा, अलीगढ़ की क्षमता वृद्धि पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

चीनी मिल की वित्तीय स्थिति अत्यन्त जर्जर है। वित्तीय वर्ष 2013–14 तक चीनी मिल की संचित हानियां रु0 25,723.73 लाख हो चुकी है। चीनी मिल की नेटवर्थ ऋणात्मक होने के कारण विस्तारीकरण हेतु वित्तीय संस्थाओं से धन की उपलब्धता कठिन है।

जनपद जौनपुर क्षेत्र मुंगरा बादशाहपुर में तरहटी मार्ग और भिखारीपुर से सराय बीकापुर सम्पर्क मार्ग तथा मछली शहर से बेलवार मार्ग का निर्माण किया जाना

143–श्रीमती सीमा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जर्जर सड़कों की मरम्मत के लिये सरकार द्वारा कोई प्रभावी कार्ययोजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या जनपद जौनपुर की विधान सभा क्षेत्र मुंगरा बादशाहपुर में तरहटी सम्पर्क मार्ग और भिखारीपुर से सराय बीकापुर सम्पर्क मार्ग तथा मछलीशहर से बेलवार मार्ग के निर्माण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

बादशाहपुर तरहटी मार्ग (अन्य जिला मार्ग) भारी वाहनों के आवागमन के कारण काफी क्षतिग्रस्त है। मार्ग की लम्बाई 9.70 कि0मी0 है।

भिखारीपुर से सराय बीकापुर सम्पर्क मार्ग कुण्डहा–सुजानगंज–मछलीशहर–मड़िहाहूं–केराकत– सुल्तानपुर मार्ग के थलोई ग्राम से निकलकर गौहानी भिखारीपुर एवं सराय बीकापुर ग्रामों को जोड़ती है। यह ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है। मार्ग की कुल लम्बाई 6.40 कि0मी0 है। मार्ग क्षतिग्रस्त है।

मछलीशहर से बेलवार मार्ग कुण्डहा–सुजानगंज–मछलीशहर–मड़ियाहूं–केराकत–सुल्तानपुर मार्ग का भाग है। यह प्रमुख जिला श्रेणी का मार्ग है। मार्ग की कुल लम्बाई 27.30 कि0मी0 है।

मार्गों की मरम्मत/निर्माण का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला अस्पताल गोरखपुर में अस्थि रोग विभाग में खराब पड़ी सी0 आर्म मशीन को ठीक कराया जाने विषयक

144–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जिला अस्पताल गोरखपुर के अस्थि रोग विभाग में खराब पड़ी सी0 आर्म मशीन को ठीक कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जिला अस्पताल गोरखपुर के अस्थि रोग विभाग में खराब पड़ी सी0 आर्म मशीन निष्प्रयोज्य होने के कारण मरम्मत कराकर ठीक कराया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला चिकित्सालय, गोरखपुर में नयी सी0 आर्म मशीन की व्यवस्था हेतु क्रय आदेश दिनांक 07–10–2014 निर्गत कर दिया गया है।

जनपद बिजनौर में यूकेलिप्टस एवं पापुलर के पेड़ों की कटान को प्रतिबन्ध मुक्त कराने की मांग

145–श्री लोकेन्द्र सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में युकेलिप्टस एवं पापुलर पेड़ों की खेती नगद फसल में आती है ? यदि हां, तो क्या जनपद बिजनौर में यूकेलिप्टस एवं पापुलर के किसानों द्वारा जब अपनी फसल बेची जाती है तो स्थानीय पुलिस एवं वन विभाग द्वारा पेड़ों को काटने से रोका जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश के अन्य जिलों की भांति जनपद बिजनौर में भी यूकेलिप्टस एवं पापुलर के पेड़ों की कटान को प्रतिबन्ध मुक्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

जी नहीं।

जी नहीं।

जिला लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत अखमराजपुर से पिपरी तक क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराया जाना

146–श्री अवस्थी बाला प्रसाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के विकास खण्ड मोहम्मदी के अन्तर्गत अखमराजपुर से पिपरी तक लम्बाई 1.5 कि0मी0 क्षतिग्रस्त मार्ग होने के कारण नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का जनहित में नवनिर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

अखमराजपुर (अखमराजपुर) से पिपरी तक 1.60 कि0मी0 कच्चा मार्ग है जिसका स्वामित्व ग्राम पंचायत का है। अखमराजपुर पूर्व से लेपित मार्ग से जुड़ा है एवं पिपरी ग्राम हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत मार्ग निर्माणाधीन है। दोनों ग्रामों को आपस में जोड़ने का कार्य सरकार की प्राथमिकता में सम्मिलित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद लखीमपुर खीरी के क्षेत्र मोहम्मदी के विकास खण्ड मोहम्मदी के अन्तर्गत गलौली रोड से बौद्धीकलां देवेन्द्र शर्मा उर्फ बब्लू प्रधान के मकान तक क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण

147–श्री अवस्थी बाला प्रसाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के विकास खण्ड मोहम्मदी के अन्तर्गत गलौली रोड से बौद्धीकलां देवेन्द्र वर्मा उर्फ बब्लू प्रधान के मकान तक लम्बाई 600 मी0 मार्ग क्षतिग्रस्त मार्ग होने के कारण नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का जनहित में नवनिर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद लखीमपुर खीरी के क्षेत्र मोहम्मदी के विकास खण्ड ईसानगर के अन्तर्गत ग्राम बेल्तुआ में राजकीय नलकूप स्थापित करने विषयक

148–श्री अवस्थी बाला प्रसाद–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के विकास खण्ड ईसानगर के अन्तर्गत ग्राम बेल्तुआ में बने हुये नलकूप अभी तक चालू नहीं है जिससे ग्रामीण को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र के नलकूपों को चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के विकास खण्ड, ईसानगर के अन्तर्गत ग्राम बेल्तुआ में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा कोई राजकीय नलकूप स्थापित नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखीमपुर खीरी के क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत ग्राम सहजना से वाया खन्देवरा तक क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण

149–श्री अवस्थी बाला प्रसाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला–लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के विकास खण्ड–मोहम्मदी के अन्तर्गत ग्राम सहजना से वाया खन्देवरा होते हुये लगभग लम्बाई 3.0 कि0मी0 तक क्षतिग्रस्त मार्ग होने के कारण हजारों लोगों को आवागमन में कठिनाइयों को सामना करना पड़ रहा हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त क्षतिग्रस्त सड़क का पुनः निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

ग्राम सहजना से खन्देवरा मार्ग का नवनिर्माण श्री रामशरण दास ग्राम सड़क योजनान्तर्गत वर्ष 2014–15 में स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद हाथरस के विकास खण्ड मुरसान के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बामोली में चिकित्सक की तैनाती का प्रकरण

150–श्री रामवीर उपाध्याय–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के विकास खण्ड मुरसान के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बामोली में कोई चिकित्सक उपलब्ध नहीं है जिसके कारण मरीजों को इलाज कराने में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सक की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0 इलाहाबाद से चयनित चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति की गई है। नवनियुक्त चिकित्साधिकारियों में से डा0 अनूप कुमार शर्मा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बामोली पर तैनात है एवं डा0 ललतेश कुमार आयुष चिकित्सक (संविदा) पूर्व से तैनात हैं। उक्त चिकित्साधिकारियों द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बामोली पर आने वाले मरीजों का उपचार किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार चिकित्सक तैनात हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हाथरस के अन्तर्गत ग्राम–बसई बाबस पर स्वीकृत 33/11 के0वी0ए0 विद्युत सब–स्टेशन का कार्य प्रारम्भ किया जाना

151–श्री रामवीर उपाध्याय–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के अन्तर्गत ग्राम–बसई बाबस पर स्वीकृत 33/11 के0वी0ए0 विद्युत सब–स्टेशन का कार्य कब से प्रारम्भ किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जनपद हाथरस के अन्तर्गत ग्राम–बसई बाबस के निकट स्थित 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र नगला रति की क्षमता 3 एम0वी0ए0 है तथा उस पर अधिकतम भार 60 एम्पीयर (1.2 एम0वी0ए0) है, 33/11 के0वी0 नगला रति से ग्राम बसई बाबस मात्र 2 कि0मी0 की दूरी पर है तथा वर्तमान विद्युत उपकेन्द्र पर भार क्षमता के सापेक्ष अत्यधिक कम है। अतः तकनीकी रूप से वर्तमान में किसी अतिरिक्त उपकेन्द्र की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हाथरस के ब्लाक हसायन के गांव दुबई पर स्वीकृत 33/11 के0वी0ए0 विद्युत सब–स्टेशन का कार्य प्रारम्भ करने विषयक

152–श्री रामवीर उपाध्याय–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के अन्तर्गत ब्लाक हसायन के गांव दुबई पर स्वीकृत 33/11 के0वी0ए0 विद्युत सब–स्टेशन का निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो उक्त सब–स्टेशन का निर्माण कार्य कब तक शुरू करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

33/11 के0वी0 उपकेन्द्र हसायन की क्षमता 2ग5 एम0वी0ए0 है तथा अधिकतम भार 400 एम्पीयर है, हसायन से ग्राम दुबई की दूरी मात्र 3 कि0मी0 है तथा विद्युत उपकेन्द्र हसायन की क्षमतावृद्धि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत स्वीकृत है एवं उपकेन्द्र पर भार क्षमता के सापेक्ष कम है। अतः ग्राम दुबई पर तकनीकी दृष्टिकोण से उपकेन्द्र की आवश्यकता नहीं है।

जनपद हाथरस के अन्तर्गत सिकन्दराराऊ रजवहा से निकलने वाले जनसोई मैनर में किसानों को खेती की सिंचाई हेतु पानी चालू कराने विषयक

153–श्री रामवीर उपाध्याय–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के अन्तर्गत सिकन्दराराऊ रजबहा से निकलने वाले जनसोई मैनर में किसानों को खेती की सिंचाई हेतु पानी चालू कराये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

जी हां।

रबी 1422 फसली में।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद एटा एवं जनपद अलीगढ़ के मध्य जी0टी0 रोड के क्षतिग्रस्त होने से मरम्मत कराया जाना

154–श्री रामवीर उपाध्याय–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा एवं जनपद अलीगढ़ के मध्य जी0टी0 रोड क्षतिग्रस्त है जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जी0टी0 रोड की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जनपद एटा एवं अलीगढ़ के मध्य जी0टी0 रोड पर ओवर–ले एवं पैच रिपेयर का कार्य पूर्ण कर मार्ग को गड्ढामुक्त कर दिया गया है जिससे नागरिकों को आवागमन में हो रही असुविधा समाप्त हो गयी है। मार्ग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के विकास खण्ड बबीना में मथुरापुरा मजरा साहू टपरियन में विद्युतीकरण कराने विषयक

155–श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी विकास खण्ड बबीना में मथुरापुरा मजरा साहू टपरियन में अभी तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार मजरा साहू की टपरियन में विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जी हां।

जनपद झांसी विधान सभा क्षेत्र बबीना में ग्राम मथुरापुरा मजरा साहू टपरियन का सूचीकरण जनगणना के सेन्सस कोड 2011 के अनुसार बसावटों की तालिका में सम्मिलित न होने के कारण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत 12वीं विद्युतीकरण योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है।

विद्युतीकरण की किसी योजना में चयनित होने के उपरान्त स्वीकृति एवं धन की उपलब्धता पर विद्युतीकरण कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी विकास खण्ड बबीना में खजुराहा बुजुर्ग मजरा चन्द्रनगर में विद्युतीकरण कराया जाना

156–श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी विकास खण्ड व विधान सभा क्षेत्र बबीना में खजुराहा बुजुर्ग मजरा चन्द्रनगर में आज तक विद्युतीकरण नहीं हुआ

है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम खजुराहा बुजुर्ग मजरा चन्दनगर में विद्युतीकरण का कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जी हां।

जनपद झांसी विधान सभा क्षेत्र बबीना में खजुराहा बुजुर्ग मजरा चन्द्रनगर राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (12वीं) में सम्मिलित है। सर्वे का कार्य प्रगति पर है, दो वर्ष में (सितम्बर, 2016) कार्य पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के विकास खण्ड में ग्राम सारवां में मजरा–भडरा में विद्युतीकरण कराया जाना

157–श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी विकास खण्ड व विधान सभा क्षेत्र बबीना में ग्राम सारवां में मजरा–भडरा में आज तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम सारवां के मजरा भण्डरा में विद्युतीकरण का कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जी हां।

जनपद झांसी विकास खण्ड व विधान सभा क्षेत्र बबीना में ग्राम सारवां में मजरा–भण्डरा विद्युतीकरण हेतु भारत सरकार की राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण 12वीं योजना में सम्मिलित है। सर्वे का कार्य प्रगति पर है, दो वर्ष में (सितम्बर, 2016) कार्य पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के विकास खण्ड बबीना में ग्राम सिमरावारी मजरा डुबकी में विद्युतीकरण कराया जाना

158–श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी विकास खण्ड व विधान सभा क्षेत्र बबीना में ग्राम सिमरावारी मजरा डुबकी में आज तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम सिमरावरी मजरा डुबकी में विद्युतीकरण का कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जी हां।

जनपद झांसी के विकास खण्ड व विधान सभा क्षेत्र बबीना में ग्राम सिमरावरी मजरा डुबकी का सूचीकरण जनगणना के सेन्सस कोड 2011 के अनुसार बसावटों की तालिका में सम्मिलित न होने के कारण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (12वीं) में सम्मिलित नहीं किया गया है।

विद्युतीकरण की किसी योजना में चयनित होने के उपरान्त स्वीकृति एवं धन की उपलब्धता पर विद्युतीकरण कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के विकास खण्ड बबीना में ग्राम रकसा मजरा जनकपुर में विद्युतीकरण कराया जाना

159–श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी विकास खण्ड व विधान सभा क्षेत्र बबीना में ग्राम रकसा मजरा जनकपुर में आज तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

मजरा जनकपुर का सूचीकरण जनगणना सेन्सस कोड 2011 के अनुसार बसावटों की तालिका में सम्मिलित न होने के कारण भारत सरकार की 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना एवं किसी योजना में सम्मिलित नहीं किया जा सका है।

विद्युतीकरण की किसी योजना में चयनित होने के उपरान्त स्वीकृति एवं धन की उपलब्धता पर विद्युतीकरण कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बदायूं के क्षेत्र बिल्सी के विकास अम्बियापुर के ग्राम बांसबरौलिया व हरगनपुर विकास खण्ड उझानी के ग्राम संजरपुर बालजीत तथा हजरतगंज की घनी आबादी के ऊपर हाईटेन्शन विद्युत लाइन हटवाया जाना

160–श्री मुसर्रत अली बिट्टन–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र बिल्सी के विकास खण्ड अम्बियापुर के ग्राम बांसबरौलिया व हरगनपुर विकास खण्ड उझानी के ग्राम संजरपुर बालजीत तथा हजरतगंज में घनी आबादी के ऊपर से हाईटेन्शन लाइन गुजर रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थान से हाईटेन्शन विद्युत लाइन को हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र बिल्सी के विकास खण्ड अम्बियापुर के ग्राम बांसबरौलिया व हरगनपुर विकास खण्ड ऊझानी के ग्राम संजरपुर बालजीत तथा हजरतगंज में बनायी गयी हाईटेंशन लाइन बनाते समय कोई मकान अथवा आबादी नहीं थी। ग्रामवासियों के द्वारा विद्युत नियमावली, 1956 के नियम–80, 82 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है।

उक्त लाइन की शिफ्टिंग हेतु स्थान की उपलब्ध/तकनीकी सम्भाव्यता होने एवं शिफ्टिंग चार्जेज धनराशि (आगणित धनराशि) जमा होने के उपरान्त ही सम्भव हो सकेगा। विद्युत सुरक्षा की दृष्टि से उक्त लाइन की गार्डिंग का कार्य वित्तीय वर्ष 2014–15 के बिजनेस प्लान मद में सम्मिलित कर लिया गया है। जिसका कार्य मार्च, 2015 तक कराया जाना लक्षित है।

जनपद बदायूं के क्षेत्र बिल्सी में कहला सरौटा नया खेड़ा के स्थान पर गंगा नदी में बाएं तट पर गंगा के कटान रोकने की मांग

161–श्री मुसर्रत अली बिट्टन–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र 114 बिल्सी का कहला सरौटा नया खेड़ा क्षेत्र गंगा की बाढ़ से पूर्णतया कटान के कगार पर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में कटान रोकने के लिये जनहित में बंधा बनाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र बिल्सी में कहला, सरौटा, नयाखेड़ा के स्थान पर गंगा नदी के बाएं तट पर कछला, सरौटा एवं नयाखेड़ा ग्राम स्थित है। गंगा नदी विगत वर्ष से ग्राम सरौटा के निकट कटान कर रही है। कछला और नयाखेड़ा ग्राम में कटान की कोई समस्या अभी तक प्रकाश में नहीं आई है। सरौटा आदि निकटस्थ ग्रामों को गंगा नदी की बाढ़ के कारण होने वाले कटान से सुरक्षा प्रदान करने के लिये एक परियोजना जनपद बदायूं में गंगा नदी के बाएं किनारे पर स्थित ग्राम सरौटा, नूरगंज चौसिंगा आदि ग्राम समूह की सुरक्षा हेतु बाढ़ सुरक्षा परियोजना धनराशि रु0 597.50 लाख बनाकर वित्त पोषण हेतु नाबार्ड को प्रेषित की गई है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के विकास खण्ड बनकटी के अन्तर्गत पकरी चन्दा चौराहे से ग्राम कटहापुर तक सड़क का निर्माण कराया जाना

162–श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विकास खण्ड बनकटी के अन्तर्गत पकरी चन्दा चौराहे से ग्राम कटहापुर तक लगभग 2.00 कि0मी0 तक पक्की सड़क अत्यन्त जर्जर व गड्ढा युक्त होने के कारण क्षेत्रीय जनता को आवागमन में

अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। पकरीचन्दा चौराहा विकास खण्ड बनकटी एवं ग्राम कटहापुर विकास खण्ड बस्ती सदर में पड़ता है।

मार्ग के निर्माण का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के विकास खण्ड बस्ती सदर के अन्तर्गत जिगना चौराहे से सोनवरसा होते हुए ग्राम भेखला तक जर्जर सड़क का निर्माण किया जाना

163–श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विकास खण्ड बस्ती सदर के अन्तर्गत जिगना चौराहे से सोनवरसा होते हुए ग्रा0 भेखला तक लगभग 3.00 कि0मी0 तक पक्की सड़क अत्यन्त जर्जर व गड्ढा युक्त होने के कारण क्षेत्रीय जनता को आवागमन में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

मार्ग के निर्माण का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के विकास खण्ड साऊघाट के अन्तर्गत ग्राम व्योतरा से पहरा होते हुए मेहदावल रोड तक, बस्ती मेहदावल मार्ग छीतावर गांव तक तथा बस्ती मेहदावल मार्ग से बागडीहा तक जर्जर सड़क निर्माण

164–श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विकास खण्ड साऊघाट के अन्तर्गत ग्राम व्योतरा से पहरा होते हुए मेहदावल रोड तक लगभग 3.00 कि0मी0 तक व बस्ती मेंहदावल मार्ग छीतावर गांव तक लगभग 500 मीटर तक तथा बस्ती मेहदावल मार्ग से बागडीहा तक लगभग 2.00 कि0मी0 तक पक्की सड़क अत्यन्त जर्जर व गड्ढायुक्त होने के कारण क्षेत्रीय जनता को आवागमन में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

मार्ग के निर्माण का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड मानिकपुर में मानिकपुर बाजार तिरहा से ग्राम चुरेह के केशरूवा अनुसूचित जाति बस्ती के आगे अधूरे सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

165–श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड मानिकपुर में मानिकपुर बाजार तिराहा से ग्राम चुरेह केशरूवा अनुसूचित जाति बस्ती के आगे म0प्र0 सीमा तक अधूरे सम्पर्क मार्ग पर पक्के गड्ढायुक्त एवं बरसात के समय मार्ग में जलभराव हो जाने के कारण आवागमन में क्षेत्रीय जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड मऊ में हनुमानगंज मजरा लौरी से कोटा कदैला तक अधूरे सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने की मांग

166–श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड मऊ में हनुमानगंज मजरा लौरी से कोटा कदैला तक अधूरे सम्पर्क मार्ग पर पक्के गड्ढायुक्त एवं बरसात के समय मार्ग में जल भराव हो जाने के कारण आवागमन में क्षेत्रीय जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी नहीं। अपितु लो0नि0वि0 के अधीन ग्राम लौरी से हनुमानगंज तक 3.30 कि0मी0 लम्बाई का अन्य जिला मार्ग है, जिसकी दशा संतोषजनक है तथा ग्राम कोटा कण्डैला दूसरी तरफ से ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड द्वारा निर्मित मार्ग से जुड़ा है। प्रश्नगत बसावटें पूर्व से ही पक्के सम्पर्क मार्ग से जुड़ी होने के कारण इन्हें आपस में जोड़ा जाना लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद चित्रकूट विकास खण्ड मऊ में बरगढ़ मोड़ से परानू बाबा होते ग्राम परदवा तक अधूरे सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने की मांग

167–श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड मऊ में बरगढ़ मोड़ से परानू बाबा होते हुए ग्राम परदवा तक अधूरे सम्पर्क मार्ग पर पक्के गड्ढायुक्त एवं बरसात के समय मार्ग में जलभराव हो जाने के कारण आवागमन में क्षेत्रीय जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

बरगढ़ मोड़ से परानू बाबा मन्दिर होते हुए गढ़वा ग्राम तक मार्ग की लम्बाई 8.30 कि0मी0 है। इस मार्ग पर लोक निर्माण विभाग का स्वामित्व नहीं है। लोक निर्माण विभाग के अधीन ग्राम गढ़वा से पूरब पताई तक 2.00 कि0मी0 लम्बाई का ग्रामीण मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है तथा पूरब पताई से परदवा तक अन्य जिला मार्ग लम्बाई 17.10 कि0मी0 संतोषजनक है।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के पयागपुर क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड कैसरगंज, पयागपुर एवं हुजूरपुर के ग्रामों/मजरों में विद्युतीकरण शीघ्र प्रारम्भ किये जाने विषयक–पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

168–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड कैसरगंज, पयागपुर एवं हुजूरपुर के ग्रामों/मजरों में रा0गा0ग्रा0वि0यो0 फेज–2 में सम्मिलित कर विद्युतीकरण शीघ्र प्रारम्भ कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र जो मुख्य मंत्री सचिवालय का पत्र संख्या–सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0–10462470/2014 द्वारा प्रमुख सचिव, ऊर्जा, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड कैसरगंज, पयागपुर एवं हुजूरपुर के ग्रामों/मजरों जिनकी आबादी वर्ष 2001 की

जनगणना के अनुसार 300 से अधिक है, के कुल 232 ग्रामों में 159 ग्रामों के मजरे राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण 11वीं योजना डी0पी0आर0 में सम्मिलित हैं। स्वीकृत ग्राम/मजरों के विद्युतीकरण का कार्य माह अक्टूबर, 2015 तक पूर्ण करना लक्षित है।

शेष ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु डी0पी0आर0 आर0ई0सी0 को स्वीकृत करने हेतु प्रेषित की गयी है। स्वीकृति के उपरान्त ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, भारत सरकार से धन उपलब्ध होने के उपरान्त विद्युतीकरण कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत स्वीकृत मजरों में विद्युतीकरण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

169–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत स्वीकृत मजरों में विद्युतीकरण कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र जो मुख्य मंत्री सचिवालय का पत्र संख्या–सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0–10462459/2014 द्वारा प्रमुख सचिव, ऊर्जा, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

मा0 सदस्य द्वारा इंगित कुल 182 मजरों में से मानक के अनुसार 2001 की जनगणना में 300 या अधिक बसावटों वाले मात्र 70 मजरे राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण के डी0पी0आर0 में सम्मिलित है, जिनमें से 27 मजरों में कार्य पूर्ण हो गया है, शेष चयनित मजरों का विद्युतीकरण अगस्त, 2015 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच में पयागपुर क्षेत्र के ग्रामों के पुराने खम्भों तथा तारों को बदले जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

170–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के ग्रामों में 245 नग पुराने पोलों तथा 86 कि0मी0 जर्जर तारों को बदलने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र जो मुख्य मंत्री सचिवालय का पत्र संख्या–सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0–10462446/2014 द्वारा प्रमुख सचिव, ऊर्जा, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत जर्जर विद्युत लाइनों के सुदृढ़ीकरण के कार्य के अन्तर्गत 120 नग विद्युत पोल एवं 1.3 कि0मी0 विद्युत तार बदले गये हैं। शेष का परीक्षण कर आवश्यकतानुसार धन की उपलब्धता के अनुरूप कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद की तहसील कांठ से बेगमपुर करनपुर ठाकुर द्वारा होकर जसपुर तक मार्ग का निर्माण एवं रामगंगा नदी पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र कार्यवाही की जानकारी

171–श्री अनीसुर्ररहमान–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 02–06–2014 जो कि जनपद मुरादाबाद की तहसील कांठ से बेगमपुर करनपुर ठाकुरद्वारा होकर जसपुर (उत्तराखण्ड) तक मार्ग का निर्माण एवं रामगंगा नदी पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में था, मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

जनपद मुरादाबाद में कांठ से जसपुर तक 35.30 कि0मी0 मार्ग में 3.90 कि0मी0 कच्चा मार्ग छोड़कर अवशेष लम्बाई पूर्व में पक्का निर्मित है। 3.90 कि0मी0 रामगंगा नदी के कच्चे भाग में मार्ग बनाने हेतु 600.00 लाख तथा मार्ग पर पड़ने वाले रामगंगा नदी पर 540.00 मी0 लम्बाई के वृहद सेतु के निर्माण की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मुरादाबाद के क्षेत्र कांठ के ग्राम उमरी चौराहा, सिकन्दराबाद, सलेमपुर के विद्युत ट्रांसफार्मर लगाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

172–श्री अनीसुर्ररहमान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 09–06–2014 जो जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ के ग्राम उमरी चौराहा, सिकन्द्राबाद, सलेमपुर में विद्युत ट्रांसफार्मर लगवाने के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ के ग्राम उमरी चौराहा, सिकन्द्राबाद, सलेमपुर में स्थापित परिवर्तकों की अतिभारिता कम करने हेतु अतिरिक्त ट्रान्सफार्मर लगाने के सम्बन्ध में प्राक्कलन बनाये गये हैं परन्तु उपरोक्त परिवर्तकों पर अत्याधिक विद्युत राजस्व बकाया होने के कारण प्राक्कलन स्वीकृत नहीं हो पाया है। बकाया राजस्व

के वसूली के उपरान्त अतिभारिता कम करने हेतु ट्रान्सफार्मर लगाया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की लखनऊ स्थित सेक्टर एम0 अलीगंज कालोनी के रिहायसी मकानों में विद्यालय चलाये जाने के कारणों तथा तत्काल बन्द किये जाने का मामला

173–श्री अनीसुर्ररहमान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की लखनऊ स्थित सेक्टर एम0 अलीगंज कालोनी के रिहायशी मकानों में कक्षा–1–5 तथा कक्षा 1–8 तक के विद्यालय मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18–04–2013 के विरुद्ध चलाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उनकी सूची सदन के पटल पर रखते हुए उन्हें तत्काल बन्द कराते हुए उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

उक्त क्षेत्र में संचालित निम्न दो विद्यालय चिन्हित किये गये हैं :–

1–एम0एल0एम0 माण्टेसरी स्कूल, एल–6–78, सेक्टर–एम, अलीगंज।

2–टिनी टाट्स इण्टर कालेज, सी–42, 43 सेक्टर–एम, अलीगंज।

आवासीय भू–उपयोग में विद्यालय संचालित होने के कारण उ0 प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–16 के अन्तर्गत संयुक्त सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 10–11–2014 को कारण बताओ नोटिस निर्गत कर निर्धारित प्रक्रियानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

सिंचाई (यांत्रिक) में रिक्त सींच पर्यवेक्षक तथा जिलेदार के पदों पर पदोन्नति किये जाने का प्रकरण

174–श्री अनीसुर्ररहमान–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2012 के 3सरे बुधवार के अता0प्र0सं0–91 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई (यांत्रिक) में रिक्त सींच पर्यवेक्षक तथा जिलेदार के पदों पर पदोन्नतियां कर दी गयी हैं ? यदि नहीं, तो इसके लिये दोषी कौन हैं तथा कब तक उपरोक्त रिक्त पदों को पदोन्नतियों द्वारा भर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

सिंचाई (यांत्रिक) में सींच पर्यवेक्षक के कुल 535 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 387 पदों को नलकूप चालकों की पदोन्नति द्वारा भरा जा चुका है तथा शेष 148 रिक्त पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही सक्षम अधिकारी द्वारा की जा रही है।

जिलेदार के कुल 176 रिक्त पदों पर प्रोन्नतियां की जा चुकी हैं।

पदोन्नति एक सतत् एवं निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। अवशेष रिक्त पदों पर प्रोन्नति की कार्यवाही प्रक्रिया में है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद के कांठ क्षेत्र के ग्राम मुड़िया, मुस्तापुर, खण्डसाल, विलायत नगर एवं लाइलाबाद का विद्युतीकरण कराया जाना

175–श्री अनीसुर्ररहमान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र कांठ (मुरादाबाद) के ग्राम मुड़िया गन्नू, मुस्तापुर खण्डसाल विलायत नगर एवं लाइलाबाद का विद्युतीकरण हेतु राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में चयन हो गया है ? यदि हां, तो विद्युतीकरण की प्रक्रिया कब तक प्रारम्भ होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

विधान सभा क्षेत्र कांठ (मुरादाबाद) ग्राम मुड़िया गन्नू, मुस्तापुर खण्डसाल (ब्लाक डिलारी), वर्ष 2011 के सेंसस में सम्मिलित नहीं है जिस कारण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना द्वितीय चरण में सम्मिलित नहीं किया गया है। ग्राम–विलायत नगर, ग्राम कीरतपुरी (ब्लाक छजलैट) का मजरा है। ग्राम कीरतपुरी एवं मजरा विलायत नगर को वर्ष 2014–15 में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना में चयनित किया गया है जिसका विद्युतीकरण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना द्वितीय चरण में कराया जाना प्रस्तावित है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, भारत सरकार से धन उपलब्धता के उपरान्त इनका विद्युतीकरण सम्भव हो सकेगा।

ग्राम लाइलाबाद (ब्लाक छजलैट) गैरआबाद है जिस कारण इस ग्राम को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना द्वितीय चरण में सम्मिलित नहीं किया गया है।

प्रश्न नही उठता।

शाहजहांपुर में जाम की समस्या से बचने हेतु रिंग रोड के निर्माण कराने की मांग

176–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर में जाम की समस्या को देखते हुए दिनांक 30–8–2012 को मा0 प्रभारी मंत्री ने जिला योजना समिति की बैठक में शाहजहांपुर में रिंग रोड बनाने का प्रस्ताव तैयार करके भिजवाने का आदेश दिया था ? यदि हां, तो इस संदर्भ में अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या जो प्रस्ताव रिंग रोड का आया है उसका पी0एफ0ए0डी0 हो चुका है ? यदि हां, तो इसके निर्माण की क्या प्रक्रिया होगी ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

रिंग रोड के निर्माण के कार्य हेतु रु0 6852.01 लाख का आगणन गठित किया गया है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सड़कों की मरम्मत या गड्ढे भरने की नीति के अनुसार जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त गड्ढेयुक्त मार्ग का निर्माण कराया जाना

177–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सड़कों की मरम्मत या गड्ढे भरने की क्या नीति है ? क्या मा0 मंत्री जी को ज्ञात है कि जनपद शाहजहांपुर में ब्लाक माबलखेड़ा के अन्तर्गत ग्राम विलरिया, वसिलिया खानपुर देहा मार्ग एन0एच0–24 से मेजवान होटल के आगे से सी0डब्ल्यू0सी0 गोदाम जाने वाला मार्ग एन0एच0–24 से ही रामपुर वरकतपुर जाने वाला मार्ग ग्राम नियायतपुर से पुल मार्ग से तिउलक जाने वाला मार्ग मोहम्मदी रोड से नहर की पूर्वी पटरी से जपनापुर उदियापुर जाने वाला मार्ग तथा ब्लाक ददरौल के अन्तर्गत आने वाला शहर शहनवाजनगर घुसगवां मार्ग तथा निगोही रोड से रेभा ग्राम को जाने वाले मार्ग क्षतिग्रस्त होकर गड्ढेयुक्त हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

सड़कों पर गड्ढे होना एक सतत् प्रक्रिया है जिन्हें उपलब्ध संसाधनों से समय–समय पर बनवाये जाने की नीति है।

जी हां, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, परन्तु प्रश्न में वर्णित एन0एच0–24 से मेजवान होटल के आगे से सी0डब्लू0सी0 गोदाम जाने वाला मार्ग मण्डी परिषद् के स्वामित्व का है।

मार्गों की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बहराइच के पयागपुर क्षेत्र के प्रमुख बाजारों में ए0बी0सी0 बंच केबिल लगाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

178–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के प्रमुख बाजारों में ए0बी0सी0 बंच केबुल लगाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र जो मुख्य मंत्री सचिवालय का पत्र संख्या–सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0–10462443/2014 द्वारा प्रमुख सचिव, ऊर्जा, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ को प्राप्त

हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत आने वाले प्रमुख बाजारों में जर्जर तारों के स्थान पर 6.45 कि0मी0 ए0बी0सी0 केबिल के बदलने का कार्य सितम्बर, 2014 में कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

शाहजहांपुर में जाम से निजात पाने के लिये रिंग रोड बनाने का प्रस्ताव पर अब तक की गई कार्यवाही की जानकारी

179–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर में जाम की समस्या से निजात पाने के लिये एक रिंग रोड बनाने का प्रस्ताव जिला योजना समिति शाहजहांपुर के माध्यम से दिनांक 30–08–2012 को प्रभारी मंत्री जी के निर्देश पर तैयार कराके भेजा गया है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार इसको दो चरण में बनवाने की स्वीकृति प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

रिंग रोड के निर्माण के कार्य हेतु रु0 6852.01 लाख का आगणन गठित किया गया है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम हथौड़िया के पास मोहम्मदी जाने वाली (मउवास के पास) क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत कराया जाना

180–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के ग्राम हथौड़िया के पास मोहम्मदी जाने वाले (मउवास के पास) रास्ते पर एक छोटा पुल वर्षों से क्षतिग्रस्त पड़ा है ? यदि हां, तो सरकार उसकी मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां। पुल मरम्मत योग्य नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्नगत स्थान पर काफी पुराना आर्च का पुल निर्मित था जो विगत 3 वर्षों से अत्यन्त क्षतिग्रस्त स्थिति में होने के कारण भारी वाहनों के आवागमन हेतु बन्द है। यह पुल मरम्मत योग्य नहीं है।

नये पुल का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

जनपद गाजियाबाद क्षेत्र मोदीनगर के अन्तर्गत समस्त रजवाहे एवं माइनरों तथा साइड पटरियों की सफाई के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

181–श्री सुदेश शर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक–एम0–329/रालोद/वि0म0द0/2014, दिनांक 30–07–2014 जो विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत समस्त रजवाहे एवं माइनरों तथा साइड पटरियों की सफाई के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

182–श्री मनीष असीजा–

खदिनांक 17–11–2014 को अता0प्र0सं0–111 द्वारा उत्तरित,

जनपद आगरा में अवैध कालोनियों को नियमित करने तथा जनसुविधा हेतु आरक्षित पार्क भू–खण्डों पर पार्क विकसित करने का प्रकरण

183–डा0 धर्मपाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में अवैध कालोनियों को नियमित किये जाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन कालोनियों में जनसुविधा हेतु आरक्षित पार्क भू–खण्डों पर पार्क विकसित करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां। शासनादेश दिनांक 26–05–2001 द्वारा अवैध कालोनियों के नियमितीकरण हेतु गाईडलाइन्स जारी की गई है। जिसमें वर्ष 2003 तथा 2008 में आंशिक संशोधन किया गया है।

उक्त गाईडलाइन के अनुसार किसी अनाधिकृत कालोनी का नियमितीकरण हो जाने के उपरान्त उसमें पार्क हेतु स्थान उपलब्ध होने और नियमितीकरण एवं शमन की कार्यवाही से समुचित धनराशि प्राप्त होने पर ही प्राधिकरण द्वारा सम्बन्धित कालोनी के विकास कार्य (जिसमें पार्कों का विकास भी शामिल है) क्रियान्वित किये जाने की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती में आवश्यकता से कम पानी बरसने के कारण सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग

184–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में आवश्यकता से कम वर्षा होने के कारण किसानों की फसल प्रभावित हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार रबी की फसल की स्थित को देखते हुए जनपद बस्ती को सूखाग्रस्त घोषित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी नहीं।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय दैवी आपदा राहत समिति की दिनांक 01–09–2014 व 08–09–2014 को हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुति के अनुसार 50 प्रतिशत से कम वर्षा वाले 44 जनपदों को शासनादेश संख्या–318/1–11–2014–18 (जी)/2006 दिनांक 16–09–2014 द्वारा सूखाग्रस्त घोषित किया गया है।

जनपद बस्ती में माह जुलाई से 31 अगस्त, 2014 तक औसत वर्षा 63.9 प्रतिशत होने की दशा में जनपद बस्ती को सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

गोरखपुर महानगर में निर्माणाधीन अशफाकउल्ला खान जन्तु उद्यान के शेष कार्यों को पूरा कराया जाना

185–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर में निर्माणाधीन अशफाकउल्ला खान जन्तु उद्यान में क्या–क्या कार्य कितनी लागत से किये जाने के एवं कौन–कौन से कार्य पूरे हो चुके हैं ? शेष कार्यों को कब तक पूरा करा लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत निर्माणाधीन शहीद अशफाकउल्ला खां प्राणि उद्यान के निर्माण की परियोजना की कुल लागत रु0 8805.91 लाख है। वर्तमान में इनमें से रु0 1506.60 लाख का व्यय किया जा चुका है। जिसमें मास्टर प्लान बनाने का कार्य, क्षेत्र का सर्वे, सफाई, मिट्टी भरान कार्य, रिटेनिंग वाल निर्माण कार्य, गोरखपुर विकास प्राधिकरण को भू–मूल्य का भुगतान कार्यालय के जीर्णोद्धार का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

परियोजनावधि में बजट की उपलब्धता के अनुसार शेष कार्य पूर्ण कराये जायेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच क्षेत्र पयागपुर की ग्राम पंचायतों में राजकीय नलकूप स्थापित करने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

186–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में उल्लिखित 4 ग्राम पंचायतों में राजकीय नलकूप अधिष्ठापित कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र के संदर्भ में मुख्य मंत्री सचिवालय का पत्र संख्या–सी0एम0/वि0को0/एम0/ पी0जी0–10469353/2014, प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बरेली के आंवला तहसील में स्थित लिलोर नामक झील के संरक्षण के लिये संरक्षण योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों के विवरण विषयक पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

187–डा0 अरुण कुमार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के आंवला तहसील में स्थित लीलोर नामक झील के संरक्षण के लिये वित्तीय वर्ष 2014–15 में झील संरक्षण योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों के विवरण विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–क–5 नं0–270526 दिनांक 30–9–2014 जिला अधिकारी, जनपद बरेली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

लीलोर झील के सौन्दर्यीकरण एवं जीर्णोद्धार हेतु परियोजना लागत रु0 838.19 लाख की व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित की गयी है। वर्तमान में परियोजना पर वित्त पोषण की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत ब्लाक मोहम्मदी और पसगवां की क्षतिग्रस्त सड़कों का मरम्मत कराया जाना

188–श्री अवस्थी बाला प्रसाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत ब्लाक मोहम्मदी और पसगवां की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत पड़ने वाले समस्त राजमार्ग, प्रमुख जिला मार्ग व अन्य जिला मार्ग गड्ढामुक्त है। ग्रामीण मार्गों में कुछ मार्ग क्षतिग्रस्त है, जिनकी मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक मिर्जापुर के गांव थरिया से बलिया जाने वाली सड़क के क्षतिग्रस्त होने से मरम्मत कराया जाना

189–श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक मिर्जापुर के गांव थरिया से बल्लिया जाने वाली सड़क जो पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना के अन्तर्गत बनाई गयी थी, क्षतिग्रस्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं

आज दिनांक 19–11–2014 को नियम–301 के अन्तर्गत कुल 78 सूचनायें प्राप्त हुईं एवं समस्त सूचनायें स्वीकार की गईं :–

क्र0सं0	मा0 सदस्य का नाम	विषय
1	डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल	प्रदेश में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों हेतु रिजवी कमेटी की सिफारिशें लागू किये जाने के सम्बन्ध में है,
2	श्री अनुग्रह नारायण सिंह	जनपद इलाहाबाद में व्याप्त विभिन्न विद्युत समस्याओं का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है,
3	श्री दलजीत सिंह	जनपद बांदा के कतिपय सम्पर्क मार्गों की मरम्मत एवं पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है,
4	श्री सुरेश कुमार खन्ना	जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा की कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है,

5	श्री धर्मपाल सिंह	जनपद आंवला के विधान सभा क्षेत्र आंवला स्थित रम्पुरा–सिरौली मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है,
6	श्री सुरेश राणा	जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के ग्राम अम्बेहटा याकूबपुर में प्रस्तावित मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है,
7	श्री सतीश महाना	कानपुर महानगर के कतिपय प्रमुख मार्गों की मरम्मत कराये जाने एवं जल निकासी की समस्या के निराकरण हेतु नालियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है,
8	श्री संगीत सिंह सोम	प्रदेश के माध्यमिक शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में है,
9	श्री बजरंग बहादुर सिंह	जनपद महाराजगंज अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र फरेन्दा के विकास खण्ड बृजमनगंज को टाउन एरिया बनाये जाने के सम्बन्ध में है,
10	श्री उपेन्द्र तिवारी	जनपद बलिया के फेफना विधान सभा क्षेत्र में अन्त्येष्टि स्थल बनाये जाने के सम्बन्ध में है,
11	श्रीमती विमला बाथम	नोएडा विधान सभा क्षेत्र में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में है,
12	श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)	वाराणसी शहर में दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सार्वजनिक कुओं की सफाई व आवश्यकतानुसार मरम्मत कराकर पीने योग्य पानी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है,

क्र0सं0	मा0 सदस्य का नाम	विषय
13	श्री रविन्द्र भड़ाना	जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र दक्षिण की कतिपय जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है,
14	श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी	जनपद मथुरा के थाना कोतवाली में दिनांक 13–8–2014 को दर्ज मुकदमा अपराध संख्या–676/14 पर समुचित कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,
15	श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)	जनपद मेरठ में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत पेयजल हेतु लम्बित कार्यों को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है,
16	श्रीमती कृष्णा पासवान	जनपद फतेहपुर अन्तर्गत स्थापित जरौली पम्प

		कैनाल की क्षतिग्रस्त पटरियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है,
17	श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव	वाराणसी महानगर के कैण्टोमेंट क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है,
18	श्री मनीष असीजा	जनपद फिरोजाबाद में राजा का ताल से दबरई के मध्य उपरिगामी सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है,
19	श्री अमर पाल शर्मा	गाजियाबाद की ट्रांस हिण्डन क्षेत्र में सरकारी अस्पताल बनवाये जाने के सम्बन्ध में है,
20	श्री सुरेश बंसल	गाजियाबाद के हिण्डन विहार वार्ड नं0–50 में आनन्द मशीनरी से सुल्तान चौक तक की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है,
21	श्री रवि शर्मा	डी0एल0एफ0 कालोनी, साहिबाबाद, गाजियाबाद की क्षतिग्रस्त सड़कों और नालियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है,
22	श्री अगयश राम सरन वर्मा	जनपद पीलीभीत में सहकारिता विभाग द्वारा विभिन्न पदों पर की गई नियुक्ति प्रक्रिया की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है,
23	श्री कमाल यूसुफ मलिक	जिला मुख्यालय सिद्धार्थनगर में डुमरियागंज से बांसी तक के 30 कि0मी0 मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है,
24	श्री विजय कुमार पासवान	जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र कपिलवस्तु के कतिपय क्षेत्रों में आयरन एवं न्यू बोल्डर पीचिंग का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है,

क्र0सं0	मा0 सदस्य का नाम	विषय
25	श्रीमती अराधना मिश्रा 'मोना'	जनपद प्रतापगढ़ की तहसील लालगंज के कतिपय रजबहों, नहरों एवं अल्पिकाओं की सफाई न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,
26	श्री ललितेशपति त्रिपाठी	जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मड़िहान की कतिपय जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है,
27	डा0 आर0के0 वर्मा	जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड सड़वाचन्द्रिका

		के राजस्व ग्राम सिंहनी एवं लढ़वत के मध्य सई नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है,
28	श्री बंशी सिंह पहाड़िया	उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0 में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अनुभाग अधिकारी को पुनः अपने मूल विभाग में वापस भेजे जाने के सम्बन्ध में है,
29	श्री सन्तराम कुशवाहा	प्रदेश के माध्यमिक शिक्षक संघ की विभिन्न मांगों को दूर न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,
30	श्री उमाशंकर	जनपद बलिया को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किये जाने के सम्बन्ध में है,
31	श्री राजेन्द्र उर्फ बृजेश सिंह	जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र सहजनवां की कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है,
32	श्री बृजेश कुमार	जनपद हरदोई से चलकर वाया कुरसठ से लखनऊ आने वाली बस को पुनः चलाये जाने के सम्बन्ध में है,
33	श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी	जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र सदर एवं कप्तानगंज के ग्रामों को डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम योजना के अन्तर्गत चयन किये जाने के सम्बन्ध में है,
34	श्रीमती रजनी तिवारी	जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर अन्तर्गत पवन क्लीनिक से मिघौली मार्ग पर पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है,
35	श्री गजेन्द्र सिंह	जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूप शहर के कतिपय जर्जर मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है,
36	श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत	प्रदेश के पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत संविदा कर्मियों को वेतन/मानदेय प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में है,
37	श्री चन्द्रभान सिंह पटेल	कार्यवाहक अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान, चित्रकूट धाम मण्डल के भ्रष्ट कार्यों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है,

क्र0सं0	मा0 सदस्य का नाम	विषय
38	श्री बब्बन सिंह चौहान	जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के अन्तर्गत ग्राम सभा गौरी बिन्दपुरवा एवं

		परमानन्दपुर वजहा में गडई नदी पर पुलिया बनाने के सम्बन्ध में है,
39	श्री पूर्णमासी देहाती	जनपद कुशीनगर स्थित पडरौना चीनी मिल को पुनः चालू कराये जाने के सम्बन्ध में है,
40	श्री गोरख पासवान	जनपद बलिया में उभांव थानान्तर्गत सोनाडीह में रिपोर्टिंग पुलिस चौकी की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में है,
41	श्री मनीष रावत	जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली की नवनिर्मित नगर पंचायत में विकास कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है,
42	श्री राम मगन रावत	जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र हैदरगढ़ के कतिपय ग्रामों को राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में है,
43	श्री अनूप कुमार गुप्ता	जनपद सीतापुर के ब्लाक एलिया में अर्धनिर्मित सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है,
44	श्री भीम प्रसाद सोनकर	जनपद अम्बेडकर नगर के ब्लाक जहांगीरगंज में विकास कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है,
45	श्री गेंदालाल चौधरी	जनपद उन्नाव की नगर पंचायत मोहान में असहाय महिला का उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में है,
46	श्री सूरजपाल सिंह	जनपद आगरा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी की नहरों की सफाई एवं टेल तक पानी पहुंचाने के सम्बन्ध में है,
47	श्री प्रदीप चौधरी	जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र गंगोह के कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है,
48	श्री राकेश बाबू	जनपद फिरोजाबाद में व्याप्त जल भराव की समस्या का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में है,
49	श्री प्रदीप माथुर	जनपद मथुरा स्थित प्राचीन मन्दिरों को स्थाई सुरक्षा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में है,
50	श्री पंकज मलिक	जनपद शामली के कतिपय सम्पर्क मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है,
51	श्री राधेश्याम	प्रदेश में निःशक्त व्यक्तियों को पूर्व में लागू समान अवसर, अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी

अधिनियम, 1995 के प्राविधानों के अनुरूप लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में है,

क्र0सं0	मा0 सदस्य का नाम	विषय
52	मोहम्मद जासमीर अन्सारी	जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र लहरपुर के बिसवां मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है,
53	श्री जय प्रकाश निषाद	जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी–चौरा के मछुआरों की दशा सुधारने के सम्बन्ध में है,
54	श्री अवस्थी बाला प्रसाद	जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा की ग्राम पंचायत जुगनूपुर के पट्टेधारकों को कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में है,
55	श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया	जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा के सरैया मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है,
56	श्री उमेश पाण्डेय	जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन में चकबन्दी प्रक्रिया आरम्भ किये जाने के सम्बन्ध में है,
57	श्री रामहेत भारती	जनपद सीतापुर के विकास खण्ड हरगांव–ददवारा सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है,
58	डा0 रमेश चन्द्र बिन्द	जनपद मिर्जापुर में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा नियुक्तियों में की जा रही धांधली के सम्बन्ध में है,
59	श्री कुलदीप सिंह सेंगर	उ0 प्र0 अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लि0 के कर्मियों की परेशानियों को दूर किये जाने के सम्बन्ध में है,
60	श्री उदय राज	जनपद देवरिया के रामचन्द्र इण्टर कालेज की समस्याओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में है,
61	श्री संजय प्रताप जयसवाल	जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली में जल एवं वायु प्रदूषण दूर किये जाने हेतु प्रभावी कदम उठाये जाने के सम्बन्ध में है,
62	श्री देवनरायन सिंह उर्फ जी0एम0 सिंह	भारत–नेपाल बार्डर स्थित महाराजगंज अन्तर्गत बी गैप एवं ए गैप में बांध बनाये जाने हेतु धन अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में है,
63	श्री मुसर्रत अली बिट्टन	जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र बिल्सी अन्तर्गत

		बदायूं–बिल्सी मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है,
64	श्री रोशन लाल वर्मा	जनपद शाहजहांपुर में बिगड़ती कानून–व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,
65	डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी	जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र रौनकपुरा में नगर निगम के पांच मंजिला मकान की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है,

क्र0सं0	मा0 सदस्य का नाम	विषय
66	श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू भईया	महोबा जनपद में मण्डी परिषद् द्वारा संचालित योजना से सी0सी0 रोड एवं नालियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है,
67	श्री वीरपाल राठी	डायमंड डेरी कालोनी, लखनऊ में अनुरक्षण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है,
68	श्री भगवती प्रसाद	जनपद अलीगढ़ में दान की हुई भूमि पर अस्पताल बनाये जाने के सम्बन्ध में है,
69	श्री दलवीर सिंह	जनपद अलीगढ़ में कतिपय जर्जर मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है,
70	श्री पूरन प्रकाश	जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र बल्देव के ब्लाक राया एवं बल्देव की जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है,
71	श्री सुदेश शर्मा	गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर की कतिपय जर्जर मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है,
72	श्री त्रिलोकी राम	जनपद अलीगढ़ में कतिपय जर्जर मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है,
73	श्री लोकेश दीक्षित	जनपद बागपत में पशुओं की बीमारी को रोकने हेतु प्रभावी कदम उठाये जाने के सम्बन्ध में है,
74	श्री आशीष कुमार यादव	सचिवालय के लोक निर्माण अनुभाग–8 द्वारा लिये गये अवैध निर्णय को दूर किये जाने के सम्बन्ध में है,
75	श्री मदन चौहान	जनपद हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर गंगा किनारे खादर क्षेत्र की भूमि का सिजरा व बन्दोबस्त कराये जाने के सम्बन्ध में है,
76	श्री नूर सलीम राणा	जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र

		चरथावल के कतिपय सम्पर्क मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है,
77	श्री अनीसुर्रहमान	जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ में स्वीकृत आई0टी0आई0 भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में तथा
78	श्री जगराम पासवान	जनपद सिद्धार्थनगर के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा स्पष्ट आदेशों के बाद भी कम्प्यूटराइज जाति प्रमाण–पत्र निर्गत न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

श्री अध्यक्ष–

उक्त स्वीकृत सभी सूचनायें पढ़ी हुयी मानी जाती हैं।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

प्रदेश में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों हेतु रिजवी कमेटी की सिफारिशें लागू किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

ख्महोदय,

उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या–2679/79–5–2012–5/1010, दिनांक 03–10–2012, यथा संशोधित शासनादेश संख्या–3371/70–5–2013–5/2010 दिनांक 31 जनवरी, 2013 के द्वारा उत्तर प्रदेश के समस्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कला शिक्षकों, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षकों तथा कार्यानुमय शिक्षकों/कम्प्यूटर, गृह शिल्य एवं सम्बन्धित कला, उद्यान विज्ञान एवं फल संरक्षण तथा कृषि 7 की नियुक्तियां की संविदा पर की गयी थी।

नियुक्ति 1 जुलाई, 2013 के पूर्व इनकी नियुक्ति करके इन्हें कार्यभार ग्रहण करा दिया गया था। नियुक्ति के समय इन्हें रु0 7000/– प्रतिमाह के मानदेय का प्राविधान किया गया था और यह भी प्राविधिक किया गया था कि इन्हें यथा समय इनके ब्लाक में ही नियुक्ति की जायेगी।

30 अगस्त, 2013 को उत्तर प्रदेश शासन ने शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–562/दस–54 (एन)/2008 टी0सी0 के द्वारा वेतन समिति (2008) की सिफारिश स्वीकार करते हुए यह स्वीकार कर लिया कि राजकीय विभागों में संविदा पर नियुक्त कार्मिकों को सम्बन्धित पद पर अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन का न्यूनतम तथा उस पर राज्य कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्तों को जोड़ते हुए उन संविदा कर्मियों को उपलब्ध कराई जाये जो पद के अनुरूप न्यूनतम अर्हता रखते हैं तथा जिनकी नियुक्ति पारदर्शी तरीके से विज्ञापन निकाल कर कराई गयी हो।

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

अतः अब सरकार को रिजवी कमेटी की सिफारिशों के अनुसार इन संविदा पद पर रख गये अंशकालिक अनुदेशकों को सभी आर्थिक लाभ तथा अन्य शिक्षकों के समान अन्य प्रकार के लाभ समा रूप से उपलब्ध कराये जाने चाहिये।

अतः लोक महत्व के इस निश्चित तथा अविलम्बनीय पर नियम–301 के तहत सरकार को पटल पर व्यक्त देने हेतु निर्देशित करें।,

जनपद इलाहाबाद में व्याप्त विभिन्न विद्युत समस्याओं का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

ख्मान्यवर,

विद्युत विभाग में विद्युत क्षति (लाइन लास) कटियाबाजी, लो–वोल्टेज रोकने तथा नियमित सुचारू विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये विगत 6 वर्षों से आर0ए0पी0डी0आर0पी0, बिजनेस प्लान तथा अनुसूचित जाति विद्युत घटक योजना चलाई जा रही है। अरबों रुपये के बजट स्वीकृत हुये। इलाहाबाद में भी इन योजनाओं में करोड़ों रुपये का बजट आवंटित हुआ है किन्तु अभी तक तमाम मलिन बस्तियों तथा मुहल्ले इससे वंचित है।

इलाहाबाद में नेवादा, गंगानगर, ऊंचावागढ़ी–राजापुर, बेली एवेन्यू तथा गांव, पश्चिमी म्योराबाद, ममफोर्डगंज मलिन बस्ती, सलोरी, सादियाबाद, लाला की सरैंया, भुलई का पुरा, बाबाजी का बाग, रसूलाबाद, तिलकनगर–संजयनगर, अल्लापुर, सोहबतियाबाग, छोटा बघाड़ा, ढरहिरया, राम प्रिया रोड, मटियारा–अलोपीबाग, नयापूरा, कमलानगर मलिन बस्ती, अलोपीबाग चुंगी, पूरा पड़ाइन तथा पूरा दलेल, एलनगंज, बक्शी खुर्दकलां दारागंज आदि बस्तियां जर्जर खम्भे विद्युत तार लो–वोल्टेज की समस्या से अभी भी जूझ रही है। आये दिन नागरिकों द्वारा धरना–प्रदर्शन, रास्ता जाम आदि होते रहते हैं।

अतः सदन के संज्ञान में अविलम्बनीय लोक महत्व की यह सूचना लाकर उक्त मुहल्लों–बस्तियों में उपरोक्त उल्लिखित योजनाओं में तत्काल जर्जर खम्भे, जर्जर तार आदि बदलने तथा नये खम्भे लगाकर केबिल, बंच कंडक्टर, ट्रांसफार्मर आदि लगवाने की मांग करता हूं।,

जनपद बांदा के कतिपय सम्पर्क मार्गों की मरम्मत एवं पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दलजीत सिंह–

ख्महोदय,

मैं लोक महत्व के विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र, तिन्दवारी, जनपद–बांदा के निम्नलिखित गांवों में नागरिकों के आवागमन हेतु अभी तक पक्के सम्पर्क मार्गों का निर्माण नहीं कराया गया है। इन गांवों की जनता को बरसात आदि के मौसम में आने–जाने में भारी कठिनाइयों

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

का सामना करना पड़ता है। इसलिये जनहित में इन गांवों में पक्के सम्पर्क मार्ग बनाया जाना अति आवश्यक है। विधान सभा तिन्दवारी की अग्रलिखित महत्वपूर्ण सड़कों जिनका निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है, का विवरण निम्नलिखित है :–1–बेन्दा–जलालपुर पक्के मार्ग से डडवाहार होकर डेरा तक, लम्बाई लगभग 03.00 कि0मी0, 2–बबेरू–तिन्दवारी पक्के मार्ग से ग्राम धौसड़ तक नहर पटरी का डामरीकरण, लम्बाई लगभग 04.00 कि0मी0, 3–दतरौली से बम्बिया गुगौली होकर बांदा चिल्ला मार्ग तक डामरीकरण व पुलिया निर्माण, लम्बाई लगभग 06.00, 4–तिन्दवारी से (बगिया) चिल्ला रोड के बीच उसरा नाला में छोटा पुल निर्माण 1 कार्य, 5–ग्राम–खौडा–भडौली सम्पर्क मार्ग से ग्राम–सिघौली सम्पर्क मार्ग, लम्बाई लगभग 02.00, 6–पैलानी–पलरा मार्ग से ग्राम–नरी के कछार डेरा होकर बंशी डेरा तक, लम्बाई लगभग 05.00, 7–बेन्दा घाट से ग्राम–जौहरपुर दंगल प्रांगण चारकूरा तक डामरीकरण, लम्बाई लगभग 03.00 किमी0 8–ग्राम–बेन्दा–कनवाडेरा (खैरीहार) से लगदेउरा होकर बड़ही लोहारी तक डामरीकरण व पुलिया निर्माण, लम्बाई 07.00 कि0मी0 लगभग का निर्माण जनहित में अति आवश्यक है। प्रकरण जनहित एवं लोकमहत्व का है।

अतः सदन के संज्ञान में अविलम्बनीय लोकमहत्व की यह सूचना लाकर शासन से उक्त सड़क के शीघ्र निर्माण हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं। ,

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा की कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

ख्महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र 135–शाहजहांपुर में ब्लाक भावलखेड़ा में निम्नलिखित सड़कों की मरम्मत जनहित में अत्यन्त आवश्यक है :–

1–बिलरिया–ददिउरा मार्ग,

2–मोहम्मदी रोड से जपनापुर व उदियापुर तक मार्ग,

3–निगोही रोड से दौलतपुर मार्ग,

4–पुवायां रोड से बड़ावन तक मार्ग,

5–ग्राम मऊ से मोहम्मदी रोड जाने पर रास्ते में एक टूटी पुलिया की मरम्मत,

6–पुवायां रोड हाईडिल के पास से चिनौर होते हुए पैना खुर्द मार्ग,

ब्लाक ददरौल के अन्तर्गत आने वाले मार्ग

7–निगोही रोड से रेभा जाने वाला मार्ग,

8–निगोही रोड से शहवाजनगर होते हुए कपेड़ कटका जाने वाला मार्ग,

---

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

9–ग्राम खिरिया खुर्द से ग्राम उदयपुर कटैय्या जाने वाला मार्ग।

अतः आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उपरोक्त मार्गों की मरम्मत लोक निर्माण विभाग से कराये जाने का कष्ट करें।,

जनपद आंवला के विधान सभा क्षेत्र आंवला स्थित रम्पुरा–सिरौली मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धर्मपाल सिंह–

ख्महोदय,

विधान सभा क्षेत्र आंवला, जनपद बरेली में बरेली–बदायूं मार्ग पर ग्राम रम्पुरा मोड़ से रम्पुरा–सिरौली मार्ग का निर्माण प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित कराया गया था जो एक वर्ष में ही खराब हो गया। मेरे द्वारा इस सड़क पर फरवरी, 2014 में आमरण अनशन भी किया गया, जिलाधिकारी, बरेली ने मार्ग को ठीक कराने का आश्वासन देकर मेरा अनशन भी तुड़वा दिया था परन्तु खेद है कि अभी तक मार्ग को ठीक नहीं किया गया।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए मार्ग को ठीक कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के ग्राम अम्बेहटा याकूबपुर में प्रस्तावित मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश राणा–

ख्महोदय,

मेरे विधान सभा थानाभवन, जनपद शामली के गांव अम्बेहटा याकूबपुर में लोक निर्माण विभाग द्वारा 01 वर्ष से स्वीकृत मार्ग जयपाल प्रधान के मकान से फौजी के मकान तक का निर्माण नहीं किया जा रहा है जिसके कारण वहां से गुजरने वाले कई गांवों के लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए गांव अम्बेहटा याकूबपुर में जयपाल प्रधान के मकान से फौजी के मकान तक का 300 मी0 मार्ग का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।,

कानपुर महानगर के कतिपय प्रमुख मार्गों की मरम्मत कराये जाने एवं जल निकासी की समस्या के निराकरण हेतु नालियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सतीश महाना–

ख्महोदय,

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

कानपुर महानगर के प्रमुख मार्गों की स्थिति अत्यन्त ही जर्जर है। श्याम नगर बाई–पास चौराहे से यशोदा नगर बाई पास चौराहे के मध्य कानुपर विकास प्राधिकरण कालोनी गंगापुर, आवास विकास परिषद् की ओर यशोदा नगर की ओर जाने वाले मार्ग–हरि बिल्डिंग से शंकराचार्य नगर चौराहा होते हुए यशोदा नगर मुख्य मार्ग, छोटी आरा मशीन, प्रियदर्शिनी इण्टर कालेज होते हुए स्वर्ण जयन्ती विहार के0डी0ए0 कालोनी मुख्य मार्ग, कृष्णा धर्मकांटे से यशोदा नगर मुख्य मार्ग एवं टाटा मोटर्स से चुगैय्या गांव मुख्य मार्ग की स्थिति अत्यन्त जर्जर है एवं जल भराव की भीषण समस्या को देखते हुए नाला एवं नाली का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है। जर्जर मार्ग एवं जल निकासी के प्रबन्ध न होने के कारण आये दिन जल भराव की समस्या बनी रहती है। स्थानीय नागरिकों में आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त समस्त मार्गों की मरम्मत एवं नाली निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।,

प्रदेश के माध्यमिक शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संगीत सिंह सोम–

ख्महोदय,

प्रदेश में माध्यमिक शिक्षकों की उपेक्षा के कारण शिक्षक आन्दोलित हैं। माध्यमिक शिक्षकों द्वारा तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण, अंशकालिक शिक्षकों का पूर्णकालिक किया जाना, राज्य कर्मचारियों की भांति माध्यमिक शिक्षकों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना, सी0टी0 ग्रेड की सेवाओं का आगणन, स्नातकोत्तर उपाधि की बाध्यता समाप्त कर समान वेतनमान लागू किया जाना, 2005 के बाद नियुक्त शिक्षकों को पेंशन दिये जाने आदि मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं। परन्तु सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षकों की मांगों की उपेक्षा होने से माध्यमिक शिक्षक निराश हैं एवं शैक्षणिक कार्य भी प्रभावित हो रहा है।

अतः लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए माध्यमिक शिक्षकों की मांगों का निराकरण किये जाने हेतु वक्तव्य की मांग करता हूं।,

जनपद महराजगंज अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र फरेन्दा के विकास खण्ड बृजमनगंज को टाउन एरिया बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बजरंग बहादुर सिंह–

ख्महोदय,

विधान सभा क्षेत्र फरेन्दा के विकास खण्ड बृजमनगंज का कस्बा बृजमनगंज टाउन एरिया बनाये जाने की सभी शर्तें पूरी करता है और इसे टाउन बनाये जाने की

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

काफी समय से मांग की जा रही है। इस सम्बन्ध में शासन ने सर्वे कराया और निरीक्षण कराकर नक्शा बनवाया। यह कस्बा 15 हजार से अधिक आबादी और जनसंख्या वाला क्षेत्र है। भौगोलिक एवं जनसंख्या तथा क्षेत्रफल सभी दृष्टि बृजमनगंज कस्बा टाउन एरिया का अर्हता रखता है विकास की दृष्टि से बृजमनगंज को टाउन एरिया बनाया जाना अत्यन्त आवश्यक है। बृजमनगंज को टाउन एरिया न बनाये जाने से विकास के अभाव में क्षेत्र के निवासियों में असंतोष है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए विकास खण्ड बृजमनगंज के कस्बा बृजमनगंज को टाउन एरिया बनाये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद बलिया के फेफना विधान सभा क्षेत्र में अन्त्येष्टि स्थल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उपेन्द्र तिवारी–

ख्महोदय,

उत्तर प्रदेश और बिहार प्रदेशों की सीमा पर स्थित बलिया जनपद के फेफना विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सभा भरौली गंगा के घाट पर स्थित है। ग्राम सभा भरौली में गंगा घाट पर गाजीपुर, बक्सर आदि निकटवर्ती जनपदों से लोग अपने परिजनों का शवदाह करने हेतु आते हैं। परन्तु अन्त्येष्टि स्थल न होने के कारण मृतकों के परिजनों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भरौली स्थित गंगा घाट पर एक भव्य अन्त्येष्टि स्थल बनाये जाने की मांग लगातार कई वर्षों से वहां की स्थानीय जनता द्वारा की जा रही है। इस सम्बन्ध में जिला प्रशासन से भी मदद की मांग की गई परन्तु कोई समाधान नहीं हो सका जिससे आम जन में रोष व्याप्त है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए फेफना विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सभा भरौली में भव्य अन्त्येष्टि स्थल बनाये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की मांग करता हूं।,

नोएडा विधान सभा क्षेत्र में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विमला बाथम–

ख्महोदय,

नोएडा विधान सभा औद्योगिक क्षेत्र है अतः 24 घण्टे बिजली आपूर्ति का होना अति आवश्यक है। नोएडा क्षेत्र पहले से ही नो पावर कट जोन घोषित हो रहा है परन्तु कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि नोएडा में बिजली कटौती न होने। कभी–कभी 7–8 घण्टे कट रहता है। इससे उद्योग धन्धे चौपट हो रहे हैं और सरकार को भी रेवेन्यू का घाटा

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

हो रहा है और उद्योग अन्य राज्यों की ओर पलायन हो रहे हैं जो प्रदेश के लिये शुभ संकेत नहीं है। इसके दुष्परिणामस्वरूप विदेशी निवेशक नोएडा में आना नहीं चाहते और पहले से चल रहे उद्योग भी अन्य राज्यों में पलायन कर रहे हैं। कानून का खुला उल्लंघन है।

अतः लोकमहत्व का अविलम्बनीय विषय है। अतः सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।,

वाराणसी में शहर दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सार्वजनिक कुओं की सफाई व आवश्यकतानुसार मरम्मत कराकर पीने योग्य पानी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा'–

ख्महोदय,

वाराणसी अत्यन्त पुरातन नगर है जिनके अन्तर्गत मोहल्लों में पेयजलापूर्ति हेतु सार्वजनिक कुंयें बने हुए हैं जो कालान्तर में सीवर के गन्दे पानी से संयोजित हो गये हैं जिससे सभी कुओं का पानी पीने योग्य नहीं रह गया है। जिससे विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल का कष्ट बना हुआ है। दुःख का विषय है कि पूरे नगर में लगभग 450 हैण्डपम्प धनाभाव के कारण रि–बोर भी नहीं कराये जा रहे हैं। जिससे पेयजलापूर्ति की समस्या और भी जटिल होती जा रही है। अतः मेरी मांग है कि व्यापक जनहित में शहर दक्षिणी मोहल्ले के सार्वजनिक कुओं की समुचित सफाई एवं आवश्यकतानुसार पानी को विसंक्रमित कर पीने योग्य बनाये जाने एवं खराब पड़े हैण्डपम्पों की रि–बोरिंग हेतु धन आवंटित किये जाने हेतु शासन स्तर पर प्रभावी निर्देश देने की कृपा की जाय।

अतः नियम–301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व की ध्यानाकर्षण सूचना पर प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र दक्षिण की कतिपय जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रविन्द्र भडाना–

ख्महोदय,

विधान सभा क्षेत्र 49 मेरठ दक्षिण के अन्तर्गत सड़कों एवं सम्पर्क मार्गों की हालत अत्यन्त जीर्ण–शीर्ण होने के कारण आवागमन प्रभावित हो रहा है। जिला स्तर के अधिकारियों को लिखने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं होने से जनमानस में निराशा एवं हताशा है। मरठ की इन रिंग रोड व आऊटर रिंग रोड, जूर्रानपुर फाटक से नरहैडा होकर हापुड़ रोड जाने वाली रोड, बिजली बम्बा बाईपास फाटक के पास गगोल मार्ग, बिजली बम्बा वार्ड पास से गुमी होकर गगोल के बाहर–बाहर से गोटरा होकर तीर्थ तक, मोहउद्दीनपुर से गांवली मार्ग, ग्राम भूडबराल से उपलैहडा होते हुए छज्जूपुर तक,

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

परतापुर से महरौली मार्ग, उपलैहडा से महरौली, भूड़बराल से बहादुरपुर सम्पर्क मार्ग, मोइउद्दीनपुर फाटक से बहादुरपुर सोलाना होकर अच्छरौडा होकर गंगोल रोड मोड़ तक हापुड़ रोड नौगजापीर के सामने से चान्दसारा होकर गगोल तीर्थ तक, फफून्डा से पीपलीखेड़ा मार्ग, हापुड़ रोड से अल्लीपुर कुढला मार्ग फफून्डा से 79नं0 ट्यूबवेल से पीपली खेड़ा जाने वाला मार्ग फफून्डा से बिजौली मार्ग, फफून्डा से चान्दसारा के फाटक जाने वाला मार्ग, कताई मिल सेग्राम इटायरा मार्ग, नूरनगर तिराहे से लिसाड़ी मार्ग, नूरनगर तिराहे से फत्तेउल्लापुर मार्ग, 44वीं वाहिनी पी0ए0सी0 परिसर के आन्तरिक मार्ग, बिजली बम्बवा बाईपास से ग्राम बाजोट होकर रेलवे लाइन होकर फिर बाई पास से मिलाने वाले मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त हैं। जनहित में उक्त मार्गों का निर्माण कराया जाना आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए जर्जर मार्गों का निर्माण कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद मथुरा के थाना कोतवाली में दिनांक 13–08–2014 को दर्ज मुकदमा अपराध संख्या–676/14 पर समुचित कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

ख्महोदय,

श्री नरेन्द्र सिसौदिया पूर्व विधायक, स्व0 ठा0 राधाचरन सिंह जी के बेटे हैं तथा एक सम्मानित परिवार से हैं उनके बेटे राहुल की शादी लगभग 11 वर्ष पूर्व पुलिस से रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर श्री के0पी0 सिंह भाटी की पुत्री के साथ हुई थी। दिनांक 10–08–2014 को श्री के0पी0सिंह भाटी अपने बेटे तथा भतीजों के साथ मथुरा आये तथा श्री नरेन्द्र सिसौदिया उनकी पत्नी कमला सिसोदिया तथा उनके बेटे राहुल सिसोदिया पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया और उनके घर से ज्वैलरी तथा नगदी लूट कर ले गये साथ में अपनी बेटी तथा बच्चों को भी ले गये। इंस्पेक्टर कोतवाली मथुरा के0पी0 सिंह भाटी का द्वितीय अफसर रहा है इस कारण उसने एफ0आई0आर0 दर्ज करने से मना कर दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री नितिन तिवारी जी के हस्तक्षेप के बाद दिनांक 13–08–14 को ब्तपउम छवए 676ध्14 दिनांक 13–08–14 नध्े 395ध्397 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन कोतवाल मथुरा तथा सी0ओ0 सिटी मथुरा के श्री के0पी0 सिंह भाटी से पुराने सम्बन्धों के कारण उन्होंने उक्त केस में कोई कार्यवाही करने के बजाय मात्र 2 दिन बाद दिनांक 16–08–14 को केस को संदिग्ध बताकर एफ0आर0 लगा दी जो अभी विचाराधीन है। वर्तमान में उक्त जांच क्राइम ब्रान्च मथुरा के पास है लेकिन आरोपी पुलिस अधिकारी होने के कारण पीड़ित पक्ष को पुलिस विभाग मथुरा से न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है।

अतः नियम–301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सी0बी0सी0आई0डी0 से जांच करने की मांग करती हूं।,

जनपद मेरठ में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत पेयजल हेतु लम्बित कार्यों को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)–

ख्महोदय,

मेरठ शहर में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत वर्ष 2008 के मई माह में शहरवासियों को पेयजल हेतु गंगाजल पेयजल आपूर्ति परियोजना का कार्य प्रारम्भ किया गया था जिसकी कुल लागत 341.30 करोड़ थी। परियोजना का कार्य समय पर पूरा न हो पाने के कारण दो बार इस्टीमेट की राशि बढ़ाई गई। यह कार्य 31 दिसम्बर, 2010 को पूर्ण होना था लेकिन विभाग की हीलाहवाली तथा अन्य कारणों से यह काम वर्ष 2014 के अन्त तक लगभग पूरा होने जा रहा है। कहीं–कहीं थोड़ा काम बाकी है। छः वर्ष शहर की जनता ने धूल, मिट्टी, ट्रैफिक जाम, दुर्घटनायें झेलते हुए उम्मीद की थी कि इस वर्ष पेयजल की आपूर्ति मिल जायेगी। खेद है कि वर्ष 2014 पूर्ण होने में भी एक माह शेष हैं। लेकिन जल की आपूर्ति सम्भव नहीं है। सिंचाई विभाग को दिसम्बर माह में 43 क्यूसेक जल ट्रीटमेंट प्लाण्ट की टेस्टिंग के लिये देना था। सिंचाई विभाग ने जल की आपूर्ति के लिये मना कर दिया है। सिंचाई विभाग का कहना है कि जब तक जल की आपूर्ति की क्षतिपूर्ति की धनराशि नगर विकास विभाग नहीं देगा तब तक गंग नहर से जल निगम को पानी नहीं दिया जायेगा। लगभग 400 करोड़ की राशि खर्च होने के उपरानत भी शहरवासियों को जल की आपूर्ति सम्भव नहीं हो रही है। दोनों विभाग सिंचाई एवं जल निगम प्रदेश सरकार के अधीन है। सिंचाई विभाग को धनराशि जारी कर समयबद्ध सीमा में जलापूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिये।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद फतेहपुर अन्तर्गत स्थापित जरौली पम्प कैनाल की क्षतिग्रस्त पटरियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती कृष्णा पासवान–

ख्महोदय,

जनपद फतेहपुर अन्तर्गत यमुना नदी में स्थापित जरौली पम्प कैनाल द्वारा पोषित सुजानपुर रजवाहे की दोनों साई की पटरियां विभागीय अनदेखी से क्षतिग्रस्त होकर विलुप्तप्राय हो चुकी हैं। इस रजवाहे की पटरियों निर्माण न किये जाने के कारण इस रजवाहे के पानी ओवरफ्लो होकर नालों के माध्यम से यमुना में चला जाता है और टेल तक पानी न पहुंचने के कारण इस क्षेत्र के अधिकांश भूमि सिंचाई विभाग के अभाव में परती रह जाती है। जनहित में इस रजवाहे की हेड से रामपुर ग्राम पंचायत की सीमा तक पटरियों का सुदृढ़ीकरण तथा अतिकटान वाले स्थलों पर पक्का निर्माण कराया जाय जिससे इस रजवाहे का अस्तित्व बना रहे और टेल तक पानी पहुच सके।

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए अविलम्ब प्रभावी कार्यवाही की मांग करती हूं।,

वाराणसी महानगर के कैण्टोमेन्ट क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

ख्महोदय,

वाराणसी महानगर के कैण्टमेंट विधान सभा की सड़कें सर्वाधिक क्षतिग्रस्त हैं, कारण जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण सड़कों पर जल जमाव हो जाता है। अधिकांश क्षेत्रों में सीवर लाइन नहीं है या जो है भी वह पुरानी व संकरी होने के कारण बढ़ी हुई जनसंख्या का बोझ नहीं ले पा रही है। शिवपुरवा वार्ड सबसे ज्यादा दुर्दशाग्रस्त है घर–घर में सीवर का पानी जमा हो जाता है। अभी–अभी जे0एन0एन0यू0आर0 द्वारा एक मुख्य सीवर लाइन डाली जा रही है जरूरी है कुछ आवश्यक ब्रान्च सीवर लाइन का निर्माण करवा दिया जाय तथा एक ब्रान्च लाइन का निर्माण पद्यमनी होटल सिंगरा रोड से योग नगर बैंक कालोनी, कल्याणी बाटिका से निरालानगर होते हुए शिवाजी कालोनी तक तथा दूसरा शिवपुरवा के ही माधोपुर में डाली जाय तथा दोनों सीवर लाइन सिंगरा के नव निर्माण होने वाले मेन लाइन से जोड़ा जाय। तत्पश्चात् दोनों पर सड़क बनाकर शिवपुरवा वार्ड को नारकीय स्थिति से उद्धार किया जाय।

मैं इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए जनहित में उपरोक्त सीवर लाइन व सड़क का निर्माण कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करती हूं।,

जनपद फिरोजाबाद में राजा का ताल से दबरई के मध्य उपरिगामी सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनीष असीजा–

ख्महोदय,

मैं आपके माध्यम से नगर फिरोजाबाद की एक भीषण समस्या से सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

नगर फिरोजाबाद अपनी 100 वर्षों से अधिक पुरानी कांच चूड़ी एवं अन्य उत्पादों के निर्माण, निर्यात के लिये देश भर के साथ–साथ विदेशों में भी प्रसिद्ध है तथा हाल में नगर निगम का दर्जा प्राप्त कर चुका है। नगर फिरोजाबाद में राजा के ताल से दबरई (जिला मुख्यालय) तक लगभग 16 कि0मी0 लम्बे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–2 के चारों तरफ बहुत बड़ी संख्या में आबादी विस्तार, औद्योगिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों, स्कूल, कालेज, अस्पताल एवं कृषि कार्य आदि का वृहद स्तर पर संचालन होता है। परन्तु नगर फिरोजाबाद से गुजरने वाले अत्यन्त व्यस्त दिल्ली–हावड़ा रेल मार्ग पर इतनी बड़ी आबादी क्षेत्र में कोई उपरगामी सेतु (आर0ओ0बी0) न होने के कारण नगर के उत्तरी भाग

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

(रेलवे लाइन व दूसरी तरफ) में निवास करने वाली लाखों की संख्या के नागरिकों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

जब तक फिरोजाबाद के राजा का ताल से दबरई के मध्य उपरगामी सेतु (आर0ओ0बी0) का निर्माण नहीं होगा तब तक रेल लाइन के दूसरी तरफ रहने वाले नागरिकों एवं क्षेत्र का विकास अवरुद्ध रहेगा एवं बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता रहेगा। जिसके निदान हेतु राजा के ताल से दबरई के मध्य एक उपरगामी सेतु का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए फिरोजाबाद नगर की जनता को भीषण समस्या से निजात दिलाने हेतु अतिशीघ्र राजा के ताल से दबरई के मध्य एक उपरिगामी सेतु के निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।,

गाजियाबाद की ट्रांस हिण्डन क्षेत्र में सरकारी अस्पताल बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमरपाल शर्मा–

ख्महोदय,

मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि गाजियाबाद की साहिबाबाद विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत हिण्डन नदी में बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए जहां की निचले तबके की आबादी वाली जनता को मंहगे इलाज के लिये प्राइवेट चिकित्सालयों का सहारा लेना पड़ता है। वहां पर कोई सरकारी अस्पताल नहीं है।

अतः आपके माध्यम से इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए गाजियाबाद की विधान सभा साहिबाबाद के ट्रान्स हिण्डन नदी में एक सरकारी अस्पताल खुलवाये जाने की सरकार से मांग करता हूं।,

गाजियाबाद के हिण्डन विहार वार्ड नं0–50 में आनन्द मशीनरी से सुल्तान चौक तक की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश बंसल–

ख्मान्यवर,

मेरी विधान सभा क्षेत्र गाजियाबाद के अन्तर्गत हिण्डन विहार वार्ड नं0–50 में आनन्द मशीनरी से सुल्तान चौक तक सड़क बिल्कुल क्षतिग्रस्त है जो जर्जर हालत में है। जगह–जगह गड्ढ़े हो गये हैं। यहां अधिकांश गरीब लोग निवास करते हैं इस सड़क पर वाहनों का आवागमन भी बहुत रहता है। जिससे मार्ग अत्यन्त जर्जर हो गया है।

अतः जनहित में जर्जर हालत में जिस सड़क पर चलना दूभर हो रहा है, की मरम्मत/नव निर्माण कराये जाने का अनुरोध करता हूं।

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

मैं सदन के माध्यम से इस अविलम्बनीय व लोक महत्व की सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराये जाने की मांग करता हूं।,

डी0एल0एफ0 कालोनी, साहिबाबाद, गाजियाबाद की क्षतिग्रस्त सड़कों और नालियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रवि शर्मा–

ख्मान्यवर,

मैं, आपके माध्यम से सदन का गाजियाबाद की डी0एल0एफ0 कालोनी, साहिबाबाद की जर्जर नालियों और सड़कों की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं।

उल्लेखनीय है कि उक्त कालोनी की नालियां और सड़कें अत्यन्त जर्जर अवस्था में हैं, जिससे स्थानीय निवासियों को प्रतिदिन काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त दिक्कतें बरसात के महीनों में और अधिक बढ़ जाती हैं। विशेषकर दिलशाह एक्सटेंशन–11 बी ब्लाक की हालत तो अत्यन्त ही दयनीय है। कालोनी के स्थानीय निवासी श्री चन्द्रभूषण श्रीवास्तव, निवास मकान संख्या–बी–1/119 एवं अन्य अध्यासी कई बार स्थानीय प्रशासन एवं सम्बन्धित विभागों में इन समस्याओं से अवगत कराते हुए इनके निराकरण हेतु प्रयासरत रहते हैं, किन्तु उपर्युक्त कार्यों हेतु फण्ड न होने का बहाना बना दिया जाता है।

अतः स्थानीय निवासियों की परेशानियों को दृष्टिगत रखते हुए गाजियाबाद की डी0एल0एफ0 कालोनी, साहिबाबाद की जर्जर नालियों और सड़कों की तत्काल मरम्मत एवं निर्माण कार्य कराये जाने हेतु वक्तव्य की मांग करता हूं।,

जनपद पीलीभीत में सहकारिता विभाग द्वारा विभिन्न पदों पर की गई नियुक्ति प्रक्रिया की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अगयश राम सरन वर्मा–

ख्महोदय,

दिनांक 14 सितम्बर, 2014, दिनांक 15 सितम्बर, 2014 एवं दिनांक 19 सितम्बर, 2014 को जिला सह0 पीलीभीत ने एक्स कैडर चयन सम्बन्धी प्रक्रिया के अन्तर्गत सह0 समितियों की प्रभारी सचिवों तथा आंकिकों की स्क्रेनिंग की गई जिसमें अपात्रों का चयन कर पात्रों की उपेक्षा की गई जिसकी पृष्ठभूमि में 40–40 हजार रु0 चयनित अभ्यर्थियों से वसूली की गई। इस वसूली में सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता साथ ही साथ पटल प्रभारी अधिपोषण तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी कथित वसूली में लिप्त हैं। कथित वसूली संबंधी जानकारियां सम्बन्धित अधिकारियों के दूरभाषों के काल डिटेल निकलवाने से प्रकाश में आ सकती हैं। साधन सहकारी समिति रसयाखानपुर जनपद पीलीभीत के पूर्व सचिव द्वारा कृषकों के नाम अरबों रु0 साजिशन ऋण निकालकर घोटाला किया है। इस प्रकार से सहकारिता विभाग पीलीभीत में भयंकर भ्रष्टाचार एवं

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

घोटालों की पराकाष्ठा है समय रहते प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई तो सहकारिता विभाग विनाश की ओर अग्रसर होगा।

अतः नियम–301 के अनतर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर सदन में चर्चा कराये जाने की अनुज्ञा प्रदान की जाय साथ ही साथ इस विषय पर कार्यवाही की जाने की मांग की जाती है।,

जिला मुख्यालय सिद्धार्थनगर में डुमरियागंज से बांसी तक के 30 कि0मी0 मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कमाल यूसुफ मलिक–

ख्मान्यवर,

उपरोक्त के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना चाहता हूं कि तहसील मुख्यालय डुमरियांग से बांसी तक की जो सड़क है जिसकी दूरी 30 कि0मी0 है, वह एक ही लेन है जिसकी हालत काफी खराब है, इसी मार्ग से आम जनता को जिला मुख्यालय पर जाना पड़ता है। इस सड़क पर बड़े वाहनों एवं फोर विलर वाहन काफी चलते हैं, सड़कों पर आवागमन का काफी दबाव रहता है सिंगल सड़क होने के कारण जिला मुख्यालय पर आने–जाने में क्षेत्रीय जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिये सिंगल लेन से डबल लेन की सड़क बनाया जाना जनहित में आवश्यक है।

उक्त मार्ग को क्षेत्रीय जनता की जनभावनाओं के आधार पर चौड़ीकरण कराया जाय। सड़क का चौड़ीकरण न होहने के कारण क्षेत्रीय जनता में आक्रोश व्याप्त है।

अतः आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं जिससे उक्त सड़क मार्ग को सिंगल लेन के स्थान पर डबल लेन में परिवर्तित कर निर्माण कराने का निर्देश देने की कृपा करें, ताकि इस मार्ग के डबल लेन बन जाने से क्षेत्रीय जनता में खुशी की लहर दौड़ जायेगी।,

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र कपिलवस्तु के कतिपय क्षेत्रों में आयरन एवं न्यू बोल्डर पीचिंग का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय कुमार पासवान–

ख्महोदय,

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि हमारे विधान सभा क्षेत्र कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत स्थानों पर आयरन एवं न्यू बोल्डर पीचिंग का कार्य कराया जाना जनहित में आवश्यक है। खेतवल तिवारीपुर बेढ़ी राप्ती नदी पर बांध 300 मीटर, ग्राम पंचायत भूतहियां टोला खिरहवा, ककरही पुल से पश्चिम की तरफ घाट स्थल पर संगल दीप गांव में राप्ती नदी गांव के चारों तरफ अमरिया में बांध निर्माण लम्बाई लगभग 200 मीटर, फत्तेपुर टोला

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

गंगलवा बूढ़ी राप्ती नदी पर 200 मीटर का निर्माण कार्य कराया जाना जनहित में आवश्यक है। यह प्रकरण क्षेत्र की जनता से जुड़ा हुआ है।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त कार्य कराये जाने हेतु सरकार से मांग करता हूं।,

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील लालगंजके कतिपय रजबहों, नहरों एवं अल्पिकाओं की सफाई न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती अराधना मिश्रा 'मोना'–

ख मान्यवर,

कृषि प्रधान देश होने के कारण 80 प्रतिशत किसानों की आय का मुख्य स्रोत कृषि है, और यहां की अर्थ व्यवस्था कृषि पर आधारित है। कृषि कार्य के लिये सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसलों की सिंचाई होती है, सिंचाई के अभाव में कृषि की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। समय से कृषिकार्य सम्पादित न होने से जहां इसका प्रतिकूल प्रभाव प्रदेश एवं देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, वहीं किसानों के सामने भुखमरी, बच्चों की शिक्षा, पुत्रियों की शादी आदि की भी गम्भीर समस्या उत्पन्न हो जाती है, और उनके सामने विभिन्न प्रकार की परेशानियां सुरसा की भांति मुख फैलाये खड़ी हो जाती हैं।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील लालगंज के अन्तर्गत प्रवाहित होने वाले प्रमुख रहबहों अठेहा रजबहा, सगरा रजबहा, उदयपुर रजबहा एवं डीह रजबहा तथा शीतलमऊ अल्पिका सहित अन्य नहरों/अल्पिकाओं के माध्यम से जनपद प्रतापगढ़ के एक बहुत बड़े हिस्से की सिंचाई होती है, किन्तु इनको समयबद्ध ढंग से पूरी क्षमता से न चलाये जाने से यहां टेल तक इनका पानी नहीं पहुंच पाता है, वहीं किसानों को इन रजबहों के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में सिंचाई के लिये पानी नहीं मिल पा रहा है। खरीफ की फसल किसानों की प्रमुख फसल है, खरीफ की फसल के लिये बेहन डालने एवं रोपाई आदि का कार्य शुरू हो गया है किन्तु सिंचाई के अभाव में धान की बेहन डालने एवं रोपाई का कार्य बाधित हो रहा है जिसका प्रतिकूल असर धान की रोपाई पर और उसकी उपज पर पड़ेगा। उपरोक्त रजबहों सहित अन्य नहरों में पूरी क्षमता से पानी न चलाये जाने, एवं 'टेल' तक पानी न पहुंचने के कारण इनके माध्यम से सिंचाई करके होने वाले कृषि कार्य पूरी तरह से बाधित हैं। किसानों को कृषि कार्य के लिये पानी समय से पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। धान खरीफ की सबसे प्रमुख फसल है। समय से सिंचाई के लिये पानी सुलभ न हो पाने के कारण इसका सीधा असर उत्पादन पर पड़ेगा, और उत्पादन काफी मात्रा में कम हो जायेगा, जिससे प्रदेश की अर्थ व्यवस्था पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। नहरों में टेल तक पानी न पहुंचने से यह समस्या और भी विकराल हो रही है। इसके लिये आवश्यक है कि नहरों में पर्याप्त मात्रा में टेल तक पानी पहुंचाया जाय।

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

जिससे किसानों को कृषि कार्य के लिये समय से पानी उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही साथ काफी समय से उक्त रजबहों, नहरों एवं अल्पिकाओं की सफाई भी न होने के कारण इनमें पर्यापत मात्रा में पानी टेल तक नहीं पहुंच पाता है क्योंकि उनमें काफी मात्रा में सिल्ट जमा रहती है। किसानों को खरीफ की फसलों के लिये पानी न मिलने के कारण उनमें चिन्ता एवं रोष व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करती हूं।,

जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मड़िहान की कतिपय जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ललितेशपति त्रिपाठी–

ख्महोदय,

मेरे निर्वाचन क्षेत्र मड़िहान जनपद मिर्जापुर अति पिछड़ा एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। इस क्षेत्र में नक्सल गतिविधियां काफी प्रभावित रहती हैं क्यों कि यह क्षेत्र पहाड़ एवं जंगलों से घिरा हुआ है और इस क्षेत्र की सड़कें काफी क्षतिग्रस्त हैं, जो निम्नलिखित हैं :–

1. लोहिया ग्राम कुकही वि0खं0 पटेहरा से सोनभद्र जनपद की सीमा तक जाने वाली मड़िहान ब्रांच नहर के समान्तर जाने वाली सड़क का चौड़ीकरण कराना।
2. अदलहाट, शर्मा मोड़ से भुइली रामपुर होते हुए चकिया (जनपद–चन्दौली) तक जाने वाली सम्पर्क मार्ग चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण कराना।
3. सिरसी मोड़ कोटवां से पटेहरा होते हुए दीपनगर तक चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण कराना।
4. अदलाहाट से पौनीबैरियर होते हुए जरगो बन्धा (इमिलिया चट्टी) तक चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण कराना।
5. विकसी नदी से जफराबाद सड़क तक उच्चीकरण कराना।
6. रामपुर से सुरहा होते हुए हुसैनपुर तक सड़क का उच्चीकरण कराना।
7. वि0खं0 पटेहरा ग्राम सभा गोपलपुर के मौजा जुड़िया से बकहर नदी पर पुल का निर्माण कराया जाय।

इन सड़कों का निर्माण हो जाने से लोगों के आवागमन में काफी सुविधा होगी। इन मार्गों पर कई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं विद्यालय स्थित हैं। इन सड़कों पर गुजरते समय गर्भवती महिलाओं की हालत काफी खराब हो जाती है। इनके निर्माण से महिला बच्चे के साथ–साथ नक्सली गतिविधियों को रोकने में भी सहयोग मिलेगा।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड सड़वाचन्द्रिका के राजस्व ग्राम सिंहनी एवं लढ़वत के मध्य सई नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0के0 वर्मा–

ख्मान्यवर,

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड सड़वा चन्द्रिका के राजस्व ग्राम लढ़वत व ग्राम सभा सिंहनी के बीच सई नदी पर पुल न होने के कारण वहां के निवासियों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। छात्र–छात्राओं को विद्यालय जाने के लिये नदी पार करके जाना पड़ता है तथा ग्रामवासियों को विकास खण्ड जाने हेतु नदी पार करके जाना पड़ता है। उक्त नदी पर बरसात के दिनों में स्थिति भयावह एवं जानलेवा हो जाती है। पुल के अभाव में प्रायः दुर्घटनायें हो जाती हैं। लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ता है। सई नई पर पुल निर्माण हो जाने से दोनों ओर लगभग 20000 (बीस हजार) ग्रामवासियों को सुविधा हो जायेगी।

अतः मान्यवर, से विनम्र अनुरोध है कि जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड सड़वाचन्द्रिका के राजस्व ग्राम लढ़वत व ग्राम सभा सिंहनी के निवासियों की कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में उक्त ग्राम सभाओं के बीच सई नदी पर पुल निर्माण कराये जाने हेतु संबंधित को निर्देश देने की कृपा करें।,

उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0 में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अनुभाग अधिकारी को पुनः अपने मूल विभाग में वापस भेजे जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

ख्मान्यवर, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत श्री रविन्द्र कुमार कनौजिया, अनुभाग अधिकारी को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में वापस करने हेतु मा0 मुख्य मंत्री, उ0प्र0 सरकार व प्रमुख सचिव, ऊर्जा, उ0प्र0 शासन व प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ को सम्बोधित मा0 विधायक श्री आशुतोष मौर्य, विधान सभा, विसौली, बदायूं तथा मा0 विधायक श्री बंशी सिंह पहाड़िया, विधायक खुर्जा (बुलन्दशहर) उ0प्र0 का पत्र दिनांक 12–06–2014 उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 लखनऊ को प्राप्त है, जिस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है जबकि श्री रविन्द्र कुमार कनौजिया, अनुभाग अधिकारी की उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 में प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण हो चुकी है। निगम प्रबन्धन को उन्हें अपने पैतृक विभाग उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में भेजा जाना चाहिये।

महोदय, प्रकरण को संज्ञान में लेकर प्रभावी कार्यवाही कराने की कृपा करें।,

प्रदेश के माध्यमिक शिक्षक संघ की विभिन्न मांगों को दूर न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

श्री सन्तराम कुशवाहा–

ख्महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से समय समय पर प्रेषित ज्ञापन तथा आयोजित गोष्ठियों एवं विधान परिषद् के सदस्यों द्वारा उठाये गये प्रश्नों द्वारा माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षा और उनमें कार्यरत शिक्षकों की समस्त समस्याओं के प्रति सरकार को अवगत कराया गया है। जिसका संज्ञान लेते हुए मा0 मुख्य मंत्री ने दिनांक 23 दिसम्बर, 2013 को शिक्षक प्रतिनिधियों को धैर्यपूर्वक सुना और समस्याओं के निदान का पूरा आश्वासन दिया। किन्तु खेद है अभी तक किसी प्रकार का सकारात्मक प्रतिक्रिया सामने नहीं आयी है। सी0टी0 संवर्ग के शिक्षकों को एल0टी0 संवर्ग से संविलियन होने पर पूर्व की सेवाओं का लाभ अनुमन्य किया जाना पूर्ण योग्यताधारी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों को स्नातकोत्तर उपधि की अनावश्यक उपेक्षा के आधार पर प्रोन्नत वेतन से वंचित सर्वथा अन्यायपूर्ण स्थितियां हैं। कम्प्यूटर शिक्षक तथा व्यावसायिक अनुदेशकों को राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की अपेक्षाओं के आधार पर निर्धन और सामान्य आय वर्ग के बच्चों के हितार्थ संचालित सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सृजित पदों के विपरीत 38 प्रतिशत पद रिक्त होने के कारण गरीब बच्चों की शिक्षा बाधित हो रही है। जिससे सरकार के प्रति शिक्षकों में रोष एवं जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व अविलम्बनीय एवं तत्कालीन विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए इसकी तत्काल ठोस कदम उठाने की मांग करता हूं।,

जनपद बलिया को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमाशंकर–

ख्मान्यवर,

मैं एक अत्यन्त ज्वलंत एवं जनहित के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि शासनादेश सं0 318/1–11–2014–18 (जी)/2006 दि0 16 सितम्बर, 2014 मेंप्रदेश के 44 जनपदों में मानसून अवधि में सामान्य वर्षा के सापेक्ष 50 प्रतिशत से भी कम वर्षा होने की स्थिति में जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया परन्तु बलिया जिले में औसत से लगभग जून, 2014 में 9.26 प्रतिशत, जुलाई 2014 में 22.86 प्रतिशत एवं अगस्त, 2014 में 49.57 प्रतिशत वर्षा दैविक आपदा विभाग जिला बलिया द्वारा रिकार्ड की गई व अपर जिलाधिकारी (वि/रा0) द्वारा सूचित किया गया परन्तु बलिया जनपद शासनादेश के मापक बावजूद भी सूखाग्रस्त जिला घोषित नहीं हो पाया है।

बलिया जनपद घाघरा एवं गंगा से दोनों तरह से घिरा हुआ है। पूरे जनपद में सूखा की स्थिति होने के बावजूद भी इन गंगा एवं घाघरा के किनारों पर कटान होने से

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

शासन के संज्ञान में आ जाता है जिसके कारण अक्सर बलिया में भीषण सूखा पड़ने के बावजूद भी सरकार द्वारा बलिया को सूखाग्रस्त घोषित न किया जाना द्वेषपूर्ण से कम नहीं कहा जायेगा।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर जनपद बलिया को सूखाग्रस्त घोषित किये जाने हेतु शासन से कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करता हूं।,

जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र सहजनवां की कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र–

ख्महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र सहजनवां, विकास खण्ड पाली, जनपद–गोरखपुर के अन्तर्गत निम्नलिखित सड़कों के मरम्मत कार्य करने के सम्बन्ध में।

1. ग्राम लखनापार गांव में उच्चीकरण कराते हुए दूरी लगभग 1 किमी0।
2. चड़राव भक्सा मार्ग से कोहारभार सीवान से पश्चिम होते हुए सन्तकबीरनगर वार्डर तक खड़न्जा से लेपन दूरी लगभग 2 किमी0।
3. बेलौरा चौराहा से पहली गांव के अन्दर होते हुए पाली ब्लाक तक दूरी लगभग 2 किमी0।
4. ग्राम कुण्डा ब्लाक पाली में प्राथमिक पाठशाला से काली स्थान होते हुए बाग तक दूरी लगभग 500 मी0।
5. ग्राम हासपाटी ब्लाक पाली हासपाटी रिठुआखोर मेन रोड से हासपाटी गांव में तिवारी लोगों के घर तक दूरी लगभग 500 मी0।
6. ग्राम डुमरी ब्लाक पाली घघसरा मार्ग से शहरी मार्ग में स्थित डुमरी प्राथमिक विद्यालय की दूरी लगभग 500 मी0।
7. हड़ही से लखनापार मरम्मत दूरी लगभग 1 किमी0।

अतः इस लोक महत्व एवं अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त निम्नलिखित सड़कों का मरम्मत कार्य अतिशीघ्र कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद हरदोई से चलकर वाया कुरसठ से लखनऊ आने वाली बस को पुनः चलाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बृजेश कुमार–

ख्महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद हरदोई से चलकर वाया कुसरठ होते हुए लखनऊ आने वाली रोडवेज बस विगत कुछ महीनों से बन्द कर दी गई उसे पुनः चलाने

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

की तत्काल कार्यवाही की जाय। इस बस के न चलने से 22 गांवों में कोई यातायात सुविधा न होने से क्षेत्रीय जनता को आने जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से यथाशीघ्र बस चलाये जाने हेतु कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करता हूं।,

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र सदर एवं कप्तानगंज के ग्रामों को डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम योजना के अन्तर्गत चयन किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी–

ख्मान्यवर,

अवगत कराना है कि उ0प्र0 सरकार द्वारा डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम योजना के अन्तर्गत प्रदेश के प्रत्येक विधान सभा से गांव डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम योजना के अन्तर्गत चयनित किये गये हैं। लेकिन जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र 310, बस्ती सदर तथा विधान सभा कप्तानगंज 308, के कोई भी गांव डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम योजना के अन्तर्गत नहीं चयनित किया गया है, जिससे उक्त दोनों विधान सभा क्षेत्र पर सरकार के सौतेले व्यवहार से उक्त विधान सभा क्षेत्र के ग्रामवासियों को सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र 310, बस्ती सदर तथा विधान सभा कप्तानगंज 308, के कोई भी गांव डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम योजना के अन्तर्गत चयनित करने की कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करता हूं।,

जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर अन्तर्गत पवन क्लीनिक से मिघौली मार्ग पर पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती रजनी तिवारी–

ख महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर जनपद हरदोई के अन्तर्गत वि0खं0 हरपालपुर में 1–पवन क्नीनिक से मिघौली मार्ग दूरी लगभग 1 (एक) किमी0 है। 2–करनपुर के पास चौसार श्री मऊ मुख्य मार्ग का लगभग 100 मी0 भाग कटकर बह गया है। इस स्थान पर पुलिया जो अत्यन्त जर्जर एवं जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। जिसका मरम्मत कार्य कराया जाना अति आवश्यक है। वहां की जनता को आवागमन हेतु काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिससे क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति भारी रोष एवं जनाक्रोश व्याप्त है।

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

अतः इस अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त सड़क की मरम्मत कार्य कराये जाने की मांग करती हूं।,

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूप शहर के कतिपय जर्जर मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गजेन्द्र सिंह–

ख्महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। मेरे क्षेत्र के निम्नलिखित ग्रामों की सड़कों की हालत अत्यन्त क्षतिग्रस्त हो गई है। जिन पर पैदल चलना भी सम्भव नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में इन ग्रामों के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिनमें पी0डब्लू0डी0 विभाग द्वारा लगभग 20 वर्षों से इन पर रिपेरिंग न होने से गड्ढों में तब्दील हो गई है। जिनमें क्रम से––

1. श्याना बुलन्दशहर रोड से सैदपुरा तक।
2. स्वाली शिकारपुर रोड से रसूलपुर उर्फ तेलिया मेथना।
3. अनूपशहर आहर रोड से पहाड़पुर तक।
4. जहांगीराबाद आहार रोड से अवन्तकादेवी तक।
5. बीहरा से औरंगाबाद मार्ग तक।
6. औरंगाबाद मार्ग से गंगहारी होते हुए पसौली मार्ग तक।
7. बालका से औरंगाबाद मार्ग तक।
8. पिपाला से खेड़ी मार्ग तक।

इन मार्गों के क्षतिग्रस्त होने से क्षेत्रीय जनता को आने–जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे क्षेत्र की जनता में सरकार के प्रति भारी रोष एवं जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से उपरोक्त सड़क की पी0डब्लू0डी0 से बनवाये जाने की मांग करता हूं।,

प्रदेश के पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत संविदा कर्मियों को वेतन/मानदेय प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

ख्मान्यवर,

अवगत कराना है कि प्रदेश में वर्तमान में पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत करीब 2500 संविदा कर्मी तैनात है। जो टी0बी0 जैसे गम्भीर संक्रामक रोग युक्त मरीजों की सेवा करते हैं, इन्हें वर्तमान में जो मानदेय दिया जा रहा है वह संयुक्त निदेशक राज्य क्षय नियंत्रण कार्यक्रम अधिकारी के 20 सितम्बर, 2013 के

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

आदेश में अनुक्रम में दिया जा रहा है जबकि इन्हें वेतन वित्तीय वर्ष 2013–14 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित तथा राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा स्वीकृत आर0ओ0पी0 के अन्तर्गत दिनांक 06–09–2013 के आदेशानुसार दिया जाना चाहिए। जबकि संयुक्त निदेशक/राज्य क्षय नियंत्रण कार्यक्रम अधिकारी उ0 प्र0 द्वारा उपरोक्त वेतन प्रदान किये जाने के आदेश दिये गये थे परन्तु उपरोक्त अधिकारी द्वारा अपने उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाये बिना इन संविदा कर्मचारियों को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वेतन का भुगतान न करके कम मानदेय प्रदान किये जाने के निर्देश सम्बन्धित को दिये गये जिससे इन संविदा कर्मचारियों को लगभग पांच माह से मानदेय/वेतन का भुगतान नहीं हो सका है। जिस कारण ये परिवार गम्भीर आर्थिक संकट से जूझ रहे है। इन संविदा कर्मियों के वेतन/मानदेय भुगतान के सम्बन्ध में शीर्ष अधिकारियों द्वारा समय–समय पर उचित निर्देश जारी किये गये किन्तु उपरोक्त आदेशों को संयुक्त निदेशक पालन नहीं कर रहे हैं और इन संविदा कर्मियों को दिनांक 6–9–2013 के अनुसार बढ़ी हुई दरों का मानदेय नहीं दिया जा रहा है जिससे इन संविदा कर्मियों के परिवारों में सरकर के प्रति भारी रोष एवं आक्रोष व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार से वक्तव्य के साथ ही साथ इन संविदा कर्मियों को बढ़ी हुई दरों के आधार पर मानदेय दिलाये जाने की मांग करता हूं।,

कार्यवाहक अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान, चित्रकूट धाम मण्डल के भ्रष्ट कार्यों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

ख्माान्यवर,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद–चित्रकूट में श्री दयाशंकर बाजपेयी कार्यवाहक अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान चित्रकूट जो चित्रकूट मण्डल के मूल निवासी हैं। चित्रकूट के पूर्व इनकी तैनाती अपने मूल जनपद–बांदा में थी, शिकायत के आधार पर इनका स्थानान्तरण जनपद बांदा से चित्रकूट में हुआ था और अब फिर से जनपद–चित्रकूट से बांदा कर दिया गया जबकि इनका स्थानान्तरण मण्डल से बाहर होना चाहिए था, ये सबसे जूनियर अभियन्ता है। फिर भी अपने स्वाजतीय महाप्रबन्धक की सांठ–गांठ से जनपद–चित्रकूट में सहायक अभियन्ता के पद के साथ–साथ कार्यवाहक अधिशासी अभियन्ता का पद भार ग्रहण किये था, इनकी सभी रिश्तेदारियां इसी मण्डल में है। चित्रकूट जनपद में लगभग 80 लाख रुपये के गोपनीय टेण्डर बहुप्रचारित समाचार–पत्रों के स्थानीय एडीशनल में न देकर अपने चहेते ठेकेदारों को गोपनीय तरीके से टेण्डर देने का कार्य किया था। इनके द्वारा बिना कार्य कराये हुए भी अपने चहेते को 60 प्रतिशत कमीशन लेकर सरकारी धन का भुगतान करा लिया गया है। स्थल में कुछ कार्य आज भी अधूरे हैं। अपने कार्यालय में पत्र सं0–404/लेखा–5 मानिकपुर, 480/लेखा–5मानिकपुर, सरकारी धन को अपने चहेते ठेकेदारों के माध्यम से निकालकर

हड़पने का कार्य किया है। मैंने कई बार लिखित पत्र भी बिन्दुवार शिकायत की है। जिसकी अभी तक कोई जांच एवं कार्यवाही नहीं की गई है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मेरा सरकार से अनुरोध है कि कार्यवाहक अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान चित्रकूट धाम मण्डल श्री दयाशंकर बाजपेयी की भ्रष्ट कार्यों की तत्काल जांच कराकर दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के अन्तर्गत ग्राम सभा गौरी बिन्दपुरवा एवं परमानन्दपुर वजहा में गडई नदी पर पुलिया बनाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बब्बन सिंह चौहान–

ख्मान्यवर,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद–चन्दौली में विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के अन्तर्गत ग्राम सभा गौरी बिन्दपुरवा एवं परमानन्दपुर वजहा में गड़ई नदी पर पुलिया बनाने के सम्बन्ध में अनेकों बार पत्राचार के माध्यम से एवं व्यक्तिगत मिलकर जिलाधिकारी को अवगत कराया इन ग्राम सभाओं के लोग आज भी बांस–बल्ली के सहारे आने–जाने का कार्य करते हैं जिससे अनेकों बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। ग्राम सभाओं के आस–पास के जुड़े गांव वासियों को अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिससे क्षेत्रीय लोगों का सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में अतिशीघ्र उक्त पुल निर्माण की कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करता हूं।,

जनपद कुशीनगर स्थित पडरौना चीनी मिल को पुनः चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पूर्णमासी देहाती–

ख्मान्यवर,

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान अति लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। जनपद कुशीनगर मुख्यालय पडरौना में चीनी मिल की स्थापना ब्रिटिश इण्डिया कम्पनी द्वारा सन् 1922 में कराया गया था। जब इस देश में अंग्रेजों का साम्राज्य था। देश आजाद होने के बाद चीनी मिल का अधिग्रहण कर भारत सरकार ने कपड़ा मंत्रालय के अधीन कर दिया और चीनी मिल सुचारु रूप से चलने लगा। बाद में भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय के उदासीनता के कारण चीनी मिल की हालत खराब होती गयी। लोक सभा चुनाव के दौरान माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने वायदा किया था कि मेरी सरकार बनने पर 100 दिन के अन्दर मिल को चला दिया जायेगा। इधर स्थिति यह है कि चीनी मिल को चलाने के बजाय 29–11–2014 को मिल को नीलाम

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

करने की नोटिस दे दी गयी है। जिससे गन्ना किसान आन्दोलित हैं और कानून अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो गयी है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण व जनहित से जुड़ा प्रकरण है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए चीनी मिल को नीलामी से बचाने के लिये सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग करता हूं।,

जनपद बलिया में उभांव थानान्तर्गत सोनाडीह में रिपोर्टिंग पुलिस चौकी की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गोरख पासवान–

ख्महोदय,

मैं सदन के माध्यम से आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र–357 बेल्थरा रोड अन्तर्गत उभांव थाना बलिया के सोनाडीह में रिपोर्टिंग पुलिस चौकी बनाना जनहित में अति आवश्यक है क्योंकि मऊ जनपद के दियारा क्षेत्र से सटे होने के कारण अपराधी आये दिन अपराध करके चले जाते हैं जिसकी तत्काल सूचना ऊपर न पहुंचने के कारण समय से अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं हो पाती है। मैंने कई बार पत्र व वार्ता द्वारा अधिकारियों के संज्ञान में रिपोर्टिंग चौकी सोनाडीह बनाने की बात कही लेकिन अभी तक स्थापना हेतु कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार से वक्तव्य की मांग करता हूं।,

जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली की नवनिर्मित नगर पंचायत में विकास कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनीष रावत–

ख्मान्यवर,

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सिधौली जनपद सीतापुर के अन्तर्गत अटरिया कस्बा को नगर पंचायत घोषित हुआ है लेकिन विकास कार्य सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। अटरिया कस्बा को नगर पंचायत घोषित किया जाना जनहित में आवश्यक है। इस नगर पंचायत के घोषित हो जाने से हजारों गांव के लोग इससे लाभान्वित होंगे। क्षेत्रीय जनता द्वारा बार–बार मांग की जा रही है कि नगर पंचायत कब तक घोषित किया जायेगा। यह प्रकरण क्षेत्र की जनता से जुड़ा हुआ विषय है और अतिलोक महत्व का है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए जनपद सीतापुर के अन्तर्गत अटरिया को नगर पंचायत किये जाने हेतु सरकार से मांग करता हूं।,

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र हैदरगढ़ के कतिपय ग्रामों को राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम मगन रावत–

ख्मान्यवर,

अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र–272 हैदरगढ़ में निम्नलिखित ग्राम पूरे मोहन मजरे ढेडहा, ग्राम व पोस्ट सेमरी, नेवाजगंज मजरे मोतिकपुर वि0 खण्ड सिद्धौर, निन्दूरी टिकुरी, पूरे पठानन मजरे मरूई वि0 खण्ड हैदरगढ़ महतो का पुरवा, डीहा, मजरे लखौरा, इंदई का पुरवा, रनियामऊ लला का पुरवा मजरे, मंझार, सेखवामऊ मजरे दौलतपुर, जयचन्द मऊ मजरे सराय पाण्डेय, रग्घा का पुरवा मजरे फतेहपुर जमरवा, वि0 खण्ड त्रिवेदीगंज जो अत्यन्त पिछड़े गांव हैं लगभग 200 लोगों की जनसंख्या है। परन्तु किन्हीं कारणों से विद्युतीकरण में सम्मिलित नहीं किये गये हैं। जनहित में उपरोक्त ग्राम का विद्युतीकरण कराना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः माननीय अध्यक्ष महोदय अति लोक महत्व व जनहित को देखते हए उपरोक्त गांव का विद्युतीकरण कराये जाने की मेहरबानी करें। जिसके लिये सम्बन्धित गांव की जनता व मैं स्वयं आपके व सरकार के प्रति आभारी रहेंगे।,

जनपद सीतापुर के ब्लाक एलिया में अर्धनिर्मित सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनूप कुमार गुप्ता–

ख्मान्यवर,

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र महोली, जनपद सीतापुर के अन्तर्गत ब्लाक एलिया में ग्राम बमभौरा से इमलिया, सुल्तानपुर तक प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत रोड/सड़क का निर्माण (नया) किया जा रहा था। उक्त सड़क निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया है जिससे आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। उपरोक्त सड़क पर जो पत्थर डाले गये हैं वह बहुत ही बड़े–बड़े पत्थर हैं जिससे सड़क पर चलने लायक ही नहीं है। पत्थर इतने नुकीले हैं जिससे आने–जाने वाले वाहन बस, ट्रक, ट्रैक्टर, ट्राली, बैलगाड़ी, मोटरसाइकिल और साइकिल आदि साधन पत्थर नुकीले होने के कारण अक्सर पन्चर हो जाते हैं जिससे आवागमन पूरी तरह से बन्द हो जाता है। पूरे क्षेत्र के गांव के लोगों को आने–जाने में बड़ी कठिनाई हो रही है। इस रास्ते से लगभग 20–25 गांव के लोग गुजरते हैं। इन परिस्थतियों में उपरोक्त सड़क बनाया जाना जनहित में आवश्यक है। यह जनहित और क्षेत्रीय जनता से जुड़ा हुआ विषय है, अतिमहत्वपूर्ण रास्ता है।

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए ब्लाक एलिया के ग्राम बमभौरा से इमलिया–सुल्तानपुर तक सड़क के निर्माण कार्य एवं क्षतिग्रस्त हुई सड़क पर तत्काल बनाये जाने हेतु सरकार से मांग करता हूं।,

जनपद अम्बेडकर नगर के ब्लाक जहांगीरगंज में विकास कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भीम प्रसाद सोनकर–

ख्महोदय,

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। जनपद अम्बेडकर नगर के ब्लाक जहांगीरगंज अन्तर्गत ग्राम पंचायत बलरामपुर जो वर्ष 2012–13 जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना के तहत स्वीकृत है और काफी समय से व्यतीत हो चुका है। परन्तु इतने लम्बे समय के बाद भी उक्त ग्राम पंचायत बलरामपुर में सन्तोषजनक कार्य नहीं हो रहा है। जो कार्य कराया भी गया है वह भी घटिया किस्म का है। यह ग्राम काफी पिछड़े हुए क्षेत्र में है और समयबद्ध तरीके से कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए। इसे लेकर ग्रामवासियों में रोष व्याप्त है। मैंने इस सम्बन्ध में जिला प्रशासन को भी अवगत कराया कि समयबद्ध तरीके से कार्य गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए पूर्ण कराया जाय। परन्तु जिला प्रशासन द्वारा उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। शासन द्वारा जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना के विकास हेतु जो नीति निर्धारित की गयी है उसका अक्षरशः पालन नहीं हुआ है। जो उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। इन सारे प्रकरण को लेकर ग्रामवासियों में रोष व्याप्त है।

अतः इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद उन्नाव की नगर पंचायत मोहान में असहाय महिला का उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गेंदालाल चौधरी–

ख्मान्यवर,

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए नगर पंचायत मोहान, जनपद–उन्नाव की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। श्रीमती मायादेवी मकान नं0–9/8, मोलवी धराना पकरा नवाबन टोला स्थित कस्बा मोहान परगना मोहान तहसील हसनगंज, जिला उन्नाव की स्वामिनी है और वहां का एक दबंग धनीराम उर्फ धनी पुत्र चिन्ता श्रीमती मायादेवी जो कि गरीब विधवा दलित महिला है, को उनके अपने मकान पर न्यायालय के आदेश के बावजूद कब्जा नहीं लेने दे रहा है और जबरन अवैध रूप से वहां के स्थानीय प्रशासन की मदद से काबिज है।

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

दबंग धनीराम ने इसी क्रम में जालसाजी कर न्यायालय में प्रकरण लम्बित होने के बाद भी तहसील कर्मियों की मदद से दिनांक 21 अगस्त, 2014 को क्रमांक 7565 पर उक्त सम्पूर्ण भवन अपनी पुत्रियों के नाम स्टाम्प कर चोरी कर हस्तान्तरित कर दिया है।

अतः सदन के माध्यम से श्रीमती मायादेवी की उक्त विषम परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अविलम्ब कब्जा दिलाये जाने एवं धनीराम द्वारा की गई जालसाजी को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल उसकी एवं पुत्रियों को गिरफ्तार कर सम्बन्धित थाने में मुकदमा दर्ज किये जाने एवं तहसील कर्मियों पर समुचित कार्यवाही कर तत्काल प्रभाव से दिनांक 21 अगस्त, 2014 को क्रमांक 7565 की गई रजिस्ट्री को निरस्त किये जाने हेतु वक्तव्य की मांग करता हूं।,

जनपद आगरा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी की नहरों की सफाई एवं टेल तक पानी पहुंचाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सूरजपाल सिंह–

ख्महोदय,

उपरोक्त विषयक आपका ध्यान आकृष्ट कर अवगत कराना है कि जनपद आगरा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी राजस्थान की सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है जहां भू–गर्भ जल स्तर अत्यधिक गहराई में है। यहां के किसान अपनी फसलों की सिंचाई बड़ी मुश्किल हालातों में कर पाते हैं फिर भी अधिकतर किसानों की फसल हर वर्ष चौपट हो रही है। इस क्षेत्र की एफ0एस0 ब्रांच से छूटने वाली आगरा टर्मिनल, गोपऊ, रजवाह, जाजऊ रजवाह, सुतेरा माइनर, मनिकपुर माइनर काफी समय से न चलने के कारण गन्दगी से अटी पड़ी हैं। जिनकी सफाई कराकर उन्हें चलाया जाना अत्यन्त आवश्यक है। नहरें सूखी पड़ी होने के कारण नलकूप आदि से सिंचाई करने के कारण अत्यधिक जल दोहन होने के कारण भू–गर्भ जल स्तर भी गिरता जा रहा है। किसान की चौपट हो रही फसलों की रक्षा के लिये नहरों में पानी चलाया जाना अत्यन्त आवश्यक है। यह एक अति गम्भीर विषय है जिसका निदान सर्वोच्च प्राथमिकता पर होना चाहिए।

लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराने की मांग करता हूं।,

जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र गंगोह के कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप चौधरी–

ख्मान्यवर,

अवगत कराना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र गंगोह, जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत आने वाली निम्न सड़कें गंगोह से वजीरपुर होते हुए दूधला तक, गंगोह से जुखेड़ी ताताहेड़ी तक, गंगोह से नानौता मार्ग, तीतरों से राजवाहे की पटरी इस्लामनगर

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

तक, सालारपुरा से सनौली कल्लररेडी तक, नानौता से फतेहपुर तक, नानौता दिल्ली मार्ग से चौरा कुआखेड़ा तक, नानौता देवबन्द मार्ग से मोरा वदल्हेड़ी तक, रामपुर बड़गांव मार्ग से रेडा तक, नानौता देवबन्द मार्ग से कल्लरपुर ठसका नानौता जड़ौदा पांडा राज की पटरी तक, गंगोह से हमजागढ़ तक कलसी तक का अधूरा भाग, दूधला बस स्टैण्ड से डूभर किशनपुर तक, नानौता से रेलवे फाटक से पांडुखेड़ी होते हुए भनेड़ा व भोजपुर तक, लखनौती से ततारपुर कला तक, मानपुर थली से सिकन्दरपुर तक, अम्बेहटा ढायकी मार्ग से रैड़ल गांव में अधूरा भाग, अम्बेहटा इस्माइलनगर मार्ग से नरियाला तक की हालत अत्यन्त दयनीय व अति क्षतिग्रस्त है। जनहित को दृष्टिगत रखते हुए इन सड़कों की मरम्मत होनी अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद मथुरा स्थित प्राचीन मन्दिरों को स्थाई सुरक्षा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप माथुर–

ख्महोदय,

मथुरा जनपद में स्थित प्रसिद्ध मन्दिरों क्रमशः 1–वृन्दावन में बांके बिहारी मन्दिर, राधा बल्लभ मन्दिर, राधारमन मन्दिर, कात्यायनी मन्दिर, इस्कान मन्दिर, 2–मथुरा में जन्मभूमि के अतिरिक्त द्वारिकाधीश मन्दिर, विश्राम घाट, 3–बरसाना में राधा रानी मन्दिर, 4–बल्देव में श्री बलराम/दाऊ जी का मन्दिर, 5–महावन में चिन्ता हरण महादेव का मन्दिर, 6–गोवर्धन में गोवर्धन परिक्रमा मार्ग, दान घाटी मन्दिर, मानसी गंगा आदि प्रमुख ऐसे मन्दिर तथा स्थल हैं जहां देश–विदेश से लाखों श्रद्धालुओं का आवागमन वर्षपर्यन्त लगा रहता है। मथुरा में आतंकवादी धमकियों एवं सुरक्षा एजेन्सियों द्वारा बार–बार शासन को एलर्ट करने के मद्देनजर इन प्रमुख मन्दिरों की स्थायी सुरक्षा व्यवस्था प्रदान किये जाने की महती आवश्यकता है। इस प्रकरण को पूर्व में भी सदन में उठाया था जिसके उत्तर में मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा उक्त मन्दिरों में सुरक्षा व्यवस्था प्रदान किये जाने का आश्वासन दिया गया था, किन्तु स्थायी सुरक्षा के संदर्भ में शासन द्वारा अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। इन मन्दिरों में देश एवं विदेश से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की जानमाल की सुरक्षा तथा आतंकवादियों की धमकियों को दृष्टिगत रखते हुए मथुरा जनपद के प्रमुख मन्दिरों में स्थायी रूप से आवश्यक सुरक्षा–व्यवस्था प्रदान किया जाना लोकहित में अति आवश्यक है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद फिरोजाबाद में व्याप्त जल भराव की समस्या का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राकेश बाबू–

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

ख्मान्यवर,

(1) टापाखुर्द में किताब सिंह के मकान से रामपाल कुशवाहा के मकान तक

(2) टापा खुर्द में रामपाल कुशवाहा के मकान से महेन्द्रपाल के मकान तक

(3) विजय पाल कुशवाहा के मकान से रामपाल कुशवाहा के मकान तक (टापा खुर्द)

(4) विजय पाल के मकान से मुन्नालाल के मकान तक (टापा खुर्द)

(5) ओम विहारी के मकान से बल्लू खां के मकान तक (टापा खुर्द)

(6) किशोरी के मकान से सेवाराम के मकान तक (टापा खुर्द)

(7) लवर से रमजानी के मकान तक (टापा खुर्द)

(8) सुरेश नट के मकान से ऐजे0टी खां के मकान तक (टापा खुर्द)

(9) किशोरी के मकान से टंकी तक (टापा खुर्द)

(10) कोसला रोड से टापा खुर्द गंगादीन लोधी के घर तक

(11) असीम पंडित के मकान से कोठला रोड तक (टापा खुर्द)

(12) राजबहादुर के मकान तक (लोधीपुरम्) (टापा खुर्द)

(13) लोधीपुरम् में रामदीन मकान से शिवशंकर के मकान तक (लोधी पुरम्)

(14) लोधीपुरम् (टापा खुर्द) भान सिंह के मकान से ओम प्रकाश के मकान तक

(15) शमी नगर टापा खुर्द में नाले के किनारे देवलाल के मकान से चाचाराम के मकान तक

(16) बॉबी के मकान से पप्पू के मकान तक (रानीनगर टापा खुर्द)) नाले के किनारे

(17) डामर रोड को 6 रोड नाले की पुलिया से टापा खुर्द ग्राम तक नाले के सिनोन टापा खुर्द चौराहा संजय होटल वालों की गली में निर्माण कार्य

महोदय,

मैं उपरोक्त गलियों का नाली व इण्टरलॉकिंग का निर्माण कार्य फिरोजाबाद–शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण फिरोजाबाद से कराये जाने की सरकार से मांग करता हूं तथा सरकार से वक्तव्य की मांग सदन में करता हूं।,

जनपद शामली के कतिपय सम्पर्क मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पंकज कुमार मलिक–

ख्महोदय,

जनपद शामली स्थित मेरे विधान सभा क्षेत्र शामली के जनसम्पर्क मार्गों की हालत वर्तमान में बहुत खराब है। गन्ना किसानों एवं यहां के नागरिकों को आवागमन में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यहां के मुख्य मार्ग 1–के0के0 मार्ग से कांधला मार्ग नहर की पटरी की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण आवश्यक है। 2–बुढ़ाना–मार्ग,

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

झाल, सल्फा, मतनावली, किवाना मार्ग लगभग 05.00 कि0मी0 जर्जर है इसका पुनर्निर्माण अति आवश्यक है। यह प्रकरण जनहित का एवं अविलम्बनीय है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।,

प्रदेश में निःशक्त व्यक्तियों को पूर्व में लागू समान अवसर, अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम, 1995 के प्राविधानों के अनुरूप लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राधेश्याम–

ख्महोदय,

लोक महत्व के विषय पर ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि प्रदेश में निःशक्त व्यक्तियों को पूर्व में लागू समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम, 1995 के प्राविधानों के अनुरूप लाभ नहीं मिल पा रहा है। प्रदेश में निःशक्त बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार सही एवं स्पष्ट रूप से अब तक नहीं दिलाया गया है। निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 एवं भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम, 1992 आदि को लागू करने हेतु उक्त अधिनियमों में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत उचित नियमावली आदि बनाकर विशेष शिक्षक (इंटीनरेन्ट/रिसोर्स शिक्षक) को निर्धारित वेतनमान, अन्य परिलब्धियां एवं अन्य विशेष कार्यरत भत्ते आदि पर स्थाई नियुक्ति प्रदान किया जाना, निःशक्त बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करने हेतु कार्यरत विशेष शिक्षकों को सम्बन्धित विद्यालयों में भारत सरकार द्वारा पारित/लागू विधियों एवं योजनाओं जैसे कि आई0ई0डी0सी0 योजना, संशोधित आई0ई0डी0एस0एस0 योजना के अन्तर्गत निर्धारित मानकों एवं शर्तों के अनुरूप कैडर एवं सेवाशर्तों का निर्धारण किया जाना, उत्तर प्रदेशीय विशेष शिक्षक संघर्ष मोर्चा द्वारा की गयी कार्यरत विशेष शिक्षकों इटीनरेन्ट/रिसोर्स शिक्षक की स्थाई नियुक्ति, वेतनमान, अन्य परिलब्धियां एवं अन्य विशेष भत्ते आदि प्रदान किये जाने की कार्यवाही अति आवश्यक है, जिससे निःशक्त व्यक्तियों को समान अवसर, समान लाभ एवं समान भागीदारी का अवसर प्राप्त हो तथा समाज में यह कदम से कदम मिलाकर चल सकें। प्रकरण लोकहित एवं अविलम्बनीय है।

अतः इस अविलम्बनीय एवं लोकमहत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र लहरपुर के बिसवां मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मोहम्मद जासमीर अन्सारी–

ख्मान्यवर,

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

कृपया संज्ञान में लाना है कि जनपद–सीतापुर की मेरी विधान सभा क्षेत्र लहरपुर के अन्तर्गत बिसवां से लहरपुर तक सड़क (लम्बाई लगभग 30 कि0मी0) अत्यन्त जर्जर एवं जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है एवं उक्त मार्ग पर कई जगह पर बड़े–बड़े गड्ढे हो गये हैं। वर्षा के दिनों में उक्त सड़क पर पैदल चलना भी दूभर हो जाता है। उस सड़क पर हजारों की संख्या में प्रतिदिन क्षेत्रीय जनता एवं वाहनों का आवागमन होता है। उक्त सड़क के क्षतिग्रस्त होने के कारण क्षेत्रीय जनता एवं राहगीरों को आने–जाने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहां पर आये दिन मार्ग दुर्घटनाएं हो रही हैं और राहगीर लोग घायल हो रहे हैं। क्षेत्रीय जनता द्वारा उक्त सड़क की मरम्मत/पुनर्निर्माण कराये जाने हेतु कई बार उच्च अधिकारियों से अनुरोध किया गया, परन्तु शासन द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। जिसके कारण क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं शासन से कार्यवाही/वक्तव्य की मांग के साथ–साथ उपरोक्त सड़क की मरम्मत, उच्चीकरण–चौड़ीकरण/पुनर्निर्माण किये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी–चौरा के मछुआरों की दशा सुधारने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जय प्रकाश निषाद–

ख्महोदय,

कृपया संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जनपद गोरखपुर के मेरे विधान सभा क्षेत्र चौरी–चौरा में गरीब मछुवारों की संख्या अत्यधिक है, लेकिन उनके समुदाय की हालत अत्यन्त दयनीय है। समुदाय के लोग अत्यन्त दयनीय दशा में अपना जीवनयापन कर रहे हैं। मछुवारा समुदाय के लोगों को तालाबों, जलाशयों आदि का दस वर्षीय पट्टा वरीयता के आधार पर होता है, परन्तु पूर्व की अपेक्षा लगान की धनराशि 10 से 20 गुना बढ़ा दी गयी है। जिससे गरीब मछुवारा समुदाय को अत्यधिक परेशानी हो रही है। क्षेत्रीय जनता एवं मछुवारा समुदाय ने इसकी उच्च अधिकारियों से भी शिकायत भी की परन्तु अभी तक शासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। जिससे क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की भी मांग करता हूं।,

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा की ग्राम पंचायत जुगुनूपुर के पट्टेधारकों को कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अवस्थी बाला प्रसाद–

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

ख्मान्यवर,

कृपया संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा के विकास खण्ड धौरहरा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जुगुनूपुर में वर्ष 2009 में उप जिलाधिकारी, धौरहरा के द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों को भूमि के पट्टे आवंटित किये गये थे। जिस पर पट्टेधारकों द्वारा आवंटित भूमि पर वर्ष 2009 से कब्जा था और उक्त भूमि पर पट्टेधारक खेती कार्य करते आ रहे हैं। पट्टेधारकों द्वारा अपनी भूमि पर धान की फसल लगा रखी थी, जिसे दिनांक 03–11–2014 को अलमीन पुत्र बाबू, फकीरा पुत्र रज्जब, निवासी बेहनन पुरवा तथा उनके साथी मोहम्मद्दीन पुत्र फकीरा, हनीफ पुत्र फकीरा, हनीफ पुत्र बाबू, हजरती दामाद सद्दीक, इदरीश पुत्र नजर मोहम्मद, आरिफ उर्फ जुल्फू पुत्र इदरीश आदि लोगों ने जबरन धान की फसल काट कर उठा ले गये। पट्टेधारकों को मना करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गयी। उक्त दबंग लोगों ने अपने असलहों का प्रदर्शन करते हुए पट्टेधारकों को जान से मारने के इरादे से दौड़ाया किसी प्रकार पट्टेधारकों द्वारा अपने खेतों से भाग कर अपनी जान बचा सके। पट्टेधारकों की भूमि को उपरोक्त दबंगों ने जबरन ट्रैक्टरों से जुताई करवा दी। पट्टेधारकों द्वारा स्थानीय थाने पर उक्त घटना की सूचना दी, परन्तु उक्त दबंगों की स्थानीय पुलिस से सांठ–गांठ होने के कारण उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी। जिससे क्षेत्रीय पट्टेधारकों में अत्यधिक जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा के सरैया मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया–

ख्महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद लखीमपुर के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा के अन्तर्गत वि0ख0 ईसानगर में ग्राम कटौली से सिगावर होते हुए सरैया तक मार्ग अत्यन्त जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है। हजारों गांव के लोगों को आने–जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति भारी रोष एवं जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने की मांग करती हूं।,

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा के सरैया मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया–

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

ख्महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद लखीमपुर के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा के अन्तर्गत वि0ख0 ईसानगर में ग्राम कटौली से सिगावर होते हुए सरैया तक मार्ग अत्यन्त जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है। हजारों गांव के लोगों को आने–जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति भारी रोष एवं जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने की मांग करती हूं।,

जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन में चकबन्दी प्रक्रिया आरम्भ किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमेश पाण्डेय–

ख्मान्यवर, कृपया संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन के विकास खण्ड–फतहपुर मण्डांव, तहसील मधुबन के अन्तर्गत ग्राम सभा मोलनापुर में लगभग 30 वर्षों से सहायक अभिलेख अधिकारी, गोरखपुर द्वारा सर्वे कार्य किया जा रहा है, जो कि सर्वे कार्य सिर्फ कागजों तक ही सीमित है, सर्वे कार्य को जमीन पर नहीं किया जा रहा है। क्षेत्रीय जनता का अनुरोध है कि ग्राम सभा का उक्त सर्वे कार्य न कराकर 1370 फसली को आधार मानकर चकबन्दी प्रक्रिया लागू की जाये। जिसकी क्षेत्रीय जनता द्वारा कई बार जिला प्रशासन एवं शासन से अनुरोध किया गया, परन्तु अभी तक शासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। जिससे क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक जनाक्रोश व्याप्त है।

इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड हरगांव–ददवारा सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामहेत भारती–

ख्कृपया संज्ञान में लाना चाहूंगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र 147, हरगांव के विकास खण्ड–हरगांव में ददवारा में आने जाने हेतु कच्चा मार्ग है, जो काफी खराब है, जबकि ददवारा के ग्रामीणों को अपना गन्ना अवध शुगर मिल हरगांव तक लाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, अक्सर बैलगाड़ियां पलट जाती हैं तथा क्षेत्रीय जनता को ट्रैक्टर ट्रालियों को लाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ग्राम ददवारा जाने के लिये बांकीपुर चक तक पक्का डामर रोड डा0 अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के द्वारा बना है। बांकीपुर चक के आगे ददवारा गांव तक कच्चा रास्ता एवं खण्डंजा है।

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

अतः लोक महत्व के इस अति महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए बांकीपुर चक से ग्राम ददवारा तक डामर रोड बनवाये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद मिर्जापुर में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा नियुक्तियों में की जा रही धांधली के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 रमेश चन्द्र विन्द–

ख्महोदय, कृपया आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जिला–मिर्जापुर में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा संविदा के पद पर डाक्टरों, काउन्सलर, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट आदि स्टाफ की नियुक्ति की जा रही है। जिसमें मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा अभ्यर्थियों से बड़े पैमाने पर धन उगाही का काम किया जा रहा है। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा नियुक्तियों में किये जा रहे भ्रष्टाचार से अभ्यर्थियों में अत्यधिक रोष व्याप्त है, क्षेत्रीय अभ्यर्थियों द्वारा जिला मिर्जापुर के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा की जा रही नियुक्ति प्रक्रिया को निरस्त करके, पुनः नये सिरे नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने का स्थानीय प्रशासन एवं शासन से अनुरोध किया जा चुका है। परन्तु अभी तक दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। जिससे क्षेत्रीय जनता एवं अभ्यर्थियों में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने की मांग करता हूं।,

उ0 प्र0 अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लि0 के कर्मियों की परेशानियों को दूर किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कुलदीप सिंह सेंगर–

ख्मान्यवर,

मुझे आपका ध्यान उ0प्र0 अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लि0 के कार्मिकों की ओर आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि उक्त निगम के कार्मिक वर्तमान भीषण मंहगाई के इस दौर में चतुर्थ वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार वेतन/भत्ते प्राप्त कर रहे हैं। अल्पसंख्यक निगम सामाजिक क्षेत्र का कल्याणकारी निगम है, जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों (मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध, पारसी एवं जैन) का कल्याण करना है। लाभ अर्जित करना इसका उद्देश्य नहीं है।

निगम कार्मिकों को छठा वेतनमान दिये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव निदेशक मण्डल द्वारा पारित कराकर 01 अगस्त, 2014 को सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रेषित किया गया। इसी संदर्भ में विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2014 के दौरान दिनांक 07–07–2014 को नियम–301 के अन्तर्गत मामला सदन में उठाया गया जिसके उत्तर में मा0 मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग ने अपने अ0शा0प0सं0–497/52–4–2014 नियम (1)/2014 दिनांक 07–08–2014 द्वारा उल्लेख किया गया है। निगम में कुल 90 कार्मिक कार्यरत हैं, जिन्हें चतुर्थ वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार वेतन/भत्ते प्राप्त हो रहे हैं। निगम कार्मिकों को रिजवी समिति

द्वारा सौंपे गये प्रतिवेदन के बिन्दु सं0–19 में की गई संस्तुतियों के क्रम में उक्त निगम को एक कल्याणकारी संस्था मानकर लाभ–हानि से मुक्त करते हुए निगम कार्मिकों को छठा वेतनमान की सुविधा अनुमन्य किये जाने तथा वेतन/प्रशासनिक व्यय हेतु शासन से रु0 5.00 करोड़ की धनराशि की मांग करते हुए प्रस्ताव को परिचालन के माध्यम से निदेशक मण्डल द्वारा पारित कराकर दिनांक 01 अगस्त, 2014 को उपलब्ध कराया गया है। प्रस्ताव पर विचार करने के उपरान्त शीघ्र ही यथोचित निर्णय लिया जायेगा।

विभागीय मंत्री द्वारा उपर्युक्त आश्वासन के उपरान्त सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग, उ0प्र0 शासन ने कार्यालय ज्ञाप संख्या–707/52–4–2014–रिट (1)/2014, दिनांक 07 अक्टूबर, 2014 के माध्यम से निगम कर्मियों को छठा वेतनमान दिये जाने सम्बन्धी निगम के निदेशक मण्डल के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया है। विभागीय सचिव का कार्यालय ज्ञाप पूर्णतः मनमाना, अनुचित एवं मा0 मंत्री जी द्वारा मा0 विधायक को अ0शा0पत्र के माध्यम से दिये गये उत्तर/आश्वासन के विपरीत है। निगम की योजनायें विगत लगभग 08 वर्षों से बन्द चल रही हैं, जिससे निगम कार्मिक बदहाली में जीवन यापन करने के लिये विवश हो गये हैं।

मेरा जनहित/अल्पसंख्यक हित में आपसे अनुरोध है कि उ0प्र0 अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास योजना निगम लि0 के कार्मिकों को छठे वेतनमान दिये जाने एवं निगम की बन्द पड़ी योजनाओं को तत्काल चालू किये जाने हेतु सरकार को निर्देश जारी करने की कृपा करें ताकि निगम कार्मिकों की आर्थिक स्थिति सुधर सके एवं प्रदेश के अल्पसंख्यकों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सरकार से यथाशीघ्र कार्यवाही करने हेतु नियम–301 में उठाने के लिये आपकी स्वीकृति चाहता हूं।,

जनपद देवरिया के रामचन्द्र इण्टर कालेज की समस्याओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उदयराज–

ख्महोदय,

मैं आपका ध्यान शहीद रामचन्द्र इण्टर कालेज बसन्तपुर, घोषी जनपद देवरिया में प्रचारक के पद पर कार्यरत कर्मचारियों के साथ दिनांक 27 जून, 2014 को माननीय विधायक श्री उदयराज यादव के नियम–301 के अन्तर्गत विधान सभा में उठाये गये विषय की तरफ ले जाना चाहता हूं।

उपरोक्त के सन्दर्भ में जिला विद्यालय निरीक्षक देवरिया ने अपने पत्रांक 5736–37/ 2014–15 दिनांक 01 अक्टूबर, 2014 में अवशेष वेतन एरियर बिल तैयार कर शीघ्र उपलब्ध कराने के साथ माननीय विधायक को सूचना प्रेषित की जा सके का उल्लेख किया है।

किन्तु खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक न तो एरियर का भुगतान किया गया और न ही सूचना उपलब्ध कराई गई। उक्त एरियर का भुगतान वर्ष 2011 से किया जाना है। मेरी निश्चित जानकारी में है कि वर्ष 2011 से भुगतान न कराकर मात्र

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

13 माह के एरियर का भुगतान सम्बन्धित कर्मचारियों का कराया जा रहा है। रिकार्ड उपलब्ध न होने का बहाना बनाकर सम्बन्धित कर्मचारियों को अनावश्यक परेशान करने की साजिश की जा रही है।

मैं चाहता हूं कि सम्बन्धित कर्मचारियों के वर्ष 2011 से आज तक के एरियर का भुगतान यथाशीघ्र कराने के आदेश देने के साथ प्रश्नगत प्रकरण की एक उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच विलम्ब के कारणों सहित कराते हुए दोषियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही के साथ सम्पूर्ण जांच विवरण सहित उपलब्ध कराने हेतु इसे नियम–301 के अन्तर्गत उठाने हेतु आपकी स्वीकृति चाहता हूं।,

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली में जल एवं वायु प्रदूषण दूर किये जाने हेतु प्रभावी कदम उठाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय प्रताप जायसवाल–

ख्महोदय,

मानव जीवन में जल एवं वायु की शुद्धता का बड़ा महत्व है। यदि जल एवं वायु दोनों प्रदूषित हो जाय तो मानव जीवन अत्यन्त संकटमय हो जायेगा।

मेरा विधान सभा क्षेत्र रुधौली जनपद बस्ती का अत्यन्त पिछड़ा क्षेत्र है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में बहने वाली नदियां आमी व कुआनों का जल क्षेत्र में स्थापित सुगरमिल व क्षेत्र के बगल में स्थापित औद्योगिक ईकाइयों के रासायनिक अवशिष्ट नदियों में डाले जाने के कारण नदियों का जल पूर्णरूप से प्रदूषित व काला पड़ चुका है। जल प्रदूषण का सबसे बुरा प्रभाव नदियों के किनारे स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों की है। तटीय क्षेत्र के निवासी तथा पशु प्रदूषित जल के दुष्परिणाम भोगने के लिये विवश है। जलजनित बीमारियों से प्रभावित रोगियों की संख्या चिकित्सालयों में दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। औद्योगिक ईकाइयों की चिमनियों से निकलने वाली धुआं और राख से वायु भी प्रदूषित हो चुका है। छोटे–छोटे बच्चों की आंखों पर चिमनियों से निकलने वाले धुओं व राख का भी दुष्प्रभाव पड़ रहा है। क्षेत्र में जल निगम द्वारा लगाये गये इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प भी दूषित जल दे रहा है। जल के जांच में टोटल सस्पेंन्डेट, सालिड कुल ठोस पदार्थ कार्बन डाई आक्साइड व अम्लीयता की मात्रा डब्लू0एच0ओ0 के मानक से बहुत अधिक है। उक्त सम्बन्ध में मेरे द्वारा पूर्व में भी सदन में नियमों के माध्यम से सूचना दी गई थी। जिसका भ्रामक जवाब जल प्रदूषण बोर्ड बस्ती के द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर दिया गया कारण यह बताया गया कि बस्ती नगर के नालों से निकलने वाली कचरायुक्त गन्दगी के कारण कुआनों नदी का जल प्रदूषित हो रहा है जो सत्यता से परे है। उक्त जवाब से ऐसा प्रतीत होता है कि जल प्रदूषण बोर्ड बस्ती, अपने दायित्वों के प्रति गैर जिम्मेदार व शासन को गलत सूचना उपलब्ध कराता है। प्रदूषण बोर्ड के अधिकारियों व कर्मचारियों की औद्योगिक ईकाइयों के मालिकों से मिलीभगत है। इसी कारण सही सूचना शासन को नहीं उपलब्ध हो पाती है। जल एवं वायु प्रदूषण की जांच के लिये प्रदूषण बोर्ड के साथ–साथ माननीय विधायक/जनप्रतिनिधियों की समिति बनाया जाना अति आवश्यक है। यदि सरकार द्वारा नदियों के जल प्रदूषण व औद्योगिक

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

इकाइयों से निकलने वाले दूषित धुएं से निजात पाने के लिये कोई गम्भीर प्रयास नहीं किया जाता है तो इस क्षेत्र के लोगों का भी हाल इलाहाबाद के अभयपुर ग्राम की तरह विकलांगों की संख्या व बुलन्दशहर के कनौरा ग्राम की तरह कैंसर के रोगियों की संख्या दिन–ब–दिन बढ़ती जायेगी तथा मानव स्वास्थ्य के लिये प्रदूषण गम्भीर खतरा बनने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता। प्रकरण गम्भीर व अति लोकमहत्व का है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त प्रकरण पर कार्यवाही की मांग करता हूं।,

भारत–नेपाल बार्डर स्थित महाराजगंज अन्तर्गत बी गैप एवं ए गैप में बांध बनाये जाने हेतु धन अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री देव नारायण सिंह उर्फ जी0एम0 सिंह–

रू महोदय, कृपया अवगत कराना है कि भारत नेपाल बार्डर पर स्थित जनपद महराजगंज के अन्तर्गत बी0 गैप एवं ए गैप में बांध के लिये धन अवमुक्त कर दिया गया है जो बड़े पैमाने पर घोटाला हो रहा है। जो सम्पूर्ण धन का मांग किये जो 20 या 22 प्रतिशत कम दर था। सप्लाई आर्डर करके धन का बन्दर बांट कर लिया जबकि एक बार में अधिशाषी अभियन्ता को एक लाख से अधिक फाइनेंस बुक में सप्लाई लेने का अधिकार नहीं है। इन्होंने नियम के विरुद्ध अपने पद का दुरुपयोग करके पच्चीस लाख रुपये एक बार एकमुश्त धन अवमुक्त कर दिया इस स्थिति में लगभग हजारों एकड़ जमीन हजारों किसानों को सिंचाई विभाग की लापरवाही से फसल जो कि नष्ट हो चुकी है। इसके रखरखाव में भारत सरकार द्वारा धन अवमुक्त कर दिया है। जो कि निम्नवत् है। वर्ष 2012–13 में 27 करोड़ रुपये सिंचाई विभाग द्वारा धन अवमुक्त किया गया है। 2013–14 में भुगतान की स्थिति 39–65 लगभग सापेक्ष 75 प्रतिशत धन अवमुक्त हो चुका है। जबकि 2013–14 में हुए टेण्डर 20 प्रतिशत बिलो हुआ है। धन की मांग दो वर्षों से सम्पूर्ण की गई है। इस तरह 5 प्रतिशत धन कार्य के सापेक्ष अवशेष है। धन की मांग करके अधिशाषी अभियन्ता द्वारा या सहायक अभियन्ता द्वारा सप्लाई आर्डर करके धन को बन्दर बांट कर लिया गया है। जिससे वहां की क्षेत्रीय जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति भारी रोष एवं जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त जनपद महराजगंज में सिंचाई विभाग के अधिशाषी अभियन्ता द्वारा बड़े पैमाने पर हो रहे घोटाले की जांच कराते हुए दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र बिल्सी अन्तर्गत बदायूं बिल्सी मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुसर्रत अली बिट्टन–

ख्महोदय, कृपया अवगत कराना है कि जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र बिल्सी के अन्तर्गत वि0खं0 उझानी के बदायूं बिल्सी मार्ग बरमय खेड़ा से मयखेड़ा तक लगभग

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

1 कि0मी0 तक प्रशासन से एवं शासन से पत्राचार के माध्यम से एवं फोन द्वारा वार्तालाप कर सड़क निर्माण करवाने की मांग की गई है। लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। क्षेत्रीय जनता आये दिन धरना प्रदर्शन करती रहती है जिससे क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति भारी रोष व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद शाहजहांपुर में बिगड़ती कानून–व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रोशन लाल वर्मा–

ख्महोदय, कृपया आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जिला–शाहजहांपुर की मेरी विधान सभा क्षेत्र 133 तिलहर में अराजकता अपनी चरम सीमा पर है, क्षेत्र में गुण्डे माफियाओं ने अपनी दबंगई के कारण क्षेत्रीय जनता का जीना दूभर कर रखा है और पुलिस प्रशासन ने उन माफियाओं के प्रति मौन धारण कर रखा है। जिसके कारण उन गुण्डे माफियाओं में पुलिस का खौफ समाप्त हो गया है। जिसका जीता जागता उदाहरण दिनांक 27–10–2014 को थाना निगोही के अन्तर्गत ग्राम सफौरा के निवासी नेमपाल सिंह को दिन दहाड़े उसी के गांव के निवासी राम औतार सिंह पुत्र मलिखान, गुड्डू सिंह व मुनेन्द्र सिंह पुत्रगण सोनपाल सिंह आदि दबंग लोगों ने गोली मार कर हत्या करने का प्रयास किया। गोली लगने के कारण नेमपाल सिंह आज गम्भीर हालत में हैं। जिसकी रिपोर्ट थाना–निगोही में मु0अ0सं0–581/14 अपराध–307, 504 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दर्ज है, परन्तु पुलिस की अभियुक्तों से सांठ गांठ होने के कारण अभी तक नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी सम्भव नहीं हो सकी है। जिसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर एवं शासन से भी की गई परन्तु अभी तक अभियुक्तगण क्षेत्र में खुले आम घूम रहे हैं और पीड़ित परिवार को जान माल की क्षति पहुंचाने की धमकी दे रहे हैं जिसके कारण पीड़ित परिवार को जीवन भय व्याप्त है। पुलिस प्रशासन द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र रौनकपुरा में नगर निगम के पांच मंजिला मकान की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

ख्महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र रौनकपुरा में नगरनिगम का 5 मंजिला आवास है जिसमें सफाई कर्मचारी रहते हैं।

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

यह भवन पूर्णतः जर्जर है, किसी भी वक्त दुर्घटना हो सकती है तथा जन धन की हानि हो सकती है।

मेरा आग्रह है कि इस भवन के पास ही भूमि पर नये आवासीय क्वार्टर का निर्माण होना प्राथमिकता पर आवश्यक है।

उचित होगा कि वर्तमान निवासियों को वैकप्पिक स्थान पर रखकर निर्माण के बाद पुनः इसकी वापसी करके उसके आवास में करना उपयुक्त हेागा।

मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर शासन से कार्यवाही की मांग करता हूं।,

महोबा जनपद में मण्डी परिषद् द्वारा संचालित योजना से सी0सी0 रोड एवं नालियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राज नरायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज–

ख्महोदय, कृपया अवगत कराना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र महोबा के ग्राम 1 धवारी, काकुन, करहर, बरात पहाड़ी सिजवाहा, सिजहरी, खरका, रैपुरा कलां, नत्थूपुरा, महानपुरा बनियातला आदि में मण्डी परिषद द्वारा संचालित श्री जनेश्वर मिश्रा योजना के अन्तर्गत सी0सी0 सड़क एवं नालियों के निर्माण की अत्यन्त आवश्यक है। जिससे क्षेत्रीय लोगों का शासन के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनजित में उपरोक्त सभी ग्रामों में सी0सी0 सड़क एवं नालियों के निर्माण की सरकार से कार्यवाही की मांग करता हूं।,

डायमण्ड डेरी कालोनी, लखनऊ में अनुरक्षण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री वीरपाल राठी–

ख्महोदय, लोक निर्माण विभाग के 39वां वृत्त के (सिविल) अनुरक्षण खण्ड–1 लखनऊ द्वारा राजकीय कालोनी डायमण्ड डेरी कालोनी, उदयगंज, लखनऊ के बाहरी दीवारों के सतहों के पुराने प्लास्टर को तोड़कर नये प्लास्टर करके डबल कोट के पेटिंग कराने के लिये शासन द्वारा धन स्वीकृत किया गया था। लेकिन लो0नि0वि0 के 39वां वृत्त के (सिविल) अनुरक्षण खण्ड–1 लखनऊ ने उक्त कार्य को कराने में काफी लापरवाही की गई है। यह कि दीवार की पुराने प्लास्टर को न तोड़ा गया। पुराने प्लास्टर पर ही पेंटिंग कर दिया गया है। जो कि पेटिंग उखड़ गई है। दीवार को दखेने से पता चलता है कि ठेकेदार तथा विभाग के इंजीनियरों के द्वारा काफी धांधली की गई है। आवास सं0–ईडी–43 के बाहरी दीवारों का प्लास्टर भी नहीं किया था। घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया है। जैसा कि शासन के आदेश हैं कि मोरंग का प्रयाग किया जाय परन्तु

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

ठेकेदार ने महीन बालू का प्रयोग किया है। इसकी भी जांच कराई जाय। उक्त कार्य में ठेकेदार ने मनमानी ढंग से सरकारी धन का दुरुपयोग किया है। इस पूरे प्रकरण में मुख्य ठेकेदार ने मनमानी ढंग से मिलीभगत करके विभाग को गुमराह करते हुए लापरवाही से कार्य कराया है। उक्त ठेकेदार द्वारा कराये गये लो0नि0वि0 के 39वां वृत्त के (सिविल) अनुरक्षण खण्ड–1 लखनऊ के अन्य कार्यों की जांच भी कराई जाय।

यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त कालोनी के आवासों में भी काफी घटिया किस्म के काम कराये गये हैं। जैसे आवास सं0 ईडी–43 में सही ढंग से प्लास्टर नहीं किया गया है। खिड़की दरवाजों के पेंटिंग काफी लापरवाही से की गई है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त कार्य की जांच किसी अन्य निष्पक्ष एजेन्सी से कराकर दोषी ठेकेदार तथा अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद अलीगढ़ में दान की हुई भूमि पर अस्पताल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भगवती प्रसाद–

ख्महोदय, जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र खैर में ग्राम सालपुर परगना टप्पल तहसील खैर जिला अलीगढ़ में खसरा सं0–105 अ मि0 रकवा 0.13 हेक्टेयर जमीन स्व0 श्री एदलसिंह पुत्र स्व0 श्री चरन सिंह ने 35 वर्ष पूर्व आयुर्वेदिक हास्पिटल के नाम दान किया था। उक्त हास्पिटल के न बनने से लगभग 40 गांव के मरीजों के उपचार में काफी कठिनाई होती है। इस हास्पिटल के निर्माण न होने से क्षेत्रीय जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यह प्रकरण जनहित से सम्बन्धित है।

अतः मैं चाहूंगा कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर जनहित में शीघ्र आयुर्वेदिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद अलीगढ़ में कतिपय जर्जर मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दलवीर सिंह–

ख्महोदय, जनपद अलीगढ़ के बरौली विधान सभा के अन्तर्गत निम्न सम्पर्क मार्गों की स्थिति अत्यन्त खराब है जिससे जगह–जगह पर गड्ढ़े हो गये हैं। जिसके कारण आम जन को चलने में काफी कठिनाई होती है।

1. जी0टी0 रोड से कन्होई से हसनपुर, रायपुर, नगोला तक,
2. चण्डौस से डाबर स्टेशन तक,
3. चण्डौस डाबर से अमृतपुर भगतपुर,

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

4. गभाना बरौली पहासु मार्ग से राजगढ़ी मार्ग,
5. गभाना बरौली मार्ग से नहर की पटरी होते हुए रिगसपुरी मार्ग,
6. टमकौली डाबर रोड से कटरा बरौली तक,
7. बरौली श्यामपुर मार्ग से पोखरगढ़ी मार्ग,
8. गभाना बरौली मार्ग से नगला रायसिंह मार्ग,
9. गभाना बरौली से बरौला बाई पास मार्ग,
10. गभाना बरौली से खुर्द खेड़ा मार्ग,
11. बरौली से पोथी पिपलोट मार्ग वाया लालपुर मार्ग।

अतः मैं चाहूंगा कि इन सम्पर्क मार्गों की मरम्मत कराये जाने की मांग करता हूं।

जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र बल्देव के ब्लाक राया एवं बल्देव की जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पूरन प्रकाश–

ख्महोदय,

1. राया बल्देव मार्ग से गुरसैनिया तक लं0–4.0 किमी0,
2. कटैला माइनर से बना तक लं0–400 मी0,
3. ग्राम सियरा से बना तक लं0–300 मी0,
4. राया बल्देव मार्ग नगला दखनी होते हुए ककरेरिया तक लं0–1.5 कि0मी0,
5. राया बल्देव मार्ग से गढ़ी रूपा तक लं0–700 मी0,
6. ग्राम मदैम से भोजुआ तक लं0–2.0 किमी0,
7. ग्राम मदैम से जगतिया तक लं0–1.0 किमी0
8. राया से नगला सहसू व भवानी तक लं0–3.0 किमी0
9. राया मथुरा मार्ग से सिरिया की नगरिया तक लं0–800 मी0,
10. राया मथुरा मार्ग से दीवाना खुर्द तक लं0–1.0 किमी0
11. सादाबाद मार्ग से सौंखखेड़ा तक लं0–5.0 किमी0,
12. सौंखखेड़ा से नगला हरी तक लं0–1.5 किमी0,
13. राया–सादाबाद मार्ग से रामपुर चौराहे से पवेसरा तक लं0–2.0 किमी0,
14. राया–सादाबाद मार्ग से जासा तक लं0–2.0 किमी,
15. ग्राम नुनेरा से गढ़ी नन्दा तक लं0–1.5 किमी,
16. राया–सादाबाद रोड से (अनोड़ा से) बिजहरी तक लं0–4.0 किमी0,
17. राया–सादाबाद रोड से बल्टीगढ़ी तक लं0–4.0 किमी0,
18. राया–सादाबाद से जुगसना तक लं0–4.0 किमी0,

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

19. राया–बल्देव मार्ग से नगला पीता (कटैला माइनर की पटरी) तक लं0–2.0 किमी0,
20. राया–सादाबाद मार्ग सारस से पड़रारी तक लं0–500 मी0
21. राया–मथुरा मार्ग से गोंगा होते हुए नहर तक लं0–3.0 किमी0,
22. राया–माठ रोड से नीमगांव तिराहे से नागल होते हुए नगला सहसू तक लं0–4.0 किमी0,
23. राया–मथुरा मार्ग से सिहोरा होते हुए कारब तक लं0–4.0 किमी0,
24. बल्देव–कंजौली घाट ब्रिज रोड से नगला राधे–नगला बेर तक लगभग 3 किमी0 नवनिर्माण।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त सड़कों का नवनिर्माण/विशेष मरम्मत कराये जाने की मांग करता हूं।,

गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर की कतिपय जर्जर मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुदेश शर्मा–

ख्महोदय, मेरी विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत निम्न मार्गों की स्थिति अत्यन्त दयनीय है इन मार्गों पर भारी संख्या में लोगों का आवागमन रहता है जिससे क्षेत्रवासियों एवं किसानों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तथा चूंकि अब गन्ने का पेराई सत्र भी चालू होने जा रहा है ऐसे में किसानों को बुग्गी व ट्रैक्टर ट्रालियों द्वारा गन्ने को मिल तक पहुंचाने में काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। सड़क खराब होने के कारण कई बार किसानों के साथ दुर्घटनायें हो चुकी हैं। जिसके कारण क्षेत्र की जनता में काफी रोष व्याप्त है। यह मामला जनहित से सम्बन्धित है। मार्गों की सूची निम्नवत् है :–

1. ब्लाक भोजपुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बेगमाबाद बुदाना की डिफैन्स कालोनी में ऊंची सड़क नाले के पुल से पं0 वेद प्रकाश शर्मा (टोपी वाले) पंडित जी, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान होते हुए देवेन्द्र के मकान तक सड़क।
2. मोदीनगर निवाड़ी मार्ग पर ग्राम याकुतपुर मयी से ग्राम बुदाना होते हुए ग्राम बेगमाबाद तक सड़क।
3. ब्लाक मुरादनगर में ग्राम आसिफपुर उजैड़ा में गन्ना सेन्टर वाले मोड़ से ऊधम सिंह प्रधान के खेत के सामने तक सड़क।
4. ब्लाक भोजपुर के अन्तर्गत ग्राम नाहली से मुख्य मार्ग पर हाजी जुलफी के मकान से मोदीनगर हापुड़ मार्ग की ओर अवशेष खड़न्जे पर सड़क निर्माण।
5. मोदीनगर कलछीना मार्ग पर ग्राम नगलाबेर से ग्राम दतैड़ी के भट्ठे तक रजवाहे की पटरी पर सड़क।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर शासन से वक्तव्य दिलाये जाने एवं उक्त मार्गों को शीघ्र बनवाये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद अलीगढ़ में कतिपय जर्जर मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री त्रिलोकी राम–

ख्महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र इगलास (अलीगढ़) की निम्न सम्पर्क सड़क बहुत ही जर्जर/गड्ढायुक्त होने के कारण चलने योग्य नहीं है। ट्रैक्टर तथा बड़े वाहन के पलटने से आये दिन दुर्घटना हो रही है। सड़कों में बड़े–बड़े गड्ढे होने को जनता के गम्भीर उपचार के लिये चिकित्सालय ले जाने में काफी विलम्ब होने के कारण कई मरीजों की रास्ते में ही मौत हो जाती है। जिनकी मरम्मत कराया जाना अति आवश्यक है।

ब्लाक–लोधा

1–बिजोना से विखारन तक दूरी 1.00 कि0मी0।

2–अलीगढ़ खैर मार्ग से दुनाई तक दूरी 1.00 कि0मी0।

3–बढ़ौली हाजी से बाढ़ौन तक दूरी 1200 मी0।

4–अलीगढ़ गोण्डा मार्ग से मण्डला तक दूरी 1500 मी0।

5–अलीगढ़ गोण्डा मार्ग से मादरखेड़ा तक दूरी 1.5 कि0मी0।

6–अलीगढ़ गोण्डा मार्ग से भैमती तक दूरी 2.00 कि0मी0।

7–अलीगढ़ गोण्डा मार्ग से डिगसी तक दूरी 1.5 कि0मी0।

8–जिरौली डोर से बिजौना तक दूरी 1 कि0मी0।

ब्लाक–गोण्डा–

1–गोण्डा खैर मार्ग से तलेसरा तक दूरी 1.2 कि0मी0।

2–गोण्डा खैर मार्ग से डिगसारी तक दूरी 500 मी0।

3–गोण्डा खैर मार्ग से गिडोरा तक दूरी 700 मी0।

4–गोण्डा गोरई मार्ग से भगरा तक दूरी 1 कि0मी0।

5–गोण्डा गोरई मार्ग से कण्ठी की नगरिया तक दूरी 2 कि0मी0।

6–गोण्डा गोरई मार्ग से भडीरा तक दूरी 1.5 कि0मी0।

7–गोण्डा गोरई मार्ग से सढ़ा तक दूरी 20.5 कि0मी0।

8–इगलास गोरई मार्ग साहपुर से खिरसौली तक दूरी 3 कि0मी0।

9–इगलास गोण्डा मार्ग से बीरानगला तक दूरी 1 कि0मी0।

10–इगलास गोण्डा मार्ग से कांच चिरौली तक दूरी 1 कि0मी0।

ब्लाक–इगलास

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

1–हाथरस इगलास मार्ग से कनौरा तक दूरी 2 कि0मी0।

2–हाथरस इगलास मार्ग से बसेली तक दूरी 1 कि0मी0।

3–हाथरस इगलास मार्ग से कारस तक दूरी 2 कि0मी0।

4–मोहरैनी से नगला चूरा तक दूरी 1 कि0मी0।

5–असरोई से तोछीगढ़ बम्बा हाथरस बार्डर तक दूरी 2 कि0मी0।

6–जवार से हाथरस बार्डर तक दूरी 2 कि0मी0।

7–तोछीगढ़ बम्बा पुल से पिलखुनिया तक दूरी 2 कि0मी0।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर शासन से त्वरित कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद बागपत में पशुओं की बीमारी को रोकने हेतु प्रभावी कदम उठाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लोकेश दीक्षित–

ख्महोदय,

कृपया संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जनपद–बागपत में विधान सभा बड़ौत के अन्तर्गत क्षेत्र में पशुओं की खुरपका, मुंहपका, बीमारी भारी पैमाने पर फैल रही है। जिसके कारण गांवों में बहुत से जानवरों की मृत्यु हो रही है। खुरपका, मुंहपका बीमारी रोकने हेतु पशु चिकित्सालयों/मेडिकल स्टोरों में नकली वैकसीन दी जाती है। जिससे बहुत संख्या में क्षेत्र में पशुओं की मृत्यु हो रही है। जिससे पशुओं की मृत्यु तो हो ही रही है, क्षेत्र में जनमानस भी बीमारी के खतरे से खाली नहीं हैं। जिससे क्षेत्रीय किसान/जनता का सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त बीमारी रोकने के लिये उपयोग हो रही नकली वैकसीन के इस्तेमाल की जांच किये जाने की कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करता हूं।,

सचिवालय के लोक निर्माण अनुभाग–8 द्वारा लिये गये अवैध निर्णय को दूर किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आशीष कुमार यादव–

ख्मान्यवर,

मैं आपके माध्यम से माननीय सदन का ध्यान सचिवालय के लोक निर्माण अनुभाग–(8) के अर्धशासकीय पत्र संख्या–698/23–8–14 दिनांक 15 अप्रैल, 2014 द्वारा लिये गये अवैध निर्णय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिसके द्वारा उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम के कार्मिकों तथा पेंशनर्स को 'वेतन सन्दाय अधिनियम' (पेमेन्ट आफ वेजेज एक्ट) के अनुसार अब तक उनका बकाया आंशिक वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। जबकि उक्त अधिनियम के अनुसार सही समय पर सम्पूर्ण भुगतान करना निगम प्रबन्धन

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

की विधिक बाध्यता है। किन्तु राजकीय निर्माण निगम से प्राप्त तत्सम्बन्धी प्रस्तावों को लोक निर्माण अनुभाग–(8) ने जून, 2011 में परीक्षण एवं परामर्श हेतु वित्त (व्यय नियंत्रण अनुभाग–8) को गलत दिशा में सन्दर्भित कर दिया था। जबकि वित्त (व्यय नियंत्रण अनुभाग–8) का कार्य लोक निर्माण विभाग तथा वन विभाग के सरकारी बजट तथा अनुदानों को जांचना एवं नियंत्रित करना है। उल्लेखनीय है कि राजकीय निर्माण निगम अपने समस्त कर्मचारियों को स्वयं द्वारा अर्जित स्रोतों से वेतन एवं समस्त देयकों का भुगतान करता है। इसके लिये उसे किसी प्रकार का सरकारी बजट या अनुदान नहीं मिलता है। बल्कि निगम द्वारा प्रतिवर्ष राज्य सरकार को 20 लाख रुपये डिविडेन्ड (लाभांश) के रूप में दिये जाते हैं। निगम कर्मियों को राज्य कर्मियों के समान पेंशन, एवं अन्य सुविधायें नहीं मिलती हैं। इसीलिये निगम कर्मियों के वेतन एवं सेवा आदि से सम्बन्धित समस्त प्रकरण शासन के श्रम अनुभाग–2 द्वारा वेतन सन्दाय अधिनियम तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम (इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट–1947) आदि श्रम कानूनों के परिपेक्ष में निस्तारित किये जाते हैं। किन्तु प्रशासकीय विभाग के दुराग्रह के कारण निगम के निदेशक मण्डल द्वारा विगत पांच वर्षों से लगातार सर्वसम्मति से अनुमोदित एवं वार्षिक बजट प्रस्तावों में प्रावधानित धनराशि का भुगतान पेंशनरों तथा कार्मिकों को न होने के कारण वे सब अत्यन्त आक्रोशित हैं।

अस्तु व्यापक लोक महत्व के उपरोक्त सुनिश्चित विषय पर मैं तत्काल प्रभावी कार्यवाही एवं वक्तव्य की मांग करता हूं।

जनपद हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर गंगा किनारे खादर क्षेत्र की भूमि का सिजरा व बन्दोबस्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मदन चौहान–

ख्मान्यवर,

मेरी विधान सभा गढ़मुक्तेश्वर तहसील के अन्तर्गत खादर क्षेत्र में ग्राम रामपुर न्यामतपुर मौ0पुर शकरपुर इनायतपुर उर्फ नया गांव लढीरा गढ़ावली, ब्रजघाट सिजरे वर्ष 1986–87 से गायब है। पूर्व में भी नियम–301 में सूचना दी गई थी जिसके जवाब में आया सर्वे प्रक्रिया गतिमान है। नोटीफिकेशन अभिलेख क्रियायें कराने हेतु निर्देश दिये गये हैं। अभिलेख न होने से क्षेत्र में अत्यन्त गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है। किसानों के झगड़े हो रहे हैं। माफिया लोगों ने अनाधिकृत कब्जे कर लिये हैं।

मैं शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये त्वरित कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल के कतिपय सम्पर्क मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नूर सलीम राजा–

ख्महोदय,

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल के अन्तर्गत 1–ग्राम चरथावल से कुलेहड़ी मार्ग की मरम्मत 2–चरथावल से बघरा मार्ग की मरम्मत 3–जसोई गांव से छतेले गांव तक की मरम्मत 4–अकबरगढ़ गांव से नियामू गांव तक की मरम्मत 5–चरथावल से कुटेसरा गांव तक की मरम्मत 6–घिस्सूखेड़ा से चौकड़ा गांव तक की मरम्मत 7–गांव दधेडू सैदनगला गांव तक मार्ग की मरम्मत 8–चरथावल मार्ग से गांव लुहारी तक की मरम्मत 9–गांव बघरा मार्ग से बुडीना खुर्द तक मरम्मत 10–जसोई से गुजरहेड़ी गांव तक की मरम्मत 11–लड़वा गांव से नगला राही तक की मार्ग मरम्मत कार्य कराना अति आवश्यक है। इन मार्गों की अवस्था जीर्ण–शीर्ण एवं अत्यन्त खराब होने के कारण क्षेत्रीय लोगों को आने–जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति भारी रोष व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त मार्गों का मरम्मत कार्य कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ से स्वीकृत आई0टी0आई0 भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनीसुर्रहमान–

ख्महोदय,

मैं आपका ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र कांठ की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, वर्ष 2013–2014 में मेरे क्षेत्र के ब्लाक छजलैट के लिये एक आई0टी0आई0 एम0एस0डी0पी0 योजना में स्वीकृत हुई थी। तहसील कांठ के ग्राम सन्दलीपुर में भवन निर्माण हेतु ग्राम पंचायत ने भूमि उपलब्ध करा दी थी तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव भी पास हो गया था। परन्तु तहसील कागजात में अमल–दरामद न हो पाने के कारण आई0टी0आई0 का भवन निर्माण प्रारम्भ नहीं हो पा रहा है। जिससे छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। छात्रों के भविष्य को देखते हुए भूमि के दाखिल खारिज में आ रही बाधा को दूर कर आई0टी0आई0 भवन निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ हो। भवन निर्माण में हो रही देरी के कारण क्षेत्रीय जनता एवं छात्रों में भारी आक्रोष है।

अतः मैं उपरोक्त लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर तत्काल आई0टी0आई0 भवन निर्माण शुरू कराने हेतु सदन के माध्यम से कार्यवाही कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद सिद्धार्थनगर में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा स्पष्ट आदेशों के बाद भी कम्प्यूटराइज जाति प्रमाण–पत्र निर्गत न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जयराम पासवान–

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ख्महोदय,

सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर के आदेश दिनांक 4 अगस्त, 2014 के क्रम में अपर जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर के पत्रांक 1501 (5)/जे0ए0/2014–15 दिनांक 8 अगस्त, 2014 द्वारा समस्त तहसीलदारों को स्पष्ट आदेश दिये जाने के बावजूद जनपद सिद्धार्थनगर में वर्ष 2008 एवं 2009 में जारी जाति प्रमाण–पत्रों को अभी तक कम्प्यूटराइज नहीं कराया गया है तहसील बांसी जनपद सिद्धार्थनगर में माह सितम्बर, 2009 में जारी जाति प्रमाण–पत्रों पर यह मुहर लगी है कि ''यह प्रमाण–पत्र वेबसाइट ीजजचध्इवतण्नण्चण्छपबण्पद पर इसका क्रमांक अंकित कर सत्यापित किया जा सकता है।'' किन्तु जब उक्त जाति प्रमाण–पत्रों को आवेदित विभाग द्वारा वेबसाइट पर चेक किया जाता है तो पता चलता है कि उक्त प्रमाण–पत्र अभी तक कम्प्यूटराइज ही नहीं किये गये हैं इससे सम्बन्धित विभाग शक करते हुए कम्प्यूटराइज प्रमाण–पत्र की मांग कर रहे हैं। प्रमाण–पत्रों को अभी तक कम्प्यूटराइज न किये जाने से प्रमाण–पत्र धारकों को भारी सुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

अतः इस अति अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए सभी प्रमाण–पत्रों के कम्प्यूटराइज कराकर सदन को सूचित करने की मांग करता हूं।,

कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिशों के अनुसार सदन उठने के अन्तिम दिन पूर्व परम्परा की भांति नियम–301 की सभी सूचनाएं स्वीकार किये जाने विषयक प्रस्ताव

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने सदन में कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिशों की सूचना दी थी। उसके अनुसार सदन 21 तारीख तक चलना था। आपने आज नियम–301 की सभी सूचनायें स्वीकार की हैं। सामान्यतः आखिरी दिन सारी सूचनायें स्वीकार की जाती हैं। यह सदन नियमों और परम्पराओं से चलता है। इसका मतलब है कि कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश के विपरीत आपके द्वारा यह मान लिया गया है कि आज सदन का अंतिम है इसलिए आप सभी सूचनायें स्वीकार कर रहे हैं। इस संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि यह सदन अपने काम का मास्टर होता है। कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिशों को सर्वसम्मति से स्वीकार करता है उसमें कोई परिवर्तन जब तक प्रस्ताव न आ जाये तब तक नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष–

आप सुनिये। देखिये। ऐसा नही है। आप जो कह रहे हैं मुझे तो कोई ऐसी जानकारी नहीं है। मैंने तो सभी सूचनायें इसलिए ले लीं कि इस सदन का 21 तारीख तक का कार्यक्रम कार्य–मंत्रणा समिति ने किया है और सारे सदस्य इसमें कई दिनों से परेशान थे तो हमने सोचा कि आज सबकी सूचनायें ले लें। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कार्य–मंत्रणा समिति के प्रस्ताव के विपरीत हम कर रहे हैं और यह सदन बंद भी नहीं होगा। मेरे ऊपर मा0 सदस्य इतना दबाव डाल रहे थे कि मैंने सबसे पहले कह

दिया था कि आज मैं सबकी 301 की सूचनायें ले लूंगा इसके बाद कल से 301 की सूचनायें नहीं ली जायेंगी।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

मान्यवर, अगर आपने सदाशयता बरतकर सभी सूचनायें स्वीकार कर ली हैं तो इसके लिए हम सबकी ओर से बधायी है। लेकिन इस 301 की सूचना लेने की आड़ में कहीं 21 तारीख तक का सदन बीच में ही बाधित न हो जाये इसका संरक्षण आपको देना है।

श्री अध्यक्ष–

आप तो सब जानते हैं। इस पर कार्य–मंत्रणा समिति की बैठक होगी। सदन कैसे बंद होता है आप तो सीनियर हैं सब जानते हैं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, इनसे ज्यादा तो कोई जानता ही नहीं है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, कभी–कभी ऐसा होता है कि मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी दो लाइन का प्रस्ताव लिख कर भेज देते हैं और प्रस्ताव के बाद भी वही कार्य हो जाता है जो कार्य–मंत्रणा समिति में हम लोग तय करते हैं। इसलिए मान्यवर, आपका संरक्षण चाहिए कि यदि मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी बीच में कोई दांव चलें तो वह दांव आपको काटना है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा कोई दांव नहीं चलेगा। दांव तो अभी आपका चल गया। बिजली पर बहस होती रही और आप पूरी हांडी चट गये और सारे रह गये, उनका सजा सजाया खेल आपने वाकआउट कर दिया, मान्यवर बहुत माहिर हैं हमारे मौर्या जी सदन उठाने में और एक ही दिन में सारा बजट पास कर देने में, यहां कोई ऐसी मंशा नहीं है, सदन चलेगा और जब तक आप चाहेंगे तब तक सदन चलेगा और आपको मालूम है पिछली समाजवादी सरकार में एक साल तक सदन चला था। अगर आप चाहें तो उसको फिर दोहराया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष–

यह सदन चलेगा, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है, अभी कार्य–मंत्रणा समिति की सदन के बाद बैठक होगी।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, यह तो मैं घेर कर सदन चलवा रहा हूं, नहीं तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की मंशा ऐसी नहीं है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

असल में नेता प्रतिपक्ष को बहुत सी शादियों में शामिल होना है, अपने अलावा, अपनी नहीं, और बहुत सी शादियों में शरीक होना है, इसके लिए अगर आप चाहते हैं तो प्रस्ताव किये देते हैं। अगर नेता प्रतिपक्ष चाहते हैं कि सदन न चले, तो नहीं चलेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, यह अन्दर का छुपा पाप बाहर आ गया है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

नेता प्रतिपक्ष बराबर यह चाह रहे हैं कि सदन न चले, अगर सदन नहीं चलना है तो फिर आज खत्म कर दें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, ऐसा नहीं है, सदन चलना चाहिए।

श्री मोहम्मद आजम खां–

ठीक है, सदन चलेगा।

श्री अध्यक्ष–

देखिये मौर्या जी, सदन के बाद कार्य–मंत्रणा समिति की बैठक होगी, यह सदन चलेगा। मेरे ऊपर लगातार आपके सारे विधायक चूंकि कम समय था, सबका आ नहीं पा रहा था, तो हम सुबह से इन सबको 78 को कहां तक छांटते फिरते, तो हमने सब ले लिया, अब इनका काम खत्म, अब दोबारा यह नहीं आयेंगे।

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 19 नवम्बर, 2014 को नियम–300 के अन्तर्गत 08 सूचनायें प्राप्त हुईं, लेकिन एक भी पोषणीय नहीं हैं। डा0 बाजपेई जी ने एक विषय उठाया था कि मा0 अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत 7 अल्पसूचित प्रश्नों में से मात्र 01 प्रश्न ही कार्यसूची में सम्मिलित करने तथा प्रश्न का उत्तर विभाग द्वारा समय से विधान सभा को उपलब्ध न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। तो ऐसा है आपके जितने भी प्रश्न स्वीकार हुये थे, धीरे–धीरे आ तो रहे हैं दो तो आज ही आ गये, इसके पहले भी आ गया है, तो कैसे कह रहे हैं कि नहीं आ रहा है।

मा0 अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत 7 अल्पसूचित प्रश्नों में से मात्र 01 प्रश्न ही कार्य–सूची में शामिल करने तथा प्रश्न का उत्तर विभागों से समय से न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन को संचालित करने की एक नियमावली है और उस नियमावली में 29 में अल्पसूचित प्रश्न दिया हुआ है, इसके अनुसार जब कोई सदस्य अल्पसूचित तारांकित प्रश्न पूछना चाहें तो वे सत्र आहूत हो जाने के बाद ऐसे प्रश्नों की लिखित सूचना न्यूनतम तीन दिन पूर्व प्रमुख सचिव को देंगे और प्रमुख सचिव साधारणतया प्रश्न को अल्पसूचित प्रश्न के रूप में ग्राह्यता पर उसकी प्राप्ति के 24 घण्टे के भीतर अध्यक्ष की आज्ञा प्राप्त करेंगे और अध्यक्ष की आज्ञा प्राप्त हो जाने के उपरान्त प्रश्न की एक प्रतिलिप संबंधित मंत्री को भेज देंगे। मेरा निवेदन यह है कि सदस्य का प्रश्न पूछने का अधिकार है और प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने का भी अधिकार है। मेरे खुद

के सात अल्पसूचित मान्यवर आपने स्वीकार किये और आपने मंत्रीगणों को भेज दिये और भी मा0 सदस्यों के इस प्रकार के प्रश्न होंगे अब अगर तीन दिन में उत्तर न देना और उसके बाद भी दो स्थिति मान्यवर, मेरे केस में दो प्रश्न उत्तरित, दो पर मा0 मंत्री जी का अनुरोध चार और तीन पर मौन हैं, इसका मतलब इस सदन के प्रति अधिकारियों में गम्भीरता नहीं है। मैं ध्यान लाना चाह रहा हूं, आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं, मेरे सात प्रश्न में से दो उत्तरित, दो पर नियमित कराने का आग्रह और तीन पर मौन, इसका मतलब विभाग के अधिकारी सदन को गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं और फिर उनके इस कृत्य के कारण इन सार्टटर्म अल्पसूचित प्रश्नों का एक तरीके से विषय ही समाप्त हो जाता है, मेरा आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन है और मैं इस बात पर मा0 शिवपाल सिंह यादव जी के एक बयान को कोड करना चाहूंगा, उन्होंनें कहा था कि ये अधिकारी डाट–डाट–डाट, अगर ये अधिकारी सरकार की और सदन के अन्दर रखी बात का निर्वहन करने में, जो उनकी जिम्मेदारी है, उसको पूरा नहीं कर रहे हैं तो मैं मान्यवर, आपसे आग्रह करूंगा कि पीठ से आज कोई ऐसा निर्णय दें कि जो अधिकारी नियमों के अन्तर्गत या तो उसको नियमित करायें और अगर नियमित नहीं कराते हैं और प्रश्न पर मौन हैं तो यह सदन की अवमानना है, इस पर स्पष्ट निर्देश यदि आपका जायेगा और एक–आध अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्यवाही हो जायेगी तो इससे कंपकंपी फैल जायेगी जिलों तक और इस सदन की जो सत्ता है वह स्थापित हो जायेगी। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं और मुझे इस औचित्य के प्रश्न के माध्यम से आपके निर्देश की प्रतीक्षा है कि इस सदन की सार्वभौमिकता और सर्वोच्चता जिलों के अधिकारियों तक स्थापित हो। सरकार जिन प्रश्नों के उत्तर देना चाहती है, जो अध्यक्ष के द्वारा स्वीकार किये हुये प्रश्न हैं, उन पर उत्तर देने में वे गंभीर हो जायें, अन्यथा उन पर कार्यवाही होगी यह संदेश आज आपके निर्देश के माध्यम से जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष–

मा0 बाजपेयी जी, जब प्रश्न आता है तो शासन को भेजा जाता है। शासन जब उस पर उत्तर देने की सहमति दे देता है तब वह एजेण्डे की सूची में आता है। आप खुद जानते हैं कि जितने प्रश्नों का शासन ने उत्तर दिया वह उसमें लग गया और जो अभी नहीं आ पाया होगा मैं उसको दिखवा लूंगा और कोशिश करूंगा।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मा0 अध्यक्ष जी, आप यहां पर पक्ष और विपक्ष के सभी विधायकों के अधिकारों के संरक्षणदाता हैं। मैंने तो उदाहरण दिया है कि 7 स्वीकृत अल्पसूचित प्रश्नों में से 2 उत्तरित, 2 नियमित और 3 पर मौन तो यह 3 पर मौन सदन की अवमानना है। यह अध्यक्ष पीठ के निर्देशों की अवहेलना है और यह अधिकारियों की स्वेच्छाचारिता है। मा0 अध्यक्ष जी, इस पीठ से ऐसा निर्णय हो जिससे कि जिलों में बैठे अधिकारियों में कंपकंपी फैले और उनके मन में डर का भाव हो।

श्री अध्यक्ष–

मा0 बाजपेयी जी, आप जो कह रहे हैं तो एक–आध छोड़कर रोज तो अल्पसूचित प्रश्नों के उत्तर आ रहे हैं और दो तो आज ही लगे थे। आप जिन प्रश्नों पर

कह रहे हैं कि मौन हैं तो वे अभी समय आयेगा, चलेंगे। अगर आपकी कोई शिकायत है तो मैं उसको व्यक्तिगत रूप से दिखवा लूंगा। अब आप बैठिये।

प्रदेश सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्रों के विकास में भेदभाव करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, इस विधान सभा में सारे जनप्रतिनिध अपने क्षेत्रों से चुनकर आते हैं और सबकी यह जिम्मेदारी होती है कि जो क्षेत्र की जनता की समस्यायें हैं उनको वे इस सदन में उठायें। आपके संरक्षण उन बातों को सरकार से करें और उन बातों का समाधान करवायें। मान्यवर, साथ ही चुनी हुई सरकारों की भी यह जिम्मेदारी होती है कि वह बिना भेद–भाव के, बिना राग–द्वेष के, बिना मोह–माया के प्रदेश में सर्वांगीण विकास की बात करे।

श्री अध्यक्ष–

यह आप किस मद में बोल रहे हैं ?

श्री सतीश महाना–

मैं नियम–300 में औचित्य के प्रश्न में बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

आपका औचित्य तो हमने स्वीकार नहीं किया तो क्यों बोल रहे हैं ?

श्री सतीश महाना–

मा0 अध्यक्ष जी, स्वीकार तो आपने वह भी नहीं किया था और सुन लिया।

(मा0 अध्यक्ष एवं सदस्य, श्री सतीश महाना द्वारा एक साथ बोलने के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

वह प्रश्नों से सम्बन्धित था इसलिये सुन लिया। देखिये, वह अल्पसूचित प्रश्नों से सम्बन्धित था और आपका क्षेत्रों के विकास का विषय है तो क्षेत्रों के विकास का प्रश्न नियम–300 में कैसे आयेगा। 300 का नियम यह है कि जब विधान सभा की कार्यवाही में किसी तरह से संवैधानिक बातों की अवहेलना हो तो वह 300 में आता है। अब यह क्षेत्रों के विकास में भेदभाव का विषय नियम–300 में नहीं आता है। अब हम आगे एजेण्डा ले रहे हैं। आप बैठ जायें यह नियम–300 में नहीं आता। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, अब आप मद संख्या–3 लें।

सोलहवीं विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2014 (दिनांक 19–06–2014 से 07–07–2014 तक) में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–301 के अधीन प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से सोलहवीं विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2014 (दिनांक 19–06–2014 से 07–07–2014 तक) में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–301 के अधीन प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया

सम्बन्धी निदेश (चौदहवां संस्करण) के निदेश संख्या–14(3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के 31 मार्च, 2011–2012 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखों पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा–37 की उपधारा (07) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित[४]

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के 31 मार्च, 2011–2012 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखों पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा–37 की उपधारा (7) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–01–2013 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)[४४]

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अरविन्द कुमार सिंह ''गोप'')–

मान्यवर, आपकी अनुमति से उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–01–2013 (उप0 लो0आ0) के सम्बन्ध में शासन के स्पष्टीकरण ज्ञापन को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा–12 की उपधारा (7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

लोक आयुक्त के विशेष प्रतिवेदन संख्या–06–2014 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)४

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अरविन्द कुमार सिंह ''गोप'')–

मान्यवर, आपकी अनुमति से लोक आयुक्त के विशेष प्रतिवेदन संख्या–06–2014 (लो0आ0) के सम्बन्ध में शासन के स्पष्टीकरण ज्ञापन को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा–12 की उपधारा (7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

उ0 प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का संकलित प्रमाणित आर्थिक चिट्ठा 2010–2011४

खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री (श्री नारद राय)–

मान्यवर, आपकी अनुमति से उ0प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का संकलित प्रमाणित आर्थिक चिट्ठा 2010–11 को उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1960 की धारा–30 की उपधारा (5) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–8 में कुछ नहीं है।

पंचायती राज समिति (2014–15) का प्रथम प्रतिवेदन४

श्री कमाल यूसुफ मलिक–

मान्यवर, आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2014–15) का प्रथम प्रतिवेदन, जो भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा तकनीकी निर्देशन एवं पर्यवेक्षण के निर्बन्धनों के अधीन 31 मार्च, 2005 तथा 31 मार्च,

---

४ छापा नहीं गया।

४४ छापे नहीं गये।

2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिये पंचायती राज संस्थाओं पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (सिविल आडिट) के अध्याय–2 में उल्लिखित पंचायती राज विभाग (ग्राम पंचायतों) से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

पंचायती राज समिति (2014–15) का द्वितीय प्रतिवेदन[४]

श्री कमाल यूसुफ मलिक–

मान्यवर, आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2014–2015) का द्वितीय प्रतिवेदन, जो भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा तकनीकी निर्देशन एवं पर्यवेक्षण के निर्बन्धनों के अधीन 31 मार्च, 2005 तथा 31 मार्च, 2006 को समाप्त हुए वर्ष के लिये पंचायती राज संस्थाओं पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (सिविल आडिट) के अध्याय–2 में उल्लिखित पंचायती राज विभाग (जिला पंचायतों) से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–11, 12, 13 में कुछ नहीं है।

उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार द्वारा सदन के माध्यम से अनुच्छेद–368 के खण्ड (2) के परन्तुक के खण्ड (ख) के क्षेत्र के भीतर आने वाले भारत का संविधान के उन संशोधनों का जो संसद के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित संविधान (एक सौ इक्कीसवां संशोधन) विधेयक, 2014 द्वारा संशोधित किये जाने के लिये प्रस्तावित है का अनुसमर्थन इस शर्त के अधीन कि राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति व अन्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति सम्बन्धी भारत सरकार से की गयी मांग के संकल्प पर चर्चा

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी आपकी अनुज्ञा से निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं– ''यह कि यह सदन अनुच्छेद–368 के खण्ड (2) के परन्तुक के खण्ड (ख) के क्षेत्र के भीतर आने वाले भारत का संविधान के उन संशोधनों का जो संसद के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित संविधान (एक सौ इक्कीसवां संशोधन) विधेयक, 2014 द्वारा संशोधित किये जाने के लिये प्रस्तावित है, का अनुसमर्थन इस शर्त के अधीन करता है कि राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति व अन्य न्यायमूर्तियों की नियुक्ति हेतु केन्द्र द्वारा प्रस्तावित अनुच्छेद–124 क के खण्ड–(1) के खण्ड–(घ) में 'प्रधान मंत्री, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और लोक सभा में विरोधी दल के नेता या जहां ऐसा कोई विरोधी दल का नेता नहीं है वहां लोक सभा में एकल सबसे बड़े विरोधी दल के नेता से मिलकर बनने वाली समिति' के स्थान पर 'सम्बन्धित राज्य के मुख्य मंत्री, सम्बन्धित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, राज्य विधान सभा के विरोधी दल के नेता या जहां ऐसा कोई विरोधी दल का नेता नहीं है वहां विधान सभा में एकल सबसे बड़े विरोधी दल के नेता से मिलकर बनने वाली समिति' प्रतिस्थापित की जाये।

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत संक्षेप में श्रीमन् अपने इस संकल्प पर बल देते हुए मैं कुछ तथ्यों को माननीय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। श्रीमन्, पिछले कुछ वर्षों से

---

४ छापा नहीं गया।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय के अनेक मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश दूसरे न्यायविद् और इस व्यवस्था पर, जब–जब ऐसे अवसर आये हैं तो दूसरे अन्य विद्वतगण ने बार–बार यह राय व्यक्त की है, जिसमें न्याय पालिका के सम्बन्ध में कई दूसरी तरह की चर्चाएं हुई हैं। श्रीमन् स्वयं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बार–बार कहा कि लोअर ज्यूडिशियरी में काफी हद तक भ्रष्टाचार व्याप्त है। रिकार्ड की बात है और श्रीमन् सामान्य लोगों ने नहीं कहा जस्टिस जे0एस0 वर्मा साहब ने जिन्होंने 1993 में कॉलोजियम सिस्टम शुरू करने वाला फैसला दिया था, उन्होंने भी इस पर असंतोष जाहिर किया। जस्टिस वैंकट चलैया ने, जस्टिस गांगुली ने, बार–बार जब इस पर बात आई तो की। श्रीमन्, अभी थोड़े दिन पहले जस्टिस मार्कण्डेय काटजू साहब ने एक सीरियल की तरह से अपने लेखों में, अपने ट्यूटर पर और दूसरे सोशल मीडिया के जो अपने हेड हैं। उनके माध्यम से यह व्यक्त किया और कई सवालों पर बात आयी। जस्टिस पी0डी0 दिनाकरन का सवाल हो जस्टिस सौमित्र का सवाल हो उन्होंने इस पर प्रकारान्तर से उस पर प्रकाश डाला और यह कहा कि कोलेजियम की जानकारी में यह तथ्य रखे गये थे कि अमुक जज के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं और संदेहास्पद है इनका टेलीफोन जो सम्पर्क सूत्र दिये गये थे तीन लोग जो दलाली कर रहे थे उनका टेलीफोन टेप किया जाना चाहिये बावजूद इसके उनका प्रमोशन हो गया और यह अवसर मिल गया अभी पिछले दिनों मार्केण्डय काटजू साहब ने यह बात कही थी। और, पार्लियामेंट ने भी इस पर बड़ी गंभीरता से विचार किया जस्टिस बी0एल0 खरे ने भी इस पर अपने अनुभव के आधार पर यह टिप्पणी की थी कि इस न्यायिक व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय में यद्यपि सीधे नाम उन्होंने नहीं लिया लेकिन उच्च न्यायालय के स्तर पर आक्षेप करते हुए और इस पर इशारा करने का काम किया कि इस सिस्टम में इसमें कहीं गलती है जिस कारण इसमें पारदर्शिता की बड़ी आवश्यकता है और इस पारदिर्शता से ही एक निष्पक्ष, निर्भीक और ईमानदार न्यायपालिका जिसकी बड़ी आवश्यकता है मान्यवर और हम सब लोग आदर करते हैं अपने देश की न्याय व्यवस्था में तो एक निर्भीक निष्पक्ष और ईमानदार न्यायिक व्यवस्था चल सके सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में माननीय न्यायाधीशगण की जो नियुक्ति है मान्यवर वह इसका पहला पार्ट है अगर साफ सुथरे लोग वहां जायेंगे तभी इस तरीके की व्यवस्था हो सकेगी अगर साफ सुथरे लोग नहीं जायेंगे तो उसकी व्यवस्था नहीं हो सकेगी। श्रीमन्, 1993 के पहले जो मा0 उच्च न्यायालय और मा0 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति उसका प्रमोशन उसका स्थानांतरण कोलेजियम सिस्टम से नहीं होता था। 1993 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले से इस व्यवस्था को लागू किया और कालान्तर में इस कोलेजियम सिस्टम से सारी नियुक्ति जो होनी थी मान्यवर प्रारम्भ हुई। 20 वर्ष बीतने के बाद दो दशक समाप्त हो गया 1993 से ले करके और वह पीरियड समाप्त होने के बाद इस पर पर्याप्त चर्चा हुई है और पिछले दिनों पार्लियामेंट में जो आपकी सरकार अभी 13 अगस्त को अभी जिस संशोधन पर हम बात करने जा रहे हैं संविधान संशोधन पर मान्यवर वह 121वां संविधान संशोधन है और 121वां संविधाान संशोधन का बिल 13 अगस्त को लोक सभा में पारित हुआ और 14 अगस्त को मान्यवर राज्य सभा में पारित हुआ और श्रीमन्

इसकी चर्चा के पूर्व जब पिछली सरकार थी कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की जो गर्वनमेंट चल रही थी उस गर्वनमेंट में भी ज्यूडिशियल एकांटेबिलिटी बिल की बात आयी और यह तय हुआ कि आखिर न्यायिक अधिकारियों के बारे में भी हम उनके बारे में अलग क्या सोचें क्या विचार करें देश का नागरिक होने के नाते इस संविधान में भी उनकी वही स्थिति है और निवेदन करना चाहूंगा। डा0 बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का उल्लेख करना चाहूंगा कांस्टीट्येन्ट असेम्बली में जो उन्होंने बात कही थी कि मान्यवर उन्होंने कहा था यह 24 मई, 1949 को संविधान सभा की बैठक में उन्होंने कहा कि भारत का मुख्य न्यायाधीश भी एक आम नागरिक की तरह है। उनके भी अपने सेंटीमेंट्स यानि की भावनायें हैं और उनके भी होप प्रोजीड्च्यूस़ हो सकते हैं उनकी भी आकांक्षायें मान्यवर कहीं न कहीं किसी दूसरी बातों का शिकार हो सकती हैं इसलिए पूरा अधिकार मुख्य न्यायाधीश को ही क्यों दिया जाये। जबकि हम यह पूरा अधिकार देश के राष्ट्रपति को देने के लिए तैयार नहीं हैं इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो संपूर्ण रुप से सारा अधिकार मा0 सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को क्यों दे दिया जाये और कांस्टीटुयेन्ट असेम्बली में मान्यवर....

डा0 धर्मपाल सिंह–

मान्यवर, एक बात मैं कहना चाहता हूं

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जायें पूरी बात उनकी आ जाने दें।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैं यह गंभीर विषय गंभीर लोगों के लिये रख रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी यह स्थिति कान्सटीट्यूंट असेम्बली में भी चर्चा में आयी। 1993 में कोलेजियम सिस्टम नहीं आने के पहले भी इस देश की न्यायिक व्यवस्था में अत्यन्त प्रसिद्ध लोग हुए जो हमारे चीफ जस्टिसेस हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के जज हुए और माननीय उच्च न्यायालय के जज हुए हैं। मान्यवर इस पर तमाम चर्चा हुई तो पार्लियामेंट में पिछली बार जब पिछली सरकार थी मान्यवर माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले श्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार थी मान्यवर, तो उस सरकार ने न्यायिक अधिकारी के नियुक्ति का एक आयोग बनाने का मान्यवर बिल आया उसको आगे बढ़ाते हुए अभी यह मौजूदा संविधान संशोधन आया है तब संविधान संशोधन नहीं था। तब कुछ यह बात आयी कि उनकी नियुक्ति के लिये एक आयोग बने और उस आयोग में कौन–कौन लोग रखे जायें। तब यह बात आई कि उनकी नियुक्ति के लिए आयोग बने और उस आयोग में कौन–कौन लोग रखे जायें इसका मान्यवर, मूल रूप में जो बात उसमें प्रस्तावित थी लगभग वही बात इस समय दुबारा जब राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियां आयोग विधेयक, 2014 पार्लियामेन्ट ने पारित किया तो लगभग उसी को फालो करने का काम हुआ। श्रीमन्, उसमें जो व्यवस्था की गयी है कि एक आयोग बनेगा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियां आयोग और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियां आयोग में चीफ जस्टिस होंगे सुप्रीम कोर्ट के और उसके बाद नम्बर वन और नम्बर टू सीनियारिटी में

ठीक क्रमिक तौर पर वरिष्ठता में उनके बाद जो दो जजेज होंगे वह होंगे, भारत के कानून मंत्री होंगे और श्रीमन्, दो और लोग होंगे उसमें परसन्स आफ इम्यूनेन्ट दिया, विख्यात लोग होंगे वह विख्यात लोग न्याय के क्षेत्र से हो सकते हैं, कानून के क्षेत्र से हो सकते हैं, कानून के क्षेत्र के बाहर के हो सकते हैं यद्यपि उसमें हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव ने जब चर्चा में बात कहीं अन्य नेताओं ने भी कही तो उनके कहने के बाद एक बात उसमें जरूर आ गयी कि दो जो इम्यूनेंट मेम्बर होंगे उसमें से एक शिड्यूल कास्ट, शिड्यूल ट्राइव, अदर बैकवर्ड कास्ट, माइनारिटी अथवा महिला। मान्यवर, अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और महिलाएं इन 5 में से एक मेम्बर होगा कोई न कोई और दूसरा और सामान्य रूप से होगा यह दो लोग होंगे लेकिन इन दो लोगों की नियुक्ति का जो अधिकार होगा वह एक कमेटी करेगी और वह कमेटी होगी माननीय प्रधानमंत्री जी, नेता प्रतिपक्ष लोक सभा और जहां नेता प्रतिपक्ष नहीं होगा जैसा आज की लोकसभा की स्थिति है तो सबसे बड़े दल के जो नेता होंगे वह और भारत के मुख्य न्यायाधीश। मान्यवर, हमने आज जो संकल्प रखा है उसमें हम मूलतः इस भावना का समर्थन करते हैं पूरी तरह से कि यह कोलोजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए और हमारी पार्लियामेन्ट सिस्टम में, हमारी संसदीय व्यवस्था में, संसद की, इन विधायी संस्थाओं की इस प्रदेश का इंतजाम करने में इस विधान सभा की भी भूमिका संविधान में जो दी है वह जनता के प्रतिनिधि जो चुने हुए लोग हैं वह जनता के प्रतिनिधि जो व्यवस्था करते हैं उसकी जो सर्वोच्चता अपनी जगह पर है उसका मान होना चाहिए और इसीलिए श्रीमन् यह व्यवस्था की गयी कि वह तीन लोगों की कमेटी उन दो इम्यूनेन्ट लोगों का चुनाव करेगी चार इसमें पदेन हैं और दो लोगों का चुनाव हो इन दो लोगों के चुनाव का किया गया। जो संकल्प मैने आपकी अनुमति से प्रस्तुत किया है उसमें मैने एक बात, उसका हम मूलतः समर्थन करते हुए उसका अनुसमर्थन करना चाहते हैं लेकिन उस अनुसमर्थन के साथ इस संघीय व्यवस्था में और इसका भी जीस्ट आप समझ लेंगे तो मैं उल्लेख करूंगा कांस्ट्यूएन्ट असेम्बली से लेकर और आज तक लगातार यह बात चलती आई है हम निवेदन यह करना चाहते हैं कि इस सदन से अपना संकल्प जब मैं इस पर रखना चाहता हूं कि जो दो लोग माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जब की जानी हो तो माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष और इस प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इन तीन लोगों की कमेटी उन्हीं शर्तो के आधार पर दो मुख्य लोगों का निर्वाचन करे जो लोग उसमें 6 की कमीशन में रहे यह लोग अपने प्रदेश के न्यायाधीश के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति में वह कमेटी बना सके दो लोगों की जिनका चयन करे। चयन तो वही लोग करेंगे जिनको दो आप बनायेंगे और उसमें व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है क्योंकि तीन जजेज सुप्रीमकोर्ट के यथावत् हैं। चीफ जस्टिस नम्बर वन नम्बर टू उसके बाद ला मिनिस्टर यथावत् हैं हम उनके किसी के अधिकार में कोई कमीं कटौती नहीं चाहते हैं लेकिन श्रीमन्, इस संघीय व्यवस्था में माननीय मुख्य मंत्री या नेता प्रतिपक्ष का जो अधिकार होना चाहिए और मैं ऐसा मानता हूं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नामित करने में जिन व्यक्तियों का चयन यह करेंगे अपने प्रदेश में वह ज्यादा धरातल पर

ज्यादा मजबूत और सही चयन होगा बनिस्पत इसके। पूरा राष्ट्र बहुत बड़ा है सारे प्रदेशों की जानकारी भिन्न–भिन्न हैं और अपने प्रदेशों की जानकारी के लिए जितनी बेहतरीन जानकारी इस स्तर पर हो सकती है प्रदेश के स्तर पर उतनी बेहतरीन जानकारी पूरे प्रदेश की जानकारी दो लोगों को या तीन लोगों को सिर्फ दिल्ली में बैठ करके हो जाय यह जरूरी नहीं है। उनके अधिकार अपनी जगह पर हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मामले में अपनी बात करें, लेकिन मा0 उच्च न्यायालय के जजेस के मामले में और इसीलिए हम इसको राजनीतिक नहीं, हम चाहते हैं कि सदन की और इस व्यवस्था में जहां हम बैठे हैं इसकी अपनी साख हो। हम अपनी बात कह सकें इस गरज से हमने इसको रखा है और अब दूसरी बात मान्यवर, यह तो मैं अलग से आपसे निवेदन करूंगा। सदन इसको सर्वसम्मति से आज पारित करे तो एक बड़ा संदेश जाएगा देश को और तब इस व्यवस्था के अन्तर्गत मान्यवर, हम दूसरे प्रदेश के विधान सभाओं से, विधान मण्डलों से यह अनुरोध करेंगे कि इसको पारित करने के क्रम में मान्यवर उत्तर प्रदेश का अनुसरण करते हुए वह इस बात को रखें कि संविधान के इस संशोधन को हम स्वीकार तो करते हैं, लेकिन इसमें प्रदेश के विधानमण्डलों की भूमिका शून्य हो, इसको स्वीकार नहीं करते और हमारे अपने विधानमण्डल के नेता सदन, नेता विपक्ष और हमारे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो भूमिका होनी चाहिए वह भूमिका हो। श्रीमन, तमाम लोगों ने इस पर चर्चाएं की हैं जब संविधान संशोधन का बिल आया तब, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग पर चर्चा हुई तब, उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो संसद में चर्चा हुई उसको शब्दशः यहां दोहराने का कोई अर्थ नहीं, लेकिन सभी राजनीतिक दलों के लोगों नें, श्रीमन, जितने दल हैं चाहे सत्ता दल के लोग हों, उसके विपक्ष में वहां कांग्रेस है, दूसरे दल हैं, समाजवादी हैं, वामपन्थी हैं, अन्य दल हैं सभी लोगों ने इसमें भाग लेते हुए इस बात को लगभग एक मत से स्वीकार किया है कि यह कोलेजियम प्रणाली अवश्यमेव समाप्त होनी चाहिए। एक और बात का उल्लेख करना चाहूंगा श्रीमन, अभी जो उन्होंने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की बात की। जो अभी एक पारित किया है उसमें यह बात स्पष्ट नहीं है कि यह किन लोगों के बीच से चयन किया गया, तय नहीं किया, लेकिन एक रूपरेखा उन्होंने देने का उसके कानून मंत्री श्री रविशंकर जी ने उल्लेख किया और उल्लेख करते हुए उन्होंने यह कहा है कि हम आगे देखेंगे कि एक डाटा बैंक बनाया जाए। जो डाटा बैंक आयोग की मदद कर सके और आयोग को उन लोगों में से चयनित करने में से एक सुविधा हो सके। इस प्रकार का एक डाटा बैंक बनाने का काम किया जायेगा, ऐसा कानून मंत्री जी ने कहा और हम उनकी उनके द्वारा दी गई इस जानकारी पर विश्वास करते हैं। उन्होंने ठीक जानकारी दी। श्रीमन, इसकी क्या रूपरेखा है, क्या प्रक्रिया है। संसद का जो काम है वह अपने यहां करेगी। हमारा जो उत्तरदायित्व है संविधान के आर्टिकल 368 की यही व्याख्या है कि देश में जब संघीय ढांचा है तो हमारे अधिकार संविधान में हैं। केंद्र सरकार के और पार्लियामेण्ट के अधिकार अपनी जगह पर हैं तो हमारे अधिकारों का समुचित रूप से मान्यवर सम्मान होता रहे इसके लिये ही उन्होंने व्यवस्था की कि संविधान का संशोधन करने का अधिकार तो पार्लियामेण्ट को होगा, लेकिन संविधान का संशोधन पार्लियामेण्ट को करने का अपना

अधिकार होगा, वह तब तक नहीं हो सकेगा जब तक कि संघ के अधीन आने वाले राज्यों में से 50 फीसदी से अधिक राज्य इसका अनुसरण नहीं करेंगे तब तक वह संविधान का संशोधन लागू नहीं होगा। और इस विषय में एक और बात है। संविधान का संशोधन अगर मान्यवर यह नहीं पारित होगा तो यह जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक, 2014 है यह निष्प्रभावी हो जाएगा। संविधान के संशोधन का जो संदर्भ है वह इसको शामिल करके है अगर वह पारित होगा तो यह लागू होगा, वह नहीं पारित होगा तो यह लागू नहीं होगा। इसलिए श्रीमन, हम जहां यह बात कहना चाहते हैं कि संविधान संशोधन का अनुसमर्थन यह सदन उन्हीं स्थितियों में करे जहां हमारे इस विधानमंडल में हमारे नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष और यहां उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके द्वारा बनाई जाने वाली दो कमेटी की बात अगर स्वीकार की जाएं तभी हम इसका अनुसमर्थन करते हैं। मान्यवर, इसी के साथ मैं अपील करता हूं कि इसका सर्वसम्मति से हमको इसका समर्थन करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

मा0 डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी अपना संकल्प प्रस्तुत करें, अपना संशोधन प्रस्तुत करें।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत संकल्प में मैं निम्न संशोधन उत्तर प्रदेश की कार्य प्रक्रिया नियमावली के संचालन नियमावली 1958 के नियम–94 के तहत प्रस्तुत करता हूं। यह संकल्प है प्रक्रिया नियमावली के नियमानुसार है। संशोधन का रूप है यह कि सदन अनुच्छेद–368 के खण्ड (2) के परन्तुक के खण्ड (ख) के क्षेत्र के भीतर आने वाले भारत का संविधान के उन संशोधनों का जो संसद के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित संविधान (एक सौ इक्कीसवां संशोधन) विधेयक, 2014 द्वारा संशोधित किये जाने के लिये प्रस्तावित है, का अनुसमर्थन करता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अम्बिका चौधरी जी शब्द कुछ और कह रहे हैं, मंशा इनकी कुछ और है और यह एक अद्भुत समर्थक हैं किसी चीज के। यह जिसका समर्थन कर दें, मानकर चलिये, उसका भठ्ठा बैठ जायेगा। समाजवादी पार्टी के लोगों को इनसे बहुत सावधान हो जाना चाहिये। मैं सारे बिन्दुओं पर क्रमबद्व तरीके से आने वाला हूं। यह अद्भुत समर्थन है इनका, इन्हें मालूम है कि 368 की धारा के तहत भारत सरकार ने इन्हें इसके रेक्टीफिकेशन के लिये भेजा है। भारत सरकार ने अगर पत्र भेजा है तो साथ में कुछ लिख करके भी भेजा होगा। कोई प्रस्ताव बनाकर भी भेजा होगा और इस सरकार से यह अपेक्षा की होगी चूंकि इस सरकार के प्रतिनिधि लोकसभा में भी हैं और इस सरकार के प्रतिनिधि राज्यसभा में भी हैं। यह अपेक्षा की होगी कि अगर इन दोनों जगह लोकसभा और राज्यसभा में अगर समाजवादी पार्टी ने खुलकर इस संशोधन का समर्थन किया है, काग्रेंस ने किया है, बहुजन समाज पार्टी ने किया है और हमारा तो विधेयक ही था तो यह विधान सभा सर्वसम्मत भाव से भारत सरकार के द्वारा राज्यसभा और लोकसभा में पारित संशोधन विधेयक को स्वीकृति प्रदान

करके भेजेगी। इन्हें भलीभॉति इस बात का ज्ञान होगा और जानते होंगे क्योंकि हमसे बहुत वरिष्ठ हैं और कानूनविद् भी हैं। इन्हें भलीभॉति इस बात का ज्ञान होगा कि जब कोई संशोधन विधेयक लोकसभा में और राज्यसभा में स्वीकृत हो गया तो वह शब्दशः स्वीकृत होता है आप तो रोज विधेयक स्वीकृत कराते हैं, एक–एक शब्द खंडशः स्वीकृत किये जाते हैं और उसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन की कोई गुजांइश नहीं होती। अगर इस परिवर्तन की शर्त को मान लिया जाय तो इसका मतलब यह होगा कि हम जो संशोधन दिल्ली में पास करके आ रहे हैं, हमें पुनः लोकसभा मंगानी पड़ेगी, पुनः इस विषय को राज्यसभा में ले जाना पड़ेगा और जो संशोधन इस सरकार ने दिया है, एप्वाइंट कमीशन की मेम्बरशिप को लेकर, जिस पर मैं अभी विस्तृत में आऊंगा, हमें पुनः इसे लोकसभा और राज्यसभा से स्वीकृत कराना पड़ेगा। तो भाषा इनकी अनुसमर्थन की है लेकिन भाव इनका विरोध का है। यह भलीभांति इस बात को जानते हैं कि अगर इनका यह संकल्प इसी भाषा में स्वीकृत होकर लोकसभा में चला जाय तो यह उन 15 राज्यों की सूची में नहीं शामिल हो पायेंगे जो इसके समर्थक राज्यों की सूची बनेगी और माननीय अम्बिका चौधरी जी ने अपनी मंशा जाहिर भी कर दी है। हालांकि यह बहुत कम जाहिर करते हैं लेकिन उत्साह बहुत है, संख्या है। इन्होंने जाहिर भी कर दिया है कि हम यहां से पारित करने के बाद यहीं रूकने वाले नहीं हैं हम इसके बाद पूरे देश में एक अभियान छेड़ने वाले हैं और सभी राज्यों से सम्पर्क करने वाले हैं और सभी राज्यों को कहने वाले हैं कि भारत के संविधान संशोधन के उपरोक्त विधेयक को जैसा वह पारित हुआ है, या जैसा तुम लोगों ने सदन में बैठकर पारित किया है, अपने दोहरे राजनीतिक आचरण का प्रदर्शन करना और अपनी–अपनी विधान सभा में उसको वैसे ही मत पारित करने देना। यह अद्भुत राजनीति का चरित्र है माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं इस पर चर्चा जरूर करना चाहूंगा। यह कितना ऐतिहासिक विधेयक है। माननीय अम्बिका चौधरी जी अच्छी तरह जान रहे हैं कि 24 साल से इसकी लड़ाई चल रही थी, 1993 से और 5 बार यह संशोधन बिल आ चुका है। चाहे वह लॉ कमीशन की रिपोर्ट हो, चाहे वह वेंकटाचलम् कमेटी की रिपोर्ट हो चाहे वह स्वंय पार्लियामेंट की स्टैन्डिंग कमेटी की तीन–तीन रिपोर्ट्स हों, सब रिपोर्ट्स में हमने लगातार इसकी चर्चा की है। जिस सदन में यह अध्यक्ष महोदय पारित हुआ, हमारे यहां का सिस्टम वहां नहीं है, जब हम संविधान संशोधन करते हैं तो कार्यवाही दूसरी होती है। जब यह विधेयक प्रस्तुत हुआ होगा तो डिवीजन आफ वोट हुआ होगा, मूक सहमति से नहीं, बल्कि डिवीजन आफ वोट, सबने मतदान किया होगा। जब यह बहस हुआ होगा और उसके बाद प्रवर समिति को गया होगा, उस समय भी डिवीजन आफ वोट हुआ होगा, जब प्रवर समिति की रिपोर्ट मिलकर आई होगी उस समय भी डिवीजन ऑफ वोट हुआ होगा, जब वह खण्डशः स्वीकृत हो रहा होगा उस समय भी डिवीजन ऑफ वोट हुआ होगा, जब इसमें बहुत सारे एमेण्डमेंट दिये गये होंगे उस समय भी डिवीजन ऑफ वोट हुआ होगा। कम से कम पांच अवसर किसी भी राजनैतिक दल को लोकतन्त्र में लोकसभा और राज्यसभा में इस बात के दिये गये कि यदि आप इस संशोधन विधेयक के वर्तमान स्वरूप से सहमत नहीं हैं तो आप अपनी असहमति जाहिर करें लेकिन किसी ने नहीं किया। स्वयं मा0 अम्बिका चौधरी जी

ने जो कि उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े नेता हैं हम सबके लिए उनका नाम गर्व का विषय हो सकता है, मैं भाजपा का विधायक होने के बाद भी इसे स्वीकार करता हूं। आपने कोड किया मा0 मुलायम सिंह यादव जी को और आपने कहा कि मा0 मुलायम सिंह यादव जी ने सदन में क्या कहा। अगर मा0 मुलायम सिंह यादव जी की मंशा यह रही होती जो आज आप ले करके आ रहे हैं तो बेटा कितना भी पढ़ ले अध्यक्ष जी, कितना भी जानकार हो जाये, ये लोग बहुत अनुभवी हैं मैं इनके अनुभव पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं लेकिन मा0 मुलायम सिंह यादव जी के सामने अभी ये बच्चे हैं। मा0 मुलायम सिंह यादव जी जब सदन में बोल रहे थे तो उन्होंने स्वयं इस बात को स्वीकार कर लिया और मा0 मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि जो कमेटी बन रही है उसमें जातीय संतुलन का ध्यान रखा जाए, बैकवर्ड, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, महिला आदि की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए और ये आज प्रकट कर रहे हैं कि मा0 मुलायम सिंह यादव जी के विचारों को लोकसभा में स्वीकार कर लिया गया और उसे लागू किया गया। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे ही काम करते हैं अच्छी चीजें जहां भी मिलें हम हमेशा लेते हैं लेकिन मेरा प्रश्न दूसरा है कि मा0 मुलायम सिंह जैसा व्यक्ति अगर सदन में इस बात को नहीं कह रहा था, कह रहा था का मतलब कि कह रहे थे, यह बोलने का एक तरीका है। अगर वह इस बात को नहीं कह रहे थे कि जो एप्वाइन्टमेंट कमीशन बन रहा है उसमें जिन दो लोगों को लिया जाना है जिसको लेने की प्रक्रिया संविधान में यह बनाई जा रही है कि उसमें प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस, लीडर ऑफ अपोजीशन या लीडर ऑफ अपोजीशन नहीं है तो सबसे बड़ी पार्टी के नेता, ये लोग मिल करके तय करेंगे तो इतना तो इनको अपने नेता पर विश्वास करना चाहिए था वह तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इसलिए इतना तो कम से कम सम्मान कर लेते, उनकी उम्र ज्यादा भले ही हो गई है लेकिन आज भी हम जानते हैं कि दिमाग उनका बहुत तेज है। तो इन्हीं लोगों को उन पर विश्वास नहीं है वह अगर परिवर्तन चाहते होते तो जातीय परिवर्तन यदि वह करा रहे थे तो नियुक्ति सम्बन्धी इन प्रावधानों को भी मा0 मुलायम सिंह जी ने सदन की कार्यवाही में जुड़वाया होता है और जैसे भारतीय जनता पार्टी ने उनकी उस लड़ाई का सम्मान किया, हो सकता था कि भारतीय जनता पार्टी सैद्धान्तिक आधार पर उनकी इस लड़ाई का भी सम्मान कर लेती। प्रश्न यह है कि मा0 मुलायम सिंह यादव जी ने ऐसा प्रयास क्यों नहीं किया, मैं इस पर भी आऊंगा। ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी से सिर्फ मा0 मुलायम सिंह जी ही बोल रहे थे, बहुजन समाजवादी पार्टी से ढेर सारे वक्ताओं ने बयान दिये हैं आपने कृपापूर्वक यह सारी कार्यवाही बंटवाई है और इसी नाते मैं इसको पढ़ करके इस जानकारी में पहुंच चुका हूं कि किसने क्या–क्या भाषण दिये। मा0 अध्यक्ष जी, यह बड़ा आश्चर्यजनक है कि चार राज्य इसे पारित कर चुके हैं वह चारों भाजपाई राज्य नहीं हैं, गोवा ने पारित किया, राजस्थान ने पारित किया, गुजरात ने पारित किया यह तीनों राज्य भाजपाई हैं लेकिन त्रिपुरा ने भी पारित किया है और हम और आप जानते हैं कि त्रिपुरा में किसकी सरकार है। देश के अन्दर जो धारा चल रही है वह देश की न्यायिक व्यवस्था को बदलने की धारा चल रही है, देश की न्यायिक व्यवस्था के सुद्धीकरण की धारा चल रही है, देश की न्यायिक व्यवस्था की गंगा पवित्र हो सके इस

बात की लड़ाई चल रही है और इसलिए विचारधारा से दूर हट करके त्रिपुरा राज्य ने अध्यक्ष महोदय मैं इस सदन को सूचना देना चाहूंगा कि त्रिपुरा में भाजपा की सरकार न होने के बाद भी उसने इसे स्वीकार किया और रेक्टीफाई किया। आप इसको देख लीजिएगा अध्यक्ष महोदय, जिन बिन्दुओं को ये संवैधानिक रूप से उठा रहे हैं, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत के संविधान में ये जो न्याय का विषय है वह किस सूची में आता है। इसको दो रूपों में बांटा गया है, सातवीं अनुसूची में मा0 अध्यक्ष महोदय आप इसे देखियेगा आपके पास तो भारत का संविधान होगा, जो केन्द्र सूची है उसके विषय और राज्य सूची के विषय अलग हैं। न्यायिक व्यवस्था में न्यायालयों का गठन अर्थात् मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों की नियुक्ति, ट्रांसफर, उनकी सैलरी, उनके पनिशमेंट, उनके सुविधा का अधिकार किसी राज्य को नहीं दिये गये हैं यह केन्द्र की जो सूची, प्रथम सूची होती है उसके आर्टिकल 77 व 78 के माध्यम से भारत सरकार में निहित किये गये हैं। ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार को दिया गया है। सातवीं अनुसूची के दूसरे हिस्से में अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति का दायित्व, उन पर नियंत्रण का दायित्व। माननीय अम्बिका चौधरी जी जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं उन्होंने अधीनस्थ न्यायालयों के भ्रष्टाचार की सदन में चर्चा की। ये अधीनस्थ न्यायालय आपके नियंत्रण में हैं और उनको शुद्ध करने का काम आपको करना था। एक फाइल किसी कोर्ट से कैसे चलती है, किसी चपरासी के माध्यम से आगे कैसे बढ़ती है, कैसे एक जज की कुर्सी से निकलती है और कैसे डेट लगती है? इस सारी प्रक्रिया को मैं यहां कहूं तो शोभा नहीं देता। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि नियंत्रण करना था और इतने ईमानदार थे तो न्यायिक व्यवस्था में निचले धरातल पर जो गम्भीर और भीषण भ्रष्टाचार भरा हुआ है उसको दूर करने के नाम पर कोई संकल्प लेकर आये होते तो यह भारतीय जनता पार्टी का एक–एक सदस्य इनके साथ खड़ा होता और कन्धे से कन्धा मिलाकर चलता। जो विषय भारत के संविधान में अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार का विषय है, राज्य सरकार का विषय है ही नहीं और दूसरी चीज अध्यक्ष महोदय, हम जब किसी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति करते हैं तो किसी एक राज्य मात्र की नियुक्ति नहीं होती है, यह अधिकार होता है कि हम किसी एक राज्य के चीफ जस्टिस को या उसके किसी न्यायाधीश का ट्रांसफर किसी दूसरे राज्य में भी कर सकते हैं। भारत सरकार को यह भी अधिकार होता है, यह संवैधानिक अधिकार है और यह भी अधिकार होता है कि वह किसी एक न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करके एक राज्य या दूसरे यूनियन टेरिटरी से जोड़ सकता है। अर्थात कभी यह नहीं माना गया, भारत के संविधान व्यवस्था में कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया गया कि जो पॉलीटिकल डिसेंट्रलाइजेशन हम करते हैं, राजनीतिक विकेन्द्रीकरण करते हैं न्याय व्यवस्था अपने आप उसके तहत विकेन्द्रित हो जाती है। यह एक दूषित सोच है, यह उन लोगों की सोच से निकलती है जो यह मानते हैं कि न्याय व्यवस्था को शासन को पंगु और कमजोर होकर के उसके इशारे पर नाचने वाली न्याय व्यवस्था बननी चाहिए। यह अपनी उपस्थित इस तरह से दर्ज कराना चाहते हैं। दूसरी चीज अध्यक्ष महोदय, यह बहस उस लोकसभा में नहीं हुई। मैं आभारी रहूंगा मा0 मुलायम सिंह यादव जी का एक बिन्दु पर जहां उन्होंने हस्तक्षेप किया, जिसके बारे में मा0

अम्बिका जी ने बोला नहीं, इस सदन को गर्व का अहसास करना चाहिए लेकिन यह करें कैसे? कल मैं देख रहा था बेसिक शिक्षा मंत्री जी जब कह रहे थे कि मैं अंग्रेजी माध्यम के टीचर नियुक्त करूंगा तो यह मेज थपथपा रहे थे। यह डा0 लोहिया के शिष्य हैं, मुलायम सिंह यादव की पार्टी के कहे जाते हैं। अकेला वह व्यक्ति था जिसने सदन में कहा कि मा0 रविशंकर जी गुस्से में आने पर अंग्रेजी में बोलने लगते हैं, हिन्दी में बोलना सीखिये। लड़ाई अगर मा0 मुलायम सिंह जी लड़ रहे थे तो वह हिन्दी की लड़ाई लड़ रहे थे, लड़ाई अगर मा0 मुलायम सिंह यादव जी लड़ रहे थे तो समाज के वंचित वर्गों को अधिकार दिलाने के लिए लड़ रहे थे क्योंकि उन्हें मालुम था कि लड़ाई कहां–कहां लड़नी है। वह लोक सभा में बैठ करके राजनीति नहीं कर रहे थे। वह लोकसभा में बैठ करके ईमानदारी के साथ इस देश की न्याय व्यवस्था को पवित्र करने का प्रयास कर रहे थे। मामला लोकसभा तक ही नहीं गया अध्यक्ष महोदय, मामला राज्य सभा में भी गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका दो मिनट समय लूंगा। मैं आपसे आग्रह कर दूं राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है भारतीय जनता पार्टी ने इसे रेक्टीफाई किया है लेकिन 06 घण्टे की बहस के बाद किया है। जो काम राजस्थान की सरकार दो मिनट में कर सकती थी उस काम को राजस्थान की सरकार ने अपने मा0 सदस्यों को मौका दिया, हर आदमी को बोलने का अधिकार दिया और मैं आग्रह करूंगा यहां बैठे हुए सारे राजनीतिक दलों से कि यह सबसे महत्वपूर्ण संशोधन है, बात यहां से निकलेगी तो बहुत दूर तलक जायेगी। अम्बिका चौधरी जी बता चुके हैं इनकी मंशा इस संविधान संशोधन विधेयक को कोलैप्स कराने की है और इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहस लम्बी चलनी चाहिए थी और लम्बी चलनी है तो कुछ उदाहरण देना पड़ेगा। उदाहरण इस बात का दूंगा कि समाजवादी पार्टी के दूसरे बड़े नेता माननीय राम गोपाल यादव जी, बड़े चतुर हैं अम्बिका जी। सब बातें बोलने के बाद कहते हैं सदन में क्या कहा गया उसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि सदन में जो कहा गया अगर उसकी चर्चा की जायेगी, तो बेचारे बड़े धर्मसंकट में पड़ जायेंगे। इसीलिए इस सदन को जानना चाहिए कि समाजवादी पार्टी के बुद्विजीवी वरिष्ठतम राजनेता, हम सब उनका सम्मान करते हैं, माननीय राम गोपाल यादव जी ने इस विधेयक के समर्थन में अपना भाषण दिया– ''श्रीमन्, प्रारम्भ में ही मैं यह कह दूं कि मैं इस संविधान संशोधन विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।'' अध्यक्ष जी, यहीं से शुरूआत है। मुझे पोस्ट ग्रेजुएट कालेज के स्टूडेन्ट्स को कान्स्टीट्यूशनल लॉ और वर्ल्ड कान्स्टीट्यूशनल लॉ पढ़ाने का अवसर मिला है। हम लोग सब जानते कि वह विद्वान हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं वह विद्वान हैं। जब मैं पढ़ाया करता या पढता था तो एक सवाल आता था कि भारत का संविधान वकीलों का स्वर्ग है। आज जब मैंने चर्चा की तो मुझे लगा कि यह बात सही है, क्योंकि किसी भी तरह से अपनी बात को अपने तरीके से रखने का, मनचाहे तरीके से भारतीय संविधान की व्याख्या का लोगों को अधिकार मिल गया है। जो कालोजियम सिस्टम है, हम उसको बदलने जा रहे हैं। उन्होंने यह नहीं कहा अध्यक्ष जी, वह यह भी कह सकते थे कि भारतीय जनता पार्टी एक विधेयक लेकर आई है, जिस पर मतदान करें। उनकी भाषा उनके भाव को बताती है। उन्होंने कहा कि यह जो

कालोजियम सिस्टम है, हम उसे बदलने जा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि दुनिया के किसी भी देश में जज अपने आपको खुद एपाइंट नहीं करते हैं। बहुत लंबा भाषण है, मैं उस भाषण पर नहीं जाता, लेकिन मैं उस बिन्दु पर जरूर आऊंगा, जहॉ उनकी बातें खत्म होती हैं और उन बातों में अध्यक्ष महोदय, ये किताब मेरे पास है, आपके पास भी है। माननीय राम गोपाल यादव जी ने एक बार भी यह बात नहीं उठाई है कि ये जो एप्वाइंटमेंट कमीशन बनाया है, इस एप्वाइंटमेंट कमीशन में लोगों की नियुक्ति करते समय हमने जो प्राविधान किए हैं प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस और नेता विरोधी दल उसको बदलकर के राज्य के संदर्भ में मुख्य मंत्री, नेता विरोधी दल या सबसे बड़े दल के नेता का नाम ले लिया जाये। माननीय राम गोपाल यादव जी ने सदन में इस बात को एक बार भी नहीं कहा है और अंत में क्या कहा। फिर वही बात उठाई जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने लोकसभा में कहीं। दोनों की बातें एक हैं, एक ही भाषा बोल रहे हैं। मतलब क्या है, मतलब यह है कि स्टैण्ड लेते समय आपस में बात की और तय किया कि हम इस संशोधन को किस हद तक जाने देंगे और बात की वंचित वर्गों की, वैक वर्ड्स की महिलाओं की और अनुसूचित जाति की और प्राविधान कराया। प्राविधान कराने के बाद अनुपूरक भाषण क्या दिया। अंतिम दो लाइन ''जब यह बिल पास हो जायेगा तो यह कमी दूर हो जायेगी, इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बधाई देता हूं।'' बधाई नहीं, बहुत बधाई देता हूं। आप एक प्रशंसनीय काम करने जा रहे हैं। देखिये भाषा आप लोग प्रशंसनीय काम करने जा रहे है। जो अन्य विभिन्न जूडिसियली है, उसको रास्ते पर लाने के लिए काम करने जा रहे है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

संक्षेप में करिये।

डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत संक्षेप में आऊंगा। समय तो इन्होंने ले लिया है। अध्यक्ष महोदय, कृपया यह देश के संविधरन की बहुत बड़ी लड़ाई है।

श्री अध्यक्ष–

अभी बहुत लोग बोलेंगे।

डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल–

बहुत लोग बोलेंगे, लेकिन संशोधन मैंने प्रस्तुत किया है। इस समाज और इस सदन को जानना चाहिए कि संशोधन आया क्यों है और माननीय सत्ताधारी दल की मंशा क्या है ? मंशा इन्होंने जाहिर की है मैं इस पर भी आऊंगा। यह माननीय राम गोपाल यादव जी का भाषण है। इसके बाद बात यहीं नहीं खत्म हुई। इन्होंने कहा कि सरकार ने 121वां संशोधन बिल पारित किया और साथ में जो जुडिशियल एप्वाइंमेण्ट कमीशन है, उस संदर्भ में कि वह कैसे काम करेगा। इसका विधेयक भी लाकर दे दिया और अध्यक्ष महोदय, यह पारदर्शिता की सीमा है। समय न खराब होने पाये। हम पूरे देश से पास कराने के बाद फिर जाकर सदन में समय न लगाये और एक नया कानून बनाये जूडिशियल एप्वाइंटमेंट कमीशन की वक्रिंग का। हमारी सरकार ने यह करने की जगह

पर पारदर्शी तरीके से दूसरा विधयेक भी प्रस्तुत किया है और दूसरे विधेयक के समर्थन में भी समाजवादी पार्टी की ओर से, माननीय अध्यक्ष महोदय दो लाइनें और इनकी हैं, माननीय नरेश अग्रवाल जी को खड़ा किया गया। माननीय अध्यक्ष जी इस बिल के समर्थन में माननीय नरेश अग्रवाल जी को खड़ा किया गया माननीय अध्यक्ष जी नरेश अग्रवाल का जो सदन में दिया हुआ भाषण है उसको मैं सदन में दोहराना नहीं चाहता हूं। उसमें क्या कोड करूं ''माननीय अध्यक्ष महोदय मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आप इस सिस्टम से करप्सन हटाना चाहते हैं वाकई अगर जस्टिस दिलाना चाहते हैं तो पी0आई0एल0पर भी विचार कर लें'' यानी माननीय नरेश यादव माफ कीजिएगा नरेश यादव नहीं नरेश अग्रवाल जी इतने संशोधन से संतुष्ट नहीं हुए।

श्री अध्यक्ष–

जो आपके मन में है वही आप दोहरा रहे हैं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, हमारा अग्रवाल वहां चला गया इसलिए मुंह से निकल गया। वह इससे अधिक भी चाहते हैं वह चाहते हैं कि पी0आई0एल0सिस्टम में भी परिवर्तन कर दिया जाय। बसपा के माननीय सतीश चन्द्र मिश्रा द्वारा क्या भाषण दिया गया उसे नहीं दोहरा रहा हूं लेकिन मैं उसे दोहराने का अधिकार सुरक्षित रख रहा हूं अगर कोई बात अन्यथा आती है तो। मैं अपना अधिकार आपकी अनुमति से सुरक्षित रखूंगा कि माननीय सतीश चन्द्र मिश्रा ने राज्य सभा के अन्दर इस विधेयक के समर्थन में कैसी भाषा का प्रयोग किया। तृण मूल कांग्रेस जितने भी राजनीतिक दल हैं।

श्री अध्यक्ष–

यह सब पढ़ लिए होंगे। यह सब किताब में है जो सभी को मिल गई है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

अध्यक्ष जी पढ़े तो यह लोग भी होंगे तब भी संशोधन लेकर चले आए एक अजीब सी प्रथा आ गई समाजवादी पार्टी का दिल्ली नेतृत्व कुछ और सोचता है और समाज वादी पार्टी लखनऊ में कुछ और सोच रही है। यह क्या चल रहा है क्या बताना चाहते हैं यह लोग और कहां ले जाना चाहते हैं यह क्यों नहीं चाहते कि न्यायिक व्यवस्था ठीक हो, क्यों नहीं चाहते कि न्यायिक व्यवस्था पवित्र हो क्यों नहीं चाहते कि ज्यूडिशयल एप्वाइंटमेंट जो वैकेंसियां खाली पड़ी हैं उन वैकेंसियों को फुल करे। यह जो नेशनल जूडीशिएल एप्वाइंटमेंट कमीशन बिल पारित हुआ है 2014 को इसके प्राविधान को अध्यक्ष महोदय आप एक बार देख लीजिएगा। धारा–15 मैं इसे पढ़ दूं क्योंकि इनके मन में कोई संदेह हो वह संदेह दूर हो जाना चाहिए द कमीशन शैल इलीसिट इन राइटिंग द ब्यू आप द गवर्नर एण्ड द चीफ मिनिस्टर आफ द स्टेट कंसर्न बिफोर मेकिंग सच रिकमण्डेशन इन ऐनी सच मैटर स्पेसीफाई बाई द रेगुलेशन यानी यह संविधान पहले से इस बात को कह रहा है कि यदि हम किसी राज्य में किसी न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे तो नियुक्ति करने के पहले हम लिखित रूप से बर्बल नहीं लिखित रूप से उस प्रदेश के मुख्य मंत्री और उस प्रदेश के महामहिम राज्यपाल जी की ओपीनियन लेंगे और महामहिम राज्यपाल महोदय की ओपीनियन अध्यक्ष महोदय आप भी

जानते हैं कि कैबिनेट की ओपीनियन होती है यानी अध्यक्ष महोदय संविधान में राज्य सरकार को दोहरा अधिकार दिया गया है बहैसियत मुख्य मंत्री उसकी ओपीनियन जाएगी और बहैसियत राज्यपाल इस प्रदेश की कैबिनेट अपना ओपीनियन भेजेगी कि जो न्यायाधीश आप हमारे प्रदेश में भेज रहे हैं वह हमें मान्य है या उसमें किसी प्रकार की कमियां हैं। जो इन्होंने इमीनेंट पर्सन के बारे में कहा है।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें आपको 25 मिनट हो गए हैं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

बस अब समाप्त कर रहा हूं अध्यक्ष जी इनकी इमीनेंट पर्सन की परिभाषा अलग होती है जैसे अभी माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड आया। आदमी जैसा करता है वैसा ही दूसरे के बारे में सोचता है। जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत देखी तिन तैसी। इन्होंने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग में जो सदस्य, अध्यक्ष, प्रोफेसर और वाइस चांसलर हुआ करते थे।

श्री अध्यक्ष–

अब बहुत समय हो गया। और भी सदस्य इस पर अपनी बात रखेंगे। आपको 25 मिनट से अधिक हो गया।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

अध्यक्ष जी उसमें इन्होंने परिवर्तन करके यह कर दिया कि जो ग्रेजुएट होगा वह उसका मेम्बर हो जाएगा और वह प्रधानाचार्य की नियुक्ति कर लेगा उसको मेम्बर बना दिया। अध्यक्ष जी इनकी मंशा यही है यह यही सोच रहे हैं हमारी मंशा ऐसी नहीं है ऐसी होती तो हम संशोधन लेकर नहीं आते अध्यक्ष जी चूंकि आप समय के ऊपर बहुत दबाव दे रहे हैं अध्यक्ष जी 25 मिनट कुछ होता नहीं है यह तो 25 घण्टे बोलने लायक विषय है।

श्री अध्यक्ष–

आप ही अकेले 25 घण्टा बोलेंगे।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

न दिया होता तो बात नहीं आती। अब शस्त्र भी आप पकड़ा रहे हैं और कह भी रहे हैं कि शस्त्र मत चलाओ। आप ही ने हमें ठहराया और आप ही कह रहे हैं कि इनको न बतलाओ।

श्री अध्यक्ष–

अब हो गया।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

अध्यक्ष महोदय, बस खत्म ही करूंगा। इसीलिये अध्यक्ष महोदय, मैं आग्रह करूंगा कि हमको इस बात को समझना चाहिए कि हम देश की न्यायिक व्यवस्था के एक बड़े हिस्से हैं। देश की न्यायिक व्यवस्था को बदलने के लिये संसद और राज्य सभा ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। यह ऐतिहासिक घड़ी है और इतिहास के पन्नों में लिखा

जायेगा। ''लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई है।'' कालाक्षर में लिखे जायेंगे इनके नाम। जब लोग इनसे पूछेंगें कि क्या कारण है कि लोक सभा और राज्यसभा में समर्थन क्यों कर रहे थे और विधान सभा में आकर तुमने विरोध क्यों कर दिया? कौन सा समझौता हुआ है ? किसका दबाव पड़ गया है, अचानक भाषा क्यों बदल गई? इसलिये मैं इनसे आग्रह करूंगा कि यह अपना सशक्त अनुसमर्थन वापस लें और जैसा मैंने संशोधन दिया है बिना शर्त के इसे पारित करायें और देश के अग्रणी राज्यों की सूची में होता है उत्तर प्रदेश, देश को दिशा देता है, कृपया उसमें इसका नाम दर्ज करायें।

श्री अध्यक्ष–

एक मिनट संसदीय कार्य मंत्री जी।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, सिर्फ एक शब्द पर जो डाक्टर साहब ने कहा है थोड़ा सा संशोधन कर लें। ओपीनियन और रिकमन्डेशन में बहुत फर्क होता है। ओपीनियन कन्सीडरेबिल नहीं होती है लेकिन रिकमन्डेशन कन्सीडरेबिल होती है। लिहाजा वहीं लैकुना है। वहीं केन्द्र की मंशा में ही लैकुना है। अम्बिका चौधरी जी ने जो कहा है उसको बिल्कुल अन्यथा न लें। 65 वर्ष मान्यवर, देश एक सिस्टम से चला है, और उस सिस्टम में एक बड़ी तब्दीली आने जा रही है, उसका स्वागत भी है लेकिन जो हम रोजमर्रा के फैसलों में उसका शैडो देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का रोल, उसके साथ साथ हाई कोर्ट्स का रोल, खुद केन्द्र सरकार का। एक टकराव ही स्थिति है, और सुप्रीम कोर्ट कहीं न कहीं इसे अपने अधिकारों में अतिक्रमण मान रहा है, अपना अपमान महसूस कर रहा है। ऐसी स्थिति 65 साल बाद पैदा होना, जब देश की सर्वोच्च अदालत में और केन्द्रीय सरकार में इस तरह का टकराव पैदा हो यह देश का बड़ा दुर्भाग्य है। अब यह अहसास पैदा होना ज्यूडीशियरी के अंदर कि हमारे ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है। दरअसल जो देश के अंदर महौल बना मान्यवर, और जिस तरह से इस बिल को पास कराया गया जिस तरह यह कानून बनने जा रहा है उसमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बड़ी उंगुली उठी है और पूरी दूनिया में इस पर बहुत कुछ लिखा भी गया है। मैं यहां इस तरह की बात जरूर कहना चाहूंगा कि हमें अपनी बातें रखते वक्त इस बात का लिहाज रखना चाहिए कि कहीं ऐसा न हो कल इस बात की भी बहस शुरू हो जाय कि 65 वर्ष जो फैसले हुए सुप्रीम कोर्ट में, वह सही नहीं थे क्योंकि इन्साफ करने वाले ही मुन्सिफ नहीं थे, उनका एप्वाइन्टमेंट ही गलत था। तो इस बहस की जो शक्ल इख्तियार हुई मान्यवर, बहुत दुःखद है सुप्रीम कोर्ट पर किसी प्रकार का कटाक्ष, ज्यूडीशियरी पर किसी प्रकार का कटाक्ष क्योंकि कटाक्ष करने वाले हम सब लोग भी अपने गिरेबानों में मुंह डालकर देखें कि हम दूसरों को बुरा कहते हैं खुद कितने साफ सुथरे हैं। सरकारें बनाने वाले लोग सरकार चलाने वाले लोग, देश को आजाद कराकर देश को सौंपने वाले लोगों ने 65 साल तक क्या किया है, इस पर भी अगर कोई बहस हो तो अच्छा है। ज्यूडीशियरी पर किसी तरह का कोई कटाक्ष नहीं होना सुप्रीम कोर्ट पर उसके जजेज पर, चीफ जस्टिस पर किसी प्रकार कर कोई

कटाक्ष नहीं होना चाहिए अगर कोई इस तरह का कटाक्ष है तो मान्यवर, उसे प्रोसीडिंग से निकाला जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

सदन को एक सूचना देनी है।

डा0 राधा मोहन अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, प्लीज, क्योंकि बातें गम्भीर आई हैं, मैं अपनी बातों को उनके जवाब पर तो रखूंगा।

श्री अध्यक्ष–

एक मिनट, मैं एक सूचना दे दूं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मुझे जो बातें यहां पर कही गई हैं उनका जवाब देने का अधिकार तो है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री, आज इस बात की चर्चा कर रहे थे।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने संकल्प रखा, उन्होंने संशोधन रखा, हम दोनों को उत्तर देने का अवसर तो बाद में मिलेगा। बीच बीच में मत बोलिये।

सदन की दीर्घा में उपस्थित साउथ अफ्रीका के पूर्व मंत्री श्री यूसुफ पहाड़ का हार्दिक स्वागत

श्री अध्यक्ष–

आपको अवसर मिलेगा। मैं एक सूचना सदन को देना चाहता हूं। हमारे गरिमापूर्ण सदन में आज हमारे बीच में साउथ अफ्रीका के पूर्व मंत्री श्री युसूफ पहाड़ साहब उपस्थित हैं। उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। श्री युसूफ साहब ने साउथ अफ्रीका की आजादी के लिये लम्बी राजनीतिक लड़ाई लड़ी और आज हमारे गरिमापूर्ण सदन में साउथ अफ्रीका के पूर्व मंत्री, श्री यूसुफ पहाड़ साहब उपस्थित हैं। उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। श्री यूसुफ पहाड़ साहब ने साउथ अफ्रीका की आजादी के लिए लम्बी राजनीतिक लड़ाई लड़ी। श्री यूसुफ पहाड़ साहब साउथ अफ्रीका के बहुत बड़े नेता हैं। लगभग 15 वर्षों तक माननीय मंत्री के रूप में रहे हैं। श्री यूसुफ पहाड़ साहब को 20 वर्षों के लिए देश से निष्कासित कर दिया गया था। श्री यूसुफ पहाड़ साहब साउथ अफ्रीका निःशुल्क कांग्रेस नेता के रूप में वहां के भारतीय मूल के लोगों को प्रथम नागरिक होने का दर्जा दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। साउथ अफ्रीका पहला देश है, जिसने भारतीय मूल को अपने नागरिकों के समक्ष प्रथम नागरिक का दर्जा दिया है। यह सिर्फ श्री यूसुफ पहाड़ साहब के प्रयास से सम्भव हुआ। (मेजों की थपथपाहट) हमारे बीच में एक बड़े उद्योगपति जो विश्व में अग्रणी व्यवसायी हैं, श्री अजय गुप्ता जी भी उपस्थित हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। अब उमाशंकर जी आप बोलिये।

श्री उमाशंकर–

माननीय अध्यक्ष जी, वास्तव में हमारे प्रदेश ही नहीं, देश के सामने एक ऐसी गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गयी है जैसा कि माननीय अम्बिका चौधरी जी ने जो प्रस्ताव रखा और उसके संशोधन पर संशोधन प्रस्ताव हमारे माननीय अग्रवाल साहब ने रखा। इसमें माननीय अध्यक्ष जी, बहुत समय न लेते हुए, चूंकि अपना पक्ष मैं रखना चाहता हूं। जैसा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी इस बात पर चिंता जाहिर की है। माननीय श्री अम्बिका चौधरी जी ने कहा कि जो हमारे 65 वर्षों से न्यायपालिका में होता आ रहा था, उसमें परिवर्तन की बहुत बड़ी आवश्यकता थी जो आज हो रही है। माननीय अध्यक्ष जी, जबसे यह बिल भारत सरकार में आया है, चूंकि इस भारत वर्ष में रहने वाली तमाम आबादी है, उसमें तमाम लोग या तो राजनीतिक दलों के या तो कार्यकर्ता हैं या तो समर्थन में हैं या तो किसी को मतदान करते है या न्यूट्रल रहते हैं, लेकिन इनका कहीं न कहीं न्यायपालिका से, जुडीशियरी से लेना–देना लगा रहता है। लेकिन जब से यह बात आयी है कि न्यायपालिका को भी किसी न किसी सरकार में मिलाया जा रहा है। अगर किसी न्यायपालिका का स्थानान्तरण, ट्रान्सफर–पोस्टिंग भी हमारी सरकारें किया करेंगी, तो लोगों में कहीं न कहीं इस बात से डर पैदा हुआ है कि जब सरकार किसी का अपाइन्टमैन्ट करती है, जैसे प्रमुख सचिव का ट्रान्सफर–पोस्टिंग करती है, चाहे डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट का, पुलिस अधीक्षक का ट्रान्सफर–पोस्टिंग करती है तो दूसरे दल के लोग यह मानकर चलते है कि पुलिस अधीक्षक या डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट जो हमारे अधिकारी हैं, हमारी बात नहीं सुनेंगे चाहे हम जितने सही हों, जब तक सत्ता पक्ष का कोई प्रभावशाली व्यक्ति फोन न कर दे। लोगों में एक उम्मीद है कि अगर यह हमारे खिलाफ कुछ कर भी दें, तो हम अपना आवेदन न्यायपालिका के समक्ष ले कर जायेंगे कि हमारी बात वहां नहीं सुनी गयी और हमारे साथ अन्याय किया गया। मान्यवर, अब जब न्यायपालिका के लोग भी इस बात से भयभीत रहेंगे कि हम अगर इस सरकार के आदेश का पालन नहीं करते हैं, तो हो सकता है हम भी कल इस कुर्सी पर नहीं रहेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, आम नागरिक इस बात से बहुत भयभीत हैं कि हम अब कहां जायेंगे, किसके सामने अपनी फरियाद लेकर जायेंगे। आम आदमी सोचता है कि जिले की अदालत हो, माननीय उच्च न्यायालय हो या माननीय सुप्रीम कोर्ट हो जहां जाकर बात रख सकते हैं। दूसरा जैसा कि हमारे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा, बहुत संजीदा बात कही। जो 65 वर्ष से हमारी न्यायपालिका में हो रहा है क्या विधेयक लाकर उनके फैसले को गलत ठहरायेंगे ? या हम यह कहेंगे कि इससे पहले न्यायपालिका में कोई सही लोग थे ही नहीं या न्यायपालिका में जितने डिसीजन हुए हैं, सब गलत थे या फिर आजतक न्यायपालिका सही नहीं थी। आज का जो विधेयक आया है अब हम सही न्यायपालिका बनाने जा रहे हैं या लोगो का चयन करने जा रहे हैं, जैसा कि श्री अम्बिका चौधरी जी ने कहा कि हम लोग नेता, अभिभावक हैं कि हम इस बिल के माध्यम से सही लोगों का चयन करेंगे। यह बात अलग है कि भारत सरकार जो विधेयक लायी उसमें कुछ और था और मान लीजिए उत्तर प्रदेश सरकार ने उसमें कुछ और अमेण्डमेंट कर दिया कि नेता सदन को या नेता विरोधी दल को, लेकिन इस बात से हमको सोचना पड़ेगा, हम यहां

बैठे हुए हैं, चूंकि हमें बाहर जाकर जवाब भी देना पड़ेगा। हमारे पास लोग आते हैं कि देखिए, पुलिस अधीक्षक, डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट ने हमारे खिलाफ यह कार्यवाही कर दिया तो हम उनको सांत्वना देते हैं कि चिन्ता न करो, अगर वह आपकी बात नहीं सुनें तो मामले को न्यायपालिका ले जाना, न्यायपालिका आपकी बात जरूर सुनेगी और उनकी बात न्यायपालिका सुनती है,न्यायपालिका उस पर स्थगनादेश देती है या न्यायपालिका उस आदेश को रोकती है या उसमें संशोधन करती है लेकिन आज इस विधेयक के आ जाने से चूंकि विधेयक तो उसी का होगा, जिसकी संख्या बहुमत होगी, जिसका संख्या–बल होगा। लेकिन इस बात के लिए हम सभी भयभीत हैं कि हम जो लोग विपक्ष में बैठे हैं या जो आम नागरिक हैं, वह अब अपनी समस्या लेकर किसके पास जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

संशोधन पर विषय तक ही सीमित रह कर बोलिए।

श्री उमाशंकर–

मान्यवर, मैं विषय पर ही बोल रहा हूं। अध्यक्ष जी, इस तरह के विधेयक को यह ठीक है कि आप लेकर आये हैं, पास कर लेंगे लेकिन हम भी कम से कम बाहर इस बात को कह सकेंगे कि अब हम इस मामले को न्यायपालिका में भी ले जाने की स्थिति में नहीं हैं, जब तक सत्तादल के लोगों को हम मिलाकर नहीं रखेंगे। मान्यवर, जब भारत सरकार यह विधेयक लेकर आ रही है और भारत सरकार अपने विधेयक को पास करा रही है, तब हमें फिर उस न्यायपालिका के अधिकारी को या न्यायपालिका के जो जजेज हैं, उनको हमें फिर भाजपा के किसी नेता से फोन कराना पड़ेगा, लेटर लिखवाना पड़ेगा, सिफारिश कराना पड़ेगा। मान्यवर, पूरे प्रदेश में हर विभाग में जिस प्रकार की कार्य–प्रणाली बनी हुई है तो माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से हम चाहेंगे कि इसमें एक बार फिर विचार करना चाहिए कि अगर इससे न्यायपालिका के अधिकारों में हम अपने आप को घुसाना चाहते हैं तो यह आम–जनता के हित में नहीं है और इसमें आम–जनता की भलाई नहीं होने वाली है। बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अध्यक्ष जी, यह विधेयक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के सन्दर्भ में है। मेरा और मेरी पार्टी का मन्तव्य यह है कि जो सरकार चाहती है, उस सरकार का मन्तव्य बिल्कुल ठीक है और उस सन्दर्भ में न्यायाधीशों का और खास तौर से हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति का मामला हो तो उसमें मुख्य मंत्री, चीफ जस्टिस हाईकोर्ट और नेता विरोधी दल का प्रस्ताव और ओपिनियन मांगा जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि यह प्रक्रिया अच्छी रहेगी जिससे हाईकोर्ट में जो जजेज हैं, उनकी नियुक्तियां तर्कसंगत हों, ठीक से हों और प्रदेश की उसमें सहमति हो। आज स्थिति यह है कि जो भी हाईकोर्ट के जजेज होते हैं, उसमें स्टेट गवर्नमेण्ट का, नेता विरोधी दल का और चीफ जस्टिस ऑफ उत्तर प्रदेश का योगदान नहीं होता और वह इस तरह से होते हैं कि जैसे सर्वेसर्वा बने हुए हों। हम जुडीशियरी का सम्मान करते हैं परन्तु यह जो राष्ट्रीय न्यायिक

नियुक्ति आयोग बन रहा है, उसमें आपने जो मुद्दे डाले हैं, उसका मैं और मेरा दल समर्थन करता है।

(01 बजकर 31 मिनट पर अधिष्ठाता श्री अनुग्रह नारायण सिंह पीठासीन हुए।)

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

माननीय अधिष्ठाता जी, आज 121वें संविधान संशोधन के सम्बन्ध में सरकार के द्वारा जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है, केन्द्र की लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित जो मूल प्रस्ताव भेजा गया था, वह इस सदन की सहमति के लिए भेजा गया था, उस पर मा0 सदस्य, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी ने संशोधन प्रस्तुत किया, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। यहां पर माननीय बसपा के साथी ने जो कुछ बोला है, अगर पिजन होल में जो सामग्री दी गयी थी, अगर उसे उन्होंने पढ़ ली होती तो शायद इस विषय पर ऐसी चर्चा वह यहां नहीं करते और इस बिल की मूल भावना का समर्थन करते। मायावती जी ने राज्यसभा में कहा है कि 'माननीय उप सभापति जी, अपने देश में जजेज की नियुक्ति के लिए पिछले 20 वर्षों से जो व्यवस्था चली आ रही है, उसमें काफी कमियां थीं। पिछली व्यवस्था के लोग उंगली उठाते थे उसको दूर करने के लिए वर्तमान सेंट्रल की सरकार ने जो जजों की नियुक्ति की व्यवस्था है जो विधेयक लाया गया है उसका हमारी पार्टी पूरा समर्थन करती है। सुश्री मायावती जी ने सदन में कहा है कि सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखते हुए अगर इसमें सरकार करे तो ठीक है, लेकिन विधेयक का उन्होंने पूरा समर्थन किया है सरकार से अपील की है इसमें वर्षों में सामाजिक समीकरण व सामाजिक अन्याय न हो इसको ध्यान में रखें। सरकार ने उसके लिए सदन में आश्वस्त किया है। मान्यवर, कांग्रेस के मेरे मित्र ने कहा है मैं उनकी पार्टी के जो नेता हैं लोकसभा में श्री मल्लिकार्जुन खडगे जी ने कहा है इसलिए आपके लेटर को लिखने की आवश्यकता नहीं थी हमने यह स्पष्ट बता दिया है कि ओपनिंग बैट्समैन मोइली जी ने जो सारी बात बता दी है उसके बारे में हमने मीटिंग करके यह निर्णय लिया है और बिल हमारा है और हम उसका पूरा समर्थन करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि केंद्र में माननीय लोकसभा में और राज्यसभा में मैं माननीय दलों के नेताओं ने इस बिल का समर्थन किया है और माननीय मुलायम सिंह ने भी समर्थन किया है और माननीय शरद यादव जी, माननीय राम विलास पासवान जी ने भी समर्थन किया है। चिन्ता केवल एक जाहिर की है कि कहीं ऐसा न हो जाए कि सामाजिक समीकरण के तहत समाज का अनुसूचित या दबा–कुचला वर्ग न्याय पाने में पिछड़ न जाए इसलिए ऐसी कोई व्यवस्था हो और उसके लिए सरकार ने आश्वस्त किया है और जहां तक मुख्य मंत्री जी की, राज्यपाल जी की बात है उसके लिए भी उन्होंने कहा है कि उनकी राय ली जाए। अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने विषय उठाया, कि ओपिनियन और एकमोडेशन में अंतर है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करना चाहता हूं कि जब संसद में सर्वसम्मति से यह बिल पारित हुआ तब इस सदन में वह संविधान संशोधन नियमों और प्रक्रिया के तहत पारित होने को आया है तो यहां उसको मूल रूप में पारित करें और भरोसा करें संसद में बैठे हुए अपने नेता पर जिन नेताओं ने वहां पर इस संदेह

को व्यक्त किया और भारत सरकार ने उसके निराकरण के लिए आश्वस्त किया तो मैं यह समझता हूं अगर सरकार यहां अपने संशोधन को और उस मूल बिल के विपरीत पास कराने की कोशिश करेगी तो इस सरकार को अपने ही नेतृत्व पर भरोसा नहीं और बहुजन समाज पार्टी के साथ ही और माननीय कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूं कि आपके नेताओं ने सदन में इसकी मूल भावना के अनुसार समर्थन करके इसे सर्वसम्मति से पारित किया है अच्छा हो कि सरकार अपने संशोधन को वापस ले और जो डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल ने संशोधन रखा है उसे स्वीकार करें और जो मूल रूप में संसद से प्राप्त हुआ है उसी रूप में उसे स्वीकार करें।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है, बैठिए।

श्री देवनरायन उर्फ जी0 एम0 सिंह–

अभी माननीय अम्बिका चौधरी जी जो उत्तर प्रदेश के जजों की नियुक्ति में हाइकोर्ट में खासतौर पर कुछ संशोधन देने का काम किया और विधान सभा को अधिकार दिलाने को इन्होंने प्रस्ताव भी रखा है। मैं व्यक्तिगत तौर पर उनकी इस बात का समर्थन करना चाहूंगा कि ये प्रस्ताव जो है विधानसभा का अधिकार मिलना चाहिए इसके लिए उनको साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। मान्यवर मैं एक बात कहना चाहूंगा हमारे राधा मोहन अग्रवाल जी कहें कि हमको चालाकी नजर आती है उनकी बातों में, शब्द कुछ और है भाव कुछ और मान्यवर मैं बहुजन समाजवादी पार्टी की ओर से कहना चाहता हूं कि चालाकी इधर भी नजर आती है। चालाकी अगर उधर हो सकती है तो मान्यवर चालाकी इधर भी नजर आती है। अगर अधिकार हमारे छोटे जो इकाई हैं उनकी तरफ जाता है तो किसी को कोई परहेज नहीं है इनके प्रधानमंत्री जी स्वयं कहे हैं कि अगर इस देश का बच्चा, एक छोटा–सा बच्चा जो गलियों में घूमता है उसकी भी राय अगर देश के कानून को बनाने में सही होगी तो उसका भी विचार लिया जाएगा। यह तो इनके प्रधानमंत्री जी का कथन है उसको आप कैसे भूल गए। मान्यवर, मैं तो यह कहूंगा कि एक–एक सदस्य का विचार आना चाहिए और विचार आने के बाद कोई सिफारिश होना चाहिए संशोधन होना चाहिए कि विधान सभा से जानना चाहिए कि पार्लियामेण्ट ने जो कानून बनाया है और उत्तर प्रदेश विधान सभा की ये राय है कि इसको भी उसमें ऐड किया जाए ऐसा नहीं हो सकता मान्यवर पार्लियामेण्ट में बैठकर किसी व्यक्ति ने ये बात कही है तो इसलिए सही है कि पार्लियामेण्ट है।

मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे मा0 श्री अम्बिका चौधरी जी उसमें एक संशोधन और कर लें। यह बात सही है कि जब तक ज्यूडिशियरी में रिजर्वेशन पूरी तरह से लागू नहीं होगा जब तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और मायनारिटी के लोग सही प्रतिनिधित्व में वहां नहीं पहुंचेंगे तब तक सबको न्याय नहीं मिलेगा और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपनी नेता बहन कुमारी मायावती जी को उन्होंने इस बात पर फोकस किया कि ज्यूडिशियरी में रिजर्वेशन होना चाहिए। बहन कुमारी मायावती जी ने दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों का ध्यान देते हुए इस बात का

रिकमेंडेशन किया है तो इस रिकमेंडेशन को भी आप इसमें सम्मिलित करने का कष्ट करें। आपके संशोधन का मैं समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

प्राविधिक शिक्षा मंत्री (श्री शिवाकान्त ओझा)–

मान्यवर, मा0 मंत्री श्री अम्बिका चौधरी जी ने जो संकल्प रखा है उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, हमारा देश क्या है। हम किस फार्म आफ दि गवर्नमेंट में काम करते हैं। यूनिटी फार्म आफ द गवर्नमेंट हमारे पास नहीं है। एकात्मक संविधान हमारा नही है। हमारा संविधान फेडरल गवर्नमेंट का संविधान है। संघात्मक व्यवस्था के भीतर काम करने वाले हम लोग हैं। आज जो संशोधन केंद्र सरकार ला रही है। क्या यह फेडरल गवर्नमेंट की मूल भावना के विपरीत नहीं है। अमेरिका का संविधान जिससे हमने अपना फेडरल संविधान लिया वह ब्रिटेन में नहीं है। अमेरिका में है। ब्रिटिश संविधान से तो हमने रूल आफ लॉ को लिया है। लेकिन मान्यवर, वहां भी रूल आफ लॉ की स्थिति आज भी यह है कि वह संसद के द्वारा पारित किये गये प्रस्ताव पर वह विचार नही करती है। लेकिन अमेरिका में जो अमेरिकन संविधान है या फेडरल फार्म आफ दि गवर्नमेंट है वहां ज्यूडिशियल रिव्यु का सिस्टम है आज उस चीज को आप जिस रूप में ला रहे हैं हमारे भी संविधान के भीतर इसको स्वीकार किया है और समय–समय पर न्यायपालिका ने बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय संसद के निर्णय के विपरीत भी दिये हैं। इतिहास उस बात का गवाह है लेकिन आज जो हम करने जा रहे हैं। केंद्र सरकार जो प्रस्ताव लाने जा रही है क्या यह सरकार संविधान की मूल भावना पर संघात्मक व्यवस्था पर कुठाराघात नहीं कर रही है। इसलिए मान्यवर, हम कहना चाहते हैं कि डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी ने बहुत सारी बातें कहीं हैं उनमें बहुत सारी चीजें साबित हो सकती हैं क्या न्यायालय पर प्रतिबंध लगाने की एक डिक्टेटिरीयल एटीट्यूड नहीं है ? आप हिटलर का इतिहास पढ़ लीजिए। हिटलर जर्मनी के भीतर इसी रास्ते पर चलकर आया था और हिटलर ने भी यही काम शुरू किया था जब वहां की सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ एक फैसला किया तो हिटलर ने भी यही काम शुरू किया था। जजेज के एपाइंटमेंट करने के अधिकार को अपने पास लेना चाहिए। बहुत सारी स्थितियां हैं जिसमें जजेज के एपाइंटमेंट के बारे में चर्चा हो सकती है हो भी रही है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम कहना चाहते हैं फेडरल गवर्नमेंट के भीतर जब राज्य के हाईकोर्ट के जज की नियुक्ति का सवाल आता है तो उसके भीतर राज्य के मुख्य मंत्री का परामर्श लेने की आवश्यकता क्यों नहीं है, नेता विरोधी दल की आवश्यकता क्यों नहीं है। उसमें क्यों दिक्कत होती है। फेडरल फार्म आफ दि गवर्नमेंट में मान्यवर, हमको निश्चित करना चाहिए कि राज्यों के अधिकार छीनने का काम जो केंद्र सरकार कर रही है यह राज्यों की स्वायत्तता पर कुठाराघात कर रही है। इसलिए जो मा0 अम्बिका जी ने संकल्प रखा है उसका हम समर्थन करते हैं। संविधान की भावना के खिलाफ जो काम होने जा रहा है इसलिए मान्यवर, संविधान की आत्मा को मत मारिये। संविधान की आत्मा को रखते हुए इस काम को करना चाहिए। मा0 अम्बिका चौधरी जी के संकल्प का हम समर्थन करते हैं। धन्यवाद।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने जो अम्बिका चौधरी के द्वारा 121वें संविधान संशोधन के संबंध में जो संकल्प रखा गया है उसमें डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी ने नियम–94 के तहत जो संशोधन दिया है उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, योग्य वारिस वह होता है जो अपने पुरखों अपने बाप की अपने बाबा की जात को जायदाद को और ख्याति को आगे बढ़ाये। और उसी को सुपुत्र कहते हैं और जो लोग अपने पुरखों की मौजूदगी में उनकी उपस्थिति में उनके बनाये हुए महल को ढाये। अब उसको क्या कहेंगे, ठीक उल्टा मान्यवर कर लें तो समझ में सब कुछ आ जायेगा। मान्यवर, यह जूडीशियल अप्वाइन्टमेण्ट्स जो जजेज का अप्वाइंटमेण्ट है यह राज्य का विषय नहीं है, अगर यह राज्य का विषय होता तो आप कुछ भी इसके ऊपर संशोधन दे देते उसके ऊपर विचार हो जाता, यह विषय पूरी तरह से केन्द्र का है, अप्वाइंटमेण्ट महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा होता है, उनके हस्ताक्षर से होता है और कोई भी कार्यवाही मान्यवर जूडीशियल जजेज के खिलाफ इम्पीचमेण्ट के माध्यम से केन्द्र में ही होती है। जब यहां का कोई अधिकार ही नहीं है तो एक प्रकार से एक अनर्गल बहस शुरू कर दी इन्होंने। इसको केवल जो मंशा आज सदन के सामने आई है इस संकल्प के माध्यम से इसमें ऐसा लगता है कि लोक सभा और राज्य सभा में जो संशोधन पारित किया गया, उसको डिले करने की है, उसको समाप्त करने की है कि किसी तरीके से वह लागू न हो पाये, इससे यह साफ मंशा जाहिर होती है। मान्यवर, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं जो बातें मा0 डा0 राधा मोहन दास जी ने अपने इस संकल्प में संशोधन के माध्यम से रखी हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं जो समाजवादी पार्टी का नेतृत्व है जो बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व है, उन्होंने बहुत सोच समझ कर इसके ऊपर केवल एक ही बात पर अपना संशोधन दिया था और एक ही बात पर अपनी राय दी थी कि किसी भी तरीके से इन लोगों को एस0सी0, एस0टी0, माइनॉरिटी, वूमेन और ओ0बी0सी0 इन लोगों का कहीं न कहीं उसमें प्रतिनिधित्व जरूर होना चाहिए और मैं समझता हूं कि जो भी व्यवस्था इसमें बनाई गई है वह पूरी तरीके से देखने में पारदर्शी है, न्यायिक है और ऊपर वालों को पूरी तरह से इस बात का अधिकार है कि वह इसमें अप्वाइंटमेण्ट कर सकें। जो इमीनेण्ट परसन होंगे इनके मान्यवर, जिनके बारे में यह कहा गया और जिसके बारे में यह कहा जाता है कि इनको रख लीजिए, तो इसके बारे में यह शंका नहीं करनी चाहिए कि इसको रखने से यह सब कुछ ठीक हो जायेगा। यह अपने नेतृत्व को चुनौती देने का काम है, अपने नेतृत्व से असहमति व्यक्त करने का काम है और अपने नेतृत्व पर अविश्वास व्यक्त करने का काम आज इस सदन में मान्यवर हो रहा है। मा0 कांग्रेस के नेता को भी बोलने से पहले यह सोच लेना चाहिए था कि हम अपने नेतृत्व के बारे में क्या कह रहे हैं, यह जरूर सोचना चाहिए था। मान्यवर आपके माध्यम से हम मा0 अम्बिका चौधरी जी से यह कहना चाहते हैं कि आखिरकार कौन सी मंशा को वह पूरा करना चाहते हैं इस संकल्प को लाकर क्योंकि जो व्यवस्था अभी तक हमारे सामने आई है, उसके अनुसार दो इमीनेण्ट परसन जो लोग अप्वाइंटमेण्ट करेंगे, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस आफ इण्डिया और नेता विरोधी दल या केन्द्र में जो सबसे बड़े दल के नेता होंगे वह तीनों लोग मिलकर करेंगे। तो पूरी तरीके

से पारदर्शिता निभाई जा रही है, अगर विरोधी दल न हो तो सबसे बड़े दल के नेता का उसमें समावेश कर दिया गया है। आपके संशोधन के माध्यम से यह पूरी प्रक्रिया डिले होगी, अगर यह किसी तरीके से 15 स्टेट में नहीं हो पाया तो यह फिर से पूरा सिस्टम अपने आपके लिए छः महीने, साल भर के लिए और लिंगर आन होगा।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं इसमें कहना चाहूंगा अच्छी बात आपने कही है। मान्यवर दो–एक इश्यू पर यह बिल साईलेण्ट है, मिसाल के तौर पर प्रधानमंत्री होंगे, चीफ जस्टिस आफ इण्डिया होंगे, लीडर आफ अपोजीशन होंगे। आज की स्थिति यह है कि लीडर आफ अपोजीशन नहीं है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

ऐसी स्थिति में लारजेस्ट आफ अपोजीशन पार्टी का लीडर होगा।

श्री मोहम्मद आजम खां–

लीडर आफ अपोजीशन देखिये आज नहीं है, हो सकता है कि आइन्दा भी ऐसा हो कि लीडर आफ अपोजीशन न हों।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, जो लार्जेस्ट पार्टी है, अपोजीशन का लीडर है और मान्यता प्राप्त नहीं है और जो लार्जेस्ट पार्टी है उसकी व्यवस्था इसमें है। अगर लीडर ऑफ अपोजीशन नहीं है तो जो सबसे बड़ा दल है दूसरे नम्बर का उसका नेता तो ये तीनों लोग मिलकर उन दो एमिनेण्ट पर्सन को नॉमिनेट करेंगे और वे एमिनेण्ट पर्सन उस आयोग के सदस्य होंगे जो चीफ जस्टिस ऑफ इण्डिया की अध्यक्षता में बनेगा जिसमें 2 सीनियर जजेज़ होंगे और एक कानून मंत्री होंगे इसलिये इन सभी लोगों से मिलकर जो आयोग बनेगा, यही जुडिशयल अप्वाइण्टमेण्ट करेंगे और इन्हीं को सारी ट्रांसफर वगैरह की पावर होंगी। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 अम्बिका चौधरी जी से कहना चाहूंगा कि इस संकल्प को पारित करें और लोक सभा और राज्य सभा में जिस रूप में, जिस भाषा में यह पास होकर आया है, उसी भाषा, उसी रूप में उसको पारित करायें। इसी के साथ मैं जो यह संकल्प में संशोधन रखा गया है उस पर बल देता हूं।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया–

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे 121वें संविधान संशोधन में जो श्री अम्बिका चौधरी जी द्वारा संकल्प रखा गया है उस पर बोलने का मौका दिया। मैं आपको धन्यवाद देता हूं और कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता खन्ना साहब द्वारा जो अभी गया कि हमारे दल द्वारा राज्य सभा में इसका समर्थन किया गया है तो यह बात बिल्कुल सही है कि उसका समर्थन किया गया है लेकिन समर्थन करते वक्त हमारी नेता आदरणीया बहन कुमारी मायावती जी ने यह कहा था कि हम इनके हितों का ध्यान रखेंगे, केवल यह कह देने से काम नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहा कि हम इनके हितों का ध्यान रखेंगे, केवल यह कह देने से काम नहीं चलेगा क्योंकि जुडिशियरी में इनका रिजर्वेशन नहीं है। हमारी पार्टी लम्बे समय से इसके लिये संघर्ष

करती आ रही है इसलिये केन्द्र सरकार से मेरा यह कहना है कि केवल यह आश्वासन देने से काम नहीं चलेगा कि हम इनके हितों का ध्यान रखेंगे। इसके लिये आपको सख्त कदम उठाना होगा, ठोस कदम उठाना होगा। आपको इसके लिये न्यायपालिका के अन्दर एस0सी0, एस0टी0, ओ0बी0सी0 और जो कन्वर्टेड माइनॉरिटीज के लोग हैं, उनके लिये रिजर्वेशन की व्यवस्था करनी होगी, कानून बनाना होगा। हमारी नेता ने यह भी कहा था कि अगर इस सत्र में कानून नहीं बना सकते हैं तो वो सत्र बीत गया और दूसरा सत्र आने को है, आहूत होने जा रहा है। अगर उस सत्र में कानून नहीं बना सकते हैं तो अगले सत्र में आप जब भी कानून बनायें तो इन वर्गों के लोगों को आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये, तब ही इनको न्याय मिल पायेगा, ये अपील हमारी नेता ने की थी और राज्य सभा में जब इस बिल का समर्थन किया था तो यह कहा था। आज की स्थिति क्या है, आज गरीब तबके के लोग, दलित वर्ग के लोग, ओ0बी0सी0 के लोग, माइनॉरिटीज के लोग, उनकी बातों को दबाया जा रहा है क्योंकि उनके लिये न्यायपालिका में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। इस बात को राज्य सभा में हमारी नेता ने कोट किया था कि बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर जी ने भी इस बात को ध्यान में रखकर कहा था कि देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओ0बी0सी0 और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज के जो लोग हैं, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। बाबा साहब को यह मालूम था कि समाज में जो गैरबराबरी वाली व्यवस्था है इसके तहत जिन्दगी के हर पहलू पर उनको आगे बढ़ने से रोका गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुये बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में व्यवस्था करते वक्त यह सोचा था कि केन्द्र और राज्यों में जिन पार्टियों की सरकार बनेगी, वह उन वर्ग के लोगों की जिन्दगी के हर पहलू में उनके हितों का ध्यान रखेगी। मैं यह याद दिलाना चाहता हूं कि इस विधान सभा में इस संकल्प पर जो यह चर्चा हो रही है तो आने वाला जो सत्र शुरू होगा लोक सभा का उसमें हमारी नेता को जो आपने आश्वासन दिया था, हमारी नेता ने जो मांग की थी उसको पूरा करके उसको इस सत्र में पारित करायें। अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे इस पर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आज इस सदन में श्री अम्बिका चौधरी जी की तरफ से जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है। श्री अंबिका चौधरी जी के द्वारा जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है। मान्यवर, यह बहुत ही गंभीर और विचारणीय संकल्प है। ज्यादातर न्यायपालिकाओं में उच्च न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय हो, जिस तरह से वाद की बाढ़ आई है तारीख–पर–तारीख पड़ता है और जजों का बड़े पैमाने पर अभाव स्वाभाविक रूप से इस बात की ओर इंगित करता हैं कि जजों की नियुक्ति के लिए जो कोलाइजियम सिस्टम बनाया गया है, वह कहीं–न–कहीं फेल हुआ है। चूंकि वर्तमान में मा0 उच्च न्यायालयों में देश के सभी उच्च न्यायालयों में 800 पद हैं और जिसमें मान्यवर, 50 फीसदी ही न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है। शेष 50 फीसदी पदों पर अभी भी नियुक्ति नहीं हुई है। अगर कोलाइजियम सिस्टम कारगर है, प्रभावी है तो शत–प्रतिशत स्वाभाविक रूप से उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्ति सुनिश्चित की

जानी चाहिए थी। मान्यवर, स्वाभाविक रूप से कभी–कभी, न्यायपालिका के दरवाजे से लौटते हुए अनुसूचित जाति–जनजाति, पिछड़े वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग कहीं–न–कहीं अपना दर्द इस आह के साथ निकालते हैं कि न्यायपालिका में हमारा कोई सुनने वाला नहीं है, तो मान्यवर, संसद में अनुच्छेद–368 के अंतर्गत जो भारतीय संविधान संशोधन बिल लाया गया है, मान्यवर, वह जितना सकारात्मक, सार्थक है, उतना ही सकारात्मक, सार्थक, माननीय अंबिका चौधरी जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया संकल्प भी है, क्योंकि मान्यवर, जब प्रधानमंत्री, नेता विरोधी दल और मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट नियुक्ति के लिए निर्णय ले सकते हैं तो भिन्न–भिन्न प्रदेशों के उच्च न्यायालयों में नियुक्ति सम्बन्धित प्रदेश के मुख्य मंत्री, नेता विरोधी दल और सम्बन्धित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश क्यों नहीं कर सकते हैं।(सदन में मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, जैसा कि अंबिका चौधरी जी ने इस बात का हवाला दिया कि कान्सच्यूएंट असेम्बली में बाबा साहब डॉ0 अम्बेडकर ने इस बात को इंगित किया था कि न्यायपालिका में सामाजिक संतुलन बना रहे। न्यायपालिका निरंकुश न हो, न्यायपालिका एकांगी न हो, न्यायपालिका में वर्ग विशेष का वर्चस्व न हो। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब ने इस बात की चिंता व्यक्त की थी कि स्वाभाविक है कि मा0 उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्ति के लिए अभी तक कोई परमानेन्ट इंस्टीट्यूशन नहीं था। इस संशोधन बिल से उसकी भरपाई किये जाने का प्रयास पार्लियामेंट ने किया है और जितना पार्लियामेंट में पारित यह विधेयक संशोधन विधेयक जितना महत्व रखता है उतना ही महत्व आज उत्तर प्रदेश की इस असेम्बली में प्रस्तुत यह संकल्प भी रखता है। अगर वह संशोधन विधेयक ठीक है तो यह संकल्प भी उतना ही ठीक है जितना कि पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया गया संविधान संशोधन विधेयक है। मान्यवर सही मायने में इस सामाजिक संतुलन को बनाये रखने के लिये इस न्यायपालिका में आरक्षण की व्यवस्था को सुनिश्चित करना चाहिये था, सबसे पहले संसद में इस बात पर विचार होना चाहिए था कि जो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में सामाजिक असंतुलन है उसको कैसे दूर किया जाये और विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को उनकी आनुपातिक प्रतिपूर्ति कैसे की जाये इस पर संशोधन आया होता और भी अच्छा होता। क्योंकि मान्यवर आज न्यायपालिका में जिस तरीके से एकाधिकार है एकल वर्चस्व है वह कहीं न कहीं जनहित में नहीं है, देशहित में नही है, न्यायपालिका के निष्पक्ष, निर्भीक और उसकी स्वतंत्रता पर सवालिया निशान उठाता है। इसलिए मान्यवर बहुत लम्बी चौड़ी बात न कहकर सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे पड़ोसी साथी को इस बात के लिये आखिर क्यों चिन्ता है कि पार्लियामेंट में पास किया गया जो कानून है वह अच्छा है और वह हमारी विधान सभा से पास किया गया कानून क्यों नहीं अच्छा है। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं निरंकुशशाही कहीं न कहीं मनमानापन कहीं न कहीं एकाधिकार आपके मन में है इसलिए इस असेम्बली में लाये गये संकल्प को जहां एक ध्वनि से स्वीकार करना चाहिये था पारित करना चाहिये था वहीं पर हमारे बगल में बैठे साथी गाड़ी के आगे काठ रखने की बात कर रहे हैं। मान्यवर, माननीय अधिष्ठाता महोदय जी इसीलिए इस संकल्प पर बहुजन समाज पार्टी बल देती है और मान्यवर जो यहां पर इसमें संशोधन लाया गया है

उस पर हम आपत्ति दर्ज करते हैं उसका विरोध करते हैं क्योंकि मान्यवर यह एकरूपता नहीं है। (मेजों की थपथपाहट) इसलिए माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये संकल्प का हम समर्थन करते हैं बल देते हैं और बहुजन समाज पार्टी इस बात की मांग करती है कि न्यायपालिका में सामाजिक संतुलन, न्यायपालिका में आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए बड़े पैमाने पर पचास फीसदी आरक्षण की व्यवस्था करते हुए न्यायपालिका की जो बड़े पैमाने पर रिक्तियां हैं उसको शीघ्रातिशीघ्र भरने का काम किया जाये। धन्यवाद।

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, जो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं उसका यह उदाहरण है। मान्यवर, बसपा और सपा की रणनीतियां कुछ गुल खिलाने वाली हैं।

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठिये अभी न्यायपालिका की रणनीति देखिये।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री मनोज कुमार पाण्डेय)–

मान्यवर, माननीय अम्बिका चौधरी जी के द्वारा लाये गये संकल्प के समर्थन पर मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं इस देश और इस देश का संविधान उसमें बड़े स्पष्ट रूप से पार्लियामेन्ट के और राज्यों के विधान सभाओं के कर्तव्य और अधिकारों को बांटने का काम किया है जो देश की पार्लियामेन्ट में माननीय जजों की नियुक्ति संबंधी संशोधन आया है उसमें जो नियुक्ति के नियम बनाये गये, व्यवस्थाएं दी गयीं उसमें देश के प्रधानमंत्री को जोड़ा गया, कदाचित यह सोच करके किया कि इसमें स्वच्छता आये, कोई उंगली न उठे और न्यायपालिका सरलता से और स्वच्छता से कार्य कर सके लेकिन अभी हमारे नेता भाजपा कह रहे थे। हमारे वरिष्ठतम नेताओं के भाषण भी जो राज्यसभा और लोक सभा में दिये गये उन्हें कह रहे थे। मैं आदरणीय राधा मोहन अग्रवाल जी से कहूंगा कि इसी पुस्तक में कई राज्य सभा और लोक सभा नेताओं के विचार आये हैं समाजवादी पार्टी के ही सांसद आदरणीय धर्मेन्द्र यादव जी ने अपने वक्तव्य में बड़ा स्पष्ट कहा कि जब राज्यों में जजों की नियुक्ति का सवाल खड़ा हो तो प्रदेश के मुख्य मंत्रियों को शामिल करना आवश्यक होगा। ऐसे ही तमिलनाडु के भी एक लोक सभा के मेम्बर ने इस बात को रखा है तो यह कहना कि यह सवाल नहीं आया तो गलत होगा हमारे सदस्यों ने हमारे दल से ही हमारे कई माननीय सदस्यों ने इस बात को रखा है पार्लियामेन्ट में और जब देश के संविधान में दिल्ली और राज्यों के देश की राज्य सभा और लोक सभा और राज्यों के विधान सभा और विधान परिषद् के अलग–अलग अधिकार दिये गये हों तो हमारा भी यह पुरजोर मत है कि जब पार्लियामेन्ट में माननीय प्रधानमंत्री जी को उस कमेटी में रखा जायेगा तो यह सदन उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री और नेता प्रतिपक्ष या सबसे बड़े दल के नेता को रख दिया जाये इसमें सदन को पूरा अधिकार है और मैं इस पर अपना पूरा समर्थन देता हूं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं बहुत आभारी हूं इस सदन का कि वस्तुतः यह गम्भीर चर्चा हुई और इसमें सबके चेहरे खुल गये हैं जो नकाब ओढ़कर लोग यहां बैठे थे

आज वह सब बेनकाब हो रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा है जो बाते यहां कही गयी हैं कम से कम असली चेहरा खुलकर तो आये।

रोम जल रहा है गाइये आप,
चैन की बंशी बजाइये आप।
आप हैं तटस्थ या कि न्यूरो हैं,
अपनी सूरत जरा दिखाइये आप।।

और आज बसपा और कांग्रेस ने अपनी सूरत दिखा दी मैं इन्हें इनके लिए बधाई देता हूं इसमें कोई नई बात नहीं है यह सब अवश्यसम्भावी है।

श्री अधिष्ठाता–

समय–समय पर यह सब लोग करते रहते हैं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

जी, जी, धन्यवाद आपको।

आपने तो कांग्रेस में रहकर कांग्रेस को परिभाषित ही कर दिया। बहुत अच्छी बात की है आपने।

(श्री प्रदीप माथुर द्वारा बोलने का प्रयास करने पर)

मान्यवर, इनसे कहिये दो मिनट चुप रहें, बेचारे परेशान हैं। दो मिनट हमें कह लेने दें।

मान्यवर, एकाधिकार की चर्चा की माननीय नेता प्रतिपक्ष ने। सूप बोले तो बोले छलनी बोले आगे वाला नहीं बोलूंगा। (72 छेद की आवाजें) नहीं–नहीं यह बोलना उचित नहीं है एक ही छेद वहां है ही आप 72 कैसे कह देंगे एक ही चलनी एक ही छेद एक ही आदमी अब आप 72 कह दे रहे हैं। जो पूरी पार्टी एकाधिकार में चल रही हो आज वह बेचारी एकाधिकार के नाम पर सपा के समर्थन में खड़ा होने का एक नाटक करे राजनैतिक रूप से कोई न कोई बहाना तो इनको खोज ही लेना है वह बेचारे खोज रहे हैं।

दूसरी बात जो कही गयी न्यायपालिका के डर को ले करके बड़ी अजीब सी बातें कहीं। बहुजन समाजवादी पार्टी को मैंने कहा था अधिष्ठाता महोदय, मेरा एकाधिकार है जब बहुजन समाज पार्टी अपनी मंशा जाहिर कर लेगी तो मैं उनकी बातें रखूंगा और अध्यक्ष महोदय, मैने बहुजन समाज पार्टी ही कहा है। मैंने बहुजन समाज पार्टी ही कहा है आप एक हो गये इसलिए समाजवादी कह दिया है कोई चीज अंजाने में नहीं कही जाती अब आप अपना नाम बदल लीजिए अब आप बहुजन समाजवादी पार्टी हो चुके हैं।

(02 बजकर 12 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, अब जो बसपा ने अपना स्टैंड बदल दिया और लोक सभा और राज्य सभा के विपरीत कर लिया। मैं इन्हें बधाई देता हूं और यहां तक कह दिया जी0 एम0 सिंह जी कह रहे थे कि राज्य सभा में कोई बात कही जाए यह कोई जरूरी

है, सही नहीं है। हम विधान सभा के लोग भी सुन सकते हैं। मैं मा0 सतीश चन्द्र मिश्र जी के भाषण को कोट करने का अधिकार आपसे ले चुका हूं। आपने दिया अध्यक्ष महोदय। उपाध्यक्ष जी, मैं लॉ मिनिस्टर साहब को धन्यवाद और बधाई देता हूं। मैं उनको बधाई इसलिये दूंगा कि जो चीज पिछले 24 वर्षों में नहीं हो सकी वह चीज हमारे लॉ मिनिस्टर साहब के कार्यकाल में हो सकी है। जब इन्होंने कार्यभार सम्भाला तब इन्होंने यह कार्य कर दिया। यह बहुत जरूरी था। अध्यक्ष महोदय, उनके शब्द हैं यह बहुत जरूरी था वह जिसको लेकर आए हैं जो इनके कार्यकाल में पूरा हुआ। जहां तक इस बिल का सवाल है, मैं इस बिल पर ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं समझता हूं, क्योंकि पिछला जो कांस्ट्टीटयूशन अमेण्डमेण्ट बिल था उस पर सारी बातें आ चुकी हैं और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जब शरीर बीमार हो जाए तो कभी–कभी खिचड़ी देनी पड़ती है। यह विधेयक इस खिचड़ी की तरह है जो इस देश की न्यायिक गरीब कमजोर व्यवस्था को ठीक करने का काम करेगी तो मैं इन्हें धन्यवाद देता हूं। अपने राष्ट्रीय नेताओं के बारे में, या तो इनका आंकलन बहुत अच्छा है या धाराएं बदल रही हैं। मैं तो पिछले सदन से ही देख रहा हूं बदलती हुई धारा। मुझे अच्छा लगेगा कि धारा बदल जाए कोई बुराई नहीं है। माननीय कांग्रेस के हमारे नेता महोदय का भाषण सुनकर तो समझ ही नहीं आया, वह विरोध करना चाह रहे थे कि समर्थन में थे। बहरहाल, यही वह कांग्रेस पार्टी है जो लगातार सदन के बहस में इस बात का क्रेडिट लेती रही है कि भाजपा के लोग, आप तो इस साल लाए हैं, हम तो 10 साल से इसको लाने का प्रयास कर रहे थे। तो जो बेचारे 10 साल से प्रयास कर रहे थे जिनके भाषणों को अगर मैं सुनाऊं अध्यक्ष जी, तो बहुत समय लग जाएगा। मैं सिर्फ एक छोटी–सी लाइन कहके बात खत्म करूंगा। यही महत्वपूर्ण है और यही सार्थक है, क्योंकि यही सदन में हो रहा है। माननीय मनु सिंघवी जी ने जो कहा, मैं बहुत सकारात्मक रूप से बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि मुझे कोई संदेह नहीं है कि निकट भविष्य में जिन लोगों ने न्यायपालिका का 25–30 वर्षों से ब्लड टेस्ट किया है, वह इतनी आसानी से अपना अधिकार क्षेत्र छोड़ने वाले नहीं हैं। आपके सामने याचिका होगी, उसके मूल ढांचे की बात होगी। यह सारे ढांचे, ये सारे प्रश्न मूल ढांचे में उठाए जाएंगे और कहीं ऐसा न हो जो शत–प्रतिशत सर्वसम्मति से पास किया गया वह भविष्य में निरस्त हो जाए। बेचारे यह नहीं जानते थे कि जिनकी चर्चा कर रहे थे उनको तो छोड़िये, उनके बनाए हुए लोग ही उनका साया छोड़कर भाग जाएंगे।

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अध्यक्ष जी, बहस विधान सभा में हो रही है और यह लोक सभा का अपना मामला प्रस्तुत कर रहे हैं। हम इनके साम्प्रदायिक ताकतों के अध्यादेशों और बिलों पर विश्वास नहीं कर सकते। अध्यक्ष जी, इनका कोई भरोसा नहीं है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

अध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि हम लोग माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का बहुत सम्मान करते हैं। बहुत से कारण हैं उसके। भाव छिपते नहीं हैं उसमें कोई बड़ी

बात नहीं है। लेकिन आज उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। इस सदन में न्यायपालिका के खिलाफ कभी बात नहीं होनी चाहिये। मैं आग्रह करूंगा कि इसी सदन में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के बड़े भाषण हुये हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप सबके भाषण ही पढ़ेंगे या कुछ अपनी भी बात कहेंगे।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

अध्यक्ष जी, मैं आग्रह करूंगा कि देर से सही दुरूस्त हुआ है, उन्हें और आपको अगर लगे कि न्यायपालिका के बारे में टिप्पणियां गलत हैं तो उन्हें हटा दिया जाय। दूसरी चीज, जहां तक हटाने का प्रश्न है, आप मेरा पूरा भाषण निकलवा लीजियेगा, मैं गलत शब्दों को बोलने का आदी नहीं हूं। मैनें जो कुछ कहा है, सदन में, लोक सभा में, संसद में कही गयी बातों को कोड किया है जो लोक सभा और संसद में नहीं निकाली गयी हैं, इसलिये आप इसे इस विधान सभा की कार्यवाही से नहीं निकाल सकते हैं यह एक संवैधानिक व्यवस्था है, जो कुछ दोहराया गया है, वह इस सदन में कार्यवाही का हिस्सा होगा, यही अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य प्रक्रिया है। मैं पुनः आग्रह करूंगा माननीय अम्बिका चौधरी जी से, फेडरल सिस्टम इस देश में नहीं आने वाला, जो आप अमेरिकन सिस्टम की बात कर रहे थे ओझा जी कहां हैं। कौन सा प्रधानमंत्री को बदलकर राष्ट्रपति की व्यवस्था लाना चाहते हैं इसमें इनकी चिन्ता क्या है, यह मैं जानता हूं। यह नेता विरोधी दल के नाम से परेशान क्यों हैं, इसलिये परेशान हैं क्योंकि इनको यह मालूम है कि उत्तर प्रदेश में जितनी राजनीति करना हो, कर लें, दिल्ली में तो कम से कम यह नेता विरोधी दल कभी नहीं बनने वाले हैं और न ही सबसे बड़ी पार्टी बनने वाले हैं। इसलिये इन्हें लगता है कि यह सारे विधेयक को, जो इनके नेताओं ने स्वीकृति दे दिया, इन्हें खतरा समझ में आता है। मैं पुनः आग्रह करूंगा कि अगर कोई खिचड़ी न पक गई हो यह वाली तो अलग बात है अन्यथा अपने नेताओं का सम्मान करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय अग्रवाल जी शायद इस बात को भूल गये कि जब दो सांसद वाला अपना प्रधानमंत्री बना सकता है, जब दो सांसद वाला केन्द्र में सरकार बना सकता है तो नेता विरोधी दल तो बहुत छोटी चीज है मान्यवर। इसलिये अब हम लोगों का लक्ष्य बीच में नहीं ऊपर वाले का है, देर भले हो, दुरुस्त होकर आयेंगे।

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि एक इतने महत्वपूर्ण संकल्प को रखने का आपने मुझे अवसर दिया और इस पर माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता काग्रेंस, हमारे माननीय मंत्री शिवाकान्त ओझा और मनोज पाण्डेय जी और हमारे दूसरे साथी जी0एम0 सिंह और उमाशंकर सिंह जी तथा आप सब लोगों ने इसमें भाग लिया और जो संशोधन इस पर मान्यवर, औपचारिक रूप से रखा गया, यद्यपि यह आवश्यक नहीं था और संशोधन उन्होंने मन से रखा भी नहीं माननीय अग्रवाल साहब ने, उसके

समर्थन में भी आदरणीय बाजपेयी जी ने, माननीय खन्ना जी ने इसका औपचारिक रूप से समर्थन किया। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने इस पर जितना बल दिया और उन्होंने अपनी बात, जो इस सदन की चिन्ता हो सकती है, उसको जिस तरीके से रखा, उसके लिये भी मैं उनका बहुत आभारी हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें ज्यादा समय लेने की कोई आवश्यकता नहीं, इसमें थोड़ी बातें आई थीं, उनको मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं तो यह बात साफ होगी। डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी ने जितना भ्रम, मैं यह नहीं कहूंगा कि वह भ्रमित हैं, क्योंकि वह तो विद्वान हैं और उनके विषय में मैं यह कहूं कि वह भ्रमित हैं तो यह ठीक नहीं है लेकिन जो भ्रम उन्होंने फैलाने का प्रयास किया। मा0 अध्यक्ष जी, जो भ्रम डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी ने फैलाने की कोशिश की शुरू में वह थोड़ा सा कामयाब होते दिखाई दिये और इसलिए मुझे ऐसा लगा कि सचमुच में भ्रम फैलाने में वह कामयाब हो गये, ये उन लोगों की जमात से जरूर आते हैं जो एक दिन में गणेश जी को दूध पिला देते हैं और लोग भ्रम के शिकार हो जाते हैं। मान्यवर, मैंने देखा कि जो लोग उनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हो सकते थे वह अचानक भ्रम में आ गये। मैं पुनः स्पष्ट कर दूं बात यहां से शुरू होती है जो संकल्प मैंने रखा है उस संकल्प में कोलेजियम प्रणाली को समाप्त करने के लिए जो संविधान में संशोधन आया है और उस संविधान संशोधन के तहत जो 121वें संविधान संशोधन के रेक्टीफिकेशन के लिए अनुसमर्थन के लिए आज जो संकल्प लाने की बात आई और जो मैंने संकल्प रखा है और उसके तहत जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक, 2014 पारित हुआ है, इन दोंनों के बारे में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। हम पूरी तरह से इस कोलेजियम प्रणाली को समाप्त करने के पक्षधर हैं, मजबूती से पक्षधर हैं पार्लियामेंट में भी हमारे नेता ने कहा, राज्यसभा में हमारे नेता श्री राम गोपाल यादव जी ने कहा, बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने कहा और जब मैंने अपना संकल्प प्रस्तुत किया था तो मैंने शुरू में कहा था कि हम सब लोग इस पक्ष में हैं कि यह कोलेजियम प्रणाली समाप्त होनी चाहिए और हम इस बात के पक्षधर हैं। आज मैंने संकल्प रखा है कि राज्य विधान मण्डल दल के नेता मा0 मुख्य मंत्री जी, नेता प्रतिपक्ष और राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, दो लोगों को जिन्हें नामित करना है इमेनेन्ट पर्सन को नॉमिनेट करना है उस नामित करने वाली समिति का सदस्य होना चाहिए प्रश्न इतना ही है। मैं पुनः स्पष्ट कर दूं कि यह सिर्फ फरदरेंश है जो संविधान संशोधन हुआ उसकी फरदरेंश है यह, उसका अगला कदम है यह, उनमें जो चीजें जहां रह जाती हैं, मैं आपको बता दूं कि संविधान की मंशा भी यही है अगर संविधान की मंशा यह नहीं रही होती तो लोकसभा में पारित संविधान संशोधन को दोबारा रेक्टीफिकेशन के लिए 368 में प्रावधान करने की आवश्यकता ही नहीं थी। इसको देखने की आवश्यकता इसलिए है कि राज्य विधान मण्डल में इस पर चर्चा हो और राज्य विधान मण्डल इस पर चर्चा करके अपनी राय बना करके उनको दें ताकि उसको समुचित ढंग से आवश्यकता पड़ने पर ठीक किया जा सके। इसलिए डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी ने जो कहा मैं समझता हूं कि उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। जहां तक बात उन्होंने कटाक्ष की, की है उस पर क्या कमेंट करना यह आपका राजनैतिक कौशल है और राजनैतिक कौशल में जो आपने कहा है उसका उत्तर मा0

मौर्या जी ने दे दिया है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कभी भी आधा वाक्य पढ़ना, एक संदर्भ को आधे से काट करके प्रस्तुत करना, उसको घुमाने की तरह से नहीं है बल्कि एक मिथ्या भाषण की तरह से है। मान्यवर, मैं यह बात कहना चाहूंगा कि हमारे सांसद सिर्फ धर्मेन्द्र जी ने यह बात नहीं कही, धर्मेन्द्र जी ने जो बात कही वह यह है कि ''मा0 मंत्री जी यह सही है कि राष्ट्रपति जी नियुक्त करते हैं लेकिन यह भी सही है कि अभी स्टेट में हाईकोर्ट का कोलेजियम रिकमेण्ड करता है जिसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के कोलेजियम के एप्रूवल के बाद महामहिम राष्ट्रपति महोदय नियुक्त करते हैं।'' अभी जो सिस्टम है कि यहां का कोलेजियम भेजता है और वहां का कोलेजियम एप्रूव करता है तो इसी बारे में उन्होंने कहा कि इसी भांति राज्य के हाईकोर्ट की नियुक्ति के लिए आगे उन्होंने कहा कि हमारी आपसे इतनी प्रार्थना है कि आप ऐसी व्यवस्था कर दें कि रिकमेण्ड वह कर दें फाइनल नियुक्ति भले ही महामहिम राष्ट्रपति महोदय के हाथ से वहां होती हो, इसमें रिकमेण्ड करने का उनका तात्पर्य यही था। इसके बाद उन्होंने आगे भी कहा और उसके उत्तर में श्री रविशंकर प्रसाद जी ने जो जवाब दिया आप देखेंगे कि नेता जी ने तुरन्त उसको सपोर्ट किया और कहा कि आपको सहयोग करना पड़ेगा ध्यान देना पड़ेगा। जो श्री धर्मेन्द्र यादव जी ने बात कही उसमें उन्होंने आगे कहा कि इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा ऐसे नहीं चलेगा। पेज–40 पर उन्होंने कहा कि मा0 मंत्री जी जो बिल लाये हैं इसमें प्रदेश सरकार के मुख्य मंत्रियों का रोल ना के बराबर है और उसकी फरदरेंश है। मैं यह बताना चाहता हूं कि जब कानून मंत्री जी ने उत्तर दिया तो हमारे नेता ने भी उसका उल्लेख किया। हमारे नेता हमको क्या निर्देश देते हैं इसके बारे में आपने जो अनुमान लगाया वह अनुमान गलत है। इसके बाद मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आपने हमारे नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी का नाम आधा दर्जन से ज्यादा बार इसलिए लिया कि उनके सारे स्टेटमेंट को मजबूती से आपने स्वीकार किया है इसके लिए आपको बहुत–बहुत धन्यवाद है। काश आपकी समझ में यह बात आ जाती और समाज के उन वर्गों की बात भी जैसाकि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा है। हमारे नेता ने जैसे कहा कि अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग, महिलायें और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग उनकी नुमाइन्दगी जो वहां नहीं हो पाती है, उनकी नुमाइन्दगी के लिए कोई बात हो पाती। संसद में यह बात चर्चा में आयी। आज मैं एक छोटी बात अपनी ओर से उल्लेख करूं मा0 अध्यक्ष जी, अध्यक्ष पीठ से हट करके आप हमारे नेता हैं। आज मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं, 1999 में देवरिया में जब पिछली शाताब्दी समाप्त हो रही थी तो जो बात मौर्या जी आपने कही है वह संशोधन मैंने अपने राजनैतिक प्रस्ताव में रखा था और उस संशोधन को दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया समाजवादी पार्टी ने, नीतियों के रूप में कि न्यायिक व्यवस्था में भी आरक्षण होना चाहिए। हम इसके समर्थक हैं, हम इसके विरोधी नहीं हैं और इसका समर्थन करते हैं कि इस आधार पर न्यायपालिका में लोगों को जाना चाहिए, यह मंच इसका नहीं है। मंच इसका है कि आज हम जिस विषय पर विचार कर रहे हैं, आज हम प्रस्ताव नहीं बना रहे हैं सिर्फ यह कर रहे हैं कि जो संविधान संशोधन वहां से 121वां हो करके आया है उसके बारे में हमारी क्या राय है और हम उसका कितना समर्थन करते

हैं। इसलिए मैंने अपना संकल्प रखा है और एक–दो बातें शुरू में मैंने कही थी, एक बात और उल्लेख कर दूं बड़े चतुर हैं डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी, फिर से पढ़िये और जो आपने नम्बर–15 पढ़ा था उसको अग्रेंजी में पढ़िये, उसको जरा निकाल लीजिए। नेशनल जुडीशियल अप्वाइंटमेंट कमीशन बिल, 2014 का 15 आपने पढ़ा, 15 (2) को आपने पढ़ा, मैं आपसे निवेदन कर लूं। आपने पढ़ा दि कमीशन शैल इलिसिट इन राइटिंग। वर्ड है 'इलिसिट इन राइटिंग दि व्यूज आफ गर्वनर एण्ड चीफ मिनिस्टर आफ दि स्टेट कन्सर्न्ड' इलिसिट शब्द का डिक्शनरी मीनिंग आप जानते होंगे, इलिसिट शब्द का मतलब रिकमेन्डेशन नहीं है, इलिसिट शब्द का डिक्शनरी मीनिंग ओपिनियन भी नहीं है, जैसा हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि रिकमेन्डेशन की बात है, ओपिनियन की तो बात ही छोड़ दीजिए। रिकमेन्डेशन भी नहीं है, ओपिनियन भी नहीं है सिर्फ प्रकाश में लाना है, सिम्पली इनको अवगत करा देना है। तो अगर सिर्फ आप जो कुछ कर रहे हो और बहुत बड़ा काम आपने कर दिया इस एक्ट में आपने एक प्रॉविजन लिख दिया चीफ मिनिस्टर का नाम और बता दिया कि साहब हम इनको बता देंगे रिकमेन्डेशन के पहले। यह अधिकार सूबे के मुख्य मंत्री का होगा। (डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि इसको फिर से पढ़िये।) मैंने पढ़ा, आप बैठ जाइये। आपने 15 नम्बर पढ़ा मैं भी 15 नम्बर पढ़ रहा हूं। (डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा खड़े होकर पुनः यह कहने पर कि इसको पढ़िये।) रुकिये, रुकिये, मैं आपका सम्मान करता हूं। आप बैठिये तब तो पढ़ूंगा। आप बैठिये। ''कमीशन शैल इलिसिट इन राइटिंग दि व्यूज आफ गर्वनर एण्ड चीफ मिनिस्टर आफ दि स्टेट कन्सर्न्ड बिफोर मेकिंग सच ए रिकमेन्डेशन इन सच मैनर एज दि स्पैसिफाइड बाई दि रेगुलेशन और रेगुलेशन तो बना नहीं, संविधान संशोधन के अनुसार केन्द्र सरकार रेगुलेशन बनायेगी तब और करेंगे क्या, इलिसिट करायेंगे सिर्फ उनको बतायेंगे। उनकी ओपिनियन नहीं, उनकी रिकमेन्डेशन नहीं, सिर्फ इलिसिट करायेंगे चीफ मिनिस्टर को। तीन बार पढ़िये और चौथी बार पूछिये फिर बतायेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रकार दोहरा आचरण जिन लोगों का है और जो दोहरे आचरण के लिए देश और दुनिया में जाने जाते हैं, वह दूसरे को दोहरा आचरण दिखाने की बात कर रहे हैं। आईना देखिये, चेहरा नजर आयेगा। आज मान्यवर, ये जितनी बातें आयी हैं इसलिए मैं बल देना चाहता हूं इस बात पर कि हम पूरी तरह से इस सिस्टम को जैसा उन्होंने कहा और इसलिए नहीं कि एक बात और स्पष्ट कर दूं किसी सदस्य के या भाई उमाशंकर सिंह जी के मन में कोई भ्रम न हो जाए कि जुडीशियरी की पावर छिन जायेगी, उसका ट्रांसफर कर देंगे। कोई मंत्री ट्रांसफर नहीं करेगा जो अभी भी कमीशन बन रहा है और जो हम प्रस्तावित कर रहे हैं उसमें भी जुडीशियरी का ही बहुमत है। कैसे है 06 मेम्बरों में 03 तो वह सीधे हैं चीफ जस्टिस और दो जजेज तो 06 में 50 परसेण्ट तो वैसे हो गये। जो अभी रेकमेंडेशन के जो कार्य किए गए, उसमें भी चीफ जस्टिस हैं, तो वह आलरेडी ऐसी जगह पर हैं कि उनके न्याय पालिका को पीछे करने का काम नहीं हो रहा है। सिर्फ उसमें और पारदर्शिता लाई जाये और जो कोलेजियम में जो गुप–चुप तरीके से हो जाता था और आरोप लगाने की बात नहीं है लेकिन सत्य रखने की भी बात है। एक जज का बेटा दूसरे का भतीजा है और

इसी प्रकार एक रिपोर्ट इण्डिया टुडे में पिछले दिनों में आई थी कि तीन सौ परिवार मात्र ऐसे हैं जिसके लोग हाईकोर्ट–सुप्रीमकोर्ट में जजेज होने की हैसियत में हैं और वो कारण यह है कि यह आक्षेप है तो इसको आक्षेप न मानें, यह सत्य है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं और यही कारण है यही संसद में डिस्कस हुआ और मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि इसको पारदर्शी बनाना है। अभी तक 68 सालों में जो फैसले लिए गए वह भी ठीक थे, जो कोलेजियम 1993 के पहले आया, 1947 से लेकर 1993 तक, वह भी ठीक था। कोलेजियम सिस्टम आने के बाद जो नियुक्तियां हुई, जजेज अच्छे आये, उन्होंने फैसले किये, न्यायपालिका में पूरा समय दिया, लेकिन अपनी न्यायिक व्यवस्था को और पारदर्शी, जवाबदेह और उस पर किसी तरीके के आक्षेप की गुजांइश न रह जाये इस गरज से यह संविधान का संशोधन लाया गया है। हम सबका समर्थन है और उसमें और बेहतरी हो सके इसलिए यह संकल्प हमने इस सदन के सामने प्रस्तुत किया है, ताकि और बेहतर तरीके से तथ्यात्मक बात आ सके। मैं पुनः अनुरोध करता हूं कि डॉ0 अग्रवाल जी आप बहुत विद्वान हैं, आपकी विद्वता के हम कायल हैं, लेकिन आप, अपना यह संशोधन वापस लेकर, आज उत्तर प्रदेश की विधान सभा जिसकी ओर सारे देश की नजरें हैं, सर्वसम्मति से यह संकल्प पारित करें, यह मेरा अनुरोध है, बहुत–बहुत धन्यवाद।

(डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप तो, अपनी बात कह चुके हैं।

डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, दो बातें अभी कही गई हैं और क्योंकि मिसकोड किया गया है और आऊट ऑफ कंटेक्स्ट बताया गया है, इसलिए उसका स्पष्टीकरण इसमें है। माननीय अध्यक्ष जी, इसकी धारा–12 को आप पढ़ लीजिएगा, इसमें बहुत साफ लिखा हुआ है कि– ''दि प्रोसीजियर दि मैनर ऑफ इलिसिट व्यूज ऑफ गर्वनर एण्ड चीफ मिनिस्टर अण्डर दि सेक्सन सेवन आफ दि सेक्सन सिक्स।'' यह अधिकार किसी सरकार का नहीं है। यह अधिकार इस आयोग का है, जिस आयोग का आप गठन करने जा रहे हैं और दूसरी चीज माननीय अम्बिका चौधरी जी बहुत अच्छे अंग्रेजी के ज्ञाता हैं। इस कमीशन को मुख्य मंत्री और गर्वनर को प्रकाश में नहीं लाना है कि किसका नाम जा रहा है, बल्कि लिखित रूप से उनसे प्रकाशित होना है।

(सत्तापक्ष के कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर व्यवधान)

डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

रूक जाइये, बोलने दीजिए। लिखित रूप से मुख्य मंत्री और गवर्नर से प्रकाशित होना है कि आपके इन नामों के बारे में क्या राय है और जो संविधान के ज्ञाता हैं वह जानते हैं कि गर्वनर और मुख्य मंत्री की राय एक बाध्यकारी राय होती है और यह जानबूझकर बेचारे परेशान हैं मैं अपनी बात को खत्म करूंगा चन्द लाइनों में–

''शमा गया है डर धीरे–धीरे, बढ़ रही है लहर धीरे–धीरे,
घबरा गये हैं वो सारे जिम्मेदार, लग रहा है बदलेगा इतिहास धीरे–धीरे।''

श्री अध्यक्ष–

अब मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं।

प्रश्न यह है कि यह सदन डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत संशोधित संकल्प ''यह कि यह सदन अनुच्छेद–368 के खण्ड (2) के परन्तुक के खण्ड (ख) के क्षेत्र के भीतर आने वाले भारत का संविधान के उन संशोधनों का जो संसद के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित संविधान (एक सौ इक्कीसवां संशोधन) विधेयक, 2014 द्वारा संशोधित किये जाने के लिए प्रस्तावित है, का अनुसमर्थन करता है ?''

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन अनुच्छेद–368 के खण्ड(2) के परन्तुक के खण्ड (ख) के क्षेत्र के भीतर आने वाले भारत का संविधान के उन संशोधनों का जो संसद के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित संविधान (एक सौ इक्कीसवां संशोधन) विधेयक, 2014 द्वारा संशोधित किये जाने के लिये प्रस्तावित है, का अनुसमर्थन इस शर्त के अधीन करता है कि राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति व अन्य न्यायमूर्तियों की नियुक्ति हेतु केन्द्र द्वारा प्रस्तावित अनुच्छेद–124 क के खण्ड–(1) के खण्ड–(घ) में ''प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और लोक सभा में विरोधी दल के नेता या जहां ऐसा कोई विरोधी दल का नेता नहीं है वहां लोक सभा में एकल सबसे बड़े विरोधी दल के नेता से मिलकर बनने वाली समिति'' के स्थान पर ''सम्बन्धित राज्य के मुख्य मंत्री, सम्बन्धित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, राज्य विधान सभा के विरोधी दल के नेता या जहां ऐसा कोई विरोधी दल का नेता नहीं है वहां विधान सभा में एकल सबसे बड़े विरोधी दल के नेता से मिलकर बनने वाली समिति'' प्रतिस्थापित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, बसपा के सदस्यों ने न हमारे संशोधन पर हां या न कहा न हीं सरकार के संकल्प पर हां या न कहा तो यह कहां पर हैं।

वित्तीय वर्ष 2014–2015 के अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा एवं अनुदान

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेतागण अनुपूरक बजट पर 10–10 मिनट क्या बोलेंगे इसमें ज्यादा बोलने के लिए तो है नहीं।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

माननीय अध्यक्ष महोदय माननीय मुख्य मंत्री जी ने 14 हजार करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया है जो मान्यवर, अब तक सबके बड़ा अनुपूरक बजट है और लगता है कि इस सरकार को अनुपूरक बजट प्रस्तुत करने का एक नया शौक चला है क्योंकि अपने मूल प्राविधानित बजट का पैसा तो खर्च नहीं कर पाते अनुपूरक बजट के लिए लगातार लालायित रहते हैं इस क्रम में हम अवगत कराना चाहेंगे कि पूर्व में बजट का प्राविधानित दर्जनों विभाग 7 प्रतिशत 10 प्रतिशत 15 प्रतिशत ही खर्च कर पाए हैं आवास विभाग प्राविधानित बजट का 35 प्रतिशत, नगर विकास विभाग प्राविधानित बजट का 15. 32 प्रतिशत, मुस्लिम वक्फ विभाग अपने प्राविधानित धन का 13.17 प्रतिशत, कृषि

सहकारित 28.99 प्रतिशत, चिकित्सा परिवार कल्याण 28.88 प्रतिशत, समाज कल्याण अनुसूचित जातियां 26.94 प्रतिशत, समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण 7 प्रतिशत समाज कल्याण निःशक्त एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण 16.38 प्रतिशत, वित्त विभाग ऋण सेवा एवं अन्य खर्च 11.65 प्रतिशत, खाद्य तथा रसद 39.12 प्रतिशत और व्यवसायिक शिक्षा 36.26 प्रतिशत मान्यवर, यह अपने मूल प्राविधानित बजट का कोई भी विभाग जो एक दर्जन मैंने नाम लिए 40 फीसदी अभी तक खर्च नहीं कर पाए हैं यही नहीं मान्यवर, इसी आपाधापी में इस सरकार ने वर्ष 2012–13 की 190 योजनाओं हेतु अनुपूरक बजट में प्राविधानित 6062.83 करोड़ रुपयों में से 3358.92 करोड़ यानी 83 प्रतिशत धनराशि सरण्डर करने का काम किया। इतना बड़ा धन अपने ही प्राविधानित बजट से वर्ष 2012–13 में सरकार ने सरण्डर किया था। इससे सरकार की लापरवाही उदासीनता और अपनी ही घोषणाओं अपनी ही प्राथमिकताओं के प्रति गम्भीर न होना इस बात को दर्शाने का काम करता है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि यह समाजवादी पार्टी की सरकार यह वर्ष बीतने जा रहा है नवम्बर का महीना चल रहा है मान्यवर ताज्जुब होगा कि अभी तक पूर्वांचल विकास निधि और बुन्देलखण्ड विकास निधि अवमुक्त नहीं हुई है जब कि अब तक इन निधियों को अवमुक्तिकरण बहुत पहले हो जाना चाहिए था। प्रायः सितम्बर में हमेशा पूर्वांचल निधि और बुन्देलखण्ड विकास निधि पहुंच जाया करती थी लेकिन अभी तक दूर–दूर तक इसका कोई नाम लेवा नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, यह सरकार घोषणाएं तो बहुत करती है लेकिन कदम दो कदम चलने के बाद अपनी ही प्राथमिकताओं से अपनी ही घोषणाओं से वापस हो जाती है। यद्यपि समाजवादी पार्टी सरकार ने हमारी नकल करने का प्रयास किया है। हमारी तमाम योजनाओं को चलाने का प्रयास किया है भले ही नाम बदल दिया है। महामाया पेंशन योजना का नाम पहले बदल कर लक्ष्मीबाई पेंशन योजना किया और अब समाजवादी पेंशन योजना कर दिया है। हमारे मथुरा हाई–वे के तर्ज पर आपने अभी एक आगरा और लखनऊ हाई–वे की शुरूआत करने का निर्णय लिया। मान्यवर, नकल करने में भी अक्ल की जरूरत पड़ती है और नकल को भी अमली जामा तब ही दिया जा सकता है जब नीयत साफ हो। अगर नीयत साफ नहीं है तो नकल करने पर भी वह अधर में लटक जाता है, न इधर का होता है न उधर का होता है। मान्यवर, मैं उदाहरण देना चाहूंगा, माननीय मुख्य मंत्री जी की प्रथम प्राथमिकताओं में से इटावा लॉयन सफारी रहा है। इटावा लॉयन सफारी माननीय मुख्य मंत्री जी की प्रथम प्राथमिकता रही है। बड़ी शिद्दत के साथ पर्यावरण और वन्य प्राणी बोर्ड की अनेकों आपत्तियों के बाद आप इसको स्थापित कराने में कामयाब रहे। लेकिन लॉयन सफारी स्थापित करने के पहले माननीय मुख्य मंत्री जी क्या आपने इस बात को सुनिश्चित किया कि क्या वहां पर शेरों के रहने के लिये पर्याप्त जंगल हैं ? क्या वहां पर सघन वनीकरण किया गया है ? क्या वहां पर अनुकूल वातावरण है ? क्या वहां पर उनके रख–रखाव की सही व्यवस्था है। वन्य जीवों को जैसे शेर जो वन्य जीव हैं, यह मान्यवर, शिकार पर आधारित होते हैं। चिड़ियाघर में तो आप उनको गोश्त देकर पाल सकते हैं लेकिन जंगलों में विचरण करने वाले शेरों के लिये पर्याप्त वन्य जीवों के शिकार की व्यवस्था

होनी चाहिए। मान्यवर, अनुकूल वातावरण न होने के कारण दो शेरों, लक्ष्मी और विष्णु को मौत के मुंह में समाना पड़ा है। यह दोनों शेर मौत को गले लगाने के लिये मजबूर होना पड़ा। मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इसके लिये चाक–चौबन्द व्यवस्था होनी चाहिए आपके पास रख–रखाव की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई केयर टेकर नहीं है। केवल एक ही केयर टेकर है और वह भी लखनऊ में रहता है तो स्वाभाविक रूप से जब लखनऊ में केयर टेकर होगा तो इटावा के लॉयन सफारी में शेर मरने के लिये मजबूर होंगे। आपकी योजनाओं पर, आपकी प्राथमिकताओं पर पानी पड़ेगा। इसलिये इनकी स्थापना के पहले इनके लिये सारी की सारी चाक–चौबन्द व्यवस्था करनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी का उस समय का जुबान याद है जिस समय इन्होंने कहा कि हम आठ शेर गुजरात से मंगा रहे हैं तो इस पर निवर्तमान में जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने बोला था कि आपको गुजरात के शेरों के रखने की जगह नहीं है तो इन्होंने जवाब में दिया था कि मैं आपको भी आपको गुजरात के शेरों को रखने की जगह नहीं है। इन्होंने जवाब में दिया था कि मैं ख्ा ग ग, लेकिन क्या केवल उनको मरने के लिए लाए हैं, इटावा, लाएन सफारी, में लाये थे। मान्यवर, हमें अच्छा लगता कि उन गुजरात से मंगाये गये शेरों की चाक–चौबन्द व्यवस्था देखते, और बाद में कहते, मैंने तुम्हारे शेरों को तो यहां पाल लिया अब आवश्यकता होगी तो आगे बढ़ेंगे। आपको भी पालने की आवश्यकता पड़ेगी, तो आपको भी पाल लेंगे, तब आपकी बात बनती। लेकिन आप तो मान्यवर अपनी पहली ही परीक्षा में फेल हो गये। बहुत दिन बाद लगभग 03 साल सरकार के होने जा रहे है और तब आपको याद आया समान पक्षी बिहार मैनपुरी का जो कि बहुत पहले आ जाना चाहिए था। लोकसभा चुनाव के दौरान मैं भी वहां गया और देखा। बहुत बड़ा तालाब है, तमाम विदेशी पक्षियां हजारों की तादात में आती हैं लेकिन लगातार लोग उसे पाटते जा रहे हैं, बड़े–बड़े झाड़ियों से वह पटता जा रहा है। साफ–सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। मान्यवर, बहुत देर बाद मात्र 25 करोड़ रुपये उसे दिये है और वह किस लिये दिये कि वहां विदेशी पक्षी भी आयेंगे। मैनपुरी, इटावा, एटा के बीच में सारस पक्षी के रहने का अच्छा वातावरण है। सारस पक्षी हमारे उत्तर प्रदेश का मान्य पक्षी है और राष्ट्रीय पक्षी मोर के लिए भी वहां पर अनुकूल वातावरण हैं लेकिन आप तो शेर पाल रहे थे, शेर तो पाल नहीं पाये, जो पहले से पले हुए थे, मोर और सारस उनका भी अस्तित्व खतरे में है, क्योंकि मान्यवर जो मैनपुरी, इटावा, एटा, फिरोजाबाद के बीच का क्षेत्र है, सारस और मोर के लिए अनुकूल था। आपके सैफैई हवाई पट्टी से उन सारस और मोर पर भी खतरा आया है क्योंकि हवाई पट्टी से जब हवाई जहाज या हैलीकाप्टर के आने से जब बहुत ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है तब वे वहां से भागते हैं और दूर जाकर शरण लेने के लिए बाध्य होते हैं। मान्यवर, यही नहीं अभी तक तो मैं इस सरकार पर आरोप लगाता था कि सरकार में कानून व्यवस्था फेल

---

uksV %&[x x x] ;g va'k Jh v/;{k ds vkns'kkuqlkj dk;Zokgh ls fudky fn;k x;kA

है। अब तो आपके सामने एक परेशानी और आ गयी। कभी बाघ, कभी शेर, कभी चीता, कभी तेंदुआ। कभी बिजनौर में, कभी हरदोई में, कभी उन्नाव में, कभी लखनऊ में। आखिर ऐसा क्यो ? इसके पीछे भी मान्यवर, कारण है। मान्यवर अगर शेर, बाघ, चीते और तेंदुए का मैदानी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रवेश हो रहा है तो इसके पीछे भी कारण है, वह कारण है कि मान्यवर आपका ध्यान हो सकता है इस ओर न गया हो। इसलिए मै अपनी बातों के माध्यम से आपका ध्यान भी उस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि जंगलों में रहने वाले बाघ, शेर, चीते आखिर मैदानी क्षेत्रों में क्यों ? इसीलिए क्योकि बड़े पैमाने पर अवैध जंगलों का कटान हुआ है। बढ़ापुर, कतरनिया घाट, रामनगर, दुधवा नेशनल पार्क में बड़े पैमाने पर जिस तरीके से वन कटान हुआ है। अवैध रूपों से पेड़ो की कटाई हुई है। उसके चलते जंगलो में रहने वाले शेर, बाघ, चीते और तेंदुए, उनके अस्तित्व पर खतरा आ गया है। मान्यवर, जिसके नाते वह शिकार की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों में भागने को मजबूर है। इसलिए इस ओर भी आपकी नजर जानी चाहिए, नहीं तो अभी तक तो अराजक तत्वों से बदहाली का आलम था और अब इन जंगली जानवरों से भी मैदानी क्षेत्रों में बदहाली का आलम नया पैदा होगा। इस संकट से सावधान करते हुए मैं आगाह करना चाहता हूं कि ऐसे कौन लोग हैं जो आपकी आंख में धूल झोंक कर, सरकार की आंख में धूल झोंक करके जो वनों की बड़े पैमाने पर अवैध कटाई कर रहे हैं, जिस तरीके से जंगलों को साफ किया जा रहा है और गलत ढंग से जंगलों को साफ करके गलत कमाई की जा रही है, इस पर लगाम लगनी चाहिए। ऐसे अधिकारी जो इसके लिए जिम्मेदार और दोषी हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, जैसे दलों में होता है, महिला प्रकोष्ठ है, श्रम प्रकोष्ठ है, आपके दल में अगर एक पशु प्रकोष्ठ हो जाए तो हमारी बड़ी समस्या हल हो जायेगी, कुछ लोगों के नाम हम वहां लिखवा देंगे। (हंसी)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को शायद इस बात का एहसास नहीं है, आपको अलग से पक्षी प्रकोष्ठ गठित करने की अलग से आवश्यकता है ही नहीं, ख्ा ग ग,

श्री श्यामदेव राय चौधरी ''दादा''–

अध्यक्ष जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मुख्य मंत्री जी को मिसकोड करते हुए, माननीय प्रधान मंत्री जी के विषय में जिन शब्दों का प्रयोग नेता प्रतिपक्ष ने किया है, वह बहुत ही अशोभनीय और अनपार्लियामेन्ट्री है। मेरा आपसे आग्रह है कि उन शब्दों को कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

---

uksV %&[x x x] ;g va'k Jh v/;{k ds vkns'kkuqlkj dk;Zokgh ls fudky fn;k x;kA

ठीक है, हम देख लेंगे, अगर अनपार्लियामेन्ट्री होगा तो कार्यवाही से निकाल देंगे।

श्री सोबरन सिंह यादव–

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग अपने बड़े नेताओं की सारगर्भित बात सुनने के लिए यहां आते हैं। सिर्फ बात करने के लिए बात हमारे माननीय नेता लोग करेंगे कि वहां अगर हवाई पट्टी हो गयी तो वहां तो दिन में केवल एक–दो हैलीकाप्टर, जहाज आते होंगे, लखनऊ में जो पचासों आते हैं। यहां की क्लाईमेट और सैफई की क्लाईमेट में कोई अन्तर नहीं है, आप तो मान्यवर, पहले भी बहुत बार मैनपुरी गये हैं, चुनाव के लिए, वहां सारस और तमाम पक्षियों का संरक्षण है। मेरी समझ में नहीं आता, हम जैसे नए लोग जो इस सदन में आपकी बात सुनने के लिए बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, नेता विरोधी दल आप अपनी बात कहिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, इसी के साथ ही साथ अनुपूरक बजट आप लेते लेकिन मान्यवर, जब आपकी कोई सुनिश्चित योजना नहीं है, कार्य–योजना के इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई प्लानिंग नहीं है और जिसके दुष्परिणाम होते हैं कि बड़े पैमाने पर हमारा धन खर्च नहीं होता, हमको सरेण्डर करना पड़ता है, इसमें सरकार की कहीं न कहीं नाकामियां जगजाहिर होती हैं, उन पर अंकुश लगना चाहिए। मान्यवर, अच्छा होता क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान रखा गया होता। विशेष रूप से विकास के नजरिए से जो अति पिछड़े क्षेत्र हैं, उनमें विकास की योजनाएं चलायी जातीं। बुन्देलखण्ड क्षेत्र पूरा का पूरा अछूता है, पूर्वांचल क्षेत्र पूरा का पूरा अछूता है और मान्यवर, इसमें तो कुल मिला करके पूरा का पूरा यह जो

सप्लीमेन्ट्री बजट है, माननीय मुख्य मंत्री जी के इर्द–गिर्द है। मैनपुरी, इटावा, फिरोजाबाद और बगल में बैठते हैं, संसदीय कार्य मंत्री जी तो उन पर मेहरबानियां बरसी हैं और मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी, आपकी प्राथमिकता का विश्वविद्यालय, जौहर विश्वविद्यालय है। माननीय मुख्य मंत्री जी पहली बार शायद उसको अनुदान दिए हैं और अनुदान देते, हमें खुशी होती।

श्री मोहम्मद आजम खां–

नहीं मान्यवर, उसके लिए कोई अनुदान नहीं है। आपका अनुदान रहा है कि 05 साल आपने उस यूनिवर्सिटी को चलाने का सर्टीफिकेट नहीं दिया। यह आपका अनुदान भी रहा है, योगदान भी रहा है और मुस्लिम दुश्मनी भी रही है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, वह सर्टिफिकेट तो आप अपने पिछली सरकार में नही ले पाये थे इस सरकार के ढाई साल में नहीं ले पाये थे। यह तो बीच में उत्तराखण्ड के महामहिम राज्यपाल जी ने दे दिया।

श्री मोहम्मद आजम खां–

वह अलग चीज है। युनिवर्सिटी रन करने का सर्टिफिकेट हम अपनी सरकार में इसलिए नहीं ले पाये थे कि औपचारिकतायें पूरी नहीं हुयी थीं। औपचारिकतायें पूरी होते–होते आपकी सरकार आ गयी थी। 05 साल तक आपने नहीं दिया वह अपनी जगह है। लेकिन मुझे एक दुःखद वाक्या याद है कि आपकी मुख्य मंत्री जी यहां बैठी थीं और मैं वहां कहीं बैठा था मुझे सूचना मिली कि आपकी तरफ से पुलिस एक्शन युनिवर्सिटी में होने वाला है। और उसी दिन एक जवाब आया था मा0 मुख्य मंत्री जी की तरफ से कि युनिवर्सिटी को प्रोटेक्शन दिया जाएगा और उसकी हिफाजत की जाएगी और सरकार हिफाजत करेगी और जिस वक्त यह बयान सदन में पढ़ा जा रहा था उस वक्त युनिवर्सिटी पर बुलडोजर चल रहे थे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी तो बात को बखूबी घुमाते हैं। विश्वविद्यालय पर बुलडोजर नहीं चला था कुछ अवैध निर्माण था उस पर चला था।

अगर ऐसा होगा, अगर अवैध निर्माण पर चला होगा तो मैं इस सदन में कभी नहीं आऊंगा।

मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी का विश्वविद्यालय दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे यह हम सबकी शुभकामनायें हैं। विश्वविद्यालय की स्थापना करना बहुत बड़ी चीज है। आपने किया इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ऐसी संस्थाओं को बिगाड़ने की नीयत कभी भी बहुजन समाज पार्टी की नहीं रही। दूसरी बात कि मा0 मुख्य मंत्री जी ने आप पर सदाशयता दिखायी और दिखाते हमें खुशी होती लेकिन तीन साल सरकार बने हो गये। मान्यवर, एक भी मदरसा और अल्पसंख्यक संचालित विद्यालय अनुदान पर नहीं लिये गये आखिर उन पर भी कृपा होनी चाहिए। जब सप्लीमेंट्री बजट हम ले रहे हैं तो मदरसों को क्यों हम छोड़ रहे हैं। उनका भी ध्यान रखना चाहिए था।

श्री मोहम्मद आजम खां–

आपने पिछले 05 वर्षों में आपकी सरकार ने इस विभाग का वह सत्यानाश किया है और इतने नियम बदल दिये और उसमें इतना बिगाड़ कर दिया है कि फाइल सिर्फ एक टेबिल से दूसरी टेबिल दूसरी टेबिल से तीसरी टेबिल चलती रही। और भारत सरकार से मिलने वाले पैसे को आपने नहीं मिलने दिया। वह सारा पैसा वापस चला गया। भारत सरकार से मदरसे के लिए मिलने वाले पैसे को 05 वर्ष तक नहीं मिलने दिया। उन सारी चीजों को बदलने में समय लगा है। और मदरसे ग्रांट पर आ गये हैं। शायद आपकी जानकारी में न हो।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी बड़ी बारीकी से मामले को घुमाना चाहते हैं। हमारी सरकार में दो सौ मदरसों को अनुदान सूची पर लिया गया था। आपकी सरकार को तीन साल हो गये हैं आपके मन में पीड़ा होगी आप मा0 मुख्य मंत्री जी के बगल में बैठते हैं आप नहीं कह सकते हैं। यहां होते तो आप भी इसी को बड़ी मजबूती के साथ रखते। बहादुरी के साथ कहते। मैं समझता हूं। आपकी भी मजबूरियां हैं। आप कैसे कह देंगे कि मदरसों को अनुदान मिलना चाहिए आपकी तरफ से मैं कह रहा हूं कि मदरसों को भी अनुदान सूची में लिया जाना चाहिए और इसके साथ ही साथ मैं यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि आज बड़े पैमाने पर जो पिछड़े वर्ग के और अनुसूचित जनजाति के छात्र हैं उनका वजीफा जो पहले नियमित मिलता था वह मिलना बंद हो गया। तो मान्यवर, अगर किसी प्रकार का कोई आर्थिक संकट है तो इसमें उसकी व्यवस्था करनी चाहिए थी। हम उसका स्वागत करते क्योंकि प्रदेश के विकास के साथ सबका हित जुड़ा है हम भी उसका स्वागत करते लेकिन मान्यवर आपने तो केवल अपने चहेतों के बीच में रेवड़ियां बांटने की कोशिश की है। इसलिए यह आपका जो अनुपूरक बजट है यह प्रदेश की

जनता के साथ धोखा है, छलावा है, फिजूलखर्ची है और सही मायने में यह सरकार विकास के प्रति उदासीन है।

यह सरकार विकास के प्रति उदासीन है। इसलिए यह अपने प्राविधानित पैसे को बार–बार सरेंडर करने के लिए मजबूर होते हैं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

सत्ता पक्ष से कोई मा0 सदस्य बोलना चाहेंगे ? लेकिन सिर्फ पांच मिनट में अपनी बात कह लें।

श्री जाहिद बेग–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, मा0 मुख्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है वह अपने आप में एक कामयाब बजट है। अभी पूर्व में पूर्वांचल की बात जो मा0 नेता विरोधी दल ने उठाई है।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूं कि इस सरकार ने इन्हें मंत्रि परिषद् में कब शामिल किया है, क्योंकि यह मा0 मंत्री जी की कुर्सी पर बैठे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष–

इन्हें मंत्रि परिषद् में शामिल नहीं किया गया है यह तो ऐसे ही आकर बैठ गये हैं। कोई विधायक भी तो मंत्रिपद से आकर पूछ सकता है।

श्री जाहिद बेग–

मान्यवर, पूर्व की किसी भी सरकार ने पूर्वान्चल का विकास नहीं किया है, लेकिन हमारी समाजवादी सरकार ने पूर्वांन्चल में भदोही के अन्दर फोर लेन की व्यवस्था के अन्तर्गत, भदोहीं के कालीन बुनकरों की व्यवस्था को सुधारने के लिए 170 करोड़ जो मा0 मुख्य मंत्री जी ने दिया उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। भदोही बुनकरों का जनपद है, कालीन बुनकरों का जनपद है, लेकिन पिछले 50 सालों से उनके उत्थान के लिए किसी सरकार ने कुछ नहीं किया, इनके उत्थान के लिए समाजवादी सरकार ने जो व्यवस्था की है, इसके लिए भी मैं मा0 मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं। मैं मा0 नेता विरोधी दल से और अन्य विपक्षी साथियों से कहना चाहता हूं कि आप एक साल बाद भदोहीं के अन्दर आकर देख लीजिएगा, भदोही आपको लखनऊ जैसा मिलेगा। और एक सही बात मैं विधान सभा के अन्दर अलग से भी कहना चाहता हूं कि मैं टी0वी0 देख रहा था लगातार मीडिया में यह प्रचारित किया जा रहा है कि मोदी ने यह किया, मोदी ने वह किया, लेकिन हकीकत में मोदी ने अभी तक कुछ नहीं किया। झूठे प्रचार के जरिये उन्होंने जनता को सिर्फ गुमराह किया है। मैं इस विधान सभा के अन्दर कहना चाहता हूं कि आस्ट्रेलिया के अन्दर जो नक्शा पेश किया गया, उस नक्शे के अन्दर कश्मीर नहीं है, अगर हमारा नेता लंगोटा पहनने वाला होता, धोती पहनने वाला नेता होता, तो वहीं आस्ट्रेलिया के अन्दर थूक कर चला आता।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठिये, आपका समय समाप्त हो गया।

श्री जाहिद बेग–

मान्यवर, मैं अपने प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या कहूं, लोक सभा के अन्दर कहते हैं कि हम लोग सीखने आये हैं। हमारे मुख्य मंत्री बहुमत से विधान सभा में बैठक कर जनता के हित के लिए कार्य करते हैं और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वह सीखने आये हैं। मीडिया को खरीद कर झूठे प्रचार के जरिये वह जनता को गुमराह कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठिये, अब आपका लिखा नहीं जायेगा। मा0 सुरेश कुमार खन्ना जी आप अपनी बात शुरू करें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं मुख्य मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक बजट पर अपने विचार रखने के लिये खड़ा हुआ हूं। मा0 अध्यक्ष जी, इस सरकार के द्वारा इसी वर्ष लेखानुदान के माध्यम से और फिर रेगुलर बजट के माध्यम से यह जो धन लिया गया है उसके बारे में मैं सोचता था कि इस विधेयक में टिप्पणी आनी चाहिये थी कि हमने जो लेखानुदान से लिया इस वर्ष और उसके बाद रेगुलर बजट से पैसा लिया, उसमें इतना पैसा हमारे पास है और इतना हमने खर्च कर लिया तो इसमें स्पष्ट रूप से टिप्पणी आनी चाहिये थी। पिछली बार जब बजट के ऊपर चर्चा थी तो तब भी मैंने कहा था कि यह जो बुकलेट है यह जहां से शुरू होती है वहीं से शुरू होनी चाहिये थी। मान्यवर, जो पैसा इस सदन ने पास किया है आखिरकार उसके बारे में जानने का अधिकार इस सदन को है कि हमने इसमें कितना–कितना पैसा इसमें अवमुक्त कर दिया। फिर अलग से हम लोगों को उसका पता करना पड़ता है कि वित्त विभाग से पता कर लो, विभागों से पता कर लो कि कितना धन अवमुक्त हुआ और कितना खर्च हुआ। मान्यवर, आज खर्चे की स्थिति बहुत ही निराशाजनक है। हम उन बातों को दोहराना नहीं चाहते जो नेता विरोधी दल ने कहीं। लेकिन मान्यवर, जो पैसा 7 जुलाई को विनियोग विधेयक के माध्यम से पास हुआ, वह पैसा सरकार को मिल गया। जो पैसा जल्दी–जल्दी खर्च होता है उसमें न तो गुणवत्ता आती है और उसमें भ्रष्टाचार की बहुत आशंका रहती है। इसलिये फाइनेंसियल स्थिति को रेगुलेट करने के लिये यह आवश्यक है कि समय से स्वीकृतियां जारी हों और उन पर टाइमली खर्च हो। मान्यवर, मैं सबसे पहले जिला योजना पर आता हूं। इस वर्ष जिला योजना में 14,209 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया जिसमें 7,440 करोड़ रुपये अवमुक्त हुआ। अभी केवल 50 परसेण्ट से कुछ अधिक मतलब 51, 52 परसेण्ट धन अवमुक्त हुआ है। अब आप कल्पना करिये कि नवम्बर का महीना आधा बीत गया और इस वर्ष अभी तक हम जिलों में केवल 50, 51 परसेण्ट स्वीकृतियां जारी कर पाये हैं। मान्यवर, मैं अपनी बात पर फिर से बल देना चाहता हूं कि प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में हर जिले में एक जिला योजना समिति बनी हुयी है। संविधान के संशोधन के तहत के वे नई समितियां बनीं और उसमें ग्रामीण और नगरीय दोनों क्षेत्रों के प्रतिनिधि हैं। जिले के समेकित विकास के लिये हाईऐस्ट एवं सबसे बड़ी रिकमेण्डेटरी बॉडी वह

जिला योजना समिति है। यह अधिकार केवल उसी का है कि वह अपने प्रस्तावों में परिवर्तन कर सके और अल्टर कर सके। यह उत्तर प्रदेश सरकार ये तो कर सकती है कि अपना परिव्यय दे दे कि इतने परिव्यय के अन्तर्गत आप अपनी जिला योजना को सीमित रखें लेकिन उसका अधिकार उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं है, यह मैं फिर से दोहराना चाहता हूं। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब 50 परसेण्ट से ज्यादा की स्वीकृतियां जारी नहीं हुईं तो वह पैसा खर्च कैसे होगा। मान्यवर, दूसरी बात पुलिस के आधुनिकीकरण के लिये पैसा दिया गया और पुलिस का आधुनिकीकरण कितना हो रहा है। किसी भी स्टेट हाई–वे पर, किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर रुक कर देख लें कि पुलिस चौकी के सामने बैरियर लगा हुआ है। पहले तो वे लकड़ी के ट्रक चेक करते थे, अब तो वे भूसे के ट्रक चेक करते थे। अब वे डीजल के, पेट्रोल के ट्रक चेक करते हैं। एक आदमी से कहते हैं कि खड़े हो जाओ, एक दलाल को बीच में लगा देते हैं, वह उससे बात करता है, पहले वह उसको घण्टों खड़ा रखते हैं फिर उससे नाजायज तरीके से वसूली करते हैं। मान्यवर, पूरे प्रदेश में देवरिया से लेकर गाजियाबाद तक पुलिस का यही आधुनिकीकरण हो रहा है और इसके अलावा, पूरे प्रदेश में पुलिस की कोई परिस्थिति बदली नहीं है। थानों में क्या स्थिति है, जो व्यक्ति मार खाता है औज जब वह रिपोर्ट लिखाने जाता है तो कॉन्स्टेबल कहता है कि ऐसा है, समझौता कर लो। मान्यवर, जिसने मारा है वह दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट लिखा देता है। जो पिटा है वह 107–16 में बन्द और जो मारता है वह उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखा देता है और पुलिस कहती है कि समझौता कर लो, वरना दोनों लोग बन्द हो जाओगे। मान्यवर, यह पुलिस की स्थिति है। थाना दिवस में यह तो होता है कि इकट्ठा सब लोग हो जाते हैं लेकिन थाना दिवस की कोई परवाह नहीं। जितना जो सशक्त है, जो सबल है और जिसमें समाजवादी पार्टी के नेताओं की सिफारिश पहुंच जाती है तो चाहे गलत हो, चाहे सही हो उसकी तो मान ली जाती है। मान्यवर, वस्तुस्थिति तो यही है। हम तो यह चाहते हैं कि कभी मा0 मुख्य मंत्री जी औचक निरीक्षण करके देख लें कि कितनी खराब स्थिति थानों की है। बाकी सब लोग तो अपना काम किसी तरह चला लेते हैं लेकिन गरीब आदमी को थानों के आगे आकर न्याय नहीं मिलता, गरीब आदमी को तो किसी भी हालत में न्याय नहीं मिलता है। तीसरी बात मान्यवर, मैं सोचता था कि जब अनुपूरक बजट आया इस सरकार ने यह वायदा किया था, चुनाव के वक्त में कि बेरोजगारों को भत्ता देंगे, दिया भी था वह भत्ता। हम सोचते थे कि 3–4 महीनों के अंदर कोई हृदय परिवर्तन मा0 मुख्य मंत्री जी का हुआ हो, फिर से बेरोजगारों को भत्ता चालू करने की कोई स्कीम हो, पूरी किताब लौटी मान्यवर, कहीं उसमें कुछ दिखा नहीं और विभागों में दिखा पक्षी विहार दिखा, जिसको 25 करोड़ दे दिये गये। मानव रूपी शेर मान्यवर, पहले से हावी हैं, और शेर प्रजनन केन्द्र को 5 करोड़ रुपये दे दिये गये। लेकिन कहीं पर यह नहीं दिखा कि बेरोजगारों के हाथ से जो उनकी थाली से रोटी छीनी गई जुलाई के महीने में उन लोगों को, बेरोजगारों को, कम–से–कम सब्जी भर के पैसे मिल रहे थे। इसी सरकार ने दिये थे, हमने नहीं दिये थे। इसी सरकार ने दिये थे। हम सोचते थे शायद हृदय परिवर्तन के नाम पर इसमें कुछ हो जाता।

श्री मोहम्मद आजम खां–

खन्ना जी, आप प्रोसीडिंग्स निकाल कर देखिए, आपके दल ने कितना विरोध किया था लैपटॉप का, आपने कितना विरोध किया था बेरोजगारी भत्ते का, आपने कितना विरोध किया था कन्या विद्या धन का ये सारी चीजें खत्म हुई हैं आपकी वजह से। दसवां पास और ग्यारहवां पास से लेकर, ''हमारी बेटी उसका कल'' का धन जो गरीब की जेब में जा रहा था, उसके जिम्मेदार आप हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

इस आरोप का मान्यवर, हम खण्डन करते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

नहीं, यह आरोप नहीं है मान्यवर, यह तो प्रोसीडिंग्स का हिस्सा है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मैंने बेरोजगारी भत्ते का विरोध नहीं किया था।

श्री मोहम्मद आजम खां–

विरोध किया था आपके दल ने, मैं व्यक्तिगत आपके नाम से नहीं कह रहा हूं, आपके दल ने विरोध किया था और यह कहा था कि बेरोजगारी भत्ता न दिया जाये, नौकरियां दी जायें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

इसका खण्डन करता हूं, मैं।

श्री अध्यक्ष–

अब आप खत्म करें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मा0 अध्यक्ष जी, चार–पांच बिन्दुओं पर सार्थक बात होगी, एक भी बात बेकार नहीं होगी। मान्यवर, मैं उम्मीद करता हूं, मैंने एक–दो दिन पहले भी इसी सदन में कहा था कि जिस प्रकार इंदिरा आवास और लोहिया आवास ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, गरीब लोगों को दिये जा रहे हैं, वैसी आवश्यकता शहरी क्षेत्रों की जो स्लम बस्तियां हैं, जो बहुत गरीब लोग हैं, जिनका सही तरीके से छप्पर भी नहीं है, उन लोगों को शहरी क्षेत्र में भी, उन गरीब लोगों को आवास दिये जाने की आवश्यकता है और सबसे ज्यादा जरूरत उन लोगों के सिर पर छत होने की है। चौथी बात, मान्यवर, हम यह भी उम्मीद करते थे, इस सरकार ने यह वायदा किया था शिक्षकों के लिए कि वित्त विहीन विद्यालयों में, जो शिक्षक हैं उनके मानदेय की व्यवस्था यह सरकार करेगी। समय कम है मान्यवर, अगर चाहे तो, घोषणा–पत्र की कांपी मेरे पास है, कहे तो पढ़कर सुना दें। मा0 मुख्य मंत्री जी को याद होगा, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को याद होगा।

श्री अध्यक्ष–

अनुपूरक बजट में इसका क्या, जनरल बजट में खूब बोलियेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, अनुपूरक में नई योजनायें ली गयी हैं, आर्टीकल–205 में व्यवस्था है। जब आपने 14 हजार करोड़ रुपये का इतना बड़ा अनुपूरक बजट लिया है तो यह तो

मान्यवर, बहुत छोटी चीज है। मान्यवर, एस0जी0पी0जी0आई0 जब स्थापित हुआ था, तो 1700 बेड का अस्पताल, प्राथमिक रूप से यह था कि पहला चरण इसका 1700 बेड का होगा, यह हुआ था। आज तक 1000 से ज्यादा बेड फंक्शनल नहीं हैं। कई अस्पतालों को हमने देखा कि बजट में पैसा दिया गया आज आवश्यकता इस बात की है मान्यवर, कि शायद कोई विधायक ही ऐसा हो जिसका कोई मरीज हफ्ते में वहां नहीं जाता हो और वह इमरजेन्सी में एक दिन– दो दिन चक्कर मार के लौट आता है कि वहां पर बेड नहीं हैं। वहां बेड नहीं हैं, मान्यवर। सबसे ज्यादा आवश्यकता है, सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल है, और इलाज भी वहां पर अच्छा होता है मान्यवर। सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि वह मुख्यालय का, प्रदेश की राजधानी का अस्पताल है, उसमें बेड बढ़ने चाहिए। 1000 के स्थान पर 1700 बेड का अस्पताल होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से भी कई बार उनको बुला चुका हूं, डायरेक्टर को बुला चुका हूं, सी0एम0एस0 को भी बुला चुका हूं, मगर अभी तक उसका कोई हल देखने को नहीं मिला। मान्यवर, यह जनेश्वर मिश्रा और लोहिया गांव के सम्बन्ध में कहना है कि मा0 मुख्य मंत्री जी ने इस सदन में यह घोषणा की थी कि लोहिया गांव के चयन में मा0 विधायकों की संस्तुति को प्राथमिकता दी जायेगी, उनका ख्याल रखा जायेगा, लेकिन मान्यवर, ऐसा हुआ नहीं। हम यह जरूर चाहेंगे कि लोहिया गांव और जनेश्वर मिश्रा गांव में पूरे गांव में सी0सी0 रोड बने। अगर एक गांव का चयन हो तो पता चला आधे में बन गया और आधे गांव में नहीं बना। मान्यवर, इसलिए पूरे गांव में जब चयन हो तो कम से कम पूरे गांव में हमने देखा कि पैसा दे दिया गया तीन सौ साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये दे दिया गया लोहिया ग्राम में यह मान्यवर बहुत कम है। इसको अगर बढ़ाकर पूरे ग्राम के लिये कर देते तो जितने भी लोहिया ग्राम चयनित हुए हैं और जितने भी जनेश्वर मिश्र ग्राम चयनित हुए हैं उनमें पूरे ग्राम में सीसी रोड स्थापित होनी चाहिये। मान्यवर, सोलर लाईट, मान्यवर सबसे ज्यादा आवश्यकता है ग्राम में बिजली की आपूर्ति कम है कहीं तीन घंटे कहीं चार घंटे और कहीं पांच घंटे बिजली आती है। सोलर लाइट के माध्यम से हम यह पूरे क्षेत्र को कम से कम 2 साल तीन साल 4 साल पांच साल तक के लिये बिजली दे सकते हैं और वह लोग जिन्हें बिजली का कनेक्शन भी मयस्सर नहीं है उनके लिये सोलर लाइट एक बहुत बड़ा वरदान हो सकती है। जो बजट इसमें रखा गया है मान्यवर 18 करोड़ का वह बहुत कम है। हालांकि सिंचाई के लिये भी काफी बजट का प्रावधान रखा गया है 85–86 करोड़ रुपये रखे गये हैं लेकिन जो बजट सोलर लाइट के लिये रखा गया है उसको बढ़ाया जाना चाहिये क्योंकि यदि सब्सिडी वाली सोलर लाइट 19 हजार के बजाय 12 हजार में तो 12 हजार वाली सोलर लाइट के माध्यम से बहुत से घरों में बहुत सी गलियों में बिजली की रोशनी पहुंचायी जा सकती है। कम से कम जो पक्षी विहार और शेरों के प्रजनन केन्द्र के लिये बजट दिया गया है उससे तो ज्यादा लाभदायक यह होगा। मान्यवर, प्रौढ़ शिक्षा वैसे तो यह भारत सरकार का प्रोग्राम है लेकिन एक स्थान पर दिया है 74 करोड़ 69 लाख 54 हजार और फिर 25 करोड़ 67 लाख 25 हजार रुपया एक स्थान पर 182 करोड़ का जिक्र है अगर यह हो सके तो उसको कम करना चाहिये क्योंकि यह योजना बहुत फूटुफुल नहीं मालूम होती है इसलिए जितना मिनीमाइज हो

सके उसे करना चाहिये। मान्यवर छात्रवृत्ति वाली बात को माननीय मौर्या जी ने कही है। मान्यवर छात्रवृत्ति किसी भी हालत में खत्म होना चाहिये था। कक्षा एक से लेकर के कक्षा आठ तक के छात्रों को जो छात्रवृत्ति मिलती आयी है अगर उस छात्रवृत्ति को हम जारी रखेंगे तो मैं समझता हूं कि पूरा सदन माननीय मुख्य मंत्री जी आपको धन्यवाद देगा बधाई देगा। (मेजों की थपथपाहट) इसी आधार पर इसको जारी रखना चाहिये आपको मान्यवर और वह किसी भी हालत में खत्म नहीं होना चाहिये। मान्यवर, जो यह अनुपूरक बजट आया है मान्यवर जिस बात पर दलीय नेताओं की बैठक में चर्चा हुई थी सड़क की, नल की और बाकी सब विषय ऐसे थे तो हमने यह भी कहा था कि इसको भी प्राइज इन्डेक्स से जोड़ दिया जायेगा लेकिन इसमें कहीं उसका जिक्र दिखाई नहीं दिया मान्यवर जो शहरी क्षेत्र के विधायक हैं उनके नल देने की बात थी। माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह वादा किया था कि शहरी क्षेत्र के और सभी विधायकों को 100–100 नल देंगे। मान्यवर ग्रामीण क्षेत्र में कुछ विधायकों को मिले हैं मान्यवर लेकिन शहरी क्षेत्र वाले विधायक अभी भी इस सुविधा से वंचित हैं।

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

मान्यवर, एक भी नल नहीं दिया है शहरी क्षेत्र के विधायकों को। मान्यवर यह पता चला है कि आवास विभाग ने फाइल को ट्रांसफर कर दिया है नगर विकास को कि इसमें आगणन बतायें कि कितना पैसा लगेगा। इस तरह से वह फाइल नगर विकास और आवास विभाग के बीच झूल रही है। माननीय मुख्य मंत्री जी इसमें आप निर्णय ले लें और एक विभाग को तय कर दे जो यह जिम्मेवारी ले ले और शहरी विधायकों को भी नल दे दिये जायें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, शहरी क्षेत्र के विधायकों को भी नल की सुविधा मिलनी चाहिए। मान्यवर, डिस्क्रिमिनियेशन एमंग दि क्लासेस नहीं होना चाहिये। माननीय मुख्य मंत्री जी जब जवाब दें तो इस पर जरुर कहें। मान्यवर एक साल में तो नल मा0 विधायकों को दिये गये थे लेकिन जब अगली बार देने की बात आयी तो वित्तीय वर्ष में जुलाई में उसकी घोषणा होनी थी वह हाउस चला गया मान्यवर। मान्यवर, शहरी और ग्रामीण सभी क्षेत्रों के विधायकों को 100–100 नल मिलने चाहिये।

मान्यवर, यह गन्ना शोध परिषद् शाहजहांपुर में है मान्यवर। और तामिलनाडु का किसान एक हेक्टेयर में 1300 कुंटल गन्ना पैदा करता है। हम लोग उम्मीद करते थे कि गन्ना इस सरकार की प्राथमिकता में है इसकी पैदावार को बढ़ाने के लिये कम से कम अनुपूरक में शोध को बढ़ाने की बात आयेगी मान्यवर इसमें बजट बढ़ेगा। मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है मुझे पता चला है बात भी हुई है कि शायद उसका अपग्रेड करेंगे लेकिन अपग्रेड के साथ साथ आवश्यकता इस बात की है कि वहां के वैज्ञानिकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करें और धन की व्यवस्था करें ताकि गन्ने की पैदावार 600 कुन्तल प्रति हेक्टेयर का एवरेज है और तामिलनाडु में 1300 कुन्तल प्रति हेक्टेयर है,

मान्यवर, यह राष्ट्रीय हित की बात है और प्रदेश हित की बात भी है। 600 कुन्तल के स्थान पर अगर उनको थोड़ा सा प्रोत्साहित किया जाय तो 1000 कुन्तल प्रति हेक्टेयर.....

श्री अध्यक्ष–

अब खत्म करिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, आधे घन्टे कल चल जायेगा हाउस।

श्री अध्यक्ष–

यह जनरल बजट तो है नहीं यह अनुपूरक है अनुपूरक पर तो कभी बहस ही नहीं होता था, अभी और कार्य है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, अंतिम बात कहकर खत्म कर रहा हूं जो आपके सदन में दलीय नेताओं की बैठक में एक चर्चा हुई थी और उसमें यह लगा था कि माननीय मुख्य मंत्री जी और सभी लोग जितने लोग वहां बैठे थे मैं पीठ को तो इंगित नहीं करूंगा लेकिन लगता तो यह था कि सभी लोग उस विचार से सहमत दिखे थे वह बजट में कुछ भी देखने को नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष–

बताओ, वह तो बता ही नहीं रहे हो।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, वेतन भत्ते की बात हुई थी और इस पर सहमति भी बनी थी दलीय नेताओं की लेकिन उसकी मान्यवर, इसमें कोई बात ही नहीं हुई और हमने यह भी कहा था अगर आप लोग सब चाहते हैं तो इसको प्राइस इन्डेक्स से जोड़ दे।

श्री अध्यक्ष–

वह तो ऐक्ट में उसका संशोधन करना पड़ेगा। यह तो अनुपूरक बजट है, वह तो ऐक्ट में संशोधन करके देना पड़ेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

एक पेपर बनकर के आ जाता मान्यवर, और उसी पर हो जाता।

श्री अध्यक्ष–

अभी फिर आप इस बात को आगे रखेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

यह बात हो चुकी थी मान्यवर, हमने सिर्फ याद दिलाया है। मान्यवर, जब मुख्य मंत्री जी जवाब दे तो सभी विधायकों को सड़क और नल यह उनके पिताश्री की परम्परा रही है।

श्री अध्यक्ष–

यह जनरल बजट में होता है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, यह वह चीजें है जो पूरे हाउस के लिए है और पूरे प्रदेश की जनता इन बातों से प्रभावित होकर एप्रीशिएट भी करेगी जो देगा उसका एप्रीशिएशन भी उसको मिलेगा। यह खाली नहीं जायेगा। आपने अनुदान मांगों पर मुझे बोलने का मौका दिया मैं आपको धन्यवाद देता हूं

(श्री प्रदीप माथुर द्वारा बोलने के लिए खड़े होने पर)

माननीय अध्यक्ष जी, नेता जी का जन्म दिन है। नेता जी के जन्म दिन पर तमाम लोग बड़ी बड़ी उम्मीदें लगाये बैठे रहते हैं 6–6 महीने से। माननीय मुलायम सिंह का जन्म दिन है और जन्म दिन के अवसर पर यह कम से कम माननीय मुख्य मंत्री जी जरूर उदारता दिखायें। अगर जन्म दिन पर उनको खुशी है तो पूरे हाउस को भी खुश होना चाहिए। कम से कम हमारे नेता जी का पछत्तरहवां साल, पच्छत्तरहवां साल है मान्यवर। मतलब 25 साल, 50 साल और 75वां साल यह विशेष महत्व रखते हैं। तो यह विशेष महत्व हीरक जयन्ती समारोह मनाने जा रहा है और मैने सुना है कि कहीं से बग्घी आ रही है कोई बहुत कीमती बाहर से और रामपुर में उस बग्घी पर बड़ा समारोह मनेगा। मान्यवर, हमें खुशी है किसी का जन्म दिन मने।

श्री अध्यक्ष–

आपने कह दिया मुख्य मंत्री जी ने सुन लिया बात खत्म हो गयी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात का संज्ञान ले लें। (श्री पूरन प्रकाश द्वारा बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

पूरन प्रकाश जी, आप फिर आ गये पीछे से, आप बैठे।

माथुर साहब आप बोले वह तो ऐसे बोलते रहते हैं उनकी आदत है।

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अध्यक्ष जी, इतना भारी भरकम अनुपूरक बजट एक लम्बे अरसे के बाद आया है। जिसकी रकम टोटल 14 हजार 856 प्वाइंट 13 करोड़, 68 करोड़ है। इसके लिए मुख्य मंत्री जी को सोच को मैं बधाई भी देता हूं पर दूसरी तरफ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी यह बजट जो आपने पहले वाला दिया था मुख्य बजट दिया था यदि आप सारे विभागों का उठाकर देखें, आप यह देखिये कि इन विभागों को कितना बजट स्वीकृत हुआ और कितना खर्च हुआ और उन्हीं विभागों को आपने फिर से सौगात दे दी है। पुराना पैसा खर्च नहीं हो पाया है और आपने और अलॉटमेण्ट कर दिया है। यदि इसका बारीकी से विश्लेषण करें तो आप देख सकते हैं कि नगर विकास विभाग को आपने 4503.36 करोड़ आम बजट में दिया जिसमें कि स्वीकृतियां 19.2 परसेण्ट की हुई। खर्च उन स्वीकृतियों का लगभग 29.9 परसेण्ट हुआ और आपने

अनुपूरक बजट में 584.28 करोड़ का फिर प्रस्तावित कर दिया। ऊर्जा विभाग में आपने 6715.74 करोड़ प्रस्तावित किया और उसमें 38 परसेण्ट स्वीकृतियां हुईं और 52 परसेण्ट खर्च हुआ और फिर आपने 4525 करोड़ रुपयों उसमें और एलॉट कर दिया। इसी तरह माध्यमिक शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग है। समाज कल्याण विभाग में स्वीकृतियां 88.2 परसेण्ट हुईं और खर्च 3.4 परसेण्ट हुआ। मान्यवर, स्थिति यह है। मान्यवर, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं। मान्यवर, स्थिति यही है कि जैसाकि हमारे नेता प्रतिपक्ष और नेता भाजपा ने कहा, जिला योजनाओं में 50 परसेण्ट पैसा मुश्किल से पहुंचा है और यह भी पूर्ववर्ती सरकार जो बसपा की थी उसमें तो जिला योजना में एक भी पैसा नहीं पहुंचा। अब कम से कम 50 परसेण्ट पहुंचा है, परन्तु स्थिति क्या है कि जिला योजनाओं को गंभीरता से नहीं लिया जाता और मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से, सभी सम्मानित कैबिनेट मंत्रियों से आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि इसे वो मॉनीटर करें कि घोषणाओं के बाद, स्वीकृतियों के बाद काम क्यों नहीं होते। जितना आप काम को डिले करेंगे वह काम हो ही नहीं पाएगा। मुख्य मंत्री जी की सोच अच्छी है, विजन अच्छा है। मैं उनको बधाई देता हूं। आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस–वे की उन्होंने स्वीकृतियां करीं, एक नयी दिशा दी और पुराना वाला जो यमुना एक्सप्रेस–वे हैं उस पर भी डेवलेपमेण्ट की बात हो रही है और आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस–वे जब बन जाएगा तो दोनों तरफ तमान शहरों में एक नये शहर डेवलप होंगे, नया डेवलपमेण्ट होगा, नये मामले विकसित होंगे और मान्यवर स्थितियां यह है कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग, संस्कृति विभाग और खेल विभाग, माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा करी कि जो ओलम्पिक्स में गोल्ड मेडल लाएगा उसको छः करोड़, जो सिल्वर मेडल लाएगा उसको चार करोड़, जो ब्रांज मेडल लाएगा उसको दो करोड़ और मान्यवर उत्तर प्रदेश के जनपदों के स्टेडियम्स का हाल देखिये। अनुपूरक बजट में उनके रिवाईवल का और उनको ठीक करने का कोई फण्ड नहीं है। आप देखिये उत्तर प्रदेश में स्टेडियमों में भैंसें चरती हैं। कुछ ही जनपदों में स्टेडियम ठीक हैं वरना इतना पुरसाहाल है। यदि माननीय मुख्य मंत्री जी खेल प्रेमी हैं तो इनको इस तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। स्वीमिंग पूल सूखे पड़े हैं और कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है तो आप वहां खेलों को बढ़ावा कैसे देंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी, आप उन स्टेडियम्स को पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप में तमाम आने वाले लोग हैं, आप उनको दे सकते हैं कि स्टेडियम्स चल सकें। इसी तरह पर्यटन विभाग उत्तराखण्ड जाने के बाद उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग का बहुत स्कोप है, पर बजट कितना देते हैं 80 करोड़, अनुपूरक में आपने कुल 25 करोड़ दे दिया। अरे, टूरिज्म का बजट तो आपका 400 करोड़ का होना चाहिए। सबसे ज्यादा पैसा आप टूरिज्म से जेनरेट कर सकते हैं। जब आप इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, जब आप दुनियाभर के लोगों को बुलाते हैं तो जब तक आप टूरिज्म के लिये माहौल नहीं क्रियेट करेंगे तब तक बाहर वाले लोग कैसे आएंगे। तो आपने अनुपूरक बजट में उसकी व्यवस्था भी नहीं की है। यही हालत उत्तर प्रदेश में संस्कृति विभाग की भी है। आप कल्चर और हेरिटेज की बात करिये। उत्तर प्रदेश हेरिटेज से परिपूर्ण है। ऐसी–ऐसी पुरानी बिल्डिंग्स हैं जिन्हें आप डेवलप कर सकते हैं। आप तमाम संस्कृति पर आधारित कार्यक्रम करा सकते हैं, पर

बजट का हाल देखिये कि शर्म आती है उस बजट को देखकर, संस्कृति विभाग और पर्यटन विभाग को जो बजट आपने दे रखे हैं। इसको मैं चाहूंगा कि खेल विभाग को जो आपने बजट दे रखा है यह तीनों चीजों में पोटेन्शियल है जिसमें आप नेशनल और इंटरनेशनल लेविल पर काम कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी को कहना चाहूंगा, हम आपकी इस बात के लिये तारीफ करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लाने के लिये, इंडस्ट्रीज को लाने के लिये, कोलेशन करने के लिये और तमाम बड़े–बड़े प्रोजेक्ट्स लाने के लिये आप विदेशों से लोगों को बुला रहे हैं। आप मीटिंग्स कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, परन्तु आप उन इंडस्ट्रियल एरियाज को देखिये, जो यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के इंडस्ट्रियल एरिया हैं, यह सब बीमार और रूग्ण हैं। सारी औद्योगिक ईकाइयां बंद हैं आपको कोई प्रावधान ऐसा भी करना होगा कि जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं, उनके रिवाइवल के लिये भी कोई प्रोपोजिशन बनाना पड़ेगा। वन टाइम सेटिलमेंट कराना होगा। आपको वह नीति नहीं अख्तियार करनी होगी कि जो मर गया वह मर गया, उसे आप जिन्दा करने की बात ही नहीं करिये। आप नये लोगों को लाने की बात कर रहे हैं, पुराने जो बिस्तर पर पड़े हैं, बीमार हैं, पहले उनको आप तन्दुरुस्त करिये, उनके लिये कोई परियोजना बनाइये। मैं समझता हूं कि यह भी आपकी एक अच्छी पहल होगी, लेकिन इन्डस्ट्री के बजट में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

माथुर जी, अब आप खत्म करिये।

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अध्यक्ष जी, खन्ना साहब ने कहा कि लोहिया ग्राम और जो जनेश्वर मिश्र ग्राम हैं, उनको पूरा संतृप्त कराइये। मान्यवर, होता क्या है कि 20 लाख, 30 लाख रुपये के आपने जो पैरामीटर्स बना रखे हैं, उनसे गांव की कोई संतृप्ति नहीं होगी। पिछली सरकार की हम इस मामले में तारीफ करेंगे कि अम्बेडकर गांव को यह लोग पूरा सेचुरेट कराते थे। बाद में पता नहीं इन्होंने क्या–क्या किया, सारा पैसा इन्होंने हाथी पर लगा दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री जो इनकी पार्टी के नम्बर वन हैं, उन्होंने गंगा के लिये बजट एलाट कर दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो पवित्र नदियां हैं, उसमें यमुना के लिये एक पैसा एलाट नहीं किया। इसी तरह हिन्डन, गोमती सहित तमाम नदियां ऐसी हैं जो पर्यावरण की दृष्टि से बहुत बुरी स्थिति में हैं, मैं चाहूंगा और यह अच्छा होता कि माननीय मुख्य मंत्री जी उनसे पहले इन नदियों के लिये भी कुछ पैसा एलाट करते और अपनी पहल दिखाते।

श्री अध्यक्ष–

माननीय माथुर साहब, अब समाप्त करें। आपको बहुत ज्यादा टाइम हो गया बोलते। अब आप बंद करिये।

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी के पिताजी बहुत सहृदय हैं और मुख्य मंत्री जी भी बहुत सहृदय हैं और यह अपने पिताजी के ही रास्ते पर चल रहे हैं। अब उनकी 75वीं हीरक जयन्ती है, ईश्वर उनको शतायु करे। उनके जन्मदिन के अवसर

पर आपको अपना खजाना इन 403 एम0एल0एज0 के लिये खोल देना चाहिये। स्थिति यह है कि ...

(बीच में श्री मनीष असीजा जी द्वारा टोकाटाकी किये जाने पर–व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

असीजा जी, आप बैठिये।

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अध्यक्ष जी, यह तो झगड़ा कराने के अलावा और कोई काम नहीं करते। जैसे कि माननीय मुख्य मंत्री जी के पिताजी ने प्रत्येक विधायक को सात किमी0 सड़कें दी थीं तो आप भी कम से कम 10 किमी0 सड़क प्रत्येक विधायक को दें। इसके अतिरिक्त, माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि शहर और ग्रामीण अंचल के लिये हैन्डपंप भी दें। इसके अतिरिक्त दलीय नेताओं की बैठक में मैनें ही यह बात शुरू की थी, कहने में भी शर्म आती है कि विधायकों का वेतन 8 हजार रुपये है और बाकी भत्ते हैं। कम से कम जहां प्रोटोकाल की बात है, उसमें तो ध्यान रखिये कि क्या स्टेट्स होना चाहिये। पूर्व विधायकों की पेंशन का जहां तक सवाल है, क्योंकि सभी को पूर्व होना है, पूर्व विधायकों की पेंशन भी बढ़ना चाहिये। इसके अलावा इस समय डीजल, पेट्रोल, सीमेंट, बालू आदि के दाम बहुत बढ़ चुके हैं और क्षेत्रीय विकास निधि जो डेढ़ करोड़ की है, उससे कोई सड़कें नहीं बन पातीं, मुश्किल से तीन किमी0 सड़क डेढ़ करोड़ में बनती है उसको भी देखते हुए आप रेट को बढ़ाइये, इसी तरह से रेल कूपन।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें, अब आप बन्द कीजिए, कृपया बैठ जाएं, अब और कोई नहीं बोलेगा यह कोई जनरल बजट नहीं है जिस पर भी लोग बोलें, यह तो एक परम्परा चल गई नहीं तो पहले यह भी नहीं था। अब आप कृपया बैठ जाएं।

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, कन्क्लूड कर दूं। मा0 अध्यक्ष जी, बाकी सब ठीक है और हमें उम्मीद भी है कि मुख्य मंत्री जी प्रदेश को आगे लेकर जायेंगे। परन्तु जब सब विधायकों को आप खुश कर रखेंगे, उनके क्षेत्र को खुश रखेंगे तभी यह प्रदेश आगे जा पायेगा। आप धर्मनिरपेक्ष और साम्प्रदायिक ताकतों में फर्क जानते हैं मुझे उम्मीद है कि मा0 मुख्य मंत्री जी इन सारी बातों पर ध्यान देंगे।

श्री दलवीर सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, जब हमारा बोलने का नम्बर आया तो मा0 मुख्य मंत्री जी चले गये। मान्यवर, शेर, चीते, भेड़िया, इन सभी पर चर्चा हो गई। सबने महत्वपूर्ण आंकड़े डाटा यहां पेश कर दिया। ये लोग लाइब्रेरी में आठ–आठ घण्टे पढ़ करके आये हैं लेकिन असली लाइब्रेरी जिससे हम लोग दिन–प्रतिदिन के जीवन में सीखते हैं उस पर किसी ने कोई चर्चा नहीं की। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान सबसे पहले इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जब एक विधायक एक नल के लिए डी0एम0 और

सी0डी0ओ0 के पास गिड़गिड़ाता है तो बड़ी शर्म आती है। इस सरकार ने पहले सौ–सौ हैण्डपम्प दिये थे वह बन्द कर दिये। विधायक जब गांवों में जाता है तो उससे सबसे पहले नल मांगे जाते हैं जब विधायक एक नल भी नहीं लगवा सकता तो काहे का विधायक, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि सौ–सौ नल जरूर विधायकों को दें। दूसरी बात आती है वेतन भत्ते की, सबके मन में लड्डू फूट रहे हैं पीछे–पीछे सब कहते हैं कि वेतन बढ़ जाये इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वेतन जरूर बढ़ना चाहिए क्योंकि हमसे ज्यादा वेतन तो क्लेरिकल और फोर्थ क्लॉस का है। वेतन या तो बढ़ा दो या तो वेतन ख ग ग ग , को पूरा ही खत्म कर दो।

श्री अध्यक्ष–

अरे यह शब्द कहां से ले आये, यह शब्द कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

श्री दलवीर सिंह–

मान्यवर, वेतन होने से क्या फायदा, विधायक निधि से डेढ़ किलोमीटर सड़क बनती है इसलिए इसे पूरा खत्म कर दो क्योंकि इससे विधायकों पर इल्जाम लगता है कि विधायक सब खा गये जबकि विधायक उसमें से बेचारा एक पैसा भी नहीं खा सकता है और लोग दिन–रात उसके कपड़े खींचते रहते हैं कि डेढ़ करोड़ रुपया कहां आया और कहां चला गया। आप सब खत्म कर दो बिल्कुल ईमानदारी से ये 403 विधायक जनता की सेवा करेंगे यह मैं सबकी ओर से कह रहा हूं ये लोग एक पैसा भी वेतन नहीं लेना चाहते हैं और यह त्याग ब्यूरोक्रेसी के लोग भी करें और जो मंत्री हैं वह भी करें। जो सही बात है उसे करना चाहिए, अभी सभी लोगों ने अपनी–अपनी बात कही, नल आप दे नहीं सकते, विधायक निधि हमारी बढ़ नहीं सकती, तनख्वाह हमारी बढ़ नहीं सकती, पुराने विधायक आते हैं उनकी कमर झुकी हुई है डंडा लिये हुए हैं, उनकी पेंशन बढ़ाने के नाम पर पिछली बार बड़ा भव्य आयोजन किया गया और जब घोषणा हुई तो मात्र एक हजार रुपए की घोषणा हुई। इन सारी बातों पर गम्भीरता से बात करें मैंने सदन की भावना से अवगत करा दिया कि या तो पूरा वेतन खत्म कर दें या जितना भी वेतन अन्य प्रदेशों के विधायकों को मिलता है उस तरह से सभी विधायकों को मिलना चाहिए मैं समझता हूं कि पूरा सदन इससे सहमत होगा।

(सदन के सभी मा0 सदस्यों ने हाथ उठाकर सहमति जताई।)

हम सब इस सदन में बैठे हैं, इस सदन में पूर्वांचल की बात हुई, मध्यांचल की बात हुई, झांसी और बुन्देलखण्ड की बात हुई लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नहीं हुई। मा0 अध्यक्ष जी तो पूरब के हैं उन पर आरोप नहीं लगाया जा सकता। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के यहां सभी दलों के नेता और विधायक बैठे हैं, सहारनपुर, बिजनौर, गाजियाबाद, मेरठ, हाथरस, बुलन्दशहर, अलीगढ़, आगरा व मथुरा तक कोई भी परियोजना का एक

---

uksV %&[x x x] ;g va'k Jh v/;{k ds vkns'kkuqlkj dk;Zokgh ls fudky fn;k x;kA

नाम आप बता दीजिए। जैसे अन्य जिलों में परियोजना चलायी, कहीं किसी तरह की, कहीं किसी तरह की एक भी परियोजना नहीं चलायी।

(इसी बीच माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में उपस्थित हुए।) माननीय मुख्य मंत्री जी आ गये, अच्छा हुआ।

(सत्तापक्ष के मा0 सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

श्री अध्यक्ष–

अब खत्म करिये।

श्री दलवीर सिंह–

अगर सदन इजाजत दे तो मैं रिपीट कर दूं।

श्री अध्यक्ष–

एक बात जो सदन में आपने कह दी उसको दोबारा नहीं कहा जाता।

(श्री सुदेश शर्मा के खड़े होकर कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष–

शर्मा जी, आप बैठिये।

श्री दलवीर सिंह–

माननीय मुख्य मंत्री जी, आप पक्ष–विपक्ष के सभी मा0 सदस्यों के संरक्षक हो और आपके कार्यकाल में एक विधायक, एक नल के लिए, कलेक्टर के सामने, सी0डी0ओ0 के सामने गिड़गिड़ाये कि डी0एम0 साहब हमारे फलाने गांव में एक नल लगवा दो तो यह आपको सोचना है। आपके कार्यकाल में विधायकों की तनख्वाह वेतन–भत्ता कम है हिन्दुस्तान में इतना कम वेतन–भत्ता किसी भी प्रदेश में नहीं है। रिपोर्ट आपने मंगा ली होगी और देख भी लिया होगा। हम सब लोग बहुत त्यागी, तपस्वी और जनसेवक के रूप में यहां आये हैं। मेरा सुझाव है कि हम 403 विधायकों का वेतन भत्ता या तो कतई खत्म कर दो या फिर जैसे अन्य प्रदेशों में मिल रहा है कृपया उतना जरूर कर दें। इसके समर्थन में सभी माननीय सदस्य हाथ उठायें। (सत्तापक्ष व विपक्ष के अधिकांश मा0 सदस्यों ने समर्थन में हाथ उठाये।) मान्यवर, पूरे सदन ने हाथ उठाया है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

यह अच्छा सुझाव है लेकिन यह जितना हिसाब बनेगा उसमें से वह 15 लाख रुपये हम काटना चाहेंगे जो विदेशों से आने वाला है। (सदन में हंसी)

श्री दलवीर सिंह–

कहीं नहीं आ रहा है, यह बेकार की झूठी बात है।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करिये। नियम–56 की बहुत सी सूचनायें हैं।

श्री दलवीर सिंह–

माननीय मुख्य मंत्री जी, पूरा बजट मैंने पढ़ा और सुना। मैं पढ़ता–लिखता नहीं हूं, मेरा इससे ज्यादा मतलब नहीं है। व्यावहारिक चीजें जो फील्ड में देखता हूं, सुनता हूं वह मैं बताता हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई भी प्रोजेक्ट इन जिलों में नहीं चलाया गया है। सबने अपनी–अपनी बातें कही हैं मेरा सुझाव है कि आपने बहुत अच्छा किया बिजली के लिए और सड़कों के लिए पैसा दिया। इन्हीं चीजों पर पैसा देना चाहिए बाकी सब बेकार की खामखा की योजनायें हैं, इनसे कोई फायदा नहीं है। देखिये सामान्य बिजली के कनेक्शन सभी विधायकों के क्षेत्र में जो जनरल कनेक्शन हैं बहुत कन्जेंसी है उसमें आप बजट बढ़ा दें, बढ़ाया भी है आपने, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दो ऐसे मिल हैं एक छाता और एक साठा, इनको चलाने के लिए भी आप कोई प्रॉविजन चलायें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। लोहिया गांवों की योजना आपने चलायी है, बढ़िया योजना है, इस योजना से अच्छी योजना जनेश्वर मिश्र योजना है, बहुत अच्छी है पूरे प्रदेश में। जहां भी हमको एक–आध गांव मिल गया है या जिसको भी मिल जाता है वहां बहुत चौकस काम हो रहा है। बी0एस0पी0 की सरकार में जब अम्बेडकर गांवों का चयन हुआ था तो शुरू में ईमानदारी बरती गयी लास्ट में यह कह दिया गया कि एक मोहल्ले को छोड़कर सबको छोड़ दिया जाए। अगर आपके जिले में जनेश्वर मिश्र योजना चल रही है जिन गांवों में अम्बेडकर योजना में मोहल्ले छोड़ दिये गये थे अब आप उसको पूरा करा दें। आप इस योजना में पैसा बढ़वायें। सौर ऊर्जा बहुत अच्छा काम कर रही है, अभी खन्ना साहब ने बहुत अच्छे ढंग से रखा, सभी लोग सहमत हैं। किसानों के लिए अगर आप 90 प्रतिशत सब्सिडी दे दें, प्राइवेट ट्यूबवेलों के लिए तो बड़ा उपकार का काम आपका होगा। प्राइवेट ट्यूबवेल कनेक्शन अगर मिल जायेंगे तो किसानों को फायदा होगा। सड़क, नल, बिजली आपने काफी कोशिश की है इस बजट में प्रॉविजन भी किया है इतनी सख्ती कराओ कि पैसे का प्रयोग समय पर हो जाये। आपके जो अधिकारी जाते हैं आपका नुमाइन्दा बन करके वह केवल देख करके चले आते हैं वह दबाव नहीं बनाते। अगर आपका दबाव बनेगा तो पैसे का जल्दी उपयोग होगा।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करिये।

श्री दलवीर सिंह–

मान्यवर, सुन लीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, शेर, चीते, हिरण सबकी बात हुई.....

पूरे उत्तर प्रदेश में एक काला हिरण का क्षेत्र है, यह हमारे यहां अलीगढ़ जनपद में है।

(सत्ता पक्ष के एक माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे यहां भी है)

आपके यहां भी है, बहुत अच्छी बात है। पूरे प्रदेश में दो हो गये हैं। दो ही तो हैं, इससे ज्यादा तो नहीं हैं। काला हिरण के लिए भी कुछ योगदान आप दे दीजिए। अब रही बात विधायक निधि की। विधायक निधि के संबंध में। ये तो 72–74 एम0पी0 हो गये हैं, लोकसभा से हम तो सब करीब–करीब खत्म हो गये हैं, हमारा तो कहीं कुछ है नहीं।

इन विधायकों की विधायक निधि कम से कम ढाई करोड़ रुपये हो जाये तो अच्छा हो जायेगा। आप विधायक निधि बढ़ाये और वेतन भत्ता बढ़ाये और इन पर आप थोड़ी मेहरबानी करें। सबसे सुन्दर दिन आ रहा है, 22 तारीख को। इस तारीख को नेता जी का जन्म दिवस है। उस दिन जब यह घोषणा होगी, तो पूरा देश देखेगा। आज आप वायदा कर दें, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुख्य मंत्री जी, क्या आप अपनी बात रखेंगे ?

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)–

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता विरोधी दल माननीय मौर्या जी ने अपनी बात रखी, भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय खन्ना साहब, कांग्रेस के नेता श्री प्रदीप माथुर जी और माननीय सदस्य श्री दलवीर सिंह जी ने अपनी बात रखी। हमारी पार्टी के माननीय सदस्य जाहिद बेग जी ने भी अपनी बात रखी। मैं इन सभी माननीय सदस्यों को उनके सुझावों और दिए गए राय–मशविरा के लिए धन्यवाद देता हूं। यह जो सप्लीमेण्ट्री बजट आया है, इसमें कुछ योजनायें तो पहले से चल रही हैं, कुछ नई योजनाओं को भी इसमें शामिल किया गया है और मैं कह सकता हूं, आंकड़े जो सामने हैं, बजट देरी से पास हुआ था, उसके बावजूद भी सरकार ने पहले से ज्यादा बजट खर्च किया है। चाहे कुछ भी रहा है, जिसके बारे में आपने कहा है उसके बारे में भी नई योजनायें बनाई हैं और उसमें भी काफी तेजी से पैसा खर्च हो रहा है। सरकार की कोशिश यह है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर और गांव के विकास से जुड़ा जो इस बजट में शामिल किया गया था सरकार ने उन्हीं कामों को तेजी से बढ़ाने के लिए आपके बीच और सदन के सामने सप्लीमेन्ट्री बजट रखा है। माननीय सदस्य कह रहे थे कि जो घोषणायें की गई हैं इस सरकार की तरफ से और नेता विरोधी दल ने कहा कि वे पूरी नहीं होती हैं। मैं यह कह सकता हूं कि समाजवादी सरकार जब से बनी है और इस समाजवादी पार्टी ने जनता के बीच में अपना घोषणा–पत्र रखा था, इन ढाई साल के अंदर कोशिश की है और बजट के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा योजनायें शामिल की हैं और कोई भी घोषणा ऐसी नहीं थी कि जिसको समाजवादी पार्टी पूरा नहीं कर पाई। यह देश में पहली सरकार होगी, जो अपने घोषणा–पत्र के आधार पर चल रही है।

अभी नेता विरोधी दल ने यह कहा कि हमारी जितनी भी योजनायें हैं, वह सब नकल की हैं। हमारे पास योजनायें नकल की नहीं है, लेकिन हमारे पास एक माननीय सदस्य भी हैं, बिल्कुल नकल के आपके। जितना तेजी से आप बोलते हैं, उसी के बराबर की तेजी से वह बोलते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आप ऊपर से देख सकते हैं दोनों एक तरह के हैं। माननीय अध्यक्ष जी, तो कहीं किसी तरह की नकल नहीं की गई है। जिस योजना के बारे में आपने कहा कि पेंशन योजना को हम लोगों ने नकल किया है। अगर ठीक तरीके से माननीय नेता विरोधी दल हमारी समाजवादी पेंशन योजना की जानकारी कर लेते तो वह पाते कि यह एक ऐसी योजना है जिसमें हर वर्ग को शामिल किया गया है। हमारी कोशिश यह है कि गरीब के पास मदद पहुंच जाये और जिस बड़े पैमाने पर

यह योजना शुरू की गई है पूरे देश में कोई भी प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से इतनी बड़ी योजना नहीं चला पा रही है। हम जो समाजवादी पेंशन योजना चलाने जा रहे हैं, उसमें यह पेंशन बढ़ेगी भी। 40 लाख परिवारों की महिला सदस्यों को हमने उसमें शामिल किया है। आने वाले समय में इसको बढ़ाएंगे भी। मैं पूछना चाहता हूं आपकी जानकारी में होगा आप कोई योजना बता दीजिए जिसमें 40 लाख परिवारों को लाभ पहुंचा हो इसमें सभी वर्गों को शामिल कर रहे हैं। आपकी भी योजना थी वह सीमित थी इसके साथ साथ यह कहा गया कि आगरा और दिल्ली को जोड़ने वाली सड़क की हम लोगों ने नकल की है। जो आपने यमुना एक्सप्रेस–वे बनाया कितनी जमीन उसमें शामिल कर दी कितना बड़ा लैण्ड पैकेज दे दिया कितने किसानों पर झूठे मुकदमें लगे। कितने किसानों को जेल जाना पड़ा और कई वर्षों तक किसानों को जेल में रहना पड़ा। आप बता दीजिए यह जो सड़क बनने जा रही है अगर एक भी लैण्ड पार्सल किसी को दिया गया हो तो वह बता दीजिए मैं इसके साथ–साथ किसानों को धन्यवाद भी दूंगा माननीय सदस्य भी यहां बैठे हैं जिन–जिन के क्षेत्रों से यह सड़क गई है एक भी किसान को इस पर शिकायत नहीं है। जो सरकार की तरफ से मुआवजा मिल रहा है वह पूरा दे रहे हैं। आपकी तो केवल 150 कि0मी0 थी उससे भी कम और आपने बनाने में कितना टाइम लगाया एक सरकार दो सरकार तीसरी सरकार में जाकर वह पूरी हुई यह आगरा लखनऊ एक्सप्रेस–वे जो है यह 302 कि0मी0 लम्बा है माननीय सदस्य आगरा के बैठे हैं अगर वह आगरा के इनर सर्किल को जोड़ दें तो मैं कह सकता हूं देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस–वे यह बन रहा है और भी किसानों ने अभी तक आन्दोलन नहीं किया है यह इसलिए क्योंकि किसानों के पक्ष में ही उनकी सहमति से यह जो लैण्ड एक्यूजीशन ऐक्ट है उसका पालन करके पूरा का पूरा मुआवजा किसानों को दिया जाय। अगर एक भी किसान की शिकायत हो तो वह बताइए कोशिश की है कि यह समय पर ही पूरी हो जाएगी। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि आपकी जो तीन सरकारों में पूरी हुई है इसमें यह कोशिश होगी कि जब तक सरकार दुबारा चुनाव में जाय तब तक यह एक्सप्रेस–वे बनकर तैयार हो जाएं। फिर आपने सुझाव भी दिए कि शेरों को कैसे रखा जाय आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो गुजरात से शेर आए हैं वह स्वस्थ हैं और बहुत जल्दी उनका परिवार भी बढ़ जाएगा। अब आप नहीं हंसेंगे परिवार बड़ा होगा और शेर बाहर भी आ जाएंगे। दुःखद यह है कि जो शेर हम नहीं बचा पाए कोशिश की थी कि उनके साथ ऐसी घटना न हो और जितने भी डाक्टर्स और एक्सपर्ट की जरूरत थी एक्सपर्ट डाक्टरों से राय ली बाहर से भी राय लेनी पड़ी तो बाहर से राय ली जो भी मेडिकल फैसिल्टी दे सकते थे वह देने की कोशिश की लेकिन हम उन्हें नहीं बचा पाए मैं जानता हूं कि लायन सफारी बहुत जल्दी चालू हो जाएगी। इसके साथ–साथ दो चीजें और हम जोड़ रहे हैं एक जानवर जिसके बारे में आप कहना नहीं चाहते थे नाम नहीं लेना चाहते थे एक बहुत अच्छा उस लायन सफारी के बगल में एलीफेंट रेस्क्यू सेंटर बना रहे हैं।

यह तो किसी न किसी को सूचना देनी पड़ेगी कि कौन खतरे में हैं जिसको रेस्क्यू सेंटर पर ले जाएं। आपने जो सुझाव दिए कि मैनपुरी की समायन पक्षी बिहार है

उसके लिए भी बजट में पैसा है। हमारे बी0जे0पी0 के माननीय सदस्यों ने बेरोजगारी भत्ता की बात की बेरोजगारी भत्ते के बारे में हमारे आदरणीय आजम साहब ने बता दिया कि आप ही लोग इन चीजों का विरोध करते थे बड़े पैमाने पर जनता के बीच में विरोध किया आपने कहा कि बेरोजगारी भत्ता क्या हम आपको नौकरियां देंगे अब पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश के ही नहीं देश के नौजवान देख रहे हैं कि आप कब रोजगार देंगे, रोजगार का इंतजाम करेंगे। हास्पिटल में बेड बढ़ाने का आपने सुझाव दिया इधर सरकार ने बढ़ाना शुरू किया है नए मेडिकल कालेज भी बनाए हैं जोड़े हैं लखनऊ में क्योंकि पी0जी0आई0 पर बहुत प्रेशर है मरीजों का इसके साथ–साथ के0जी0एम0यू0 में भी बेड बढ़े हैं। लोहिया हास्पिटल में भी बेड बढ़ाए हैं इसके साथ–साथ जो उत्तर प्रदेश में मेडिकल कालेज बन रहे हैं चाहे वह बांदा में हो झांसी में भी 500 बेड दे दिया यह सही है कि हास्पिटल में बेड बढ़े हैं। इसके साथ–साथ डाक्टरों, पैरा मेडिकल की भी संख्या बढ़ी है जो काम सरकार ने किया है ढाई साल के अन्दर देश में किसी सरकार ने नहीं किया होगा। एम0बी0बी0एस0 में 500 सीट्स बढ़ाईं। अभी इस क्षेत्र में और काम करना है क्योंकि अगर फैसिलिटी देनी है मेडिकल की तो कहीं न कहीं हमें डाक्टर्स की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, पैरा मेडिकल स्टाफ को भी बढ़ाना पड़ेगा। किसी ने सही कहा है कि आने वाले समय में तीन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा काम की जरूरत है, तीन क्षेत्र सबसे ज्यादा बढ़ेंगे। एक है मेडिकल का मेडिसिन का क्षेत्र, दूसरा है आई टी सेक्टर और तीसरा है रिलीजन और टूरिज्म। इन क्षेत्रों पर सरकार ध्यान दे रही है और लगातार काम कर रही है। सोलर इनर्जी के बारे में आपने कहा, इस पर सरकार पहले से काम कर रही है। क्योंकि यह एक सप्लीमेंट्री बजट है, मेन बजट में आप देखेंगें कि सोलर इनर्जी पर और तेजी से हम लोग काम करेंगे, जिससे कि गरीब को कम से कम एक बल्ब पंखा मिल जाय। यह पहली बार व्यवस्था हुई है लोहिया आवासों में जहां एल0ई0डी0 के दो बल्ब और पंखा मिल रहा है। गांव में बिजली आये न आये लेकिन जिस घर में एल0ई0डी0 का इन्तजाम है, लाईट का इंतजाम है वहां बिजली भी है और पंखा भी है। आपने कहा कि आपके यहां गन्ना शोध संस्थान है, उस पर काम होना चाहिए। मैं जब शाहजहांपुर गया था मैंने घोषणा की थी कि बहुत अच्छी संस्थान है, उस पर और काम करना चाहिए। लेकिन जिस तरह के रिजल्ट आने चाहिए थे वह रिजल्ट नहीं आये। आप ठीक कहते हैं कि हमारे किसान को जानकारी हो और हमारे किसान का जो गन्ना पैदा हो उसका कम से कम और प्रदेशों से बेहतर गन्ना पैदा हो इसलिये तय किया है कि जहां शोध संस्थान है उसको रिसर्च यूनीवर्सिटी का दर्जा देकर उसको डेवलेप किया जाय जिससे प्रदेश के आस–पास के पूरे के पूरे किसानों को लाभ मिले। इसके साथ–साथ हमारे माननीय सदस्य श्री प्रदीप माथुर जी ने बहुत अच्छी राय दी है टूरिज्म कल्चर हेरिटेज पर, जिस शहर से आप आते हैं वहां टूरिज्म बहुत ज्यादा है, बहुत पुराना शहर है। इस पर सरकार पहले से ध्यान दे रही है यह पहली बार हुआ है हेरिटेज पॉलिसी लाये हैं। टूरिज्म पर इतना तेजी से काम कभी नहीं हुआ जहां गोल्डेन ट्राएंगिल की बात पूरा देश करता है। समाजवादी पार्टी की सरकार ने कोशिश की है कि हेरिटेज आर्क तैयार करें। जिसमें बनारस, लखनऊ और आगरा और मथुरा भी उसी में पार्ट है तो कहीं न कहीं कोशिश की है। इसके साथ ही सरकार ने बहुत काम किये हैं। बजट में खर्चा हुआ है और कई

योजनाएं जो नई शामिल की हैं अगर आप ध्यान से पढ़ते तो पाते कि बहुत सारे इन्फ्रास्ट्रक्चर के ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें पैसा देना जरूरी है और कुछ खर्च भी हुआ है। माननीय सदस्य आदरणीय दलवीर सिंह जी ने कहा कि यह सप्लीमेंट्री बजट है इसमें बहुत ज्यादा घाटा हुआ है इसीलिये इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि जब आयेगा असली बजट मेन बजट तो उसमें और जितने विधायक पूरे देश में हैं, उन्हें क्या मिलता है क्या नहीं, इस पर पूरी जानकारी करके माननीय अध्यक्ष जी को मनाकर फिर प्रस्ताव ले आयेंगें। मैं माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से अपील करूंगा कि इस सप्लीमेंट्री बजट को पास किया जाय। बहुत–बहुत धन्यवाद।

अनुदान संख्या–02 आवास विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–02 आवास विभाग के अन्तर्गत 1,27,19,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–02 आवास विभाग के अन्तर्गत 1,27,19,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–03 उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–03 उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत 4,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–03 उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत 4,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–06 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)

वस्त्र उद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री शिव कुमार बेरिया)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–06 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत 20,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कि अनुदान संख्या–06 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत 20,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–07 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–07–उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 1,41,66,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–07–उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 1,41,66,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–08 उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–08–उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री) के अन्तर्गत 3,00,000,00 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–08–उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री) के अन्तर्गत 3,00,000,00 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–09 ऊर्जा विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–09–ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 45,25,60,13,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–09–ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 45,25,60,13,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास)

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री (श्री पारस नाथ यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–10–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के अन्तर्गत 6,07,17,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–10–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के अन्तर्गत 6,07,17,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–11–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 3,81,00,58,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–11–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 3,81,00,58,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–13–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत 13,98,41,67,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–13–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत 13,98,41,67,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)

पंचायती राज मंत्री (श्री कैलाश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–14–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत 9,21,99,08,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–14–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत 9,21,99,08,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)

लघु सिंचाई तथा पशुधन मंत्री (श्री राज किशोर सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–15–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत 68,37,97,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–15–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत 68,37,97,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)

दुग्ध विकास मंत्री (श्री राम मूर्ति वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–16–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 60,25,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–16–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 60,25,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–17–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत 14,03,35,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–17–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत 14,03,35,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–18 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–18–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत 66,55,35,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–18–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत 66,55,35,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–21 खाद्य तथा रसद विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–21–खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 14,06,76,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–21–खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 14,06,76,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–22 खेल विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–22–खेल विभाग के अन्तर्गत 29,92,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–22–खेल विभाग के अन्तर्गत 29,92,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–23 गन्ना विकास विभाग (गन्ना)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–23–गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत 10,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–23–गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत 10,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–24 गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–24–गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत 5,00,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–24–गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत 5,00,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–25 गृह विभाग (कारागार)

कारागार मंत्री (श्री बलराम यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–25–गृह विभाग (कारागार) के अंतर्गत 35,14,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिए स्वीकार की जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–25–गृह विभाग (कारागार) के अंतर्गत 35,14,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिए स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–26 गृह विभाग (पुलिस)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–26–गृह विभाग (पुलिस) के अंतर्गत 1,10,09,47,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिए स्वीकार की जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–26–गृह विभाग (पुलिस) के अंतर्गत 1,10,09,47,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिए स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–31–चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–31–चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अंतर्गत 1,77,75,71,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिए स्वीकार की जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–31–चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अंतर्गत 1,77,75,71,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिए स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री शंख लाल मांझी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–32–चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अंतर्गत 2,55,83,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिए स्वीकार की जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–32–चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अंतर्गत 2,55,83,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिए स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–33–चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अंतर्गत 4,53,24,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिए स्वीकार की जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–33–चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अंतर्गत 4,53,24,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिए स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–35 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री शंखलाल मांझी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–35–चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अंतर्गत 7,69,99,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिए स्वीकार की जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–35–चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अंतर्गत 7,69,99,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिए स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–37 नगर विकास विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–37–नगर विकास विभाग के अंतर्गत 5,94,28,49,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिए स्वीकार की जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–37–नगर विकास विभाग के अंतर्गत 5,94,28,49,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिए स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–39 भाषा विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–39–भाषा विभाग के अंतर्गत 53,90,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिए स्वीकार की जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–39–भाषा विभाग के अंतर्गत 53,90,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिए स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–40 नियोजन विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–40–नियोजन विभाग के अन्तर्गत 4,06,32,46,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–40–नियोजन विभाग के अन्तर्गत 4,06,32,46,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–41 निर्वाचन विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–41–निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत 2,30,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–41–निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत 2,30,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–42 न्याय विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–42–न्याय विभाग के अन्तर्गत 28,50,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–42–न्याय विभाग के अन्तर्गत 28,50,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–43 परिवहन विभाग

परिवहन मंत्री (श्री दुर्गा प्रसाद यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–43–परिवहन विभाग के अन्तर्गत 1,39,15,21,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–43–परिवहन विभाग के अन्तर्गत 1,39,15,21,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–44 पर्यटन विभाग

पर्यटन मंत्री (श्री ओम प्रकाश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–44–पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 32,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–44–पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 32,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–45 पर्यावरण विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–45–पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत 5,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–45–पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत 5,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–46 प्रशासनिक सुधार विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–46–प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत 5,25,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–46–प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत 5,25,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–47 प्राविधिक शिक्षा विभाग

प्राविधिक शिक्षा मंत्री (प्रो0 शिवाकान्त ओझा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–47–प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 14,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–47–प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 14,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–48 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–48–अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत 35,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–48–अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत 35,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–49 महिला एवं बाल कल्याण विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–49–महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत 1,01,10,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–49–महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत 1,01,10,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–50–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत 1,92,52,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–50–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत 1,92,52,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–51 राजस्व विभाग (दैवीय विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–51–राजस्व विभाग (दैवीय विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत 1,98,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–51–राजस्व विभाग (दैवीय विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत 1,98,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–52–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 60,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–52–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 60,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–54 लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–54–लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 21,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–54–लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 21,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–55 लोक निर्माण विभाग (भवन)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–55–लोक निर्माण विभाग (भवन) के अन्तर्गत 13,15,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–55–लोक निर्माण विभाग (भवन) के अन्तर्गत 13,15,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–57 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सेतु)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–57–लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सेतु) के अन्तर्गत 75,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–57–लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सेतु) के अन्तर्गत 75,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सड़कें)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–58–लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें) के अन्तर्गत

14,61,,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–58–लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें) के अन्तर्गत 14,61,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–59–लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत 18,21,48,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–59–लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत 18,21,48,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–60 वन विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–60–वन विभाग के अन्तर्गत 60,58,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–60–वन विभाग के अन्तर्गत 60,58,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–61 वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–61–वित्त विभाग(ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 2,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–61–वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 2,00,000 रुपये की अनुपूरक मॉग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–62 वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–62–वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) के अन्तर्गत 5,15,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–62–वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) के अन्तर्गत 5,15,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–63 वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–63–वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत 2,56,94,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–63–वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत 2,56,94,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–68 विधान सभा सचिवालय

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–68–विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत 6,88,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–68–विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत 6,88,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–69 व्यावसायिक शिक्षा विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–69–व्यावसायिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 22,50,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–69–व्यावसायिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 22,50,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–70 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री मनोज कुमार पाण्डेय)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–70–विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत 28,12,57,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–70–विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत 28,12,57,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–71 शिक्षा विभाग (प्राविधिक शिक्षा)

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भैय्या')–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–71–शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 74,69,54,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–71–शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 74,69,54,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–72 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री महबूब अली)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–72–शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 36,50,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–72–शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 36,50,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत 1,37,95,51,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत 1,37,95,51,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–75 शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भैय्या')–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–75 शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अर्न्तगत 2,09,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–75 शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत 2,09,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–78 सचिवालय प्रशासन विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–78 सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 15,42,33,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–78 सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 15,42,33,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–79 समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–79–समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत 2,17,30,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–79 समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत 2,17,30,,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत 35,53,22,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत 35,53,22,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये घटक योजना)

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये घटक योजना) के अन्तर्गत 13,31,75,73,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये घटक योजना) के अन्तर्गत 13,31,75,73, 000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–84 सामान्य प्रशासन विभाग

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–84–सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 65,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–84 सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 65,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–86 सूचना विभाग

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–86– सूचना विभाग के अन्तर्गत 12,50,23, 000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–86 सूचना विभाग के अन्तर्गत 12,50,23,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–87 सैनिक कल्याण विभाग

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, सैनिक कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–87–सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत 42,92,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–87–सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत 42,92,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–88 संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–88–संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत 5,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–88–संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत 5,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–89 संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–89–संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर) के अन्तर्गत 11,03,37,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–89–संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर) के अन्तर्गत 11,03,37,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–91 संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)

स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क पंजीयन मंत्री (श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–91–संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत 25,47,18,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–91–संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत 25,47,18,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–92 संस्कृति विभाग

महिला कल्याण एवं संस्कृति मंत्री (श्रीमती अरूण कुमारी कोरी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–92–संस्कृति विभाग के अन्तर्गत 8,01,66,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–92–संस्कृति विभाग के अन्तर्गत 8,01,66,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–94–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 9,62,44,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–94–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)के अन्तर्गत 9,62,44,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विनियोग (2014–2015 का अनुपूरक) विधेयक, 2014

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (2014–2015 का अनुपूरक) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रतियां बांट दी जायें।

(प्रतियां बांटी गयीं)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2014–2015 का अनुपूरक) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (2014–2015 का अनुपूरक) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2014–2015 का अनुपूरक) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2014–2015 का अनुपूरक) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 से खण्ड 3 तक, अनुसूची खण्ड–1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (2014–2015 का अनुपूरक) विधेयक, 2014

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था करने के लिये

दिनांक 3 दिसम्बर, 2014 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

विधेयक

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम

1. यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (2014–2015 का अनुपूरक) अधिनियम, 2014 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से वर्ष 2014–2015 के लिए 14856,13,68,000 रुपये का दिया जाना

2. ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिए जो 31 मार्च, 2015 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ–2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से इतनी धनराशि निकाली और काम में लाई जा सकती है जो अनुसूची के स्तम्भ–3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 14856,13,68,000 रुपये (रुपये चौदह हजार आठ सौ छप्पन करोड़ तेरह लाख अड़सठ हजार मात्र) होता है, से अधिक न हो।

विनियोग

3. इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का प्राधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुए हैं।

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखें)

1	2	3			
अनुदान/ क्रम–संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (रु0 हजार में)			
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
02	आवास विभाग	राजस्वः	2500	–––	2500
		पूँजी :	1269400	–––	1269400
03	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्वः	40000	–––	40000
		पूँजी :	–––	–––	0
06	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	राजस्वः	–––	–––	0
		पूँजी :	200000	–––	200000
07	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्वः	–––	–––	0
		पूँजी :	1416601	–––	1416601
08	उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन–सामग्री)	राजस्वः	–––	–––	0
		पूँजी :	30000	–––	30000
09	ऊर्जा विभाग	राजस्वः	22300400	–––	22300400
		पूँजी :	22955613	–––	22955613
10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	राजस्वः	60717	–––	60717
		पूँजी :	–––	–––	0
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्वः	2242605	–––	2242605
		पूँजी :	1567453	–––	1567453
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	राजस्वः	4000	–––	4000
		पूँजी :	13980167	–––	13980167
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	राजस्वः	5578847	–––	5578847
		पूँजी :	3641061	–––	3641061
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	राजस्वः	422871	–––	422871
		पूँजी :	260926	–––	260926
16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	राजस्वः	42500	–––	42500
		पूँजी :	560000	–––	560000
17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	राजस्वः	140335	–––	140335
		पूँजी :	–––	–––	0
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	राजस्वः	509392	29198	538550
		पूँजी :	156143	–––	156143
1	2	3			

20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	राजस्वः	———	21266	21266
		पूँजी :	———	———	0
21	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्वः	140676	———	140676
		पूँजी :	———	———	0
22	खेल विभाग	राजस्वः	64000	———	64000
		पूँजी :	235200	———	235200
23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	राजस्वः	———	———	0
		पूँजी :	100000	———	100000
24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्वः	3200000	———	3200000
		पूँजी :	1800000	———	1800000
25	गृह विभाग (कारागार)	राजस्वः	310000	———	310000
		पूँजी :	41400	———	41400
26	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्वः	21247	———	21247
		पूँजी :	1079700	———	1079700
31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्वः	79800	———	79800
		पूँजी :	1697771	———	1697771
32	चिकित्सा विभाग (एलौपैथी चिकित्सा)	राजस्वः	2558300	———	2558300
		पूँजी :	———	———	0
33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	राजस्वः	———	———	0
		पूँजी :	45324	———	45324
35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्वः	76999	———	76999
		पूँजी :	———	———	0
37	नगर विकास विभाग	राजस्वः	5686100	———	5686100
		पूँजी :	256749	———	256749
39	भाषा विभाग	राजस्वः	5390	———	5390
		पूँजी :	———	———	0
40	नियोजन विभाग	राजस्वः	63246	———	63246
		पूँजी :	4000000	———	4000000
41	निर्वाचन विभाग	राजस्वः	23000	———	23000
		पूँजी :	———	———	0
42	न्याय विभाग	राजस्वः	150000	101000	251000
		पूँजी :	135000	———	135000
43	परिवहन विभाग	राजस्वः	174653	———	174653
		पूँजी :	1216868	———	1216868
44	पर्यटन विभाग	राजस्वः	30000	———	30000
		पूँजी :	290000	———	290000
1	2		3		

45	पर्यावरण विभाग	राजस्वः	50000	———	50000
		पूँजी :	———	———	0
46	प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्वः	2500	———	2500
		पूँजी :	50000	———	50000
47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्वः	———	———	0
		पूँजी :	140000	———	140000
48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	राजस्वः	3500	———	3500
		पूँजी :	———	———	0
49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	राजस्वः	1011001	———	1011001
		पूँजी :	———	———	0
50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्वः	19252	———	19252
		पूँजी :	———	———	0
51	राजस्व विभाग (देवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	राजस्वः	1980000	———	1980000
		पूँजी :	———	———	0
52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्वः	600000	———	600000
		पूँजी :	———	———	0
54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	राजस्वः	210000	———	210000
		पूँजी :	———	———	0
55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	राजस्वः	131500	———	131500
		पूँजी :	———	———	0
57	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सेतु)	राजस्वः	———	———	0
		पूँजी :	750000	———	750000
58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	राजस्वः	7500000	———	7500000
		पूँजी :	7110000	———	7110000
59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	राजस्वः	120080	———	120080
		पूँजी :	62068	———	62068
60	वन विभाग	राजस्वः	109544	———	109544
		पूँजी :	496257	———	496257
61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्वः	200	———	200
		पूँजी :	———	———	0
62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	राजस्वः	51500	———	51500
		पूँजी :	———	———	0
63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	राजस्वः	———	———	0
		पूँजी :	25694	———	25694
68	विधान सभा सचिवालय	राजस्वः	688	———	688
		पूँजी :	———	———	0
1	2		3		

69	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	राजस्वः	4000	———	4000
		पूँजी :	221000	———	221000
70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्वः	281257	———	281257
		पूँजी :	———	———	0
71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्वः	746954	———	746954
		पूँजी :	———	———	0
72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्वः	255000	———	255000
		पूँजी :	110000	———	110000
73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्वः	180448	———	180448
		पूँजी :	1199103	———	1199103
75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	राजस्वः	20900	———	20900
		पूँजी :	———	———	0
78	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्वः	150000	———	150000
		पूँजी :	4233	———	4233
79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	राजस्वः	14500	———	14500
		पूँजी :	7230	———	7230
81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	राजस्वः	317890	———	317890
		पूँजी :	37432	———	37432
82	सतर्कता विभाग	राजस्वः	———	250	250
		पूँजी :	———	———	0
83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	राजस्वः	1503285	———	1503285
		पूँजी :	11814288	———	11814288
84	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्वः	6500	———	6500
		पूँजी :	———	———	0
86	सूचना विभाग	राजस्वः	125023	———	125023
		पूँजी :	———	———	0
87	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्वः	3000	———	3000
		पूँजी :	1292	———	1292
88	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	राजस्वः	50000	———	50000
		पूँजी :	———	———	0
89	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)	राजस्वः	———	———	0
		पूँजी :	110337	———	110337
91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	राजस्वः	250878	———	250878
		पूँजी :	3840	———	3840
92	संस्कृति विभाग	राजस्वः	27166	———	27166
		पूँजी :	53000	———	53000

1	2		3		
94	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्वः	6463900	–––	6463900
		पूँजी :	3160500	–––	3160500
	योग :	**राजस्वः**	**66118044**	**151674**	**66269718**
		पूँजी :	**82291650**	**–––**	**82291650**
	महायोग :		**148409694**	**151674**	**148561368**

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–3 तक अनुसूची खण्ड–1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2014–2015 का अनुपूरक) विधेयक, 2014 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2014–2015 का अनुपूरक) विधेयक, 2014 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

आज दिनांक 19–11–2014 को नियम–56 के अन्तर्गत कुल 39 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गईं। प्रथम तीन सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है :–

क्र0सं0	नाम	विषय
1	श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री ममतेश शाक्य, मो0 इकबाल, श्री उमेश पाण्डेय, श्री रोमी साहनी, श्री लोकेश दीक्षित, श्री जय प्रकाश निषाद श्री उदय लाल मौर्य, श्री रोशन लाल वर्मा,	प्रदेश में चीनी मिलों की बन्दी से बिगड़ती व्यवस्था एवं पडरौना चीनी मिल की संचालन व्यवस्था न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

	श्री सुल्तान बेग, श्री भगवान सिंह कुशवाहा, श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया तथा श्री अनिल कुमार	
2	श्री प्रदीप माथुर, श्री संजय कपूर, श्री पंकज कुमार मलिक, श्री दलजीत सिंह, श्री प्रदीप चौधरी, श्री बंशी सिंह पहाड़िया, मो0 मुस्लिम, श्रीमती उमाकान्ती, श्री राधेश्याम, श्री गयादीन अनुरागी, श्रीमती अराधना मिश्रा 'मोना', श्री संजय प्रताप जयसवाल तथा श्री ललितेश पति त्रिपाठी	बुन्देलखण्ड के सात जनपदों में किसानों की विभिन्न समस्याओं का निराकरण न कराये जाने से किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।
3	श्री सुरेश कुमार खन्ना, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, श्री सुरेश राणा, डा0 अरुण कुमार, श्री पंकज गुप्ता, श्रीमती विमला बाथम, श्री आशुतोष गोपाल टण्डन, श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी तथा श्री राजीव गुम्बर	प्रदेश में आवास विकास विभाग द्वारा विकास शुल्क में की गई वृद्धि से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।
ध्यानाकर्षण हेतु चयनित की गईं		
4	डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी	प्रदेश में डीजल एवं पेट्रोल के दामों में कमी किये जाने के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम बसों का किराया मूल्य वृद्धि के क्रम में कमी न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,
5	श्री अमर पाल शर्मा	गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद

		में दिनांक 12 एवं 13–11–2014 को हुई ईशान्त एवं औथीवाल बच्चों के अपहरण की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,
6	श्री उमाशंकर सिंह	जनपद रसड़ा बलिया में दिनांक 27–9–2014 को पेट्रोल टैंकर पलटने पर प्रशासन द्वारा लापरवाही बरते जाने से हुई 12 मौतों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,
7	श्री बब्बन सिंह	जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय में दिनांक 18–9–2014 को कोतवाल अनुरुद्ध सिंह द्वारा व्यापारियों एवं पत्रकारों पर की गई लाठीचार्ज से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,
8	डा0 रमेश चन्द्र बिन्द	दिनांक 21–10–2014 को थाना कोतवाली मड़िहान, जनपद मिर्जापुर की मजदूर श्रीमती कमला की हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,
9	श्री राकेश बाबू	जनपद फिरोजाबाद में श्री रामवीर सिंह थाना नारखी एवं श्री मानिक चन्द्र थाना टूण्डला की अपहरण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है तथा
10	श्री राम चन्द्र यादव	जनपद फैजाबाद में दिनांक 12/13 नवम्बर, 2014 की रात को श्री अनुराग गुप्ता की की गयी हत्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

श्री अध्यक्ष–

पहले इतने पर शुरू कर लीजिये, फिर आगे बढ़ा जाय।

(कई माननीय सदस्यों द्वारा उनकी भी सूचना लिये जाने का अनुरोध करने पर)

श्री अध्यक्ष–

असेम्बली चलेगी, आप लोग डरो मत। आप लोग बैठिये। माननीय मौर्य जी शुरू करें।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि समाजवादी पार्टी सरकार अपने को किसान हितैषी होने का दम भरती है और यहां तक कि एक बार नहीं, अनेकों बार 27 चीनी मिलों को बेचने का आरोप भी लगाती है लेकिन मान्यवर, जब–जब सपा सरकार आती

है, बड़े पैमाने पर चीनी मिलें बंद हो जाती हैं और चीनी मिल मालिकों की यह सरकार गुलाम बन जाती है, जिसके चलते मिल मालिक मनमानी करते हैं। मैं मान्यवर, उदाहरण देना चाहूंगा कि पड़रौना चीनी मिल जो बहुत पुरानी चीनी मिल है और यह 1937 में स्थापित हुयी थी, जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, 2012 से उसका संचालन ठप पड़ गया। मान्यवर, इस पडरौना चीनी मिल में कुशीनगर जनपद के विकासखण्ड पडरौना, विकासखंड विशुनपुरा, विकासखण्ड कसया, विकास खण्ड फाजिलनगर, विकास खण्ड तमकुहीराज, विकास खण्ड सेवरही एवं नेबुआ आदि विकास खण्डों के गन्ने की पेराई होती है। इस चीनी मिल के ठप हो जाने से प्रभावित इन तमाम विकास खण्डों की जनता आज बेहाल है, परेशान है उसका कोई आंसू पोछने वाला नहीं है। एक तो गन्ना किसानों के विगत पेराई का भुगतान नहीं हो पाया और दूसरे इस चीनी मिल पर सरकार की दोहरी मार पड़ने जा रही है गन्ना किसान अपने गन्ने की पेराई के लिए दर–दर की ठोकरें खा रहा है लेकिन मान्यवर, यह सरकार कान में तेल डालकर बैठी हुई है। मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इसी सपा सरकार के कार्यकाल में कठकुइयां चीनी मिल बन्द हुई थी, कप्तानगंज चीनी मिल इसी सरकार के कार्यकाल में बन्द हुई थी, लक्ष्मीगंज चीनी मिल भी 2006 में इसी सपा सरकार के कार्यकाल में बन्द हुई थी।

सत्ता पक्ष की ओर से–

आपके जमाने में बन्द हुई थी।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

हमारे आंकड़े हैं, तारीखें है इससे पता चल जायेगा कि किस कार्यकाल में यह चीनी मिलें बन्द हुई हैं। यही नहीं यह सरकार लगातार किसानों की अनदेखी कर रही है। इस चीनी मिल से प्रभावित किसान एक हफ्ते से लगातार धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद सरकार का कोई रहम किसानों के प्रति नहीं हो रहा है। यहां तक कि सरकार ने चीनी मिल की नीलामी के लिए तारीख भी निश्चित कर दी है। इसी नवम्बर महीने की 29 तारीख को चीनी मिल बेचने का घिनौना काम यह सरकार करने जा रही है जबकि पड़रौना चीनी मिल पर वहां की जनता का 23 करोड़ रुपया आज की देनदारी के रूप में बकाया है। जिसमें मान्यवर, 19 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बकाया है और 4 करोड़ रुपया उस चीनी मिल में काम करने वाले मजदूरों का है। यही नहीं मान्यवर, इस चीनी मिल की नीलामी में वहां की आबादी की तेरह एकड़ जमीन भी नीलाम करने की योजना सरकार की है। जिसके माध्यम से गाटा सं0–1001, 1002, 1005, 1006 और 1009 एवं 1010 यानी कुल 13 एकड़ जमीन जो सीलिंग लैण्ड की है, आबादी लैण्ड है, इस जमीन को भी चीनी मिल मालिकों से सांठ–गांठ कर पंजाब नेशनल बैंक, गोरखपुर के इशारे पर नीलाम करने पर आमादा है। चूंकि इस चीनी मिल के बन्द होने से तमाम किसान भुखमरी के कगार पर आ गये हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई, लिखाई और दवाई बन्द पड़ी है। यहां तक कि उनके चीनी मिल बन्द होने से उनके गन्ने खेत में पड़े हुए हैं उनकी कटाई भी नहीं हो रही है। यही नहीं

मान्यवर, आज बड़े पैमाने पर वहां का किसान वहां की जनता आन्दोलित है और आन्दोलित होने के नाते मान्यवर, वहां पर बड़े पैमाने पर जनता में आक्रोश है। यह लोकमहत्व का भी विषय है, अविलम्बनीय भी है और जनता इससे आक्रोशित भी है और प्रभावित भी है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस लोक महत्व की सूचना को अविलम्बनीय मानते हुए सदन की सारी कार्यवाही को रोक करके चर्चा कराने का कष्ट करें जिससे कि पड़रौना के किसानों को न्याय मिल सके, यह चीनी मिल चल सके और समाजवादी

(4 बजकर 45 मिनट पर अधिष्ठाता श्री राजबली जैसल पीठासीन हुए)

पार्टी की सरकार का यह किसान विरोधी चेहरा भी उजागर हो सके। मान्यवर, चूंकि यह अति अविलम्बनीय है, लोकमहत्व का है इसीलिए इस सूचना को ग्राह्य करके इस पर मैं चर्चा कराने की मांग करता हूं।

(मा0 श्री प्रदीप माथुर का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित रहने पर)

श्री अधिष्ठाता–

मा0 मंत्री जी इस सूचना पर कुछ कहना चाहेंगे ?

संसदीय कार्य एवं नगर विकास राज्य मंत्री (श्री चितरंजन स्वरूप)–

मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी को सुना, मैं आग्रह करूंगा कि इसे अग्राह्य कर दिया जाए।

श्री अधिष्ठाता–

इस सूचना पर मैंने माननीय नेता विरोधी दल श्री स्वामी प्रसाद मौर्य को सुना, यह सूचना नियम–56 के अन्तर्गत नहीं आती है अतः इस सूचना को अग्राह्य किया जाता है। अगली सूचना श्री प्रदीप माथुर जी की है।

श्री पंकज कुमार मलिक–

मा0 अधिष्ठाता महोदय, इस सूचना पर हमारे बुन्देलखण्ड के माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं मेरा अनुरोध है कि श्री दलजीत सिंह जी को आप सुन लें।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है।

श्री दलजीत सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बुन्देलखण्ड की समस्या रखने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद। अधिष्ठाता महोदय, पूरे बुन्देलखण्ड क्षेत्र में आये दिन किसान कर्ज, बेरोजगारी, सिंचाई के समुचित साधन न होने की वजह से आत्महत्यायें करते रहते हैं। यह तथ्य कई बार हम लोग सदन के संज्ञान में लाये लेकिन सरकार का जो जवाब आता है वह संतोषजनक नहीं होता है। जिले से अधिकारी गुमराह करने वाली व भ्रामक रिपोर्ट भेज देते हैं। कर्ज, बेरोजगारी, सूखे, सिंचाई के समुचित साधन न होने की वजह से आये दिन बुंदेलखण्ड का किसान आत्महत्या करता रहता है। अभी 13 तारीख को विकास खण्ड तिंदवारी में ग्राम भुजरख में रामदास पुत्र राम मोहन यादव जी

ने लड़की की शादी में जो कर्ज लिया था वह न भर पाने की वजह से, आत्मग्लानि के कारण आत्महत्या कर ली। इसी क्रम में नरेश राजपूत ग्राम जखेड़ी में 13 तारीख को आत्महत्या कर ली। इसी तरह से ग्राम रयपुरा में मातादीन जनपद महोबा में आत्महत्या कर ली। 13 तारीख को 03 आत्महत्यायें हो गयी। किसान त्रस्त हैं, इस समय मुख्य समस्या लो–वोल्टेज और बिजली की कटौती की है, बारिश हुई नहीं, फसल किसान बो नहीं पाये और जहां भी सिंचाई के साधन हैं वहां लो–वोल्टेज और बिजली कटौती से टयूबवेल चल नहीं पा रहे हैं। कई बार पत्र लिखा गया, मिलकर भी हम लोगों ने अनुरोध किया लेकिन समस्या का अभी तक हल नहीं हो सका। आये दिन किसान वहां धरना–प्रदर्शन करते रहते हैं। लेकिन जिले के अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं बार–बार कहने के बावजूद और किसानों के धरना–प्रदर्शन के बावजूद लो–वोल्टेज की वजह से ट्रांसफार्मर और मोटरें फुंक जाती हैं। जब किसान महीनों चक्कर लगाता है बिना सुविधा शुल्क दिये बिजली विभाग के अधिकारी एक भी ट्रांसफार्मर नहीं बदलते हैं। नियम यह है कि कोई भी सरकारी ट्यूबवेल का ट्रांसफार्मर जलेगा तो अधिकारी अपने साधन से लायेंगे और बदलेंगे लेकिन किसान को दो–दो बार, एक बार जमा करने जाना पड़ता है फिर एक बार लेने जाना पड़ता है। उसके बाद भी आत्महत्या कर रहे मजबूर किसानों से बिना पैसा लिये ट्रांसफार्मर और मोटरें मिल नहीं सकतीं। चाहे जितना आन्दोलन करिये, चाहे जितनी बात रखिये चाहे जितना सदन में उठाइये, अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। बुन्देलखण्ड को अधिकारियों ने चारागाह बना लिया है। पहले तो वहां कोई जाना नहीं चाहता कि ड्राई एरिया है और जब किसी अधिकारी की पोस्टिंग हो गयी तो वहां से वे आना नहीं चाहता और येन–केन–प्रकारेण वहीं बने रहना चाहते हैं क्योंकि चरने के लिए आसान चारागाह बुन्देलखण्ड है। गरीब और कमजोर किसानों को लूटने में इनको आसानी होती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि आये दिन किसान आत्महत्या करता है और जब भी मुद्दा आता है तो अधिकारियें द्वारा जो बात रखी जाती है और कारण बतायें जाते हैं तो सहयोग के बजाए कष्ट पहुंचता है। जब भी कोई किसान आत्महत्या कर लेता है तो उसके कारण जो अधिकारियें केद्वारा बताये जाते हैं कभी भी भुखमरी, कर्ज और बेरोजगारी न बताकर अधिकारियों द्वारा गलत बताया जाता है और कहा जाता है कि यह नशे का आदी था। मरने वाले किसान को या तो नशे का आदी है, गृह कलह या तमाम तरह के ऐसे कारण बताये जाते हैं जिससे उसके परिवार वालों को और कष्ट पहुंचता है। मैं भी पहली बार विधायक चुन करके आया हूं। अधिष्ठाता महोदय, जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो किसानों के भले की बात करती है तो बुन्देलखण्ड में हमें तो किसानों के भले की कोई योजना नहीं दिख रही है और न ही ध्यान दिया जा रहा है, तो मैं पुनः फिर मांग करूंगा कि आत्महत्याओं के कारणों की सही जानकारी करने के लिए अधिकारी गुमराह न कर सकें। इसके लिए एक सर्वदलीय कमेटी बनाकर सभी तथ्यों की जांच कराकर, सत्यता की जांच कराकर एक कमेटी बनाकर इसका निदान ढूढा जाये जिससे वहां के किसान आत्महत्या न करें। जो मुख्य समस्या इस समय है, वह लो–वोल्टेज और बिजली कटौती की है,

फिलहाल तो इस समय की जरूरी समस्या दूर की जाय। यह मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं।

(श्री उमेश पाण्डेय के खड़े होने पर)

श्री पंकज कुमार मलिक–

अधिष्ठाता महोदय, मा0 सदस्य श्री अनुरागी जी भी उसी क्षेत्र से आते हैं और नोटिस में उनका नाम है।

श्री गयादीन अनुरागी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं बुन्देलखण्ड के अति पिछड़े क्षेत्र जनपद हमीरपुर से पहली बार जीतकर आया हूं और बुन्देलखण्ड में कम वर्षा की वजह से आये दिन मेरे क्षेत्र राठ में मात्र 15–20 परसेण्ट सिंचाई हो पा रही है। अंधाधुंध बिजली कटौती और लो–वोल्टेज से वहां का किसान त्राहि–त्राहि कर रहा है। आये दिन पावर हाऊस और तहसील लेवल पर धरना–प्रदर्शन हो रहे हैं। बार–बार वहां के अधिकारियों से कहने के बावजूद भी लो–वोल्टेज की समस्या हल नहीं हो पा रही है और किसी भी समय वहां का किसान आन्दोलित होकर बड़ी घटना कर सकता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्षेत्र के लिए कोई विशेष राहत दी जाये, जिससे वहां का किसान अपनी फसल को बो सके और नहरों की टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जाये। इन्हीं बातों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

श्री प्रदीप चौधरी जी नही हैं। श्री बंशी सिंह पहाड़िया जी कृपया दो मिनट में अपनी बात रखें।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपको बहुत–बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि दिनांक 01 नवम्बर, 2014, दिन शनिवार को जनपद–मथुरा में 16 वर्ष पूर्व गोकुल बैराज के बनने से उसके डूब क्षेत्र में समाई किसानों की उपजाऊ कृषि भूमि का उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिग्रहीत कर उसका मुआवजा दिए जाने के संबंध में गोकुल बैराज पर किसानों का उग्र प्रदर्शन पुलिस के फायरिंग के बाद उपद्रव में बदल गयी। जिस पर प्रशासन को काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी तथा करोड़ों रुपये की राजकीय क्षति हो गयी। उक्त घटना में कई किसान गंभीर रूप से घायल हुए। यह सब स्थानीय प्रशासन एवं शासन स्तर पर ढिलाई बरतने के कारण हुआ। मथुरा के गोकुल बैराज के डूब क्षेत्र जिसमें 08 राजस्व ग्रामों दामोदरपुरा, औरंगाबाद इत्यादि की 248.874 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया था। किसानों को उनके मुआवजे की धनराशि रु0 91,82,39,394/– (रुपये इक्यानवे करोड़ बयासी लाख उन्तालीस हजार तीन सौ चौरानवे मात्र) स्वीकृत की गई है, किन्तु डूब क्षेत्र को नगर विकास विभाग द्वारा भूमि अधिनियम, 1894 की धारा 4(1)/17 खत्म हो जाने के कारण तथा शासन स्तर पर शीघ्र कार्यवाही न करने के कारण यह राशि अभी तक अवमुक्त नहीं हो पाई है।

श्री अधिष्ठाता–

मा0 सदस्य, अब समाप्त करें।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

मेरे द्वारा इस संदर्भ में शासन को कई बार पत्र लिखकर अनुरोध किया गया तथा डूब क्षेत्र के किसानों को भूमि का मुआवजा दिए जाने के संदर्भ में नियम–51 के अन्तर्गत दिनांक 24 जून, 2014 को विधान सभा के सदन में सूचना के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया था, जिस पर सरकार ने गोकुल बैराज के आच्छादित क्षेत्र में आने वाले 08 राजस्व ग्रामों में से 07 राजस्व ग्रामों के भूमि अधिग्रहण की सूचना धारा–4 (1)/17 के अन्तर्गत अधिग्रहीत होने की सूचना जिलाधिकारी, मथुरा को दिनांक 03 जुलाई, 2014 को भेज दी गई है, शेष 01 राजस्व ग्राम की अधिसूचना गजट में प्रकाशित होने के लिए प्रक्रियाधीन है, जिसके फलस्वरूप उक्त 08 ग्रामसभाओं के किसानों हेतु स्वीकृत धनराशि का मुआवजा दिया जायेगा। अधिष्ठाता महोदय मेरा आपसे आग्रह है कि सरकार का ध्यान इस प्रकरण की ओर आकृष्ट कराकर डूब क्षेत्र के उन किसानों को विशेष तौर पर पिछड़ी जाति के हैं, को मुआवजा दिलाने के लिए आप सरकार को निर्देशित करें।

श्री ललितेशपति त्रिपाठी–

मान्यवर, आपने नियम–56 के कार्य–स्थगन के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया मैं आपका आभारी हूं। मेरे कांग्रेस के साथी जब बुन्देलखण्ड की बात कह रहे थे तो कहीं न कहीं यह महसूस हुआ कि मेरा पिछड़ा सूखाग्रस्त मड़िहान क्षेत्र भी कुछ उस बुन्देलखण्ड की स्थिति से जूझ रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि मड़िहान क्षेत्र एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है पिछले कई वर्षों से यहां पर कम वर्षा के कारण किसानों की स्थिति बहुत दयनीय हो गयी है। सरकार से यह निवेदन है कि मड़िहान क्षेत्र के लिए जो एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है उस क्षेत्र के लिए सिंचाई के संसाधन बढ़ाएं माननीय सिंचाई राज्य मंत्री जी हमारे बीच में हैं उनसे भी अनुरोध है कि मड़िहान क्षेत्र के किसानों पर कृपा बनाए रखें। इस कार्य–स्थगन के प्रस्ताव पर सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराने की मांग करता हूं।

(5.00 बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

अध्यक्ष जी मैं आपसे अनुरोध कर रहा था नियम 56 की सूचना पर जो पड़रौना चीनी मिल बन्द होने के सम्बन्ध में है लेकिन आप कार्य–मंत्रणा समिति की बैठक में चले गए थे जिस कारण उस पर कोई व्यवस्था नहीं आ पाई थी इसलिए मैं इस पर केवल इतना अनुरोध कर रहा हूं कि पडरौना चीनी मिल बहुत ऐतिहासिक चीनी मिल है। 1937 में स्थापित हुई थी और लगातार अब तक चली आ रही थी। 2012 से वह चीनी मिल ठप्प पड़ गई और इसी वर्ष 29 नवम्बर को नीलामी का दिन भी निश्चित हो गया है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी के माध्यम से यह व्यवस्था आ जाय कि नीलामी का कार्य स्थगित कराकर उस चीनी मिल को संचालित कराया जाय जिससे आज वहां जो लाखों किसान भुखमरी के कगार पर पहुंच रहे हैं

जिनके बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है उनकी समस्या का निदान हो सके इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी एक तो बुन्देलखण्ड का विषय है दूसरा माननीय मौर्य जी का विषय है पडरौना चीनी मिल जिसकी नीलामी होनी है उसको चलाए जाने के सम्बंध में है। इस पर आप कुछ कहेंगे।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, क्योंकि यह बड़ा निर्णय है इस सम्बन्ध में मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी से इस पर बात करके किसी नतीजे तक पहुंचने की कोशिश की जाए। मौर्य जी आप भी रहें जिससे 29 से पहले इस पर कोई बात हो जाए। आप दोनों तय कर लें।

श्री अध्यक्ष–

मैंने माननीय ललितेश जी को सुना माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

माननीय मौर्य जी की भी सूचना को अग्राह्य करता हूं।

तीसरी सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की, माननीय राधा मोहन दास अग्रवाल की है अब इस पर कौन बोलेगा यह आप लोग तय कर लें।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी आपकी अनुमति से नियम–56 के तहत पूरे प्रदेश के सभी महानगरों में जहां कहीं भी विकास प्राधिकरण हैं वहां अधिकारियों की मनमानी के संदर्भ में यह विषय मैं लेकर आ रहा हूं। एक ओर 12 तारीख को प्रदेश की कैबिनेट बैठ रही है कैबिनेट की मीटिंग चल रही थी उसमें बहुत सारे जनोपयोगी निर्णय लिए होंगे कैबिनेट अगर चाहती तो जिस संदर्भ में मैं यह विषय लेकर आया हूं कैबिनेट यह निर्णय वहां भी ले सकती थी। लेकिन यह कितना दुःखद है कि कैबिनेट की मीटिंग अलग चल रही थी 12 तारीख को दूसरी ओर इसी 12 तारीख को आवास विभाग ने बिना माननीय मुख्य मंत्री जी की सहमति के और बिना किसी मंत्रि–मण्डल की सहमति के पूरे प्रदेश में नागरिकों के नक्शा बनवाने और स्वीकृत कराने में जो विकास शुल्क है उसमें बेतहाशा वृद्धि कर दी गई। यह वृद्धि स्वाभाविक होती तो उन्हें अधिकार होता लेकिन यह वृद्धि इतनी अस्वाभाविक है कि कम से कम जनता के बीच में काम करने वाले हम राजनैतिक लोगों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकारी इतनी बड़ी वृद्धि जो कि समाज के सामने शासन की बहुत खराब छवि पैदा करने वाले हैं, ऐसी वृद्धि करने से पहले कम से कम एक बार विभागीय मंत्री अर्थात् माननीय मुख्य मंत्री से राय कर लेते। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सन्दर्भ में सदन में कह रहा हूं और बड़ी गम्भीरता के साथ कह रहा हूं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से मिलने गया था। मुझे कोट तो नहीं करना चाहिए लेकिन मैं इसे कोट करना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में भी यह वृद्धि नहीं है। इस प्रकार से अधिकारियों को छूट देना कि आवास विभाग जैसे विभाग में इतना महत्वपूर्ण निर्णय जो शासन की पूरी की पूरी छवि को बिगाड़ने वाला है, अपने मन से वह

ले लें कदाचित् इस सदन को स्वीकार नहीं करना चाहिए, सत्तावादी दल की तो बात छोड़ दीजिये। यह सामान्य वृद्धि नहीं है अध्यक्ष जी। मैं आपके सामने उदाहरण के लिये खाली प्रस्तुत करूंगा। पांच हिस्सों में प्रदेश को बांट दिया गया। मुजफ्फरनगर, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, अयोध्या, फैजाबाद, रायबरेली, बांदा, रामपुर, उन्नाव, शुक्लागंज, उरई, और आजमगढ़। अब अगर कोई व्यक्ति नक्शा स्वीकृत कराने जायेगा तो 400 रुपये वर्ग मीटर की दर से विकास प्राधिकरण वहां पैसा वसूलेंगे। अध्यक्ष महोदय, यह सिर्फ विकास शुल्क है, इसके इलावा जो मलवा शुल्क है, जो बैटरमेंट शुल्क है जो डिविडेंट शुल्क है, वह सब अलग है। मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, गोरखपुर, बुलन्दशहर आदि शहरों में नागरिकों को 700 रुपये प्रति वर्ग मीटर देना पड़ेगा। वाराणसी, इलाहाबाद, मेरठ के लोग 1000 रुपये वर्ग मीटर नक्शा पास कराई देंगे। लखनऊ, कानपुर और आगरा के लोग 1400 रुपये वर्ग मीटर देंगे और गाजियाबाद के लोग 2500 रुपया देंगे। आज के इस युग में हम लोग लगातार इस बात की चर्चा अध्यक्ष महोदय कर रहे हैं कि नागरिकों को घर उपलब्ध कराना और सस्ते दर में उपलब्ध कराना हम लोगों की प्राथमिकता है। हम लोगों ने प्रश्नकाल में इसकी चर्चा की है। शासन अपने सारे सकारात्मक प्रयासों के बावजूद यह सुनिश्चित नहीं कर पाई है कि जिन लोगों को यह मकान मिलने चाहिए उन्हें मिल सकें। आज की मंहगाई के दौर में आदमी कोई जमीन कैसे खरीदता है किस प्रकार से पाई–पाई बटोर करके आदमी सपने देखता है। आज जमीन खरीदता है 10 साल बाद वह मकान बनवाता है और तब अगर उसको यह पता चले कि जिस जमाने में मैंने जितने की जमीन खरीदी थी उससे अधिक दर पर आज मुझे नक्शा पास करवाने का शुल्क देना है तो हम समझ सकते हैं कि उसके ऊपर क्या गुजरने वाली है। यह अत्यधिक शुल्क है अध्यक्ष महोदय और इसे किसी भी हालत में वापस लिया जाना चाहिए और अध्यक्ष महोदय, आश्चर्यजनक क्या है ? इसी के साथ एक दूसरा आदेश निकला है, यह आदेश निकला है नगरीय विकास प्रभार शुल्क का। यानि वह बिल्डर जो नगर का विकास करेंगे और इन्हीं शहरों में मैं प्रतीकात्मक रूप में बताना चाहूंगा केवल एक शहर का नाम लेकर कि रामपुर में अगर नागरिक 400 रुपये वर्ग मीटर देंगे तो नगर विकासकर्ता 100 रुपये वर्ग मीटर देंगे। गोरखुपर में अगर नागरिक 700 रुपये वर्ग मीटर देंगे तो यह नगर विकासकर्ता 150 रुपये वर्ग मीटर देंगें। बनारस में अगर नागरिकों से हजार रुपया लिया जायेगा तो नगर विकासकर्ताओं से वहां 200 रुपया लिया जायेगा। लखनऊ में अगर नागरिकों से 1400 रुपये वर्ग मीटर लिया जायेगा तो विकासकर्ताओं से 300 रुपये लिया जायेगा। गाजियाबाद में नागरिकों से 2500 रुपये वर्ग मीटर लिया जायेगा तो इन विकासकर्ताओं से सिर्फ 500 रुपये लिया जायेगा। हम और आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि इसके पीछे की मंशा क्या होगी। और सबसे बड़ी बात अध्यक्ष जी, अगर मान लीजिये हमारे पास घर में एक हजार स्क्वायर फिट जमीन है, हमने छोटा सा मकान बनवाया हुआ था। हमें लगता है कि आज हमारे घर के सामने सड़क आ गई हम दो तीन कमरे का एक मकान और बनवा सकते हैं। हम अगर आज नक्शा पास करवाने जायं अध्यक्ष महोदय तो भी हमें अपना पुराना मकान होने के बावजूद भी उसी मकान पर उन्हीं दर से और सम्पूर्ण क्षेत्रफल पर विकास दर के नाम से कर

अदायगी करनी पड़ेगी। यह अत्यधिक शुल्क है अध्यक्ष महोदय। बहुत सारे लोगों को मकान बनाने से विरक्त करेगी और बहुत सारे लोगों को बिना नक्शा पास कराये मकान बनाने के लिए प्रेरित करेगी। मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय कि यह अधिकारियों का खेल है। अवैधानिक रूप से मकान बनाये जाये, यह उसको प्रोत्साहित करने का खेल है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि शासन उसमें इनवाल्व है, मैं स्वयं इस बात को कह रहा हूं कि सम्भवतः कैबिनेट की संज्ञान में यह विषय नहीं है। इसलिए मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कर्बद्ध प्रार्थना करूंगा। निर्णय कोई भी अन्तिम नहीं होता और अगर अधिकारियों ने कोई निर्णय लिया है, तो हम लोकतांत्रिक लोग हैं, हमारा यह अधिकार है कि हम उनकी चूड़ी कसे। उन्हें बताये कि उनके काम की सीमाएं क्या हैं। यह मेरा आग्रह होगा कि कम से कम सरकार की ओर से यह बयान तो आना चाहिए कि सरकार इस पर विचार करेगी और ऐसी दरों को रखने का प्रयास करेगी जो नागरिकों की पहुंच के भीतर हो।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर मेरी बात हुई थी माननीय सदस्य से और उन्होने इसकी सारी डीटेल बताई थी और यह भी बताया था कि उनकी माननीय नेता सदन से बात हुई है। उन्होने सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए भी कहा है। मैं उनके ख्याल से अपने आपको सम्बद्ध करता हूं। मैं इस बारे में नेता सदन से बात करूंगा और कोई न कोई बेहतर रास्ता निकालने की कोशिश करूंगा।

श्री अध्यक्ष–

मैंने डा0 साहब को सुना माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुना। माननीय बाजपेयी जी आप बताइये।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि लोकमहत्व के प्रश्न पर आपने मुझे अपना विषय रखने को कहा। पेट्रोल, डीजल, सड़क परिवहन का किराया यह दोनो अन्योनाश्रित सम्बन्ध के कारण जुड़े हुए है। मान्यवर पेट्रोल की कीमत पर 05 रुपये से लेकर 10 रुपये तक की कमी हुई है और परिवहन के बसों तथा प्राइवेट बसों के जो किराये बढ़े थे वह यथावत हैं। मेरा यह कहना है कि जब डीजल में इतनी अभूतपूर्व कमी हुई है, तो किराये की दरों में भी कमी होनी चाहिए थी। वह अभी तक नहीं की गयी। मैं, स्थायी तौर पर कहना चाहता हूं कि पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी और वृद्धि चलती रहेगी। कोई स्थायी व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार को बनानी चाहिए कि उसका कोई फार्मूला हो कि जब दाम कम हो तो किराया भी कम कर दें और जब बढ़े तो वह भी उसी रेशियो में बढ़ जाये। यह दाम कम हुए मान्यवर लगभग 01 महीना बीत रहा है। परिवहन के किराये पर कोई अभी तक परिवहन निगम ने कमी नहीं की है और न ही प्राईवेट बसों के किराये में कमी की कोई पहल सरकार द्वारा की गयी है। यह जनहित का विषय है, यह अविलम्बनीय विषय है, एक सैद्धांतिक विषय है। मैं इस प्रश्न पर मान्यवर, सदन की कार्यवाही रोक कर, चर्चा कराने की मांग करता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, चूंकी आपने कहा है कि सैद्धांतिक प्रश्न है इसलिए सैद्धांतिक उत्तर भी होना चाहिए। जितने भी भाजपा शासित राज्य है, उनमें जितना कम हुआ होगा उतना ही हम भी कर देंगे। दिल्ली में कम होगा तो हम भी कम कर देंगे। रेलों का किराया अगर डीजल से चलने वाली है तो हम भी इस पर विचार करेंगे। चूंकि सैद्धांतिक बात है। पूरे देश में यूनिफार्मिटी रहना चाहिए। आपकी सरकारों में कम हो गया है, मैं उसका परीक्षण करा लूंगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश में कम हो गया, महाराष्ट्र में तो आधे से भी कम हो गया। गुजरात की बात ही मत कीजिये। जितना वहां कम हुआ होगा उतना हम भी कर देंगे। चूंकि आपने कहा था कि सैद्धांतिक प्रश्न है। आप प्रोसीडिंग देख लीजिये। आप सिद्धान्त से हटकर बात ही नहीं करते है तभी तो पीछे चले जाते हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी भाजपा के रास्ते पर कब से चलने लगे। जो भारतीय जनता पार्टी करेगी वहीं आप करेंगें तो भाजपा और सपा में अन्तर क्या रहेगा। आप भी इधर बैठिये आकर, वहां रहने का मतलब है कि आपको जनहित के मुददों को ध्यान में रखकर सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करना है। शर्त नहीं रखनी चाहिए कि जो केन्द्र सरकार करेगी वही हम करेंगे। केन्द्र सरकार दंगे करायेगी, तो क्या आप करायेंगे ? अगर कराते हैं, तो इसका मतलब है जो दंगे होते हैं, आप दोनों मिल–जुल कर कराते हैं। साठगांठ है, इसलिए आप यह मत कहिए कि जो केन्द्र सरकार करेगी, वह हम करेंगे।

(डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, अब हो गया।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, सुन लीजिए, मौर्या जी की बात का जवाब आ जाए। जब आपकी नेता गुजरात जाती हैं, चुनाव में, तो गुजराती भाषा में भाजपा के लिए वोट मांगती हैं और जब राखी बंधवाती हैं तो बहन–भाई हो जाते हैं। यह जो अभी तक आप में कर्रापन है, आवाज में भी और चाल–ढाल में भी, इसी वजह से है क्योंकि भैय्या हो गए राजा। तो हमारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, रिश्ते तो बहन–भाई के आपके हैं। आप ही गुजरात में जाते हैं और गुजराती में भाजपा के लिए वोट मांगते हैं, हम नहीं मांगते हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, यह भूल गए, नेता जी जनता दल और जनता पार्टी दोनों में जिसमें भाजपा शामिल थी, उसमें वह सत्ता में साथ–साथ रहे हैं। राजनीति में कब क्या होता है, इसलिए किसी पर भी उंगली उठाने से पहले अपना दामन झांक कर देखना चाहिए।

श्री मोहम्मद आजम खां–

आपको इतिहास मालूम नहीं है क्योंकि शायद आप 70 में जेल गए नहीं थे क्योंकि हम जेल में रहे और मालूम है जेल के अन्दर का भी और बाहर का भी इतिहास, जो माहौल था, जेल का माहौल यदि देश अख्तियार कर लेता और जो प्यार–मोहब्बत जेल के अन्दर था, जो रिश्ते जेल के अन्दर थे, उस वक्त भाजपा नहीं हुआ करती थी, उस वक्त जनसंघ हुआ करती थी। सब ने अपने–अपने झण्डे, अपने–अपने निशान खत्म किए थे और फिर जनता पार्टी बनी थी और उसी के बाद एक नया इन्कलाब आया था, कांग्रेस हटाओ के नारे का। उस वक्त भाजपा नहीं थी और आपका तो कहीं अंकुर भी नहीं था, आप तो हमारी गलतियों का नतीजा हैं। (हॅसी) न हमसे गलती हुई होती, न आप होते। न आदम ने गेहूं खाया होता, न हौव्वा परेशान होती। यह सब कुछ होता ही नहीं, आदम की गलती का नतीजा है। इसलिए हमारी गलती का नतीजा आप हैं।

श्री अध्यक्ष–

अब आप खत्म करिए।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, इतने महत्वपूर्ण और जनहित के विषय पर मैंने इसे नियम–56 में दिया था और सैद्धान्तिक पक्ष मैंने इसलिए इस्तेमाल किया था कि अगर डीजल और पेट्रोल के घटने और बढ़ने का क्रम चलता है तो इसके लिए कोई फार्मूला तय हो जाय कि इतना रेट बढ़ेगा तो किराया बढ़ेगा और इतना रेट घटेगा तो किराया घटेगा, इसलिए मैंने सैद्धान्तिक बात कही थी। सरकार अपने को लोक कल्याणकारी होने का दावा करती है और तब मैंने सरकार से कहा कि अगर 8 रुपये लीटर, 10 रुपये लीटर डीजल के रेट कम हुए हैं तो किराये में कमी होनी चाहिए तो मैंने कोई गलती नहीं की थी, जनहित का विषय उठाया था। लेकिन माननीय मंत्री जी ने एक शब्द को पकड़ कर क्योंकि रोज–रोज न सदन होगा, न मांग की जा सकेगी। अगर एक स्थायी फार्मूला बनाने के विषय में मैंने कोई बात की तो मैंने लोकतंत्र के हित में बात की, जनहित में बात की है और माननीय नेता प्रतिपक्ष ने उसको जो डाइवर्ट करने की कोशिश की है, मुझे ऐसा लगता है कि उधर बैठे हुए सरकार के लोगों को और नेता प्रतिपक्ष को जनहित की चिन्ता नहीं है, इसलिए इतने महत्वपूर्ण विषय को इतने हल्के से निपटाने की कोशिश हो रही है। मैं अब भी आपसे निवेदन करूंगा कि आप कृपा करके जनहित में, मान्यवर, आप उस सीट पर बैठे हैं, प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत की आप अध्यक्षता कर रहे हैं, अगर आप निर्णय ले लें और सरकार को निर्देश दें कि इसका कोई स्थायी फार्मूला बनाया जाए। मान्यवर, गुजरात क्या कर रहा है, राजस्थान क्या कर रहा है, उससे उत्तर प्रदेश का मतलब नहीं है। यह उत्तर प्रदेश का सदन है और यह उत्तर प्रदेश का सदन अगर अपनी जनता के हित की बात करना चाहता है तो इसमें गलत क्या है ? अगर इसे दूसरे राज्यों के नाम पर टाला जायेगा तो मैं समझूंगा कि यह जनहित की सरकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

मैंने इस सूचना पर डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी को सुना और संसदीय कार्य मंत्री को सुना। यह सूचना नियम–56 में नहीं आती, अतः इसे अग्राह्य करता हूं।

अब श्री अमर पाल शर्मा जी।

नहीं हैं। उमाशंकर जी, 02 मिनट में अपनी बात कह लीजिए।

नियम–56 की सूचना को नियम–51 में परिवर्तित करने का अनुरोध

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, एक निवेदन है, मा0 अमर पाल शर्मा जी बहुत आवश्यक कार्य से मुझे बता कर गए हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि इसको नियम–51 में कनवर्ट करके वक्तव्य मंगवा लें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

श्री उमाशंकर–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे यहां बलिया जनपद में रसड़ा क्षेत्र में 27 सितम्बर को एक तेल का टेंकर उस रास्ते से जा रहा था। रात्रि के 09.00 बजे, वहां पर करीब में ही नवीन कृषि मण्डी है नगर पालिका क्षेत्र में। वहां पर वह टेंकर पलट गया और टेंकर पलट जाने के काफी देर बाद वहां पर प्रशासन पहुंचा। प्रशासन के पहुंचने तक उस तेल के टेंकर का तेल पूरी तरह से उस सड़क से लेकर अगल–बगल की झुग्गी–झोपड़ी थी, जिनमें जो रिक्शा चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, उनकी झुग्गी–झोपड़ी में वह तेल रिसकर पहुंच गया। और किन्हीं कारणों से वहां आग लग गयी। वहां लोग बता रहे थे कि आग का गोला बनकर लोग जलने लगे। 04 लोग तो आग का गोला बनकर ऐसा जले कि वह लोग चीख भी नहीं पाये। वह खड़े–खड़े जिंदा जल गये। जिनकी उम्र 17 साल, 26 साल, 18 साल हुआ करती थी। वह जिंदा जल गये। 04 लोगों के जल जाने के बाद उसमें से लगभग 11 लोगों को अगल–बगल के लोगों ने किसी तरह से अस्पताल पहुंचाया। लेकिन 11 लोगों में से 08 लोगों ने दम तोड़ दिया। यानी मरने वालों की संख्या 12 हो गयी। मा0 अध्यक्ष जी, अभी भी 03 लोग अस्पताल में जीवन मरण से जूझ रहे हैं। मा0 अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हम लोगों से जितना संभव हो सकता हमने उनका दवा, इलाज कराया। लेकिन वह लोग अपने घर में रोजगार करने वाले लोग थे। उनके घर में या तो बूढ़ी मां हैं या बूढ़े पिता हैं या उनकी पत्नी हैं। लेकिन वह लोग ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि वह लोग अपना इलाज करके जीवनयापन कर सकें। मैं आपके माध्यम से मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि सरकार की तरफ से इनको सहायता मिल जाये ताकि इनके जीवनयापन का रास्ता बन जाये।

श्री अध्यक्ष–

इसमें जो है किसान बीमा योजना है और तहसील में भी इसकी योजनायें हैं।

श्री उमाशंकर–

मा0 अध्यक्ष जी, यह लोग रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले लोग हैं झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं। इनके पास एक इंच भी जमीन नहीं है। अगर इनके पास यह सब होता तो मैं यह विषय यहां नहीं लाता। मैं चाहता हूं कि अगर मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी इस पर थोड़ी कृपादृष्टि कर दें।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, इसमें एक तो डी0एम0 को संपर्क करेंगे, बात करेंगे अगर डी0एम0 के लेवल पर कोई सहायता की गयी है तो उसे देखते हैं कि कितनी है। बहुत दर्दनाक हादसा है। और जो टेंकर था इस पर तो इंश्योरेंस का केस हो सकता है। इनका पोस्टमार्टम हुआ होगा ?

श्री उमाशंकर–

जब प्रशासन के लोग आ गये तो पोस्टमार्टम कराया गया है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, इंश्योरेंस का पैसा मिलने में तो देर लगेगी लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इनको सहायता मिल सके।

श्री अध्यक्ष–

मैंने श्री उमाशंकर जी को सुना और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। मैं इस सूचना को अग्राहय करता हूं।

(मा0 श्री बब्बन सिंह का नाम पुकारे जाने पर, उनके अनुपस्थित रहने पर)

श्री अध्यक्ष–

वह नहीं हैं।

डा0 रमेश चन्द्र बिन्द–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने नियम–56 के तहत बोलने का मौका दिया है, मैं बहुत आभारी हूं, आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, उदाहरण के तौर पर मैं जनपद मीरजापुर का केस संज्ञान में लाना चाहता हूं, आज लगभग एक महीने हो गये, 21–10–2014 को मा0 अध्यक्ष जी वहां पर हमारे कमला वाइफ आफ नन्हकू उनकी बेटी किरन वहीं राजगढ़ पुलिस चौकी के पीछे थाने का निर्माण कार्य चल रहा था और वहां पर वह 17 साल की लड़की काम करने के लिए गई और उसी के ऊपर उसको ले जाकर के उसके साथ बलात्कार होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। आज उस मामले को वहां के गुण्डे–माफिया द्वारा पुलिस की मिलीभगत से मामले को दबा दिया गया है और उस मामले में अभी तक एक महीना हो गया है, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जिस तरीके से इतनी बड़ी घटना हो गई है और एक महीना हो गया, उसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मैं इस सदन के माध्यम से इस लोकमहत्व के विषय पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराने की मांग करता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मेरे पास कोई सूचना तो है नहीं गृह विभाग से मेरे पास सूचना आ जाती है, जानकारी मिल जाती है, नहीं आ सकी है। मैं इसकी जानकारी भी लूंगा, मेरे ख्याल से इसमें एफ0आई0आर0 तो हुई होगी।

डा0 रमेश चन्द्र बिन्द–

जी हां हुई है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

अगर रिपोर्ट दर्ज हुई है, तो मैं गिरफ्तारी के लिए बड़े अधिकारियों से बात कर लूंगा।

(मा0 सदस्य श्री राम चन्द्र यादव का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित रहने पर)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, श्री गजेन्द्र सिंह को अपनी बात कहने के लिए एक मिनट का अवसर दे दें, यह तीन दिन से लगातार दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

मैं आपके विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दे रहा हूं।

श्री गजेन्द्र सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, जनपद बुलन्दशहर में वर्षा न होने के कारण सूखा पड़ गया, सूखा पड़ने के कारण शासन ने जिले को सूखा ग्रस्त घोषित कर दिया और सरकारी रिकवरियों पर रोक लगा दी। बिजली विभाग सामूहिक रूप से लगभग 150 गांवों की बिजली काट दी जिसमें 15 मेरी विधान सभा के और 135 जिले के गांव हैं। इस समस्या को लेकर जिले के किसान जिलाधिकारी के यहां गये, जिलाधिकारी महोदय ने शासनादेश का पालन करवाते हुए विद्युत विभाग को यह कहा कि रिकवरी के नाम पर बिजली न काटी जाय जब तक किसानों के पास पैसा न आ जाय, चीनी मिले न चल जायं, जब तक गन्ने का पेमेण्ट न हो जाय। बिजली विभाग के अधिकारी वी0के0 अग्रवाल जी ने शासन के आदेश के बावजूद, जिलाधिकारी के आदेश के बावजूद विद्युत देने से मना कर दिया और जनपद बुलन्दशहर के 150 गांवों की बिजली काट दी, शासनादेश का खुला उल्लंघन वहां पर बिजली विभाग कर रहा है। वहां पर टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि बुलन्दशहर के जिन डेढ़ सौ गांवों की बिजली काटी गई है, उन सभी गॉवों की लाईट जुड़वा दें।

श्री अध्यक्ष–

बस हो गया, अब समाप्त करें, आपकी बात आ गई, मैंने सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दिया।

श्री गजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री सुरेश राणा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि 30 हजार परिवारों से जुड़े इस मामले पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2013 में भर्ती प्रक्रिया को पूरा करते हुए उत्तर प्रदेश में 41 हजार अनुदेशकों के पद सृजित कर काउन्सिलिंग द्वारा खेल के लिए बी0पी0एड0, कला के लिए बी0ए0 तथा कम्प्यूटर के लिए बी0सी0ए0 आदि योग्यता वाले लगभग 30 हजार परीक्षार्थियों को जू0 हाई स्कूलों में संविदा के आधार पर रखा गया था तथा शीघ्र ही नियुक्ति एवं स्थायीकरण की बात कही गयी थी लेकिन मान्यवर, 2 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी आज तक उनकी स्थाई नियुक्ति नहीं हो पायी है। मात्र 7 हजार रुपया उनको मानदेय के रूप में दिया जा रहा है तथा नवीनीकरण के नाम पर भी भ्रष्टाचार व्याप्त है। नियुक्ति भी गृह जनपद से बहुत दूर पर कर दी गयी है। मान्यवर, इस प्रकार 30 हजार परिवारों का भविष्य दांव पर लगने के साथ–साथ शिक्षण कार्य भी प्रभावित हो रहा है इसलिये मा0 अध्यक्ष जी, यह लोकमहत्व का तात्कालिक एवं अविलम्बनीय विषय है, हजारों परिवारों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। अतः मैं आपसे निवेदन करता हूं और सदन की कार्यवाही रोककर के इस पर चर्चा कराये जाने की मॉग करता हूं, धन्यवाद।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। मान्यवर, गोरखपुर के महापौर ने विगत दिनों चीन की यात्रा की और उन्होंने चीन के किसी महानगर को गोरखपुर से जोड़कर ट्रिवन–सिटी बनाने की कार्यवाही प्रारभ की। मान्यवर, नगर प्रमुख के इस कदम से एक संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न हुयी है। क्या देश के अन्दर सभी नगर निगमों एवं जिला पंचायतों को अपनी ओर से अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्धित स्थापित करने के लिये भारतीय संविधान में बदलाव कर दिया गया है और नगर निगम अधिनियम के प्राविधानों में परिवर्तन करके नगर निगमों को अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्ध स्थापित करने का कार्य दिया है? मान्यवर, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि नगर प्रमुख ने यह यात्रा राज्य सरकार या भारत सरकार से स्वीकृति लेकर की है या गोरखपुर नगर निगम से प्रस्ताव स्वीकृत कराकर चीन की यात्रा की। क्या राज्य सरकार को महापौर की इस अधिकृत यात्रा की सूचना दी गयी है? मान्यवर, अभी यह भी स्पष्ट नहीं हुआ है कि नगर प्रमुख की यात्रा का खर्च किसने वहन किया और यदि नगर निगम के पास से यह यात्रा की गयी है तो क्या यात्रा में खर्च होने वाले धन को सरकार वैधानिक खर्च मानती है या सरकार द्वारा इसकी महापौर से राजस्व रूप में वसूली की जायेगी? मान्यवर, महापौर का यह कदम प्रशासनिक अनुशासनहीनता है और अभी तक सरकार ने इस पर कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की है। अतः मैं लोकमहत्व के तात्कालिक एवं अविलम्बनीय विषय पर सदन की कार्यवाही को रोककर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मा0 अध्यक्ष जी, यह वाकई गंभीर मामला है। अगर किसी व्यक्तिगत कार्य से गये हों और प्राइवेट विजिट है तब तो उसका संज्ञान नहीं लिया जायेगा लेकिन अगर

सरकारी खर्च पर गये हों तो उन्हें विभाग से इसकी अनुमति लेनी चाहिये थी। जहां तक इस विभाग का मंत्री होने के नाते मैं जानता हूं कि विभाग से कोई अनुमति नहीं ली गयी है और यह भी नहीं मालूम कि यह खर्च कैसे हुआ है और उनके जाने का उद्देश्य क्या था ? इसमें जांच करायेंगे, यह गंभीर मामला है।

श्री दीपक पटेल–

मा0 अध्यक्ष जी, यह जनपद इलाहाबाद का वाकया है। यह घटना बहुत बड़ी है और ऐसी घटनायें जब घटती हैं तो न्यायपालिका को मौका मिल जाता है कि पूरी की पूरी विधायिका को कटघरे में खड़ा करे और आलोचना करे। मान्यवर, जिला पंचायत इलाहाबाद का यह मामला है और जिला पंचायत से ट्रकों और ट्रैक्टरों से वसूली करने के लिये बैरियर लगते हैं। मान्यवर, उनका शुल्क निर्धारित है। मान्यवर, जनपद इलाहाबाद में वहां पर दबंग प्रवृत्ति के जितने लोग थे वे 20 और 50 रुपये से निर्धारित शुल्क से कई गुना बढ़कर, 10 गुना बढ़ करके 500–600 रुपये वसूली कर रहे थे। मान्यवर, वहां के सम्बन्धित थानेदार ने उनको रोका और अच्छा काम किया लेकिन उनकी धृष्टता इतनी बढ़ गई कि उन्होंने थाने में घुस करके उस दरोगा को मारा और उसकी पिस्टल भी छीन ली। मान्यवर, जिला पंचायत के जो अधिकारीगण हैं उन्होंने भी उसको अवैध माना और सबके खिलाफ एफ0आई0आर0 लॉज कराई। मान्यवर, लेकिन यह बड़े आश्चर्य का विषय है कि अभी तक इस पूरे प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं हुई है और जिन लोगों के खिलाफ संगीन धारायें लगाई गई हैं, वे सारे लोग बाहर हैं। मान्यवर, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं, बड़े सौभाग्य की बात है और अक्सर इस तरह के मामलों में बहुत सख्त रुख अख्तियार करते हैं। मा0 अध्यक्ष जी, हम इस पर आपके माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे कि इसकी जांच हो और जो लोग भी इस वसूली में दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कदम उठाये जायें। और हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और बहुत तल्ख टिप्पणी की मान्यवर, मैं कह नहीं सकता।

श्री अध्यक्ष–

अब हो गई पूरी बात, अब आप बैठ जाये।

श्री दीपक पटेल–

धन्यवाद, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष–

मा0 मंत्री जी, कुछ कहेंगे या अपना जांच इत्यादि करवा लेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, जानकारी जितनी दी है आपने उसमें ही विरोधाभास है। आपने एफ0आई0आर0 होने की बात करी, गिरफ्तारियां भी हुईं, फिर धारायें विद ड्रॉ की गईं, आपने बताया। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं हुआ होगा, अब क्योंकि सरकार का काम मुकद्मा कायम करना था, मुल्जिमान को गिरफ्तार करना था, आपने उसके बारे में कहा कि हां ये सब कार्यवाहियां हुईं। अब अगर उनकी जमानत हो जाती है तो सरकार का कोई रोल नहीं रहता।

श्री दीपक पटेल–

उसमें कुछ नहीं हुआ। दूसरा एफ0आई0आर0 भी लॉज हुआ, जिला पंचायत के अधिकारियों की ओर से, उसमें अभी तक कुछ नहीं हुआ है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

देख लेंगे इसे। जी, इसे बिल्कुल दिखवाएंगे।

श्री अध्यक्ष–

मैंने मा0 सदस्य को सुना, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, इसे अग्राह्य करता हूं।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने नियम–56 में मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत–बहुत, धन्यवाद देता हूं। 1947 के बाद से आज तक भी शहरों के गांव की स्थिति, गांवों के गांव की स्थिति से भी बेहतर नहीं है, उसी आधार पर मैं बताना चाहता हूं कि मेरी कानपुर महानगर की छावनी विधान सभा के अन्तर्गत देहली गांव सरकार की उपेक्षा के कारण सभी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। इस क्षेत्र में जलनिकासी हेतु न तो नाली एवं नाला एवं सीवर का निर्माण किया गया है और न ही कोई शौचालय है, जिससे क्षेत्र की महिलाओं को शौच के लिए बाहर जाना पड़ता है इससे महिलाओं का उत्पीड़न भी होता है और न ही कोई सड़के हैं और बच्चों की पढ़ाई के लिए ऐसा जर्जर स्कूल है कि वहां पर बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। इस क्षेत्र के निवासियों को जल निकासी की सुविधा न होने के कारण एकत्रित जलभराव के रास्ते होकर निकलना पड़ता है। जलभराव के कारण महामारी फैलती रहती है। सड़के न होने के कारण आवागमन में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस क्षेत्र के निवासियों के चिकित्सा सुविधा हेतु कोई अस्पताल भी नहीं है। यह क्षेत्र पूर्ण रूप से मूलभूत सुविधाओं से वंचित है जिससे जनमानस में आक्रोश है। व्यापक जनहित में देहली गांव को मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है। मा0 अध्यक्ष जी मा0 मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह लोक महत्व का अविलम्बनीय विषय है। यह गांव का मामला है, वहां पर सड़कें नहीं हैं, वहां पर सीवर नहीं है। मैं चाहता हूं कि मा0 मंत्री जी का प्यार मिल जायेगा तो यह गांव सुधर जायेगा। मुझे मालूम है कि मा0 नगर विकास मंत्री जी, दयावान हैं, कुछ न कुछ तो दे डालिये, इस गांव को।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मा0 सदस्य ने जो कुछ पढ़ा वह मैंने सुना, ये भी पढ़ा की गांव है, फिर भी नगर विकास मंत्री से वह सीवर मांग रहे हैं वहां गांव में, तो इस पर विचार कर लिया जायेगा।

श्री रघुनंदन सिंह भदौरिया–

मान्यवर, देहली गॉव शहर में है, फिर भी गांव के नाम से जाना जाता है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

माननीय सदस्य, इसे दिखवायेंगे, दिखवायेंगे।

(एक आवाज आई कि गोद ले लो गांव को)

श्री रघुनंदन सिंह भदौरिया–

अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि इसे गोद सांसद जी ले रहे थे, लेकिन यह तय हुआ है कि शहर के गांव नहीं लिये जायेंगे, इसलिए मैं यहां आपसे आग्रह कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, मा0 सदस्य, अब आप बैठ जाये।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मेरा सुझाव तो यह भी है कि जिस तरह आपके प्रधानमंत्री जी ने गांव गोद लिये हैं, अगर विधायकों को भी गोद लेने लगें, तो उनका तो कम से कम काम आप से चल ही जायेगा।

श्री रघुनंदन सिंह भदौरिया–

आप गोद ले लीजिए।

श्री अध्यक्ष–

मा0 सदस्य, अब आप बैठ जायें।

श्री धर्मपाल सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, हम आपके आभारी हैं कि आपने हमें नियम–56 में बोलने का अवसर दिया। मा0 अध्यक्ष जी, हम जिस विषय को उठा रहे हैं, वह पौने तीन करोड़ बच्चों से जुड़ा विषय है। प्रजातंत्र में प्राथमिक शिक्षा बुनियादी शिक्षा है और प्राथमिक विद्यालयों में गांव, गरीब, किसानों के बच्चे पढ़ते हैं। सरकार ने कक्षा–1 से 8 तक के बच्चों की छात्रवृत्ति बंद कर दी है।

श्री अध्यक्ष–

इस पर तो अभी चर्चा हो गई है, कल भी चर्चा हो गई है, इससे पहले भी चर्चा हो गई है।

श्री धर्मपाल सिंह–

मान्यवर, दो–एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, भी जैसा कि मैं समझता हूं गरीबों का बहुत ख्याल रखते हैं कि प्राथमिक शिक्षा में कक्षा 1 से 8 तक की जो छात्रवृत्ति बंद की गई है। सरकार सदाशयता के आधार पर इसको चलाने का काम करे।

मान्यवर यह अति लोकमहत्व का प्रश्न है इस पर सदन की कार्यवाही को रोककर चर्चा करायी जाये।

श्री अध्यक्ष–

अभी इस पर अनुपूरक बजट के समय चर्चा हो चुकी है।

श्री उमेश पाण्डेय–

माननीय अध्यक्ष जी नियम–56 के अंतर्गत मेरी सूचना है। मान्यवर यह जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन के विकास खण्ड दोहरीघाट के अन्तर्गत ग्राम सभा गोठा

में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से संबंधित है। मान्यवर, यह 14 हजार की आबादी वाला गांव है। मेरी पूरी सूचना इस प्रकार है।

कृ0 संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जनपद–मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुवन के विकास खण्ड–दोहरीघाट के अन्तर्गत ग्राम सभा गोठा में आदर्श जनपद योजना के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गोठा शिलान्यास दिनांक 08–08–2006 को तत्कालीन मा0 मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह जी के द्वारा सम्पन्न हुआ था। जिसके निर्माण के लिये रु0 3407000/– की धनराशि स्वीकृत हुई थी। जिसकी कार्यदायी संस्था प्रा0खं0, लो0नि0वि0, मऊ द्वारा कराया गया। उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन बन कर तैयार हो गया परन्तु भवन में खिड़की दरवाजे अब तक नही लग पाये हैं जिससे वह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन न होकर आवारा पशुओं की चारागाह एवं धर्मशाला बन गया है। लगभग 06 वर्ष व्यतीत हो गये हैं वह भवन धूल फांक रहा है जबकि प्रा0 स्वास्थ्य केन्द ग्राम सभा गोठा में किराये के भवन में चल रहा है जो भवन अत्यन्त जर्जर एवं जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है। जिसमें डर के कारण वहां पर डाक्टर एवं अन्य स्टाफ बैठते ही नहीं हैं। जिसके कारण ग्रामीण मरीजों को इलाज हेतु अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय जनता द्वारा स्थानीय उच्च अधिकारियों एवं शासन से कई बार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिये बनी नई बिल्डिंग के बचे हुए कार्य कराकर उसमें प्रा0 स्वा0 केन्द्र को स्थानान्तरित किये जाने का अनुरोध किया जा चुका है, परन्तु अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हो सकी है जिससे क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन की समस्त कार्यवाही रोककर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।

मान्यवर, माननीय मुलायम सिंह यादव जी का जन्म दिवस है मैं चाहूंगा कि उनके जन्म दिवस के अवसर पर इस अस्पताल का वांछित कार्य हो जाये, मुश्किल से इसमें तीन–चार लाख रुपये का खर्च आयेगा जिसमें सफाई, बिजली, दरवाजें और खिड़कियां लगाने का काम हो जायेगा और वह हास्पिटल चालू हो जायेगा। मैं चाहता हूं कि सदन की समस्त कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा करायी जाये।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, माननीय नेता जी ने वर्ष 2006 में उसका शिलान्यास किया था उसके बाद पांच साल आपकी पार्टी की सरकार रही। आप उस पांच साल में भी दरवाजे खिड़कियां नहीं लगवा पाये हैं। पहले तो आप उस पांच साल के पीरियड की निन्दा करने का काम करें। आप 22 तारीख को केक खाने के लिए रामपुर आयें जब तक आप वहां पर नहीं आयेंगे तब तक मैं कोई आश्वासन नहीं दूंगा।

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे माननीय सदस्य से पूरी सहानुभूति है मैं इसे दिखवाऊंगा।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, माननीय उमेश पाण्डेय जी बैठ जायें मा0 मंत्री जी ने कह दिया है कि वह इसे दिखवा लेंगे।

श्री उमेश पाण्डेय–

मान्यवर, उस समय मेरे क्षेत्र में यह गांव नहीं था। इधर ढाई वर्ष से यह मेरे क्षेत्र में आया है उस समय अगर होता तो फिर बनकर तैयार हो गया होता और चालू होता।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, आपने बताया कि 2006 में उसका शिलान्यास हुआ था। आपने बताया कि शिलान्यास वर्ष 2006 में हुआ था उसके बाद आपकी पार्टी की सरकार आयी थी आप उस समय नहीं करा पाये। आप ही बता दीजिये कि किस पार्टी की सरकार उसमें थी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय रविन्द्र भड़ाना जी की सूचना है।

श्री रविन्द्र भड़ाना–

मान्यवर, मेरी नियम–56 के अन्तर्गत दी गयी सूचना इस प्रकार है। मान्यवर, मैं पढ़ देता हूं।

महोदय,

उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षक संघ के माध्यम से कर्मचारियों द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2013 को बड़ी संख्या में उपस्थित होकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया गया जिसमें मा0 मुख्य मंत्री जी ने शिक्षक प्रतिनिधियों द्वारा रखी गई समस्याओं को सुना गया है और उसका निराकरण करने का आश्वासन मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा दिया गया।

अंशकालिक शिक्षकों को पूर्णकालिक बनाना, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की अपेक्षाओं को मानदण्डों के अनुसार भी अत्यन्त आवश्यक है। इसी प्रकार तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण सी0टी0 संवर्ग के शिक्षकों को एल0टी0 संवर्ग में संविलियन होने पर पूर्व की सेवाओं का लाभ अनुमन्य किया जाना, पूर्ण योग्यताधारी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों को स्नातकोत्तर उपाधि की अनावश्यक अपेक्षा के आधार पर प्रोन्नत वेतनमान से वंचित रखना सर्वथा अन्यायपूर्ण है। मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा आश्वासन दिये जाने के बाद एक वर्ष बीतने को है परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई।

कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरने पर हैं एवं आन्दोलनरत हैं। इस मंहगाई में इन कर्मचारियों की उपेक्षा किये जाने से उनका परिवार भुखमरी के कगार पर है। जनहित में माध्यमिक शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय तात्कालिक विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की मांग करता हूं।

श्री रवीन्द्र जायसवाल–

मान्यवर, जनपद वाराणसी के पंचकोसी–पुरानापुल–आशापुर मार्ग पर यह लगभग 2 कि0मी0 है। इस मार्ग पर अक्सर एक्सीडेंट होते रहते हैं इस रोड की चौड़ाई 120

फिट है लेकिन पक्की रोड मात्र 20 फिट है इस पर अक्सर महिने में दो चार एक्सीडेंट कोई सा महिना ऐसा नहीं है जब एक दो लोगों की मृत्यु न होती हो मैं लोकमहत्व के इस विषय पर चर्चा कराने की मांग करता हूं। यह 120 फिट चौड़ा मार्ग है इसको पक्का बना दिया जाय।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यह तो बड़ी हैरत की बात है कि अब बनारस के बारे में भी इस सदन में शिकायत करेंगे आप, प्रधान मंत्री जी का जिला दुनिया का सबसे पुराना शहर, सबसे नामवर शहर, आप तो हमे आज यह सूचना देते कि बनारस को कितना पैसा दे दिया गया, नदियां साफ हो गई, सड़के चौड़ी हो गयी, पुल बन गये, स्कूल बन गये, कालेजेज बन गये, लोगों के घर सोने और चांदी के बन गये, सबको रोजगार मिल गया, सबको 15–15 लाख रुपया बैंक में आ गया और आप सड़क के चौड़ीकरण के लिए इतना परेशान हैं।

श्री अध्यक्ष–

वह नये सदस्य हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, नये पुराने को इसमें क्या है।

श्री रवीन्द्र जायसवाल–

मान्यवर, जे0आर0एम0 के लिए वह फण्ड देने को तैयार हैं यहां से प्रस्ताव नहीं जा रहा है।

श्री अध्यक्ष–

आप लिखकर प्रस्ताव दिला दीजिए।

श्री मोहम्मद आजम खां–

अब प्रधान मंत्री जी अपने क्षेत्र के लिए अगर प्रस्ताव के लिए मजबूर हैं तो बताओ ऐसी बादशाही का क्या होगा। 27 हजार मिलियन, 27 मिलियन डालर दे दिये फिजी को आपकी सड़कों को कुछ नहीं दिया।

श्री अनीसुर्रहमान–

मान्यवर, मेरे क्षेत्र के गन्ना किसानों का मामला है तीन गांव एक सौ चौरा गन्ना क्रय केन्द्र प्रस्तावित किया गया था तांत समिति द्वारा रानी नाला मिल के लिए और खलीलपुर और दूसरा गांव पुरी इसका गन्ना केन्द्र प्रस्तावित किया गया था गन्ना केन्द्र समिति तात के द्वारा बिडला शुगर मिल शिवहारा के लिए और यही प्रस्ताव डी0सी0ओ0 के यहां से, डिप्टी सी0सी0 मुरादाबाद के यहां से ओके होकर के आ गया यहां गन्ना आयुक्त महोदय के यहां लेकिन यहां से तीनो बार काट के दीवान शुगर मिल को कर दिये गये। मान्यवर, काश्तकार इन केन्द्रों के कटने से आन्दोलित हैं और आक्रोशित है अब 50 लोग मेरे कमरे में रुके हुए हैं तीन दिन हो गये अब आज चावल भी खत्म हो गई दाल भी खत्म हो गयी तो मेहरबानी के माननीय नगर विकास मंत्री जी यहां मौजूद

हैं हमारे बड़े भाई हैं, हमारे सरपरस्त हैं। मैं आपके माध्यम से दरख्वास्त करूंगा कि इसका संज्ञान लेने और गन्ना क्रय केन्द्र जो प्रस्तावित हुए थे तात सोसाइटी द्वारा वह कर दिये जायें यह निर्देशित करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

श्री वीर पाल राठी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने नियम–56 में मुझे अपनी समस्या उठाने का मौका दिया मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष जी, बागपत जिला एक मात्र जिला है जिसमें कोई भी शासन का आदेश नहीं है। मायावती की सरकार में 2008 में किसानों की ढाई पावर की वृद्धि कर दी गयी दस पावर की साढ़े 12 पावर। असल का कोई आदेश नहीं वहां के किसानों के साथ बड़ा अन्याय है और अब उसी के पैटर्न पर अधिकारी शासन का आदेश नहीं मानते अब उसी पैटर्न पर किसी को 15 हार्सपावर, किसी की 12 पावर और किसी की 20 पावर कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी यह लोकमहत्व का सवाल है मैं इस पर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं और मैं चाहता हूं इस पर कोई व्यवस्था दे दें माननीय संसदीय मंत्री जी इस पर कुछ स्पष्ट कर दें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, आपकी बात आ गयी यह कार्यवाही का अंग हो गया, इसको दिखवा लिया जायेगा।

श्री जगपाल सिंह–

मान्यवर, हमारे यहां लाल सिंह पुत्र सुमेरचन्द्र निवासी नन्हेड़ा बक्काल थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर जो अनुसूचित जाति का था दिनांक 23.9.2014 को शाम अपने घर जा रहा था रास्ते में कुछ अज्ञात लोगों ने चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या कर दी जिसकी सूचना पुलिस को दी गयी। उसे तुरन्त सहारनपुर चिकित्सालय लाया गया जहां डाक्टरों ने उसे चण्डीगढ़ के लिए रिफर कर दिया लेकिन रास्ते में उसकी मृत्यु हो गयी। इसमें मुकदमा अपराध संख्या 384/2014 धारा 394 आई0पी0सी0 दिनांक 23.9.2014 पंजीकृत हुआ है लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। मान्यवर, एक मामला यह है।

मान्यवर, एक और मामला सोनम पुत्री श्री कश्मीर सिंह उर्फ चिन्नी जाति चमार निवासी ग्राम घानाखण्डी थाना देहात कोतवाली जनपद सहारनपुर जिसकी आयु 14 वर्ष की थी वह शाम के समय शौच के लिए गांव के पास नजदीकी खेत में गयी थी वहां उस लड़की को खेत में आता देख दबंग फरमान पुत्र सलीम, जावेद पुत्र इकराम व एक अज्ञात ने सोनम को जबरदस्ती उठाकर ले जाने व जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ उन तीनों ने गैंगरेप किया। इसमें थाना देहात कोतवाली जनपद सहारनपुर में अपराध संख्या 377/2014 अन्तर्गतधारा 376,120बी, 3क4 एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट दिनांक 31–10–2014 पंजीकृत हुआ था। इसमें लड़की सोनम का अस्पताल में मेडिकल कराया गया जिसमें लड़की की उम्र डाक्टरों ने पैसा लेकर साज खाकर 18 वर्ष लिख दी

जबकि स्कूल सर्टीफिकेट के अनुसार उसकी आयु 14 वर्ष की थी इस पर मैंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर से मिलकर उस डाक्टर के खिलाफ कार्यवाही तथा अभियुक्तों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की थी परन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मैं माननीय सदन के संज्ञान में सारे प्रकरण लाकर कार्यवाही की मांग करता हूं और पीड़ित परिवार की मदद की मांग करता हूं तथा डाक्टर के विरूद्ध कार्यवाही और अभियुक्तों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, आपकी बात आ गयी है।

श्री राम चन्द्र यादव–

मान्यवर, 13 तारीख में हमारे क्षेत्र में एक नौजवान अनुराग गुप्ता की हत्या कर दी गयी थी। यह सुजागंज बाजार जो मेरे क्षेत्र की सबसे बड़ी बाजार है इस बाजार में इस तरह से निर्मम हत्या करने के बाद हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं की गयी। इससे पूरे के पूरे क्षेत्र के व्यापारी और जनमानस आन्दोलित है। मान्यवर, 14 तारीख की घटना के बाद से परिवार के लोग पूरे क्षेत्र के लोगों के साथ धरने पर बैठे हैं। इस घटना के बाद उस परिवार में मृतक के बाद कोई मदद करने वाला नहीं है, केवल उसकी विधवा और दो छोटे बच्चे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस परिवार की मदद के लिये और इस घटना में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिये नियम–56 की इस सूचना पर सारी कार्यवाही रोककर चर्चा कराये जाने की मैं मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपको सुना, मैं आपकी सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं।

श्री कालीचरन सुमन–

माननीय अध्यक्ष जी, आगरा जनपद के अन्तर्गत श्री नत्थीलाल पुत्र ...

श्री अध्यक्ष–

आप सूचना भी दिये हैं कि वैसे ही पढ़े जा रहे हैं। आप बैठिये, कम से कम आपको सूचना तो देनी चाहिये।

श्री अगयश रामसरन वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने नियम–56 के अन्तर्गत कार्य–स्थगन सूचना की ग्राह्यता पर बोलने का मुझे जो अवसर दिया है, उसके लिये मैं आपका हृदय से आभारी हूं। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सहकारिता क्षेत्र की जितनी भी चीनी मिलें हैं, उन चीनी मिलों पर जो नियंत्रण करने वाली और प्रशासन करने वाली संस्था उत्तर प्रदेश किसान चीनी मिल संघ है, उसका जो एम0डी0 है, उसकी अवैध नियुक्ति की गयी है। यह एम0डी0 केन्द्रीय सेवा के कृषि विभाग से यहां प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया पहले इसे नजीबाबाद, बिजनौर के चीनी मिल में जी0एम0 बनाया गया, जहां पर बहुत सारे घोटालों में जांच की गयी, जिसमें यह दोषी पाया गया। इसी मध्य इस जी0एम0 ने एक प्रत्यावेदन इस आशय का दिया कि ज्वाइंट एम0डी0 के स्थान पर मेरी नियुक्ति कर दी जाये जबकि हम लोग जानते हैं कि ज्वाइंट

एम0डी0 और एम0डी0 दोनों प्रशासनिक सेवा के स्थान हैं, जिसमें नियुक्ति विभाग के द्वारा नियुक्ति की जाती रही है और सदैव भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी वहां आते रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप कहना क्या चाहते हैं, आप सीधे बताइये।

श्री अगयश रामसरन वर्मा–

लेकिन वहां दूसरे ज्वाइंट एम0डी0 की नियुक्ति कर दी गयी और एम0डी0 को ट्रांसफर करके इसको वहां का एम0डी0 बना दिया गया। मान्यवर, जितनी भी चीनी मिलें हैं उसमें काफी बड़ी–बड़ी वसूली करके कनिष्ठ सहायक अभियन्ताओं को, रसायनविद्ों को जी0एम0 बना दिया गया और वह लोग सारी चीनी मिलों में भयंकर रूप से लूट कर रहे हैं और फर्जी नियुक्तियां कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप घुमाफिराकर एक ही बात कह रहे हैं, आप सीधे अपनी बात पर क्यों नहीं आते।

श्री अगयश रामसरन वर्मा–

जब एम0डी0 की ही फर्जी नियुक्ति है तो निश्चित रूप से बीसलपुर किसान सहकारी चीनी मिल में जी0एम0 की भी फर्जी नियुक्ति की गयी है, चीफ इंजीनियर की फर्जी नियुक्ति है जो कई दिन जेल में रहा और उसे सस्पेंड नहीं किया गया। इसी प्रकार इस चीनी मिल में अन्य स्टाफ तथा डाक्टर आदि की फर्जी नियुक्तियां की गयी हैं।

श्री अध्यक्ष–

अब आपकी बात खत्म हो गयी। अब आप बैठिये, मैं आपकी सूचना को अग्राहय करता हूं।

कार्य–मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिशों की सूचना दे रहा हूं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य–मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 19 नवम्बर, 2014 की बैठक में विधान सभा सभा के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं:–

1–दिनांक 20 व 21 नवम्बर, 2014 को विधान सभा के उपवेशन न हों,

2–दिनांक 25, 26 व 27 को सदन के उपवेशन हों,

तदनुसार दिनांक 20 नवम्बर, 2014 से दिनांक 27 नवम्बर, 2014 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :–

नवम्बर, 2014

20 गुरूवार	बैठक नहीं होगी।
21 शुक्रवार	
22 शनिवार	
23 रविवार	
24 सोमवार	

नवम्बर, 2014

25 मंगलवार	विधायी कार्य।
26 बुधवार	विधायी कार्य।
27 गुरूवार	विधायी कार्य।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो मा0 संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

नियम–51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 19–11–2014 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 98 सूचनायें प्राप्त हुईं।

निम्नलिखित सूचनाएं वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :–

क्र0सं0	नाम	विषय
1	श्री मुकुट बिहारी वर्मा	जनपद–बहराइच के विकास खण्ड जरवल के अन्तर्गत घाघरा नदी पर बने पुल पर 25 वर्षों से वसूले जा रहे टोल टैक्स को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में है,
2	श्री सुधाकर सिंह	जनपद–कुशीनगर में खतौनियों की हेराफेरी में लिप्त कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है,

निम्नलिखित सूचनाएं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :–

1	श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया	कानपुर महानगर के छावनी विधान सभा के क्षेत्रान्तर्गत श्रमिक कालोनी बाबूपुरवा में सड़क निर्माण की गुणवत्ता की जांच टी0ए0सी0 से कराये जाने के सम्बन्ध में है,
2	श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)	मेरठ विकास प्राधिकरण के विभिन्न आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत गरीबों को आंवटित भवनों

का वन टाइम सेटेलमेंन्ट स्कीम लागू कर कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में है,

3 श्री मुर्सरत अली विट्टन — जनपद बदायूं के ग्राम संजरपुर बालजीत तथा हजरतगंज में हाई टेन्सन लाईन टूटने से जानवरों की हो रही मृत्यु के सम्बन्ध में है,

4 श्री कृष्ण कुमार ओझा (केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत) — लखनऊ हुसैनगंज के बाबू बनारसी दास वार्ड में मेरा मन होटल के पीछे निवासी हिस्ट्रीशीटर द्वारा बिगड़ती कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में है,

5 श्री राजेश त्रिपाठी — जनपद गोरखपुर के तहसील गोलागंज के अन्तर्गत राम जानकी राज्य मार्ग हेतु धन स्वीकृत होने के बावजूद सड़क का निर्माण कार्य न किये जाने के सम्बन्ध में है,

6 श्री स्वामी प्रसाद मौर्य — जनपद–कुशीनगर की कतिपय ग्राम सभाओं में राशन माफियाओं के साथ सांठ–गांठ कर अधिकारियों द्वारा की जा रही अनियमितता की जांच कराए जाने के सम्बन्ध में है,

7 श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज — जनपद–महोबा के ग्राम–छिकहरा में जंगली जानवर के हमले में मृत गरीब महिला किसान के आश्रितों को आर्थिक मदद दिए जाने के सम्बन्ध में है

8 श्रीमती पूजा पाल — जनपद–इलाहाबाद के करछना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सभा–धरवारा में एक दबंग व्यक्ति द्वारा अवैध तरीके से कराए जा रहे ईंट–भट्ठे के निर्माण को रोकने के सम्बन्ध में है तथा

9 श्री महावीर सिंह राणा — सहारनपुर के थाना–कोतवाली देहात, नानौता, कुतुबशेर व देवबन्द के क्षेत्राधिकारी कार्यालय, आवासी भवन एवं चौकी हेतु भूमि आवंटन के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गईं :–

क्र0सं0	नाम
1	श्री नूर सलीम राणा
2	श्री इन्द्रपाल सिंह
3	श्री अजय कुमार लल्लू
4	श्री भीम प्रसाद सोनकर

5	श्री अनूप कुमार गुप्ता
6	श्री मनीष रावत
7	श्री ललितेशपति त्रिपाठी
8	श्री अगयश राम सरन वर्मा
9	श्री रोशन लाल वर्मा
10	श्री मनीष असीजा
11	श्री जन्मेजय सिंह
12	श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी
13	श्रीमती विमला बाथम
14	श्री राम चन्द्र यादव
15	श्री जगन प्रसाद गर्ग
16	श्री राधेश्याम जायसवाल
17	श्री बंशी सिंह पहाड़िया
18	श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'
19	श्री कमाल यूसुफ मलिक
20	श्री सिनोद कुमार शाक्य
21	श्री विजय कुमार पासवान
22	श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''
23	श्री संजय प्रताप जायसवाल
24	श्री दलजीत सिंह
25	डा0 अरुण कुमार
26	श्री अवस्थी बाला प्रसाद
27	श्री प्रदीप चौधरी
28	डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी
29	डा0 राधामोहन दास अग्रवाल
30	श्री गेंदालाल चौधरी
31	श्री राकेश बाबू
32	श्री रवीन्द्र जायसवाल

33	श्री रामहेत भारती
34	श्री राजीव गुम्बर
35	श्री जगपाल सिंह
36	श्री बब्बन सिंह
37	श्री रवि शर्मा
38	श्री राजेन्द्र उर्फ बृजेश सिंह
39	श्री पंकज गुप्ता
40	श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया
41	श्री संजय कपूर
42	श्री हरविंदर कुमार उर्फ रोमी साहनी
43	श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत
44	श्रीमती रजनी तिवारी
45	श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह
46	श्री राजबली जैसल
47	श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी
48	श्री सुदेश शर्मा
49	श्री भगवती प्रसाद
50	श्री दलवीर सिंह
51	श्री पूरन प्रकाश एडवोकेट
52	श्री अनीसुरर्रहमान
53	श्री सुरेश कुमार खन्ना
54	श्री सन्तराम कुशवाहा
55	श्री कालीचरन सुमन
56	श्री दीपक पटेल
57	श्री रविदास मेहरोत्रा
58	श्री अमरपाल शर्मा
59	श्री लोकेश दीक्षित
60	श्री वीर सिंह

61	श्री मदन चौहान
62	मो0 गाजी
63	श्री पूर्णमासी देहाती
64	श्री अमित गौरव यादव
65	श्री प्रभु दयाल बाल्मीकि
66	डा0 मो0 मुस्लिम
67	श्री दिलनवाज खान
68	श्री विनय तिवारी
69	श्री जय प्रकाश निषाद
70	मो0 जासमीर अंसारी
71	श्री उमेश पाण्डेय
72	डा0 रमेश चन्द्र बिन्द
73	श्री देव नरायन उर्फ जी0एम0 सिंह
74	श्री धर्मपाल सिंह
75	श्री सतीश महाना
76	श्री राधेलाल रावत
77	श्री उपेन्द्र तिवारी
78	श्री सुरेश राणा
79	श्री अजीत कुमार
80	श्री सुरेश बंसल
81	श्री प्रदीप माथुर
82	श्री बृजेश कुमार
83	श्री वीरपाल राठी
84	श्री चन्द्रभान सिंह पटेल
85	श्री गजेन्द्र सिंह
86	श्री भगवान सिंह कुशवाहा
87	श्री जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, 25–11–2014 को 11:00 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 05 बजकर 38 मिनट पर अगले दिन के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक 19 नवम्बर, 2014

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न सं0–11 का उत्तर पीछे पृष्ठ–38–39 पर)

मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम–1994 के तहत पंजीकृत संस्थानों की सूची (किडनी प्रत्यारोपण)

क्र0सं0	आवेदित संस्था का नाम व प्रभारी का नाम	पता	किस प्रयोजन हेतु आवेदन किया गया	निर्गत पंजीकरण प्रमाण–पत्र संख्या व दिनांक	अवधि	पंजीकरण प्रमाण–पत्र समाप्त की अवधि	पंजीकरण के नवीनीकरण की स्थिति	निर्गत पंजीकरण प्रमाण–पत्र के नवीनीकरण की संख्या व दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	रीजेन्सी हास्पिटल लि0 डा0 राजेश अग्रवाल	सर्वोदय नगर कानपुर	किडनी	संख्या–3052 25 मार्च, 2011	05	24 मार्च, 2016		
2	एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ डा0 आर0 के0 शर्मा	एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ	किडनी	संख्या–927 16 सितम्बर, 2010	05	15 सितम्बर, 2015		
3	फोर्टिक हास्पिटल, नोयडा	बी–22, सेक्टर–62, नोयडा	किडनी	संख्या–6481 01 जुलाई, 2011	05	01 जुलाई, 2016		
4	सर सुंदर लाल हास्पिटल, इंस्टी0 आफ मेडिकल साइंसेज	बी0एच0यू0 वाराणसी	किडनी	संख्या–1079 17–4–2008	05	16–4–2013	नया पंजीकरण किया गया	संख्या–1653 दिनांक 5–7–2014
5	कमाण्ड हास्पिटल लखनऊ	कमाण्ड हास्पिटल लखनऊ	किडनी	संख्या–907 05 फरवरी,2008	05	2 अगस्त, 2012	पुनः 5 वर्ष के लिये नवीनीकरण	संख्या–2141 दिनांक 15–9–2012

6	मेरठ किडनी हास्पिटल लि0 मेरठ डा0 रस्तोगी	मेरठ	किडनी	संख्या–2934 7 नवम्बर, 2013	05	6 नवम्बर, 2018	पुनः 5 वर्ष के लिये नवीनीकरण	
1	2	3	4	5	6	7	8	
7	के0के0 हास्पिटल, लखनऊ डा0 के0के0 सिंह निदेशक	लखनऊ	किडनी	संख्या–959 23–7–2009	05	22–7–2014	पुनः 5 वर्ष के लिये नवीनीकरण	
8	सहारा हास्पिटल प्रा0लि0 डा0 एच0पी0 कुमार एम0डी0	गोमती नगर, लखनऊ	किडनी	संख्या–6273 17–6–2011	05	16–6–2016		
9	पुष्पांजलि कोसले हास्पिटल डा0 विनय अग्रवाल चेयरमैन एवं एम0डी0	वैशाली गाजियाबाद	किडनी	संख्या–6209 9–6–2011	05	8–6–2016		संख्या–3805 दिनांक 21–10–2014
10	साई हास्पिटल डा0 अर्चना अग्रवाल एम0डी0	बरेली	किडनी	संख्या–323 16–10–2007	05	15–10–2012	पुनः 5 वर्ष के लिये पंजीकरण	संख्या–3267 दिनांक 5–9–2014
11	अपोलो हास्पिटल प्रा0लि0 डा0 डी0 शर्मा, सी0ओ0ओ0	ई–2 सेक्टर–26 नोयडा	किडनी	संख्या–2206 14–8–2013	05	13–8–2018		
12	गांधी मेमो0 एण्ड हास्पि0	के0जी0एम0यू0 लखनऊ	किडनी	सं0–610 18–3–14	05	17–3–2019		

मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम–1994 के तहत पंजीकृत संस्थाओं की सूची (लीवर प्रत्यारोपण)

1	फोर्टिस हास्पिटल, नोयडा	बी–22, सेक्टर–62 नोयडा	लीवर	पत्र सं0–8255 दिनांक 1–11–2011	05	1–10–2016
2	एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ	एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ	लीवर	संख्या–2915 30–10–2013	05	29–10–2018

पी0एस0यू0पी0–एल0 16 विधान सभा (34)–11–5–2015–813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)